दशम माला, खण्ड

10 दिसम्बर 1993
अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

10 दिसम्बर, 1993 के लोक सभा वाद-विवाद

के

हिन्दी संस्करण

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
32	नीचे से 8	123	134
146	ऊपर से 5	1358	1385
174	नीचे से 12	श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
203	नीचे से 6	राष्ट्रकूल	राष्ट्रकुल
223	नीचे से 5	शहीद ललित मखान भवन	शहीद ललित माकन भवन
255	ऊपर से 10	(विकास और विनियययन)	(विकास और विनियमन)
296	ऊपर से 8	संदरवन	सुंदरवन
301	ऊपर से 4	श्री पी॰पी॰कालीयापेरूमल	श्री पी॰पी॰कालियापेरूमल

विषय सूची

दशम माला, खंड 26, आठवां सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 7, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1993/19 अग्रहायण, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	121 से 124	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर		21-241
तारांकित प्रश्न संख्या	125 से 140	21-40
अतारांकित प्रश्न संख्या	1266 से 1319	
	1321 से 1378	
	1380 से 1466 और	
	1468 से 1499	40-244
सभा पटल पर रखे गए पत्र		253-265
राज्य सभा से सन्देश		265-266
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक		266
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित - सभा पटल पर रखा गया		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	266
पन्द्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत	
व्यापार वार्ता संबंधी डंकल प्रारूप के निहितार्थों के बारे में प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	266-293
नियम 377 के अधीन मामले	293-296
(एक) विल्लुपुरम से कुड्डालोर तक रेल लाइन को बड़ी लाइन से जोड़ने की आवश्यकता	293
श्री पी.पी. कालियापेरुमल	
(दो) चिल्का झील को गाद से भरने तथा छोटा होने से बचाने की आवश्यकता	294
श्री गोपीनाथ गजपति	
(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता	294
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	
(चार) केरल के ओट्टापलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के मुदुक्काचेरी में एक ऊपरी रेलवे पुल बनाने की आवश्यकता	295
श्री एस. शिवरामन	
(पांच) तटीय क्षेत्रों के उचित विकास के लिए अलग से मंत्रलय गठित किए जाने की आश्यकता	295
श्री सुधीर सावंत	
(छह) पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पर्यटन के विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	296
श्री सनत कुमार मंडल	

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 296

श्री विद्याचरण शुक्ल

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में साविधिक संकल्प

और

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 297-300

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 297-298

डा० अबरार अहमद 298-300

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन - स्वीकृत 301

समान सिविल संहिता के बारे में संकल्प - अस्वीकृत 301-318

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 301

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 307

श्री सुधीर सावंत 310

कुमारी ममता बनर्जी 312

श्री एच.आर. भारद्वाज 313

पूर्वी क्षेत्र में तेल और गैस के अन्वेषण कार्य के बारे में संकल्प	318-328
डा० असीम बाला	318
श्री रमेश चेन्नितला	321
श्री सुधीर गिरि	323
कुमारी ममता बनर्जी	325
श्री सुब्रत मुखर्जी	327

लोक सभा

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1993/19 अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विद्युत करघा एकक

*121. **श्री सी.पी.मुदाल गिरियप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत करघा एककों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई/दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन एककों को गत वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई और चालू वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अपनी-अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत करघा एककों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते आ रहे हैं।

सिडबी द्वारा लघु औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाले विद्युत करघा एककों के लिये और जिसमें इसकी पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों के उत्पादन की परिकल्पना नहीं की

गयी थी, इसके संबंध में वर्ष 1992-93 के दौरान संवितरित की गई पुनर्वित्त सहायता की रकम 76.09 करोड़ रुपये बैठती है। नाबार्ड की आंकड़ा सूचना प्रणाली से विद्युत करघा एककों को प्रदान की गयी पुनर्वित्त सहायता से संबंधित अलग आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अलबत्ता, नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान हथकरघा तथा विद्युत करघा के लिये सावधि ऋण के रूप में प्रदान की गयी कुल पुनर्वित्त सहायता की रकम 9.67 करोड़ रुपये थी। नाबार्ड, हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के अलावा विद्युत करघा बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन तथा विपणन संबंधी गतिविधियों का वित्तपोषण करने के प्रयोजन से राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधिक ऋण-सीमाएं उपलब्ध करता है। हथकरघा/विद्युत करघा बुनकर सहकारी समितियों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को वर्ष 1992-93 के दौरान कार्यशील पूंजी ऋणें के रूप में मंजूर की गयी अधिकतम सीमाओं की रकम 492.37 करोड़ रुपये बैठती है। ऐसे सभी पात्र प्रयोजनों के लिए सिडबी तथा नाबार्ड द्वारा निरंतर आधार पर पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है और इस संबंध में कोई भी विशेष गतिविधि-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत करघा का ज्यादातर उत्पादन बड़े बुनकरों के हाथों में होता है जो इसे छोटे बुनकरों को आगे ठेके पर देते हैं और उन्हें संगठित ऋण नहीं मिल पाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे छोटे उत्पादकों की पहचान कर कोई योजना तैयार कर रही है और उन्हें वित्त प्रदान करने की है।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, जितने भी पावर लूम हैं, उनको आईडीबीआई और ''सिडबी'' द्वारा ऋण उपलबध कराया जाता है तथा ''नाबार्ड'' उनको रीफाइनांसिंग करता है। इस बारे में माननीय सदस्य को मूल प्रश्न के उत्तर में गत वर्ष दिए गए ऋणें के बारे में जानकारी दी गई है। अगर इसके अलावा माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ''सिडबी'' द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष 1990-91 के अंदर 2240 इकाइयों को सहायता दी गई है। और जिसमें 72.48 करोड़ रुपया ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : यह मेरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है। मंत्री द्वारा दी गई जानकारी सभा पटल पर रखे गए विवरण में पहले ही है, उन्होंने मेरे अनुपूरक प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझा है।

मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि ज्यादातर विद्युत करघा का उत्पादन बड़े बुनकरों के हाथों में है जो आगे इसे छोटे उत्पादकों को ठेके पर देते हैं जिन्हें संगठित ऋण नहीं मिल पाता है। क्या भारत सरकार प्रत्येक छोटे उत्पादकों को वित्त प्रदान करने की ऐसी कोई योजना तैयार कर रही है।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, इंडीविजुअल प्रोड्यूसर के लिए माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, उसके लिए मूल प्रश्न के अंदर जो सिडबी और नाबार्ड के बारे में पूछा गया तो उसके अंदर रिफाइनेशिंग की डायरेक्ट स्कीम नहीं है और जो स्टेट के अंदर दिया जाता है वह स्टेट फाईनेंशियल कारपेारोशन के माध्यम से दिया जाता है या राज्य के औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि की कमी की वजह से ज्यादातर विद्युत करघे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार नाबार्ड अथवा अन्य सहयोगी बैंकों से वित्तीय संस्थाएं विद्युत करघा एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करने में पहल नहीं ले रहे हैं। क्या सरकार ऐसे विद्युत करघा एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करने तथा ऐसी एककों को कार्यचालन रूपी प्रदान करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष जी, मैंने अभी निवेदन किया कि नाबार्ड इसके लिये डायरेक्ट पैसा नहीं देती है वह सिर्फ रिफाईनेंस करती है और स्टेट इंडस्ट्रीयल आरगेनाईजेशन को रिफाईनेंस करती है, वह इनको पैसा देता है और डायरेक्ट पैसा देने का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि नाबार्ड द्वारा हथकरघा और विद्युत करघा के लिए सिर्फ 9.67 करोड़ रु. की कुल राशि वितरित की गई है जो काफी कम है। क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे तथा हथ करघा बुनकरों और विद्युत करघा इकाइयों के बुनकरों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड को उपयुक्त अनुदेश जारी करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो स्वनियोजित व्यक्तियों को सबसे अधिक रोजगार प्रदान कर रहा है। सरकारी बैंक इन लोगों के काफी निकट होंगे और सिडबी के बजाय नाबार्ड के माध्यम से उन्हें सीधी अधिक सहायता दी जा सकती है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस सभा को आश्वासन दे कि विद्युत करघा और हथकरघा एककों को पर्याप्त वित्त दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि इसकी शिकायतें हमारे पास पहुंचती हैं। जैसे मैंने कहा नाबार्ड और सिडबी रिफाईनेंस करने वाली संस्थाएं हैं और इसके लिये राज्य के वित्त निगम को और राज्य के औद्योगिक निगमों को देखना पड़ेगा कि

वह उनको ऋण देंगे और उसके बाद नाबार्ड और सिडबी के माध्यम से रिफाईनेंस किया जाता है।

[अनुवाद]

डा. वसंत पवार : विद्युत करघा उद्योग में अनेक समस्याएं हैं। अतः सरकार ने आबिद हुसैन समिति का गठन किया है। आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को लागू करेगी तथा विद्युत करघों को वित्त प्रदान करने संबंधी सिफारिशों को स्वीकार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर कपड़ा मंत्रालय देगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने औद्योगिक निगमों के द्वारा पावरलूम और हथकरघा तथा विद्युत करघा को ऋण देने की बात बताई है।

11.09 म.पू.

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

प्रायः यह देखा जाता है कि जो छोटे बुनकर और छोटे पावरलूम वाले हैं, जब ऋण के लिए औद्योगिक निगमों को आवेदन देते हैं तो औद्योगिक निगम उनको ऋण देने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनाता है और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि उनके आवेदन पत्र पर जमानत की राशि और कितने दिनों से आपका पावरलूम काम कर रहा है।

इसलिए ऋण प्राप्ति में करीब-करीब एक वर्ष लग जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप औद्योगिक निगमों को कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए निर्देश देंगे जिससे छोटे हथकरघा और पावरलूम वालों को अविलम्ब उनकी जरूरत के हिसाब से और समय से ऋण मिल सके?

डा. अबरार अहमद : जो भी राज्य वित्तीय निगम है और औद्योगिक निगम हैं उन पर राज्य सरकार का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण होता है और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर वे कार्य करते हैं। माननीय सदस्य ने उनकी जो समस्यायें बताई हैं वे वाजिब हैं। आप भी सम्बन्धित राज्य सरकार से कहें और हम भी राज्य सरकार तक यह बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि समस्या गंभीर है। ये बार-बार कह रहे हैं कि जो राज्य के वित्तीय संस्थान हैं वे सीधे ऋण देते हैं, मगर इस बात को ध्यान से रखते हुए कि यह हमारे देश का दूसरे दर्जे का सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें आम आदमी की रोजी-रोटी की समस्या है, चाहे पावरलूम में हो या हैंडलूम में काम कर रहे हों दिन-प्रतिदिन उनकी समस्या गंभीर होती जा रही है। पिछले साल उनका अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, जिसको प्रधान मंत्री जी ने सम्बोधित किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके उद्योग की मदद करने के लिए आपकी समस्याओं

को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके ऊपर एक योजना तैयार करेगी जिससे उन्हें सीधे और जल्दी ऋण मिल सके। वर्किंग केपिटल उनको नहीं मिलती है, उनको सामान नहीं मिलता है, बीच में बिचौलिये खा जाते हैं, आम बुनकर इससे परेशान हो रहा है और भुखमरी की हालत में पड़ा हुआ है। क्या सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार सबसे मिलकर कोई काम्प्रीहेंसिव योजना बनायेगी ताकि उनकी मदद की जा सके और ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जिन्दगी जुड़ी हुई है?

डा. अबरार अहमद : माननीय सदस्य ने जो बात कही है और जिस समस्या की तरफ इशारा किया है मैं उस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि वस्त्र मंत्रालय इस संबंध में योजना बनाता है, नीति बनाता है और यदि किसी अन्य मंत्रालय से कोर्डिनेशन करने की बात होती है तो उन्हीं मंत्रालयों के पास जाता है। वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध इतना है कि अगर वस्त्र मंत्रालय कोई योजना बनाकर वित्त मंत्रालय के पास देता है तो उसमें क्या आर्थिक मदद की जा सकती है, उसके अनुरूप कार्य करने और स्टेप लेने का वित्त मंत्रालय का काम है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब प्रधान मंत्री जी ने खुद इसका आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है। आप यह कहकर नहीं निकल सकते कि राज्य सरकार का काम है या सरकार कुछ करेगी तो हम करेंगे। क्या आप भी इसमें इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि पैसा आपके विभान ने देना है?

डा. अबरार अहमद : प्रधान मंत्री जी जिस प्रकार का दिशा-निर्देश देंगे वित्त मंत्रालय उस कार्य को करेगा।

[अनुवाद]

श्री ए. अशोकराज : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि सावधि ऋण के रूप में हथकरघा तथा विद्युतकरघा को नाबार्ड द्वारा कुल 9.67 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त वितरित किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसमें से कितनी राशि तमिलनाडु के लिए निर्धारित की गई थी और दूसरी बात तमिलनाडु को वितरित राशि में से कितना ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और कितना ऋण सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : जो सिडबी द्वारा तमिलनाडु को सैक्शन किया गया है उसके अंदर 203 यूनिट्स है। 1991-92 का अमाउन्ट 179.79 लाख है और 1992-93 का 96.78 लाख है।

[अनुवाद]

श्री ए. अशोकराज : मैंने इसके ब्यौरे के बारे में पूछा था कि कितनी राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई और कितनी राशि सहकारी बैंकों द्वारा वितरित की गई।

डा. अबरार अहमद : यह प्रश्न सिर्फ सिडबी और नाबार्ड से संबंधित है।

श्री सुधीर गिरि : सभापति महोदय, विद्युत करघा इकाईयों में काफी व्यक्ति रोजगार पाते हैं। कुछ मानी इकाइयां भी हैं। ये मानी इकाइयां राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रभावकारी तंत्र है जो यह समुचित रूप से जांच कर सके कि क्या स्वीकृत ऋणों का समुचित उपभोग होता है अथवा नही।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, यह तो मैंने सबसे पहले बताया कि सिडबी और नाबार्ड फाइनेसिंग करते हैं। ये सरकार के माध्यम से राज्य की वित्त निगमों और उनकी इकाइयों द्वारा दिया जाता है कि वास्तव में ऋण का सदुपयोग हो रहा है या नहीं या किसी प्रकार से ऋण का गलत वितरण तो नहीं हो रहा है?

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक

***122. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 और 1993 के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों के कारोबार, इनके कर्मचारियों, ग्राहकों और अर्थव्यवस्था पर इस विलय के प्रभावों का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले कई वर्षों से भूत-पूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया की वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट होने के कारण सरकार ने 4 सितम्बर, 1993 को इसे पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया था। भूत-पूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण की कमियों और इसकी हानियों को खपाने तथा आवश्यक नेतृत्व, प्रबंधन और निधि संबंधी सहायता प्रदान करने की पंजाब नेशनल बैंक की क्षमता पर विचार करने के पश्चात सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाने का निर्णय लिया था। यह समामेलन बैंकिंग क्षेत्र के हित में है और इससे भूतपूर्व न्यू बैंक आफ इंडिया के ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जाएगी। इस समामेलन के कारण कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कोई बाध्यकर कारण या हालात विद्यमान हैं जिनके अंतर्गत भारत सरकार किसी और राष्ट्रीयकृत बैंक के विलय को अनिवार्य मानती है और यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : सभापति जी बैंकों के विलय के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बैंक की स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि न्यू बैंक आफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया है और किसी अन्य बैंक को मर्ज करने का सरकार को कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन समाचारों में कोई सच्चाई है कि तत्कालीन न्यू बैंक आफ इंडिया, जिसका पंजाब नैशनल बैंक में विलय कर दिया गया था, के कर्मचारियों का वास्तव में पंजाब नैशनल बैंक द्वारा उत्पीड़त किया जा रहा है तथा वे हड़ताल करने वाले हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है तथा यदि हां, तो ऐसी हड़ताल को टालने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में मुझे ब्यौरा दें।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि आये दिन बैंक की हालत ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह घाटे में चलती है जिसके बारे में सदन के अंदर चिन्ता व्यक्त की जाती है और मंत्रालय भी चिन्तित है। इस उद्देश्य से न्यू बैंक आफ इंडिया की स्थिति ऐसी थी कि उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में करना आवश्यक हो गया था। ऐसी हालत में जब एक बैंक का विलय दूसरे बैंक में हो जाये तो दो हैड आफिस और दो रीजनल आफिस एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहां तक स्टाफ का सवाल है तो मेरे पास राज्यवार आंकड़े हैं। 2125 कर्मचारी सरप्लस हुये और यदि कोई दूसरी सिक इकाई होती तो उनकी छंटनी हो जाती। लेकिन इनकी छंटनी न करके इनको रिडिप्लाय किया गया। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना कि वास्तविक स्थिति यह नहीं है. तो यह बताना चाहूंगा कि कुल कर्मचारियों में से न्यू बैंक आफ इंडिया के 3046 आफिसर्स थे और क्लेरिकल स्टाफ में 6408 थे और इस प्रकार कुल मिलाकर 9454 कर्मचारी थे।

उनमें से जिनको उस जोन के अंदर रखा गया, 3046 आफिसर्स में से 2543 को उस जोन में रखा गया जो 83.49% होता है और क्लेरिकल में 6408 में से 5939 को जो 92.68% होता है उस जोन में रखा गया और ऑफिसर, क्लर्क दोनों को मिलाकर 89.72% को उस जोन में रखा गया। आफिसर्स में से 503 को जोन से बाहर ट्रांसफर किया गया जिनमें से 243 को ऐडजोइनिंग

जोन में ट्रांसफर किया गया है और 260 को दूसरे जोन में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ-साथ जो क्लेरिकल में हैं, उनमें 469 को जो 7.32% होता है, उनका ट्रांसफर किया गया। उसमें से 338 को समीपवर्ती जोन में ट्रांसफर किया गया है और 131 को थोड़ा दूर ट्रांसफर किया गया है। दूर में भी जो अवार्ड है और यूनियनों से जिस प्रकार का पेक्ट है, उसी प्रकार से उनको अपने लिंग्विस्टिक एरिया में जिस प्रकार से दिल्ली के क्लेरिकल स्टाफ को यूपी या राजस्थान में ट्रांसफर किया गया है। किसी महिला को उसमें ट्रांसफर नहीं किया गया है, किसी विकलांक का ट्रांसफर नहीं किया गया है। जो तीन साल में रिटायर हो रहा है उसका ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस प्रकार से बहुत ही कम लोगों को जो नितांत आवश्यक था जिसके बिना काम नहीं चल सकता था, छंटनी करके उनको, री-डिप्लॉय किया और उसके कारण से यह बात पैदा हुई है। तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी को इन दोनों बैंकों के मिलाने से अगर दिक्कत होती है तो हम उसमें पूरे भागीदार हैं लेकिन जहां बैंक को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना आवश्यक है वहां इस प्रकार के कदम उठाना सरकार ने जरूरी समझा है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। विभिन्न यूनियनों से कई शिकायतें आई हैं कि तत्कालीन न्यू बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों के साथ पंजाब नैशनल बैंक द्वारा दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : महोदय, पंजाब नैशनल बैंक के अंदर न्यू बैंक आफ इंडिया को मिलाया गया है और यहां तक उसके लिए किया गया कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, उनमें पंजाब नैशनल बैंक के कर्मचारी ट्रांसफर होना चाहें तो उनसे ओप्शन लेकर ऐडजस्टमेंट किया गया है। उसके बाद जो संख्या मैंने बताई, उनको ट्रांफर किया गया है। इसमें कोई सेकंड ग्रेड वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इस बैंक की ऐफिशिएंसी और वर्क के हिसाब से देखें तो प्रति इम्प्लाई बिजनेस जो न्यू बैंक आफ इंडिया का था वह 25.01 लाख है और पंजाब नैशनल बैंक का 49.16 लाख है। उसे सुधारने के लिए दूसरे बैंक में मिलाया गया है तो उस स्थिति में जो 200 लोग सरप्लस हो गए उनका सही रूप से रिट्रेंचमेंट न करना पड़े ट्रांसफर करना जरूरी है। उसमें सेकंड ग्रेड वाली बात नहीं है। बैंकिंग कंडीशन्स जो हैं और जिस प्रकार का इस बैंक को नुकसान होने की वजह से जिन हालात में मर्ज किया गया उसमें जरूरी है कि दोनों को मिलाया जाए। कुछ अच्छे लोगों को उधर रखा जाए कुछ बैंक के लोगों को जिनका प्रति इम्पलाई बिजनेस मैंने बताया उनको उसमें रखा गया।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा उठाए गए पहले अनुपूरक प्रश्न के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए सरकार को एक मूल प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय से संबंधित है। तथा इसका संबंध भारतीय बैंकिंग प्रणाली की भावी संरचना

से भी है। जैसा कि मैं समझा हूं, नरसिम्हम समिति ने वित्तीय प्रणाली पर सरकार के समक्ष कुछ सिफारिशें दी हैं तथा सरकार ने कुल मिलाकर उनको स्वीकार कर लिया है और उनका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। उस नरसिम्हम समिति के प्रतिवेदन में भारत की भावी बैंकिंग प्रणाली की संरचना के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें हैं। समिति ने सिफारिश की कि वे बड़े बैंक जो घाटे में चल रहे हैं, को अन्य बैंकों के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए। नरसिम्हम समिति द्वारा आठ या दस बैंकों की संरचना की सिफारिश की गई है। माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि आगे और विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरे लिए यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नरसिम्हम समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नरसिम्हम समिति के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की भावी संरचना क्या होगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस उत्तर को देखते हुए कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, संरचना के बारे में नरसिम्हम समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : आज की तारीख में जो मैंने कहा पुनः माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे बैंक के मरजर का विचार हमारे पास नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि एक बैंक की नहीं अन्य बैंकों की हालत भी खराब है, मैं उस संदर्भ में, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसके लिये सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं और यह प्रयास किया है कि वे बैंक अपनी सही स्थिति में आ जाये और उन कदमों में अभी आर.बी.आई. ने कुछ डायरेक्शन्स बैंकों को निकाले हैं, उनमें यह भी शामिल है कि जो भी आने वाली ब्रांचेज हैं या जिन ब्रांचेज में लॉस हो रहा है, उन ऑफिसों को बंद कर दिया जाये। इसके अलावा नये स्टाफ की भर्ती पर भी रोक लगाने के लिये आदेश दिये गये हैं। हर बैंक को एक एग्रीमेंट साईन करना पड़ रहा है कि वह अपनी परफौरमेंस में सुधार करने के लिये प्रयास करेगा और तभी गवर्नमेंट जो उसको मदद देना चाहती है, वह मदद देगी। नॉन-परफौरमेंस असेट्स की वसूली के लिये विशेष उपाय किये जा रहे हैं। बैंकों की रिकवरी के लिये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, बैंकों की जो अपनी शाखायें हैं...

सभापति महोदय : उन्होंने नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन्स का रैफरेंस देकर आपसे जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में यदि आपको कुछ कहना है तो वह बताइये।

डा. अबरार अहमद : उसके बारे में तो मैंने कह दिया कि सरकार का जो भी प्रयास है, सतत प्रयास रहता है। हर रोज सरकार विचार करती है कि क्या कदम उठाया जाए, आज की तारीख में स्थिति क्या है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी, उसके बारे में तो आज कुछ नहीं बताया जा सकता लेकिन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : प्रश्न के भाग (ग) का माननीय मंत्री ने अस्पष्ट उत्तर दिया है मैं जानना चाहूंगा कि क्या किन्हीं दो बैंकों के विलय से पहले मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन किया जाता

है। यहां दो बैंकों का विलय किया गया है। सरकार को अध्ययन करना चाहिए कि उसके बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ग्राहकों का क्या होगा, कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। वह अध्ययन आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा ऐसा अध्ययन किया गया है। क्योंकि, जैसाकि श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने ठीक ही कहा है, विलय के बाद कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है तथा ग्राहकों को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे अध्ययन का अभाव इसका कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस अध्ययन की पुनरीक्षा करेगी तथा इस समय व्याप्त समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगी।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक कस्टमर्स की बातें है, इस बैंक को मर्ज करने के बाद, कहीं से कस्टमर्स की कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। जहां तक एम्पलाईज की बात है, मैंने पहले ही अर्ज किया, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि जो स्थिति मर्ज करने के बाद बनी, उसके अनुसार 2125 एम्पलाईज सरप्लस हुए, उनको जिस तरह से हमने लिया, उसमें ऐसा कहना कि हमने किसी को विक्टिमाईज किया, ऐसा सोचना गलत तरीका है। उनको रि-डैप्लाय करने के और कोई तरीका नहीं था। इतना ही नहीं, बहुत से कर्मचारी कोर्ट में भी गये और कोर्ट ने इस बारे में जो फैसला दिया, मैं यहां खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को ही बताना चाहता हूं..

सभापति महोदय : उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता दीजिये।

डा. अबरार अहमद : उसमें यह क्लियर तौर पर लिखा है कि जो सरप्लस एम्पलाइज हैं, उनको बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। उसमें यह भी लिखा है कि उनको रिट्रेंच करना चाहिये था, उनको बाहर भेजा गया है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तरफ तो हम बैंकों में सुधार चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, नुकसान को कम करना चाहते हैं, फ्रॉड को रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ यदि उनको एक बैंक से दूसरे बैंक में लाये, अगर किसी का ट्रांसफर कर दें या कुछ सुधारात्मक उपाय करें, कुछ और कदम उठाये तो उसमें आपत्ति हो, तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। सुधार करने के लिये कुछ कड़े कदम तो उठाने ही पडेंगे। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था की हालत है, उसमें सुधार के लिये यदि हमें और भी हार्श कदम आगे उठाने पड़ सकते हैं।

श्री रवि राय : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने लिखित जवाब के पहले वाक्य में कहा कि पिछले कई वर्षो से न्यू बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय स्थिति खराब थी, आपने उसके कारण दिये हैं, लेकिन सरकार की खुद की जो नीति है, उसकी जो मुख्य चीजें हैं, दो तीन साल पहले सरकार ने बाकायदा आदेश किया था, भारत सरकार की ओर से, और उनके सार्वजनिक क्षेत्र की ओर से, एक लाजिमी नीति सरकार की थी कि नेशनेलाइज्ड बैंकों में सरकार का पैसा, पब्लिक सैक्टर का पैसा जमा किया जाये, डिपौजिट किया जाये। उसके बाद जो बुनियादी परिवर्तन सरकार नीति में 2-3 सालों में आया उसके अनुसार अब वह लाजिमी नहीं रहा, यह उन पर छोड़ दिया गया कि वे विदेश बैंकों में भी रख सकते हैं और प्राईवेट सैक्टर में भी रख सकते हैं।

सरकार का जो बुनियादी नीतिगत फैसला हुआ, उसके चलते आर्थिक गिरावट इसका मुख्य कारण है। इसके बारे में सरकार की क्या राय है?

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, यदि बैंकों की स्थिति देखें तो ऐसी बात नहीं है कि सारे बैंक ही घाटे में हैं या सारे बैंकों की हालत खराब है। माननीय सदस्य ने जो बात पूछी कि उसके कारण बैंक इस स्थिति में पहुंच गए कि मर्ज करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नीति है वह सब बैंकों के लिए है, किसी एक बैंक के लिए नहीं है। सारे बैंक खराब हों, ऐसी बात नहीं है। यदि उस चीज से कोई बात प्रभावित होती तो वह सारे बैंकों के लिए होती। यह तो अपने-अपने बैंक के टॉप मैंनेजमैंट पर, वहां के स्टाफ, वहां की वर्किंग कंडीशंज पर निर्भर करता है। जैसा मैंने बताया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया में प्रति इम्प्लाई बिजनस 25 लाख समथिंग है जबकि पंजाब नैशनल बैंक में 49.16 लाख है। यह वहां के कार्य करने का तरीका, मैनेजमैंट का हैंडल करने का तरीका आदि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह सब चीजें उनसे प्रभावित होती हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या स्थानान्तरण, विशेषकर महिलाओं के बारे में, के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है। यहां तक कि उनकी गांवों में तथा विदेशों में नियुक्ति के बाद भी उनका बार-बार उत्पीड़न और स्थानान्तरण किया जा रहा है। मुझे कई शिकायतें मिली हैं तथा जब हमने उन्हें लिखा तो वे कहते हैं कि यह वास्तव में प्रशासनिक सुविधा के लिए है। अतः मैं जानना चाहती हूं कि उनके स्थानान्तरण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है, विशेषकर तब जबकि पति और पत्नी दोनों एक स्थान पर कार्यरत हों।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : साधारण नियम यह है कि जहां पति और पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो, जहां तक संभव हो, उनको एक जगह रखा जाता है। जहां तक माननीय सदस्या ने हैरासमैंट वाली बात कही है, अगर इस बैंक के संदर्भ में बात हो रही है तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी महिला का ट्रांसफर नहीं किया गया है। किसी अन्य के बारे में बात है तो माननीय सदस्या मुझे बता सकती हैं, निश्चितरूप से कार्यवाही होगी।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, यह निश्चित आश्वासन देने के लिए मैं माननीय मंत्री का धन्यवादी हूं कि बैंकों के विलय का और कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे आशा है कि इस आश्वासन का पालन किया जाएगा। परन्तु मुझे डर है, नरसिम्हम समिति का प्रतिवेदन सुर पर नंगी तलवार की तरह लटक रहा है। संसद के प्रत्येक सत्र में विधेयक लाए जाते हैं। आज भी भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होनी है।

सभापति महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए।

श्री ए. चार्ल्स : संसद के पिछले सत्र में बकाया वसूली विधेयक पारित किया गया था। इसका

परिणाम यह हुआ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति ने, जिसने डेढ़ लाख रूपये का कर्ज लिया हुआ था, आत्महत्या कर ली।

सभापति महोदय : प्रश्न दो बैंकों के विलय के बारे में है।

श्री ए. चार्ल्स : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या नरसिम्हम समिति की विभिन्न सिफारिशें को आगे लागू करने से पूर्व यह जानने के लिए इस सभा में पूर्ण चर्चा की जाएगी कि इसका बैंकों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, इस तथाकथित एकीकरण और सिफरिशें लागू करने के नाम में स्थानीय मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को कुछ केन्द्रों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि त्रिवेन्द्रम में सिंडीकेट बैंक के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय को हटाने का प्रयास हो रहा है; तथा भारतीय स्टेट बैंक के एक स्थानीय मुख्यालय की स्वीकृति दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह सब कुछ हो रहा है; यह अनुचित है।

सभापति महोदय : आपका मुद्दा क्या है?

श्री ए. चार्ल्स : इससे असन्तुलन उत्पन्न होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नरसिम्हम समिति की पूरी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी; तथा दूसरे, क्या यह आश्वासन दिया जाएगा कि वर्तमान कार्यालयों में से कोई भी कार्यालय बदला नहीं जाएगा ताकि और असन्तुलन न पैदा हो।

[हिन्दी]

डा. अबरार अहमद : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे जवाब से यदि कोई गलतफहमी हो रही है कि भविष्य में किसी और बैंक को मर्ज नहीं किया जाएगा तो वह गलतफहमी दूर कर लें। मैंने यह कहा कि आज की तारीख में हमारी पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके साथ यह भी कहा कि बैंकों की जो हालत है, आगे मर्ज ही नहीं किया जा सकता बल्कि उससे भी हार्श स्टैप उठाए जा सकते हैं क्योंकि एक तरफ हम बैंकों की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, नुकसान वाले बैंकों को ठीक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी को तकलीफ न पहुंचे, दोनों बातों का तालमेल नहीं हो सकता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको उत्तर मिल गया है।

(व्यवधान)

आप जिस प्रकार प्रश्न करेंगे, वैसा ही उत्तर पायेंगे।

श्री ए. चार्ल्स : मुख्य चिन्ता तो यहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, पिछले कई वर्षों से न्यू बैंक आफ इंड़िया की वित्तीय स्थिति में गिरावट आने के कारण उसे पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। जब केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी और वी.पी. सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के 10 हजार रुपये के कर्जे माफ किये थे तो कांग्रेस की तरफ से हल्ला किया गया कि 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर देने के कारण देश कि बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है हर्षद मेहता द्वारा 10 हजार करोड़ रुपये का जो शेयर घोटाला हुआ क्या इसकी वजह से बैंकिंग व्यवस्था में और वित्तीय व्यवस्था में गिरावट आ रही है?

डा. अबरार अहमद : जे.पी.सी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पता चल पायेगा।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने जबाब में बताया और आश्वासन दिया कि दोनों बैंकों के मर्जर से चाहे पंजाब नेशनल बैंक के एम्पलाइज का सवाल हो या न्यू बैंक आफ इंडिया के एम्पलाइज का सवाल हो, उनकी सहूलियतों, सर्विस कंडिशन्स और दूसरी फैसिलिटीज पर ,कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सह बात सही है कि खास तौर पर बिहार में पंजाब नैशनल बैंक के ने कर्मचारी जिन की प्रॉपर पटना में पोस्टिंग थी और बड़ा शहर होने की वजह से उनको जो विशेष सुविधायें थीं, उनमें से कई लोगों को देहाती क्षेत्रों में पोस्ट किया गया। उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको लेकर वहां की एसोसिएशन ने आन्दोलन कर रखा है। क्या मंत्री जी इस बात की गारंटी देंगे कि जिन सुविधाओं के वे पहले से ही इनटाइटल्ड थे, वे वैसी की वैसी रहेंगे? क्या मंत्री जी इस सम्बंध में कार्यवाही करेंगे?

डा. अबरार अहमद : महोदय, जिस कैडर का कोई अफसर या कर्मचारी है, उसके कैडर में किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाल ही पैदा नही होता। अगर वह किसी गांव में पोस्ट हुआ है तो उसके एच.आर.ए. में फर्क पड़ सकता है। कार या मकान की फैसिलिटी में जगह के हिसाब से फर्क पड़ता है। कोई छोटी जगह गया है या बड़ी जगह गया है, उसके हिसाब से एच.आर.ए. में फर्क पड़ता है। वह कहीं कम है और कहीं ज्यादा है लेकिन कैडर और वेतन अपनी जगह समान हैं। इसमें कोई फर्क होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

बिक्री कर

+

*123. **श्री पवन कुमार बंसल** :

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर अथवा लेवी लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). बिक्री कर एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है और इसलिए इसके स्थान पर मूल्य वर्धित कर लागू किए जाने के संबंध में अन्ततः उन्हीं के द्वारा ही निर्णय लिया जाना होता है।

सार्वजनिक वित्त तथा नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान मूल्य वर्धित कर संबंधी विषय पर एक दस्तावेज (पेपर) तैयार कर रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, संघीय ढांचे में संघ में शामिल एककों को उनका प्राप्य निश्चित रूप से मिलना चाहिए। परन्तु यह मुद्दा तथा बिक्री-कर से उठने वाले अन्य मुद्दे आज राष्ट्रीय महत्व के हो गए हैं। वित्तीय तथा आर्थिक मूलाधार की अनिवार्यता को देखते हुए हमें यह महसूस करना होगा कि विभिन्न राज्यों में बिक्री-कर की दरों में समरूपता न होने के कारण व्यापार का विकेन्द्रीकरण हुआ है और कभी-कभी तो उद्योग ही एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किए गए हैं। मूल्यों में अन्तर से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है तथा इससे उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लिए जाने का खतरा भी रहता है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि बिक्री-कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर लगाने के मुद्दे तक, जिसे किसी निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है, राज्यों को लाने में केन्द्र द्वारा क्या उपाए किए गए हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक समान बिक्रीकर।

श्री पवन कुमार बंसल : एक समान बिक्रीकर भी।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, बिक्री कर राज्य सरकार का कराधान विषय है। बिक्री-कर प्रणाली में कोई परिवर्तन राज्यों की सलाह तथा उनके सहयोग द्वारा ही किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। हमने राष्ट्रीय जन वित्त तथा नीति संस्थान से इस पर एक नीति पत्र तैयार करने के लिये कहा है जिसमें कार्यवाही करने के सर्वोत्तम मार्ग का सुझाव देते हुए विभिन्न विकल्पों के गुण अवगुण बताने को कहा गया है। यह कार्य उन्हें मार्च 1993 में सौंपा गया था और दिसम्बर 1993 तक उनकी रिपोर्ट आने की आशा है। सरकार ने यह कदम उठाये हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, माननीय मंत्री ने हमारे प्रश्न के बिक्री-कर में एक रूपता लाने के एक भाग को छोड़ दिया है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है । हमने शायद काले धन की उत्पत्ति के कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया है जिसकी घोषणा के लिए हम समय-समय पर कदम उठाते हैं परन्तु काले धन की बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने के संबंध में हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। बिक्री-कर की चोरी भी काले धन की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिक्री-कर की तुलना में चेल्लैया समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, तथा इस बारे में सरकार क्या कर रही है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह सत्य है कि राजा चैल्लैया समिति ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान प्रणाली को राज्य मूल्य वर्धित कर में बदला जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में हमने जो कदम उठाए हैं उनका ब्यौरा मैंने अन्तिम प्रश्न में दे दिया है। हमने राज्य सरकारों से बहुत सख्त हो जाने के लिए कहा है और यह कहा है कि उन्हें अपनी जानकारी आयकर विभाग तथा अन्य एजेंसियों को देना चाहिए या उनसे अदला-बदली करनी चाहिए।

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, बिक्री कर राज्य का विषय है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर लगाने का कोई प्रस्ताव भेजा है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : अब तक कोई भी राज्य सरकार इस मुद्दे पर सहमत नहीं हुई है। राष्ट्रीय जन वित्त तथा नीति संस्थान की रिपोर्ट मिल जाने के बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर चर्चा करने का विचार है और अब इस पर आगे कार्यवाही के लिए हम राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल : माननीय सभापति जी, देश के अलग-अलग सूबों में जो बिक्री कर वसूला जाता है, वह कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। इसीलिए एक सूबे के लोग दूसरे सूबे से माल खरीदने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से बिक्री कर की चोरी भी होती है। उत्तर प्रदेश के बिक्री कर मंत्री ने यह कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में बिक्री कर खत्म कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में जो बिक्री कर खत्म होगा और उससे वहां जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार कुछ देने का काम करेगी?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि सब राज्यों में बिक्रीकर एक समान नहीं है तथा इससे व्यापार प्रभावित होता है। इसके अलावा उन्होंने यह बताया कि मुख्य मंत्री बिक्री-कर खत्म करने को सहमत हो गए हैं। इसका निर्णय करना राज्य सरकार का काम है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, निःसंदेह विक्री-कर राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इसके बावजूद बिक्री कर को समाप्त करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दल सहमत हो गये हैं और मंत्री महोदय यह जानते हैं कि यह मुद्दा कतिपय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा-पत्रों में भी शामिल किया गया है। ऐसा होते हुये भी क्या मुख्य मंत्रियों की किसी भी बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी? जहां तक बिक्री कर आदि को समाप्त करने के संबंध में चेल्लयुया समिति की सिफारिशों का सवाल है राज्य सरकार की प्रतिक्रियायें क्या हैं? इसके अलावा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और पिछले कुछ दशकों से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही उत्तेजित कर रहे हैं इस मामले को निपटाने के लिये भारत सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हाल में हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की किसी भी बैठक में इस पहलू पर चर्चा नहीं की गई। जैसाकि मैंने पहले ही बताया है, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान

के प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद हम राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। तत्पश्चात, इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

11.46 म.पू.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब आप प्रवेश कर रहे थे, उस समय वे मेरा नाम पुकारने वाले थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपको बुलाऊंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, बिक्री कर से बचने का एक तरीका यह है कि किसी विशेष विक्रय को हस्तानान्तरण के रूप में दिखाया जाये, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाये और उसे विक्रय न कहा जाये। इस कमी को दूर करने के लिये चेल्लयूया समिति ने कुछ आपत्तियों के बावजूद 2 प्रतिशत की कम दर पर परेषण कर लगाने की सिफारिश की थी। क्या सरकार परेषण कर लगाने के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत करेगी?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : चेल्लयूया समिति तक ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान बिक्री कर के स्थान पर राज्यों द्वारा मूल्य वद्धित कर लगाया जाये। परेषण कर के संबंध में हमने अनेक मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा की है। परन्तु वे किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

*124. **श्रीमती गिरिजा देवी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानचालकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लखनऊ के निकट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इस अकादमी की स्थापना से अब तक कितने विमानचालकों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या इस अकादमी ने बांछित परिणाम प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो अकादमी के असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में अब तक कुल 237 विमानचालकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) से (च). अकादमी ने फिक्सड विंग विमानों के लिए 208 वाणिज्यिक विमानचालकों; 20 हेलीकाप्टर विमानचालकों और तट सुरक्षा गार्ड से फिक्सड विंग विमान के 9 विमानचालकों को प्रशिक्षित किया है। अकादमी पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संचालन भी करती है। इग्रुआ के प्रशिक्षित विमानचालकों के कार्य-निष्पादन की राष्ट्रीय एयरलाइनों और एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा सराहना की गई है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जहां मैंने पूछा था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का कार्य अच्छा है कि नहीं और उसके परिणाम वांछित है कि नहीं, इन्होंने उत्तर दिया है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई, अकादमी की स्थापना हुई थी जिसमें वाणिज्यिक विमानचालकों को प्रशिक्षित किया जाए और 40 वाणिज्यिक पॉयलटों को प्रशिक्षण देने का इनका उद्देश्य और लक्ष्य था। इन्होंने तकरीबन 10 वर्ष में 227 पॉयलटो को प्रशिक्षित किया है। अगर हम 10 वर्ष में जोड़ें तो कम से कम 400 पॉयलटों को उस अकादमी में शिक्षा देनी चाहिए थी, जब कि बीच में एक बार उसकी क्षमता का विस्तार किया गया। ऐसी स्थिति में मुझे यह नहीं लगता है कि वांछित परिणाम मिला है। तो मेरा यह प्रश्न है कि वांछित परिणाम न मिलने का, वहां कम पॉयलटों के प्रशिक्षण प्राप्त होने के क्या कारण हैं और क्या इन कम प्रशिक्षित पॉयलटों के कारणों की जांच की गई है, यदि की गई है तो उसकी क्या रिपोर्ट हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोक्य, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि जब हम इंडियन एयर लाइंस कहते हैं तो इंडियन एयर लाइंस देश में ही है विदेश में नहीं है और प्राइवेट एयर टैक्सी भी देश में ही है विदेश में नहीं है। एयर इंडिया तो देश और विदेश दोनों में चलता है, तो दोनों में दोनों एयरलाइंस इनसे बहुत खुश हैं और जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत बड़ी संख्या में ट्रेंड होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। जब शुरू में इस अकादमी की स्थापना की थी तो उस वक्त हर साल 20 से ज्यादा नहीं लेने थे बल्कि हर साल उसमें बढ़ते गए। 20 होते गए, 23 होते गए, 31 होते गए, 32 होते गए, 36 हो गए और अभी 38 सातवें बैंच में हुए।

आठवें बैच में 32 हुए हैं। इस तरह से हर साल इनकी संख्या बढ़ती गई है और ऐसा नहीं है कि लक्ष्य अधिक रखा गया था और पायलट्स कम प्रशिक्षित किए गए, बल्कि हर बैच में इनकी संख्या डबल होती गई है। इस तरह से हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है।

मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस बीच में पिछले 3-4 सालों से कुछ कमियां अवश्य आई, क्योंकि शुरू में यह तय हुआ था कि इस अकेडमी के लिए केपिटल तथा रेकरिंग एक्सपेंडीचरें आधा भारत सरकार देगी और आधा एअर इंडिया और इंडियर एअर लाइंस देगी, लेकिन 1987 से भारत सरकार ने रेकरिंग एक्सपेंडीचर और थोड़े अरसे बाद केपिटल एक्सपेंडीचर देना बंद कर दिया। इसकी वजह से इसमें कुछ कमियां आई। अब जब से प्राइवेट टैक्सी आपरेटर्स आए हैं, तो इसकी फिर से जरूरत महसूस होने लगी है, पहले इतने पायलट्स की जरूरत नहीं थी, अब उस जरूरत को महसूस करते हुए हमने इस मामले को फिर से प्लानिंग कमीशन से टेकअप किया है और मुझे खुशी है कि प्लानिंग कमीशन फिर से 6-7 साल बाद अब रेकरिंग और केपीटल एक्सपेंड़ीचर पहले की तरह अगले साल से देना शुरू कर देगा और मुझे उम्मीद है कि हम वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े कोई मेरे मन से बनाए हुए आंकड़े नहीं

हैं, जिनके आधार पर मैंने पूछा था कि 40 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। हमें अकेडमी का जो वार्षिक प्रतिवेदन मिला था, उसमें भी यह लिखा हुआ था और बाद में कई बार अखबारों में भी यह बात आती रही है। फुर्सतगंज इंस्टीट्यूशन के बारे में अखबार में आया हैं –

[अनुवाद]

यहां से तथापि प्रशिक्षित होकर निकले पायलटों की संख्या को देखते हुए यह संस्थान पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको समाचार पत्र को उद्धृत करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अखबार पढ़ने का कोई इरादा नहीं हैं, लेकिन पायलट्स की कमी से हमको बहुत घाटा पहुंच रहा है। एक बार की हड़ताल से हमको 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और इससे जुड़े हुए उद्योगों को भी बहुत घाटा उठाना पड़ा है। इस तरह से पायलट्स की कमी की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि यदि यह संस्थान अपनी क्षमता के मुताबिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करता हैं तो आपके पास जो 27 फ्लाइंग क्लब हैं, 10 ग्लाइडिंग क्लब हैं, क्या उनको भी आप समृद्ध बनाकर पायलट्स की कमी को दूर करने का इरादा रखते हैं?

श्री गुलाब नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमने अकेडमी के अंदर जो 198 के करीब पायलट्स तैयार किए हैं, उनमें से भी अभी 145 को नौकरी मिली हैं, 53 को अभी नौकरी नहीं दी जा सकी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कहां नौकरी मिली है?

श्री गुलाम नबी आजाद : 63 को एअर इंडिया में, 46 को इंडियन एअर लाइंस में और 36 को प्राइवेट एअर टैक्सी आपरेटर्स ने लिया है। इस तरह से कुल मिलाकर 145 अभी तक नौकरी में आ सके हैं, 53 अभी अनअंप्लायड हैं, एक नया बैच दिसंबर में निकल रहा है।

मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहता हूं कि पायलट्स की कमी नहीं है, बल्कि कमांडर्स की कमी है। एक पायलट 8 साल के बाद कमांडर बनता है।

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितने पायलट्स को प्रशिक्षण दिया गया है, उनमें से आदिवासी और हरिजन कितने हैं और अभी तक उनको नौकरी मिली है या नहीं?

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस अकेडमी में प्रशिक्षण और सलेक्शन आदि की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है, इसके लिए वर्तमान में क्या प्रावधान हैं और भविष्य में और क्या प्रावधान करने जा रहे हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, सात एस सी और दो एस टी यानी नौ के करीब ट्रेनिंग ले चुके हैं और इनमें से कितने एम्पलायड हुए हैं या नहीं हुए हैं तो वह मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। जहां तक सिलेक्शन का संबंध है तो इसमें पहले एडमिशन होता है जब साठ घंटे पहले जहाज चलाया हो। वह किसी भी प्राईवेट या फलाईंग क्लब से चलाना होता है। एक दफा सिलेक्शन हो जाए तो बाकी लोगों से पूरे ट्रेनिंग कोर्स का दो लाख रुपए लेते हैं, और एस सी एस टी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनको मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन साठ घंटे उनको प्राइवेट क्लब में चलाना पड़ता है, वह हमारे हाथ में नहीं है। हर बैच में कम से कम तीन एस सी एस टी को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा सकती है। आज तक दो से ज्यादा नहीं हो पाए, एक की और सुविधा हर बैच में होती है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछना था वह पूछा जा चुका है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके हिसाब से एस सी एस टी के बहुत कम लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए एस सी एस टी और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद अन्य पिछड़े वर्गो के लिए भी क्या विशेष सुविधा की व्यवस्था करेंगे ताकि नामांकन के लिए वे अर्हता प्राप्त कर सकें। साठ घंटे जो पहले जहाज उड़ा लेते हैं उनको एडमिशन का मौका मिलता है। इन वर्गो से आने वाले उम्मीदवारों के लिए ताकि वे इसके लिए एलिजिबल हो सकें, उनको एलीजीबल कराने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे ताकि सभी वर्गो का संतुलित प्रतिनिधत्व पायलट के क्षेत्र में भी हो सके।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास एस सी एस टी का प्रोविजन है बाकी के लिए नहीं है।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, डिफेंस मिनिस्ट्री में महिलाओं का रिक्रुटमेंट नहीं हुआ था लेकिन पहली बार रिक्रुटमेंट हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और हम समझते हैं कि महिलाऐं पायलट होना आवश्यक है। ये जो 237 लोग ट्रेंड हुए हैं इनमें महिलाएं पायलट कितनी हैं।और अगर महिला पायलटों के लिए कोई जगह नहीं है तो क्या सरकार उनके लिए अलग से जगह रखेगी।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष जी, महिलाओं के आंकड़े मेरे पास अलग से नहीं हैं, माननीय सदस्य को दे दूंगा। जैसा मैंने निवेदन किया कि जब कोई मेरिट पर आयेगा.....**(व्यवधान)**..... महिलाएं इस वक्त बहुत हैं लेकिन साठ घंटे करना जरूरी है उसके बाद सिलेक्शन में आ जाएं तो कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि कमांडरों की कमी है, परन्तु यह एयर टैक्सी परिचालक हमारे अनुभवी कमांडरों को इण्डियन एयरलाइंस में से ले जा रहे हैं। इनमें से कुछ पायलट मुझसे हवाई जहाज में मिले थे। उन्होंने कहा है कि वे निश्चित रूप से भारत सरकार से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह उन्हें उतना वेतन देगी जितना निजी एयर टैक्सी परिचालक दे रहे हैं। कुछ कमाण्डरों को एक लाख रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। निश्चित रूप से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। परन्तु कुछ छोटे-छोटे मामले हैं काफी लंबे समय से लम्बित पड़े है और उन्होंने कहा कि यदि मंत्री महोदय स्वयं इन मामलों पर विचार करें तो उनका समाधान हो सकता है।

मंत्री महोदय, आप समय-समय पर बाहर जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आप हमें भी ले चलें।

12.00 मध्याह्न

मंत्री महोदय, इन कमाण्डरों के कुछ लम्बित मामलों पर निजी रुप से ध्यान देंगे, इनमें से अनेक समस्यायें ऐसी हैं कि यदि उनका समाधान हो जाये तो इस तथ्य के बावजूद कि निजी एअर टैक्सी परिचालक अधिक वेतन दे रहे हैं, वे उनकी ओर आकर्षित नहीं होंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक महिला पायलटों का सवाल है उनकी संख्या इस समय केवल 16 है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी उनसे लगभग एक महीने पहले मिले हैं, वे उनसे हाल ही में नहीं मिले हैं।

हमने हाल ही में लगभग एक पखवाड़ा पहले उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, और यह समझौता 1996 तक के लिये है। और हमने सभी बकाया मामलों का समाधान कर लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब तो आपका प्रचार अच्छा नहीं है। आपने इस बात को नहीं छपवाया है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं एक अवसर की खोज में था ताकि यदि आप कोई प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका प्रचार तन्त्र अब अच्छा नहीं रहा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न यह है कि पायलट बनने के बाद ट्रेनिंग में भेजते हैं उसके लिए 60 घंटे रखे हैं। इसमें लाखों रुपया खर्च होता है, तब पायलट बनता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको सरकार के खर्चे पर पायलट बनाया जा सके?

अध्यक्ष महोदय : यह पूछा था।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन उत्तर नहीं आया।

श्री गुलाम नबी आजाद : सरकार की अकादमी मुफ्त देती है, लेकिन यह फ्लाइंग क्लब प्राइवेट है।

श्री राम विलास पासवान : इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर प्राइवेट में नहीं जायेगा तो अनुसूचित जाति और जनजाति का पायलट नहीं बनेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : सरकार अपने इंस्टीट्यूशन में कर सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भुगतान पत्रों को भुनाना

*125. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवम्बर, 1993 के "द टाइम्स आफ इंडिया" मे प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपये के चोरी हुए और बेनामी चैकों, ड्राफ्टों, लाभांश पत्रों, भुगतान आर्डरों का अनुचित उपयोग किया जा रहा है तथा इन्हें अवैध रूप से भुनाने की कथित धोखाधड़ी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चैक डिस्काउंटिंग के जरिये धोखाधड़ी की कार्यविधि क्या है;

(ग) हाल ही में ऐसे मामलों में शामिल पाये गये सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान आदेशों, लाभांश वारंटों और अन्य भुगतान पत्रों की कपटपूर्ण भुनाई के उदाहरणों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुल मिलाकर, ऐसे कपटपूर्ण लेनदेनों में अपनाई गई कार्य-प्रणाली को विस्तृत रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) फर्जी खातों को खोलना और चुराए गए/चोरी से निकाले गए/बेनामी लिखतों को वसूली के लिए जमा करना/और तत्पश्चात् प्राप्तियों को निकालना।

(ख) वास्तविक रूप से चालू खातों का खोला जाना और उनमें अन्य पक्ष लिखतों को वसूली हेतु जमा करना और तत्पश्चात् उनमें से प्राप्तियों को निकालना।

(ग) भुगतान लिखतों की भुनाई जहां आदाता नामों और परिपक्वता राशि को रांसायनिक क्रिया द्वारा लगाकर बदला गया और लिखतों को फर्जी खातों के माध्यम से वसूला गया।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भुगतान लिखतों की ऐसी भुनाई के उदाहरण हाल ही सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों से उनकी जानकारी में आये हैं :

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. बैंक आफ इंडिया
3. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
4. भारतीय स्टेट् बैंक
5. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
6. सिंडिकेट बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्ती जमा खातों के खोलने/संचालित करने के मामले में सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए बैंकों को दिए गए निर्देशों को दोहराया है। बैंकों को 1 जनवरी, 1994 से सभी प्रवर्ती नए खातों के खोलने के समय उन जमाकर्ताओं/खाता धारकों के फोटो प्राप्त करने की प्रथा प्रारंभ करने के भी निदेश दिए गए हैं जो खाता संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं। बम्बई में कुछ व्यापारिक स्थानों में, जहां भुगतान पत्रों के कपटपूर्वक भुनाई के मामले अधिक प्रचलन में थे, वहां भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ विशिष्ट शाखाओं का निरीक्षण प्रारंभ किया है। बैंकों ने भी उन उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ किया है जिन्होंने फर्जी नामों से नए खाते खोलने के लिए सुविधा, चाहे मौन सम्मति द्वारा अथवा निर्धारित प्रक्रिया के पालन न करते हुए सुविधा प्रदान की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस अधिकारियों के पास भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली

*126. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी राशि के ऋण वितरित किये हैं ;

(ख) इन ऋणों की कितनी राशि अब तक वसूल कर ली गई है ;

(ग) ऋण की शेष राशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी नीति तैयार करने का है जिससे बैंकों को ऋण वसूल करने में कोई कठिनाई न हो ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). मार्च, 1992 और मार्च, 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का बकाया ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है। आंकड़ा सूचना प्रणाली संवितरण और तदनुरूपी वसूलियों के लिए पूछे गए ढंग में सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, सितम्बर 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अतिदेय राशि 21022 करोड़ रुपये थी।

(ग) से (ङ). बैंक आर्थिक रूप से अर्थक्षम कार्यकलापों को करने के लिए ऋण के लिए पात्र उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंक तभी ऋण मंजूर करते हैं जब वे इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वित्तपोषण के लिए यह परियोजना अर्थक्षम है और वे नकदी के प्रवाह और वापसी अदायगी अनुसूची की जांच कर लेते हैं। तथापि, बैंकिंग के कारबार में विभिन्न कारणों से कुछ ऋण अशोध्य हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप राशियां अतिदेय हो जाती हैं। अतिदेय राशियों को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में उनके वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश निम्न प्रकार हैं :

1. बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि वे एक तरफ, अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों का पुनः निर्धारण करने में उनकी मदद करने तथा दूसरी तरफ, ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता तथा अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली बनायें।

2. अलग-अलग अग्रिमों के प्रभावी पर्यवेक्षण और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए, उन अग्रिमों के स्वास्थ्य से संवंधित जानकारी देने के लिए एक गहन तथा एक समान ग्रेडिंग पद्धति आरम्भ करना।

3. प्रमुख अवरुद्ध खातों का वसूली संबंधी स्थिति पर नजर रखना।

4. जिन मामलों में खाते अवरुद्ध हो जाने का पता चल जाता है, उनमें उपचारी कार्रवाई करना।

तत्काल अधिनिर्णयन और बैंकों के शोध्य ऋणों की वसूली और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 हाल ही में अधिनियमित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च, 1992	मार्च, 1993
1.	भारतीय स्टेट बैंक	28630	37077
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1784	2386
3.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1497	1765
4.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1415	1906
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1684	2002
6.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1109	1410
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	875	1046
8.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	807	943
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6292	7096
10.	पंजाब नेशनल बैंक	7479	9104
11.	बैंक आफ इंडिया	6383	7038
12.	बैंक आफ वडोदा	6842	9017
13.	केनरा बैंक	7438	7971
14.	सिंडिकेट बैंक	3373	3906
15.	यूको बैंक	3386	3662
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3634	4366
17.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2715	3042
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2900	3489
19.	इंडियन बैंक	4823	5205
20.	देना बैंक	1722	2088
21.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1832	2074
22.	इलाहाबाद बैंक	3055	3895

1	2	3	4
23.	आन्ध्रा बैंक	1811	1951
24.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1419	1676
25.	न्यू बैंक आफ इंडिया	1055	1085
26.	विजया बैंक	1483	1663
27.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1750	2235
28.	कारपोरेशनल बैंक	925	1235

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

*127. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निरन्तर घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन बैंकों को 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान राज्यवार कितना घाटा हुआ; और

(घ) इन बैंकों को लाभ अर्जित करने वाले बैंक वनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटा उठा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा घाटा उठाए जाने के मोटे तौर पर निम्नलिखित कारण है : ऋणों पर बहुत कम या नगण्य मार्जन, उच्च निर्धारित उपरि प्रभार, बड़ी संख्या में छोटे-छोटे खातों के कारण उच्च सेवा प्रभार और प्रति कर्मचारी कम उत्पादकता।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उठाए गए राज्य-वार घाटों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया गया है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(I) सितम्बर, 1992 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नए ऋणों का 40% से अनधिक तक गैर-लक्ष्य समूह के ऋणकर्ताओं का वित्तपोषण करने की अनुमति दी गई है।

(II) सभी प्रायोजक बैंकों को निर्देश दिए गए है कि उनके पास रखी गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एस.एल.आर. साविध जमा राशियों और अल्पावधिक जमाराशियों पर वे कम से कम 13.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करें।

(III) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गये चालू बकाया खातों पर ब्याज दरों को पहली अप्रैल, 1993 से 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दें।

(IV) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस आशय की अनुमति दी गई है कि वे लघु और अति लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के लिए 10 लाख रुपए तक की शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता आहरित कर सकते हैं जिसमें परिव्यय 15 लाख रुपए से अनधिक हो।

(V) लघु सड़क परिवहन परिचालकों का वित्त पोषण करने के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभ/हानि (राशि)	
		मार्च, 1992	मार्च, 1993
1.	आंध्र प्रदेश	-719.18	-1113.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	-23.02	-12.98
3.	असम	-1061.34	-1075.03
4.	बिहार	-3384.74	-4614.85
5.	गुजरात	-730.04	-966.39
6.	हरियाणा	-390.40	-594.63
7.	हिमाचल प्रदेश	-103.92	-189.97
8.	जम्मू व कश्मीर	-406.92	-484.91
9.	कर्नाटक	-1296.43	-2091.98
10.	केरल	-9.96	-195.60
11.	मध्य प्रदेश	-2956.47	-4441.57

1	2	3	4
12.	महाराष्ट्र	-1189.32	-2020.18
13.	मणिपुर	-55.35	-66.15
14.	मेघालय	-13.37	+12.03
15.	मिजोरम	-62.60	-57.17
16.	नागालैण्ड	-15.25	-15.27
17.	उड़ीसा	-1975.98	-2689.59
18.	पंजाब	-57.27	-31.73
19.	राजस्थान	-2494.01	-3081.94
20.	तमिलनाडु	-456.23	-627.13
21.	त्रिपुरा	-2027.58	-1104.86
22.	उत्तर प्रदेश	-3834.01	-3605.84
23.	पश्चिम बंगाल	-1378.48	-2255.33
	अखिल भारत	-24641.87	-31324.76

(टिप्पणी : 1992-93 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

नए विमानपत्तन

*128. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय/भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से नए विमानपत्तनों के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए अन्तिम रूप से किन-किन स्थानों का चयन किया है ;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में नए विमानपत्तनों के निर्माण हेतु अनुरोध किया था ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) और (ख). पिछले छः वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तमिलनाडु में तूतीकोरीन और सलेम, मेघालय में तुरा और केरल में नेदुम्बासेरी के सर्वेक्षण किए गए हैं।

स्थल चयन के लिये निम्नलिखित स्थानों पर भी प्रारंभिक सर्वेक्षण किये गये हैं :

(1) राजस्थान में अजमेर ;

(2) कर्नाटक में बंगलौर ;

(3) पश्चिम बंगाल में दार्जीलिंग ; और

(4) नागालैंड में लेंगपुई।

(ग) तूतीकोरीन और सलेम में स्थानों का चयन किया गया था और नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा चुका है। तुरा में एक स्थान का चयन किया गया है और एक हवाई अड्डे की योजना बनाई गई है।

नेदुम्बासेरी में एक स्थान का चयन किया गया है और विस्तृत सर्वे चल रहा है।

बंगलौर में एक नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिये देवेनहाली के दक्षिण में एक स्थान का चयन किया गया है।

(घ) से (च). अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक तकनीकी दल ने तीन स्थलों का निरीक्षण किया था और सरदाना ग्राम के निकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिये एक स्थान उपयुक्त पाया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भूमि प्राप्त कर लें और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करा दें।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र

*129. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशक पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने हेतु काफी उत्साह दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को गत एक वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु किन-किन राज्यों से ऐसे निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन हेतु राज्यवार कितना-कितना आवंटन किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). आर्थिक नीति को उदार बनाने से पर्यटन के क्षेत्र में 335.08 करोड़ रु. के विदेशी पूंजी-निवेश के 47 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) और (घ). पर्यटन विभाग में राज्य सरकारों से पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी-निवेश के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) देश में पर्यटन के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 272.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धन का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

कंपनियों की प्रतिभूतियां

*130. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी कंपनियों की प्रतिभूतियों के नये "इश्यू" अंकित मूल्य से कम मूल्य पर उद्धत किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). यह कहना गलत होगा कि लगभग सभी कंपनियों के नए इशु अंकित मूल्य से कम कोट किए जा रहे हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि देश का सबसे बड़ा स्टाक एक्सचेंज है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 1993 और 21, अक्टूबर, 1993 के बीच एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने वाले अधिकतम शेयर 2.12.1993 को उनके प्रस्ताव मूल्यों से अधिक कोट किए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि प्रतिभूतियों के आरम्भिक निर्गम मूल्य और स्टॉक एक्सचेंजों में मूल्य क्रमशः जारी करने वालों और बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः सरकार को इस मामले में कोई छान-बीन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जो भी हो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिकतर नए इशू प्रस्ताव मूल्य पर अथवा उससे ऊपर कोट किए जा रहे हैं।

विश्व बैंक ऋण का उपयोग

*131. **प्रो. प्रेम धूमल :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से वर्ष 1992-93 के दौरान कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ख) यह ऋण किस प्रयोजन के लिए दिया गया था ;

(ग) क्या ऋण की पूरी राशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गयी थी उस पर व्यय कर ली गई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि ऋण की राशि जिस प्रयोजन हेतु दी गयी थी उस पर व्यय नहीं की गई है और इसे अन्य कार्यों पर व्यय किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). वर्ष 1992-93 के दौरान विश्व बैंक ने जिन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान किया, उनकी कुल धनराशि 2008 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है। ये ऋण/उधार परियोजनाबद्ध होते हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, आधारभूत ढांचा, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्र आदि की सहायता हेतु प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत समायोजन ऋण के रूप में 500 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि भी प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ). वर्ष 1992-93 में प्रदान की गई कुल धनराशि में से 30.9.1993 तक 324.1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि का उपयोग ऋण/उधार की समापन तिथि से पहले ही कर लिए जाने की आशा है।

(ङ) से (छ). ऋण राशियों को दूसरे कार्यों में लगाने संबंधी कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जिन प्रयोजनों हेतु इन राशियों को प्रदान किया जाता है, उन्हीं के अनुसार विश्व बैंक द्वारा प्रति-पूर्ति के आधार पर इन राशियों का संवितरण किया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो तो उसका उल्लेख लेखा-परीक्षा के समय किया जाएगा।

एयर टैक्सी ऑपरेटर

*132. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार प्रमुख गैर-सरकारी विमान कंपनियों नें अपने विमानों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए इंडियन एयरलाइन्स को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की पेशकश की हैं ;

(ख) क्या सितम्बर, 1993 में इंडियन एयरलाइन्स और "एयर टैक्सी ऑपरेटरों" के बीच कोई बैठक हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ;

(घ) क्या गैर-सरकारी विमान कंपनियों से पूरी देय राशि वसूल कर ली गयी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन ओर पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, रख-रखाव/मरम्मत कार्य के संबंध में किसी हवाई टैक्सी प्रचालक की ओर कोई राशि बकाया नहीं है।

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

*133. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री राम कापसे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन देशों के लिए सिले-सिलाए वस्त्रों का कोटा निर्धारित नहीं है उन देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने गैर-कोटा देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोई नई नीति बनाई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात संबंधी नई नीति के अन्तर्गत दिए जा रहे अथवा दिये जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-कोटा देशों को परिधान का निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुआ :

वर्ष	मात्रा (लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1990-91	18.64	1121.52
1991-92	23.88	1683.26
1992-93	25.35	2028.87

स्त्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

(ग) से (ङ). सरकार ने 1994-1996 की अवधि के लिए एक नई दीर्घकालिक परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत कोटा देशों को गैर-कोटा मदों के निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातक हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत गैर-कोटा देशों को निर्यात के लिए वार्षिक कोटाओं का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

घरेलू और विदेशी ऋण

*123. **श्री भगवान शंकर रावत :**

श्री सोमजीभाई डामौर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1993 को अलग-अलग स्त्रोतों से घरेलू तथा विदेशी ऋण कितना-कितना था ;

(ख) अक्तूबर, 1993, 1992 और 1991 की घरेलू और विदेशी ऋण की बकाया राशि कितनी-कितनी थी ;

(ग) 31 अक्तूबर, 1993 को बकाया ऋण पर वार्षिक व्याज कितना था तथा कितनी राशि व्याज अदायगी में व्यय हुई ; और

(घ) 1993-94 के दौरान कितनी राशि के अतिरिक्त ऋण लिये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आन्तरिक और बाह्य ऋण से संबंधित खातों को वित्तीय वर्ष के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। तदनुसार 31 मार्च, 1991, 1992 तथा 1993 को सरकारी खातों की बकाया राशियों के संबंध में अन्य देयताओं और बाह्य ऋण सहित आंतरिक ऋण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये)

	1990-91	1991-92	1992-93 (संशोधित अनुमान)
केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं जिसके मुख्य घटक हैं :	282733	317414	354964
बाजार ऋण	70565	78075	81745
91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	72953	79840	85174
अल्प बचतें	50100	55754	59954
भविष्य निधियां	11670	13927	16717
विशेष जमा राशियां	33588	39686	47186
अन्य	43857	50132	64188
*संबंधित वर्षों के लिए विनिमय दरों पर सरकारी खाते में बाह्य ऋण	61494	104158	112525
बहुपक्षीय स्त्रोत	38429	63787	71950
द्विपक्षीय स्त्रोत	23065	40371	40575

*भण्डार/उपकरण की आपूर्ति के कारण पूर्व यू.एस.एस.आर. की रुपया ऋण देयताओं को छोड़कर

(ग) चालू वर्ष 1993-94 (बजट अनुमान) में अनुमानित ब्याज अदायगी निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए)

(i) आन्तरिक ऋण	34054
(ii) वचनवद्ध प्रभारों सहित सरकारी खाते के बाह्य ऋण	3946
जोड़	38000

(घ) सरकारी खाते में वर्ष 1993-94 में होने वाले अनुमानित अतिरिक्त आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं तथा बाह्य ऋण इस प्रकार है :

निवल आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं	1993-94 बजट अनुमान
बाजार ऋण	3700
91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	4314
364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	6000
स्वर्ण बांड .	300
अल्प बचतें	5500
राज्य भविष्य निधियां	1600
गैर-सरकारी विशेष जमा राशियां भविष्य निधि, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम आदि	8420
अन्य	1671
सरकारी खाते के निवल बाह्य ऋण	5454
जोड़	36959

[अनुवाद]

शापिंग सेंटर

*135. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु भारत को इस शताब्दी के अन्तिम दशक के खरीदारी के लिए गन्तव्य स्थान के रूप में विकसित करने के लिए देश के अनेक भागों में विभिन्न शापिंग सेंटरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इन सेंटरों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में राज्यवार सरकारों की क्या प्रतिक्रियया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). राज्यों के मंत्रियों की हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय बैठकों में राज्यों को यह सलाह दी गयी थी कि वे पर्यटक केन्द्रों में भूखण्डों का अभिनिर्धारण करें ताकि प्राइवेट सेक्टर वहां पर शांपिग सेंटर स्थापित कर सकें।

बाल श्रमिक

*136. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में कांच और चूड़ी उद्योग में इस समय पचास हजार से भी अधिक बच्चे काम कर रहे हैं और उन्हें अत्यधिक उच्च तांपमान के निकट रहकर काम करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह तर्क दिया है कि अधिक तापमान के निकट लगातार काम करने से विभिन्न रोग तथा फेफड़ों के रोग हो सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो कांच और चूड़ी उद्योगों को बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में खतरनाक उद्योगों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे उद्योगों को खतरनाक उद्योग घोषित करने तथा इन उद्योगों में बालकों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 1981 में की गयी जनगणना से बाल श्रमिकों की उद्योग-वार संख्या का पता नहीं चलता है। बाल श्रमिकों की संख्या संबंधी, 1991 में की गई जनगणना के आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह सच है कि फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी उद्योगों में बालक कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ). महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता में गठित बाल श्रम संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति ने कांच उद्योग को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं की अनुसूची में शामिल किये जाने की सिफारिश की है क्योंकि यह कामकाजी बालकों के स्वास्थ्य के लिये जोखिमकारी है। सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और अन्य बातों के साथ-साथ कांच उद्योग को प्रतिषिद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं की अनुसूची में शामिल किये जाने के लिये 5.10.1993 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों को ऋण

*137. **श्री छेदी पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लोगों को कुल ऋणों के केवल 10 प्रतिशत ऋण मंजूर किये जायें जबकि उक्त वर्ग के लोगों की प्रतिशतता इससे बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिये गये ऋणों की कुल राशि में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लोगों को कुल कितने प्रतिशत राशि के ऋण मंजूर किये गये ;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण राशि का प्रतिशत बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने कुल ऋण का कम से कम 10% अथवा प्राथमिकता क्षेत्र के अपने अग्रिमों का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों को देना होता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने हेतु बैंकों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिर भी सरकार के कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसका व्यौरा नीचे दिया गया है:

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सहायता प्राप्त कुल परिवारों का 50% और वित्तीय निवेश उनके प्रत्यक्ष कवरेल की प्रतिशतता के अनुरूप होना चाहिए।
2. विभेदी ब्याज दर (डी.आर.आई.)	कुल डी.आर.आई अग्रिमों का 40%
3. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना	मंजूर किए गए ऋण की संख्या का 30%
4. शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस.यू.एम.ई.)	उनको जनसंख्या के अनुपात में वेटेज देना
5. प्रधान मंत्री रोजगार योजना	सहायता प्राप्त व्यक्तियों का 22.5%

मार्च 1991, 1992 और 1993 को समाप्त वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अपने कुल अग्रिमों में से कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत हिस्सा नीचे दिया गया है :

मार्च को समाप्त वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिमों की तुलना में कमजोर वर्गों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों की प्रतिशतता	प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिमों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों की प्रतिशतता
1991	24.27%	7.78
1992	24.41%	8.41
1993	24.39%	8.51

इंडियन एयरलाइन्स

[अनुवाद]

*138. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान अब तक इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर गए यात्रियों और माल परिवहन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ख) इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के साथ संतोषजनक रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) से (ङ). इंडियन एयरलाइन्स जहां भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय वाहकों के साथ प्रतिस्पर्द्धात्मक उड़ानें प्रचालित कर रही है उन सभी सेक्टरों पर नकद लागत से अधिक राशि अर्जित कर रही है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर यात्रियों और कार्गो के ब्यौरे अप्रैल, 1993 से अक्तूबर, 1993

क्र.सं.	सैक्टर	यात्रियों की संख्या	यात्री राजस्व (लाख रुपये)	कार्गो (भार) कि.ग्रा.	कार्गो राजस्व (लाख रुपये)
1.	कलकत्ता-चित्तगांव	4453	47.24	29556	3.02
2.	काठमांडू-वाराणसी	30814	293.79	3000	0.29
3.	मद्रास-सिंगापुर	17065	919.74	896168	913.82
4.	मद्रास-कोलम्बो	2902	40.56	9333	1.27
5.	बंबई-करांची	9019	202.8	145562	29.73
6.	कलकत्ता-ढाका	26036	202.69	328531	28.53
7.	कलकत्ता-बैंकाक	26870	879.3	497912	298.02
8.	कलकत्ता-काठमांडू	21876	245.45	191338	31.09
9.	दिल्ली-काठमांडू	43497	799.16	407940	84.87
10.	त्रिवेन्द्रम-कालम्बो	14476	172.64	15153	1.78
11.	त्रिवेन्द्रम-माले	41565	671.73	682651	112.44
12.	मद्रास-कोलम्बो	52741	888.76	423006	69.74
13.	कालीकट-शारजांह	65881	6588.1	4510	4.77
14.	दिल्ली-बैंकाक	238	22.16	16981	16.17
	योग	357233	11972.12	3577641	1595.54

हथकरघा बुनकर

*139. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ आगामी तीन वर्षों के लिए कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कौन-सी क्रियाविधि अपनाने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई कार्य-योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न प्लान योजनाओं के साथ-साथ वर्ष 1993-94 से आगामी 4 वर्षों में कार्यान्वयन हेतु 3000 हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना की एक योजना तैयार की गई है। इनमें से 500 केन्द्रों में उत्कर्ष बुनकरों की हैंक यार्न आपूर्ति, सुधरे हुए रंजक/रसायन, डिजाइन विकास प्रशिक्षण और विपणन से संबंधित मूल समस्याओं के समाधान के लिए तैयार की गई है। इस योजना से हथकरघा क्षेत्र में 7.5 लाख करघों में कार्यरत बुनकरों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें निरन्तर रोजगार मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय की चालू योजनाओं से हथकरघा क्षेत्र में सहायता के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना के घटकों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत करघाहीन बुनकरों को शामिल करना, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों को कार्यशाला-सह-आवास का प्रावधान करना, "ट्राइसम" के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण देना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना की सहायता से सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) इस कार्य योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3.27 लाख बुनकरों को शामिल करने, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1.20 लाख बुनकरों को शामिल करने, "ट्राइसम" के अंतर्गत एक लाख बुनकरों को शामिल करने और एक हजार सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है। ये लक्ष्य वर्ष 1993-94 के आरम्भ से आगामी 3 वर्षों की अवधि में प्राप्त किए जाएंगे।

हिन्दुस्तान ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स प्राइवेट लिमिटेड

*140. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स प्राईवेट लिमिटेड अभी भी एयर इंडिया के प्रमुख सेल्स एजेंट के रूप में कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कंपनी कितने समय से और किन-किन देशों के लिए प्रमुख सेल्स एजेंट के रूप में कार्य कर रही है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखे से किये गये कथित लेन-देन के बारे में मिली शिकायतों की कोई जांच कराई गई है जिस पर कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपने 53वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में टिप्पणी भी की थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). एयर इंडिया ने मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैवल्स एवं टूअर्ज लिमिटेड के साथ अपना एजेन्सी करार जुलाई, 1978 में समाप्त कर दिया था। मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैवल्स लिमिटेड के साथ, जिनके विरुद्ध व्यवसाय संबंधी कार्य-कलापों में जालसाजी के आरोप थे, एयर इंडिया का जी.एस.ए. करार जांच-पड़ताल के बाद अप्रैल, 1986 में समाप्त कर दिया था।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

1266. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **श्रम मंत्री** 27 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4788 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले बीड़ी श्रमिकों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). लाभार्थियों की अनुमानित संख्या :

(1) बीड़ी कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना	10.45 लाख
(2) स्वास्थ्य	15.58 लाख
(3) शिक्षा	95,000
(4) प्रसूति प्रसुविधा योजना	15,000
(5) आवास	8,500

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में कृषि मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1267. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं से कृषि मजदूरों को कितना फायदा हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई और कदम उठाने का है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों के लिए धनराशि

1268. **श्री गोविन्दराव निकम : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रस्तावित सहकारी मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस संबंध में आश्वासन देने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए 6 आवेदन-पत्र प्राप्त किए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आगे यह भी बताया है कि पहले से ही विद्यमान बड़ी कताई क्षमता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थाएं छोटी कताई मिलों की सहायता करने में चयनात्मक रुख अपना रहे हैं। वस्त्र उद्योग में पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रवर्तकों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए तथा धागे के निर्यात के विचार रखने वालों को ही सहायता देने पर विचार किया जाता है। महाराष्ट्र में वर्तमान सहकारी कताई मिलों की खराब कार्य निष्पादन स्थिति तथा ऋण रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि सहकारी कताई मिलें सामान्यतया देशी बाजार की आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं, आई. डी.बी.आई. ने सहकारी क्षेत्र में नए कताई मिलों को सहायता प्रदान करने के बारे में अपनी शर्तों से महाराष्ट्र सरकार को अवगत करा दिया है।

[अनुवाद]

बैंकिंग व्यवस्था के बारे में विश्व बैंक की टिप्पणी

1269. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बैकिंग व्यवस्था के बारे में हाल ही में किए गए अध्ययन में विश्व बैंक ने यह टिप्पणी की है कि केन्द्र की ऋण माफी योजना पर सरकार की 4800 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगें म ऋण अदा नहीं करने की आम मानसिकता पैदा करने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी रही है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणी का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

रुई का निर्यात

1270. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान रुई के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजनाएं बनायी हैं ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में रुई के निर्यात का वार्षिक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ; और

(ग) रुई के निर्यात के लिए आन्ध्र प्रदेश का कितना योगदान मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). कपास निर्यात का निर्धारण कपास उपजकर्ताओं तथा घरेलू वस्त्र उद्योग दोनों के ही हितों तथा विकेन्द्रीयकृत हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों के हित के संदर्भ में कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता, मूल्य प्रवृति जैसे तथ्यों द्वारा किया जाता है। निर्यात नीति पर मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णय के अनुसरण में सरकार प्रत्येक कपास मौसम (सितम्बर से अगस्त) के शुरू होने पर निर्यात के लिए कम से कम 5 लाख गांठें रिलीज करती हैं। यह फसल के विस्तृत अनुमानों के प्राप्त होने के पश्चात् समययोजन की शर्त पर किया जाता है। तदनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) चालू मौसम के दौरान निर्यात के लिए रिलीज किए गए लंवे रेशे की कपास की 4 लाख गांठों में से आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 170 किलोग्राम की 15000 गांठों का कोटा आवंटित किया गया है।

सांविधिक द्रव्यता अनुपात में कटौती

1271. **श्री सी.के. कुप्पूस्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सांविधिक द्रव्यता अनुपात में कटौती की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त कटौती का बैंक के ऋण के देने योग्य संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या औद्योगिक क्षेत्र में सांविधिक द्रव्यता अनुपात में कटौती का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 16 अक्तूबर, 1993 से आरम्भ होने वाले पखवाड़े से 17 सितम्बर, 1993 की स्थितिं के अनुसार निवल घरेलू मांग और बकाया समय देयता के स्तर तक सांविधिक नकदी अनुपात को 34.75% निर्धारित किया गया है और 17 सितम्बर, 1993 के स्तर से अधिक की देयताओं में किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए सांविधिक नकदी अनुपात 25% होगा। जहां तक अनिवासी देयताओं का संबंध है, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सांविधिक नकदी अनुपात को निवल घरेलू मांग और समय देयताओं के 30% बनाए रखना अपेक्षित होगा। इसे अगले तीन वर्षों में मध्यावधिक नीति के उद्देश्यों के अनुसरण में सांविधिक नकदी अनुपात को कम करके 25% करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है कि पुनः उत्पादन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान की जा सके।

(ग) सांविधिक नकदी अनुपात को कम करने से बैंकों के ऋण देने योग्य संसाधनों में लगभग 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है।

(घ) सांविधिक नकदी अनुपात को कम करने के बारे में उद्योग से किसी भी प्रकार के विरोध किये जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) यह सवाल ही पैदा नहीं होता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट

1272. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनामी एजेंटों ने भारतीय जीवन बीमा निगम की छवि खराब कर दी है क्योंकि वे बीमित व्यक्तियों को सेवा प्रदान नहीं कर पाते हैं जैसा कि 9 अप्रैल, 1993 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रकार के एजेंटों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने के लिए उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ङ). जी नहीं। अभिकर्ताओं (एजेंटों) की नियुक्ति जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियम 1972 द्वारा अधिशासित होती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवश्यक मूलभूत योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जीवन बीमा निगम सहित सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के पति या पत्नी एजेंट के रूप में नियुक्ति पाने के पात्र नहीं होते। यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों जैसे डाक्टरों आदि के पति या पत्नी, जो एजेंट के रूप में नियुक्ति किए जाते हैं वे सभी "बेनामी" होती हैं और ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान नहीं करते। चूंकि ऐसे एजेंटों का चयन विकास अधिकारियों तथा शाखा प्रवन्धकों द्वारा साक्षात्कार लेने के बाद सावधानीपूर्वक किया जाता है तथा उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसे अधिकांश एजेंट अपने ग्राहकों को समुचित सेवा प्रदान करते हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए जीवन बीमा निगम के लिए ऐसे "बेनामी" एजेंटों की छानबीन करने और पता लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। तथापि जीवन बीमा निगम के ध्यान में जब भी इस तरह का कोई मामला लाया जाता है तो उस मामले की छान-बीन की जाती है और जीवन बीमा निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जिसमें यदि वांछित हो तो एजेंसी का समाप्त किया जाना भी शामिल है।

(च) ऐसा कोई भी व्यक्ति बीमा एजेंसी को व्यवसाय या पेशे के रूप में अपना सकता है जो 18 वर्ष का हो चुका हो तथा जिसने, शहरी क्षेत्रों के एजेंटों के मामले में, मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर ली हो और ग्रामीण क्षेत्रों के एजेंटों के मामले में आठवीं परीक्षा पास की हो। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम ने "कैरियर एजेंट योजना" नामक एक नई स्कीम भी शुरू की है जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन खुली परीक्षा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अवधि के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चुने गये उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए वृत्ति (स्टाइपिन्ड) प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना है। जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए इन उपायों का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का विकास करना है।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल

1273. **डा. असीम बाला** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल चालू हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ग) यह टर्मिनल कब तक चालू हो जाएगा ;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान ऐसा कोई समझौता किया गया है कि और अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कलकत्ता से होकर गुजरें ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). कलकत्ता हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल कम्पलेक्स जून, 1994 में पूरा हो जाने की संभावना है। विलंब मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र में संशोधन, मौजूदा ढांचे को हटाने और पुनः स्थापित करने तथा स्थानीय समाज-विरोधी तत्वों के हस्तक्षेप के कारण हुआ है।

(घ) और (ङ). चालू वर्ष के दौरान कज़ाक एयरवेज के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें कलकत्ता के लिए यातायात अधिकार दिए गए थे। ब्रिटिश एयरवेज और तरोम (रोमानियन एयरलाइन) को भी कलकत्ता के लिए प्रचालन हेतु अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

जौली ग्रांट एयरफील्ड

1274. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** जौली ग्रांट एयरफील्ड 30 जुलाई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त भूमि दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ग) आवश्यक सुरक्षा और विस्तार करने संबंधी उपाय कब तक पूरे कर लिए जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) विस्तार योजना के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को याद दिलाया गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराये जाने की तारीख से देहरादून हवाई अड्डे के उन्नयन कार्य में लगभग 30 महीने का समय लगेगा।

पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए "ब्लैक बांड" की योजना

1275. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए "ब्लैक बांड योजना" का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उनके मंत्रालय को भेजी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

कोरिया के साथ विमान सेवा संबंधी समझौता

1276. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कोरिया के बीच कोई विमान सेवा संबंधी समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यअन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारत और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) के बीच हवाई सेवा करार पर दिनांक 16.3.1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। करार में यह व्यवस्था है कि दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों में से प्रत्येक निर्दिष्ट मार्गों पर सप्ताह में दो उड़ानें प्रचालित कर सकती हैं।

पटसन का निर्यात

1277. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान पटसन उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) क्या पटसन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए संभावनाएं तलाशी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजनावधि के दौरान पटसन उत्पादों के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान पटसन उत्पादों के निर्यात से अर्जित राशि निम्नोक्त प्रकार थी :

वर्ष	(रु. करोड़)
1990-91	298.37
1991-92	388.03
1992-93	358.10

(स्त्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) और (ग). सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 1000 करोड़ रु. की राशि के पटसन माल को निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार ने पटसन और पटसन की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बाजार के अध्ययन आरम्भ करना, आयातकों और अन्तप्रयोक्ताओं से सम्पर्क करना, वाणिज्यिक आसूचना और प्रचार अभियानों से व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करना, उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल विविधीकृत पटसन उत्पादों के नई किस्मों को विकसित करने के लिए आर एण्ड डी क्रियाकलापों को निधि प्रदान करना, निर्यात दायित्व सहित पटसन बोरों की आपूर्ति के लिए डी जी एस एण्ड डी आदेशों को लिंक करना, बाह्य बाजार सहायता योजना, विश्वव्यापी निविदाओं में भागीदारी पर घाटा हिस्सा योजना आदि शामिल हैं।

शेयरों पर कंपनियों को ऋण

1278. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शेयरों पर कंपनियों को ऋण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार शेयरों/डिबेंचरों की प्राथमिक प्रतिभूति के बदले केवल निम्नलिखित को ही अग्रिम मंजूर किए जा सकते हैं :

(i) व्यक्ति ;

(ii) स्टाक और शेयर दलाल ;

(iii) न्यास और धर्मस्व तथा

(iv) निवेश कंपनियां

भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्तमान मार्गनिर्देशों को संशोधित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1279. **श्री बी. देवराजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण ऋण खातों में अतिदेय इस समय मूलधन तथा ब्याज के कुल भुगतान का लगभग 50 प्रतिशत है और इसका एक प्रमुख कारण बैंकों की स्वायत्तता का न होना और व्यापक राजनैतिक हस्तक्षेप है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

अपरिष्कृत हीरों का आयात और तराशे हुए हीरों का निर्यात

1280. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार कुल कितने मूल्य के अपरिष्कृत हीरों का आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मूल्य के तराशे हुए हीरों का निर्यात किया गया;

(ग) हीरा उद्योग के प्रमुख केन्द्र कौन-कोन से हें और इस उद्योग में कितने श्रमिक कार्यरत हैं ;

(घ) अपरिष्कृत हीरों का प्रमुख स्त्रोत क्या है और तराशे हुए हीरे के मुख्य बाजार कौन-कौन से हैं ; और

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना के लिए तराशे हुए हीरे के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विगत तीन वर्षो के दौरान आयात किए गए अपरिष्कृत हीरों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	करोड़ रु.
1990-91	3544
1991-92	4678
1992-93	6768

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तराशे तथा पॉलिश किए हुए हीरों का निर्यात नीचे दिया गया है ;

वर्ष	करोड़ रु.
1990-91	4739
1991-92	6163
192-93	8316

(ग) भारत में हीरा उद्योग के प्रमुख केन्द्र गुजरात में सूरत, नवसौरी, भावनगर तथा महाराष्ट्र में बंबई हैं। हीरा उद्योग में लगे कुल कामगारों की संख्या लगभग 6 लाख है।

(घ) भारत के हीरा उद्योग के लिए अपरिष्कृत हीरे के प्रमुख स्त्रोत अन्टवर्प तथा लंदन हैं। तराशे तथा पॉलिश किए हुए हीरों के प्रमुख बाजार यू.एस.ए., जापान, बेल्यिजम तथा हांगकांग हैं।

(ङ) तराशे तथा पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यात लक्ष्य प्रति वर्ष विदेशी बाजारों की प्रचलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के लिए 9378 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

स्वदेशी माल को सस्ता बेचने के लिए विदेश भेजने पर अंकुश लगाने संबंधी शुल्क

1281. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने भारतीय उत्पादों पर, इन्हें सस्ता बेचने के लिए उन देशों को भेजने पर अंकुश लगाने संबंधी शुल्क (एन्टी डंम्पिंग ड्यूटीज) लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से स्टील पाइप और ट्यूब, सल्फानीलिक एसिड, तथा स्टेनलेस स्टील की वायर रॉड के पाटन रोधी आयात पर शुल्क लगाए हैं। ई ई सी ने भारत से आक्सेलिक अम्ल, पालिस्टर धागे तथा पालिस्टर के सिन्थेटिक फाइबर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं।

(ग) चूंकि अलग-अलग कंपनियों की निर्यात मूल्य निर्धारण नीतियों पर पाटन रोधी शुल्क की कार्रवाई होती है, इसलिए सरकार की मुख्य भूमिका यह देखने की है कि ऐसी कार्रवाईयां विषय की बहुपक्षीय रूप से सहमत दण्ड-विधानों के अनुसार हों।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

1282. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ रुग्ण मिलों के आधुनिकीकरण की नयी योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो जिन मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). चार वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन नामतः अतीरा, बतरा, सितरा तथा नितरा ने वस्त्र मंत्रालय के निर्देशनों में नई आधुनिकीकरण योजना तैयार की है। इस को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा दान

1283. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** 20 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3723 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता के लिए बैंकों द्वारा दिए गए दान के संबंध में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; ओर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

1990-91 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए दान

(हजार रुपयें में)

बैंक का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (20.8.93 तक)	टिप्पणी
1. आंध्रा बैंक	787	180	104	-	
2. केनरा बैंक	110	249	255	204	
3. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1012	986	2193	85	
4. कारपोरेशन बैंक	30 (1990)	42	48	20	आंकड़े केवल चेरिटी के प्रयोजनार्थ
5. देना बैंक	5	77	159	-	
6. इंडियन बैंक	1608	2092	3595	575	
7. सिंडिकेट बैंक	328	475	288	-	
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया	187	285	251	102	
9. विजया बैंक	36	11	15	-	

1	2	3	4	5	6
10.	इलाहाबाद बैंक	21	435	100	
11.	बैंक आफ बड़ौदा	1601	1671	4375	450
12.	बैंक आफ इंडिया	1170 (1990)	2050 (1991)	5291	-
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	43	354	18	10
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	689	681	637	86
15.	न्यू बैंक आफ इंडिया (अब पंजाब नैशनल बैंक के साथ समामेलित)				-
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	89	663	648	3
17.	पंजाब नैशनल बैंक	455	1880	12547	759
18.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	50	-		
19.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	83	94	45	-

1	2	3	4	5	6
20.	यूको बैंक		10		-
21.	भारतीय स्टेट बैंक	16626	18955	20881	972
22.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	29	40	20	-
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1199	1670	1080	-
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर		145	38	-
		(1990)	(1991)	(1992)	(1993)
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	213	143	107	126
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	19	30	168	100
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	290	30	425	54
28.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	160	66	169	34

टिप्पणी : 1. स्टेट बैंक आफ इन्दौर के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के लिए हैं।

2. बैंक आफ इंडिया के 1990-91 और 1991-92 के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष 1990 और 1991 के लिए हैं।

3. कारपोरेशन बैंक के 1990-91 के आंकड़ें कैलेण्डर वर्ष 1990 के लिए हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

1284. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों से अधिक समय से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रिक्त पदों के लिए इनमें से कितने आवेदकों के नाम एक बार भी नहीं भेजे गए ;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार कार्यालयों द्वारा उन आवेदकों के नाम रिक्त पदों के लिए भेजे जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) एवं (ख). चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों के दर्ज रहने की अवधि संबंधी आंकड़ें नहीं रखे जाते। तथापि, 31 जुलाई, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31 जुलाई, 1993 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	31 जुलाई, 93 को चालू रजिस्टर पर संख्या
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	3038.7
2. अरुणाचल प्रदेश	5.5
3. असम	1376.0
4. बिहार	3394.9
5. गोवा	113.1

1	2	3
6.	गुजरात	1021.0
7.	हरियाणा	663.5
8.	हिमाचल प्रदेश	482.0
9.	जम्मू और कश्मीर	134.2
10.	कर्नाटक	1573.8
11.	केरल	4104.4
12.	मध्य प्रदेश	1904.0
13.	महाराष्ट्र	3419.3
14.	मणिपुर	221.9
15.	मेघालय	26.0
16.	मिजोरम	38.0
17.	नागालैंड	20.8
18.	उड़ीसा	848.4
19.	पंजाब	700.3
20.	राजस्थान	838.4
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3912.8
23.	त्रिपुरा	187.9
24.	उत्तर प्रदेश	2482.4
25.	पश्चिम बंगाल	4703.1
संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.7
27.	चंडीगढ़	162.4

1	2	3
28.	दादर और नगर हवेली	3.2
29.	दिल्ली	906.3
30.	दमन और दीव	2.8
31.	लक्षद्वीप	6.9
32.	पांडिचेरी	132.4
	योग	36443.4

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

शेयर दलालों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नियम

1285. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मंत्री** 6 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने शेयर दलालों की पूंजी की न्यूनतम आवश्यकता के बारे में अंतिम नियम जारी कर दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों को शेयर दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानकों को समाविष्ट करते हुए दिनांक 21 अक्तूबर, 1993 को एक पत्र जारी किया है और स्टाक एक्सचेंजों को इस उद्देश्य के लिए उनकी उप-विधियों ओर विनियमों में आवश्यक प्रावधान करने के लिए कहा है। इन मानकों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शेयर दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानकों की प्रमुख विशेषताएं

1. पूंजी के घटक

पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं में निम्नलिखित दो घटक होंगे :

(क) **न्यूनतम पूंजी आधार** :

इस पूंजी में किसी सदस्य द्वारा किसी स्टाक एक्सचेंज में रखी गई धनराशि होगी। विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए निर्धारित जमा राशि नीचे दी गई हैं :

	स्टाक एक्सचेंज	जमा राशि (लाख रुपए)
(i)	बंबई और कलकत्ता	5.00
(ii)	अहमदाबाद और दिल्ली	3.50
(iii)	अन्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज	2.00

(ख) **व्यापार की मात्रा से संबंधित अतिरिक्त या वैकल्पिक पूंजी** :

किसी भी सदस्य से अपेक्षित अतिरिक्त या वैकल्पिक पूंजी ऐसी होगी कि किसी भी समय में न्यूनतम पूंजी आधार को मिलाकर यह एक्सचेंज के सदस्य के सकल बकाया व्यापार का 8 प्रतिशत से कम न हो। 8 प्रतिशत की आवश्यकता को निम्नलिखित तरीके से चरणबद्ध किया जा सकता है:

(i) दिनांक 1.12.1993 से लागू किए जा रहे 3 प्रतिशत की आवश्यकता ;

(ii) दिनांक 1.6.1994 से आवश्यकता बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाएगी ;

(iii) 8 प्रतिशत की संपूर्ण आवश्यकता को दिनांक 1.12.1994 से लागू किया जाएगा।

2. पूंजी का परिकलन :

किसी सदस्य की पूंजी का परिगणन निम्नवत् किया जाएगा :

- पूंजी + आवधि आरक्षित निधि
- **कम गैर-स्वीकार्य परिसंपत्तियां नामत :**

(क) स्थायी परिसंपत्तियां,

(ख) गिरवी प्रतिभूतियां,

(ग) सदस्यों के कार्ड,

(घ) गैर-स्वीकार्य परिसंपत्तियां,

(ङ) अमान्य सुपुर्दगियां,

(च) अनिश्चित ऋण और अग्रिम*

(छ) पूर्वदत्त व्यय,

(ज) अमूर्त परिसंपत्तियां,

(झ) विक्रय प्रतिभूतियां।

* **स्पष्टीकरण** : तीन माह से अधिक से बाकी या सह-सदस्यों को दिए गए उधार/अग्रिम शामिल हैं।

3. **पूंजीगत अपेक्षाओं से छूट-प्राप्त व्यापार** :

उन लेन-देन को, जिनमें सदस्य-दलाल 48 घण्टे के भीतर सुपुर्दगी को स्टाक एक्सचेंज/निकासी गृह/अथवा किसी निर्दिष्ट निक्षेपक के पास जमा करवा देता है, पूंजीगत पर्याप्तता मानकों से छूट प्राप्त है।

4. **मानीटरिंग अपेक्षाएं** :

यह सदस्य - दलाल की जिम्मेदारी होगी कि वह व्यापार में लगी अतिरिक्त पूंजी के प्रति अनुपालन के संबंध में एक्सचेंज को सूचित करें। सदस्य-दलाल का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह अपने आधार और अतिरिक्त पूंजी के 10 गुणा की सकल बकाया स्थिति पर पहुंचने पर स्टाक एक्सचेंज को सूचित करे।

5. **दण्ड** :

पूंजी पर्याप्तता मानकों का अनुपालन में विफलता जुर्मानों और कारोबार (ट्रेडिंग) से निलम्बन सहित दण्डों को आमंत्रित करेगी। निर्धारित सीमा पर पहुंचने पर स्टाक एक्सचेंज को सूचित न करना भी स्टाक एक्सचेंज की उप-विधियों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

[हिन्दी]

राजभाषा अधिनियम, 1976

1286. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1976 के अनुसार उनके मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी भाषा में पत्राचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). हिन्दी में प्राप्त पत्रों के संबंध में सभी पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है। तथापि 30.9.1993 की स्थिति के अनुसार "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत 61 है।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। हिन्दी में टंकण व आशुलिपि का प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करके तथा प्रोत्साहन योजनाओं को आरम्भ करके हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है। प्रगति की आवधिक रूप से भी समीक्षा की जाती है तथा हिन्दी के प्रयोग में पेश आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

1287. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान अब तक राज्य व्यापार निगम ने रबड़ की कितनी मात्रा में खरीद की है ;

(ख) रबड़ उत्पादकों को प्रति किलोग्राम के लिये कितने मूल्य का भुगतान किया गया ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार खुले बाजार से और अधिक रबड़ की खरीद करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1992 और 1993 के दौरान अब तक खरीदे गये रबड़ की मात्रा निम्नानुसार है :

(मी. टन)

वर्ष	आरएमए-4	आरएमए-5	योग
1992	6436.400	4373.050	10809.45
1993	-अब तक -		शून्य

(ख) वर्ष 1992 के दौरान खरीद कीमत निम्नानुसार रही -

आरएमए-4 - 20 रु. 95 पै. प्रति किग्रा.

आरएमए-5 - 20 रु. 45 पै. प्रति किग्रा.

(ग) तथा (घ). खुले बाजार से रबड़ की खरीद की वर्तमान स्थिति बताना अभी संभव नहीं

है। जब कभी आवश्यक होगा तब खरीद मौजूदा बैंच मार्क कीमत के आधार पर मूल्य-वर्ग की कम कीमत पर की जाएगी।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के पायलटों द्वारा इस्तीफा

1288. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ओर एअर इंडिया के पायलट अपना इस्तीफा देकर निजी विमान सेवाओं में जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने पायलट इन संगठनों से 1992 और 1993 के दौरान अब तक अपनी सेवाएं छोड़ चुके हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). वर्ष 1992 और 1993 (31.10.1993 तक) के दौरान एअर इंडिया के 5 पायलटों ने एयरलाइन की सेवा छोड़ दी और एअर इंडिया को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी अन्य एयरलाइन में सेवा शुरू कर दी है। इस अवधि में इंडियन एयरलाइंस के 110 पायलटों ने सेवा छोड़ी, और उनमें से कई ऐसे हवाई टैक्सी प्रचालकों के पास चले गए जिन्होंने लाभप्रद पारिश्रमिकों की पेशकश की थी।

(घ) हवाई टैक्सी प्रचालकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को 1993 के ए.आई.सी. संख्या 3 के तहत संशोधित किया गया है जिसमें प्रावधान है कि कोई हवाई टैक्सी प्रचालक, किसी भी राष्ट्रीय वाहक कंपनी में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को, उसके मौजूदा नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना नियुक्त नहीं करेगा।

इंडियन एयरलाइंस ने भी, अपने सेवा विनियमों में संशोधन किया है जिसके तहत् कर्मचारियों को इस्तीफा देने से पूर्व छः मास का नोटिस देना आवश्यक होगा। इंडियन एयरलाइंस से प्रशिक्षित पायलटों के पलायन को रोकने के लिए पायलटों की अन्य सेवा शर्तों, जैसे निष्पादित बांड की राशि, में भी संशोधन किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा मिलें

1289. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इसकी 34 रुग्ण मिलों को, जिन्हें बंद करने

या जिनका अन्य मिलों के साथ विलय का प्रस्ताव है, कार्यकारी पूंजी आवंटित न करने का निर्देश दिया हैं ; .

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप कौन-कौन सी मिलें प्रभावित होंगी ;

(ग) एककवार कितने श्रमिकों की छंटनी होगी और उनके पुनर्वास हेतु निर्धारित एकक सीमा क्या है ;

(घ) प्रभावित कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय निधि से जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) सरकार को इस सबंध में प्राप्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (कं) तथा (ख). सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सलाह दी है कि वह अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे दी गई बजटीय सहायता का निवेश केवल उन मिलों में करे जिनमें घाटों को कम करने के लिए नगद अंशदान प्राप्त करना संभव हो।

(ग) से (च). एन टी सी का अपने किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव नहीं है। फालतू कर्मचारियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एन टी सी में एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना कार्यान्वयनाधीन है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सुव्यवस्थित किए गए कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान के लिए एन टी सी को 258 करोड़ रु. की रकम प्रदान की गई है। एन टी सी के सुव्यवस्थित किए गए कर्मचारियों के स्वरोजगार के लिए विद्युत करघा । रीलिंग यूनिट्स स्थापित करने में सहायता करने के लिए एक योजना भी आरम्भ की गई है।

व्यापार सूचना केन्द्र

1290. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाजार संबंधी जानकारी को तेजी तथा अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने हेतु उद्योग तथा राज्यों दोनों से वित्तीय सहायता लेकर राज्यों में व्यापार सूचना केन्द्रों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस चरण पर है ;

(ग) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए व्यापार तथा निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना तंत्र का विस्तार, पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण करने हेतु क्या विशेष प्रयास किए हैं ;

(घ) सरकार द्वारा चालू वर्ष में दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा निर्यात को बढ़ावा

देने हेतु सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ङ) निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है तथा इसके अन्तर्गत अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बंदरगाहों, विमानपत्तनों, अंतर्देशीय कन्टेनर-डिपुओं, दूरसंचार, विद्युत एवं अन्य परिवहन माध्यमों के कार्यचालन का आधुनिकीकरण करने और उसमें सुधार लाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों को आगे बढ़ाने में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जा रहा है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना नामक एक ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके तहत राज्यों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान किए गए उपायों में ये शामिल हैं : बाजार-निर्धारित एकीकृत विनिमय-दर लागू करना, आयात निर्यात नीति, 1992-97 में संशोधन जिसके अनुसार नीति तथा क्रियाविधियों के सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, आयात लाइसेंसिंग तथा अन्य भेदमूलक नियंत्रणों को काफी हद तक कम करना, टैरिफ दरों में कमी लाना, निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों में कमी करना, आदि।

(ङ) आयात-निर्यात नीति, 1992-97 में सभी माल के निर्यात की अनुमति है बशर्ते कि वह निर्यात की निषेधात्मक सूची में नहीं हो। नीति में विभिन्न योजनाओं के जरिए निर्यात से जुड़े हर प्रकार के आयात की सुविधा है जैसे–निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, शुल्क छूट योजना और शुल्क वापसी योजना जिसके तहत निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित नाजुक निविष्टियो और पूंजीगत माल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों/उसके आसपास की कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है, इन उपायों के परिणामस्वरूप, निर्यात में अप्रैल-अक्टूबर, 1993 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है।

त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन

1291. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर इसकी समग्र विस्तार परियोजना के एक भाग के रूप में हवाई पट्टी के विस्तार पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूरा होने के लिए क्या लक्षित तारीख तय की गई है ;

(घ) क्या इस हवाई पट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार के लिये योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकार द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराये जाने के बाद, परियोजना के लिए अनुमान तथा कार्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम अनुसूची तैयार की जाएगी।

(घ) और (ङ). इस समय त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

(1) उच्च घनत्व वाले धावनपथ के किनारे वाली बत्तियां,

(2) अवसीमा (प्रवेश) रोशनी,

(3) धावनपथ के अंत में प्रकाश व्यवस्था,

(4) दृश्य पहुंच ढाल संसूचक प्रणाली,

(5) सहायक धावनपथ मार्किंग।

एक स्टेट ऑफ आर्ट राडार और डाप्लर अति उच्च सर्वपरास के संस्थापन का प्रस्ताव है।

सार्क देशों के बीच वरीयता के आधार पर व्यापार समझौता

1292. **श्री ए. जयमोहन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सार्क" देशों के प्रतिनिधि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में वरीयता के आधार का व्यापार समझौता को लागू करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सार्क के सदस्य राष्ट्रों ने संविदाकारी देशों के बीच छूटों के आदान-प्रदान के द्वारा आपसी व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने के लिए अप्रैल 1993 में ढाका में दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था की स्थापना संबंधी ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, अब संविदाकारी राज्यों को उत्पाद दर उत्पाद आधार पर टैरिफ अधिमानता संबंधी वार्ता करने का अगला कदम उठाना पड़ेगा। तदनुसार सदस्य देशों के बीच निर्यात हित के उत्पादों की सूची तथा उनसे सम्बद्ध सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया शुरू की गई है।

आर्थिक सहयोग संबंधी समिति ने 21-22 नवम्बर, 1993 को ढाका में हुई अपनी चौथी बैठक में सदस्य राष्ट्रों से निर्यात हित की मदों की सूची के आदान-प्रदान को शीघ्रता से पूरा करने का अनुरोध

किया जिससे कि टैरिफ अधिमानों पर संधि वार्ता की जा सके।

शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया द्वारा नौकाएं जब्त करना

1293. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया द्वारा कुछ नौकाएं पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नौकाओं को उनके असली मालिकों को लौटा दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मत्स्य पालन और सम्बद्ध क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी नहीं। अलबत्ता, सरकार द्वारा नियुक्त रिसीवर ने, नौवहन विकास निधि समिति (एसडीएफसी) (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नौकाओं को जब्त किया था।

(ख) रिसीवर द्वारा जब्त 16 नौकाओं में से 2 को पुनर्वास योजना के तहत उनके वास्तविक स्वामियों को वापिस कर दिया गया है जबकि चार नौकाओं की रिसीवर द्वारा नीलामी कर दी गई।

(ग) शेष 10 नौकाओं को निम्नलिखित में से किसी एक कारण से उनके स्वामियों को वापस नहीं लौटाया गया है :

(क) कंपनी ने पुनर्वास के लिए आवेदन नहीं किया।

(ख) पुनर्वास योजना के तहत कंपनियां निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर सकीं।

(घ) भूतपूर्व एस.डी.एफ.सी. द्वारा सहायता प्राप्त मत्स्यन कंपनियों के लिए भारत सरकार ने दिनांक 4.4.1991 को एक पुनर्वास योजना की घोषणा की थी। उद्योग से प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में सरकार ने अप्रैल, 1992 में योजना में और छूट प्रदान की थी। योजना में कई प्रकार की छूटों की कल्पना की गई है जिनमें दण्डात्मक ब्याज समाप्त करना, नौका की शेष आयु में वापसी अदायगी के लिए अतिदेय राशियों का पुर्नपूंजीकरण, नौकाओं के अधिग्रहण की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और नौकाओं की मरम्मत और उनमें संशोधन के लिए सहायता। गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग से और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने उद्योग की समस्याओं का समाधान करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित की है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

1294. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए कितना पूंजी निवेश किये जाने का अनुमान है ; और

(ग) सातवीं और आठवीं योजना अवधि में बागवानी क्षेत्र के निर्यात के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). जी, हां। बागवानी से संबंधित निर्यात के लिए अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए करीब 545 करोड़ रु. का निवेश करने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना के दौरान सरकारी बागवानी एवं बागवानी से संबंधित निर्यात का विकास करने पर विशेष जोर दे रही है और इसलिएं सातवीं योजना अवधि के दौरान बागवानी क्षेत्र के लिए निर्धारित करीब 25 करोड़ रु. के परिव्यय की तुलना में आठवीं योजना के दौरान बागवानी संबंधी विकास के लिए 1000 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार

1295. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित की गयी योजनाओं का कोई मूल्याकंन किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). केवल भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित ऐसी कोई योजना नहीं है। अतः सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन-कार्य नहीं किया गया है। तथापि, जवाहर रोजगार योजना, जिसे पूरे देश में 1.4.89 से कार्यान्वित किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। यद्यपि इसमें गरीबी सीमा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, फिर भी भूमिहीन श्रमिक इस कार्यक्रम से निश्चित ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसके लिए 1991-92 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठम द्वारा एक द्रुत अध्ययन किया गया था। 2 अक्तूबर, 1993 को 257 जिलों के 1752 पहचान किए गए पिछड़े ब्लाकों में रोजगार आश्वासन योजना नामक एक अन्य नई योजना चलाई गई है इस नई योजना से देश के सुदूरवर्त्ती और निर्धनतम क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों को भी लाभ पहुंचाने की आशा की गई है।

तिल के बीजों का निर्यात

1296. **श्री शरत् पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिल के बीजों के निर्यात की भारी गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तिल का बिना लाइसेंस के निर्यात करने की अनुमति है। हाल में किए गए जिन उपायों से तिल सहित कृषि संबंधी निर्यात की प्रतियोगिता बढ़ी है, वे हैं : एकीकृत विनिमय दर शुरू करना और लदान-पूर्व निरीक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों को पूरी करने के उद्देश्य से सरकार ने तिलहन के उत्पादन में डीडीटी और बी एच सी जैसे नाशीकीटों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों और निर्यातकों को सलाह दी गई है कि वे नाशीकीटों का प्रयोग न करने के लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु आवश्यक कार्यक्रम शुरू करें। उन्नत स्वच्छता विधियों और गुणवत्ता नियंत्रण तरीकों को अपनाए जाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

निर्यातकों को विभिन्न बाजारों में आयातकों के साथ वेहतर संबंध बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गोमतगिरि का विकास

1297. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 में कर्नाटक में जैनियों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोमतगिरि के विकास के लिए कोई धनराशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से 1993-94 में गोमतगिरि के विकास हेतु धन देने तथा वहां पर पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गोमतगिरि के विकास के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड का लाभ केन्द्र

1298. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ख्रनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने अपने संगठन में एक "लाभ केन्द्र" स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और उसके फलस्वरूप असरणीकृत व्यापार पर अधिक जोर देने, व्यय में कमी करने तथा लाभ को अधिकतम करने की आवश्यकता को देखते हुए एम एम टी सी ने अपने आपको अनेक लाभ केन्द्रों के रूप में संगठित किया है जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें ख्रनिज, धातु, हीरा, रत्न तथा आभूषण, उर्वरक जैसे मौजूदा व्यापार परम्परा को शामिल किया गया है, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा तथा रसायन, औषधि तथा भेषजीय पदार्थों को शामिल करते हुए व्यापार के नए क्षेत्रों में विविधीकरण और इंजीनियरी सामान, मांस तथा कुक्कुट उत्पाद और भवन निर्माण सामग्री आदि जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक लाभ केन्द्र की समुचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त संचालन संबंधी स्वतन्त्रता होगी। इसके अलावा, उक्त लाभ केन्द्र अपने सम्पूर्ण उत्पाद वर्ग के लिए निर्यात, आयात तथा घरेलू विपणन कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

असम में रेशम परियोजनाएं

1299. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, असम के किन-किन जिलों में रेशम परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ;

(ख) क्या बोर्ड का विचार राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) विश्व बैंक तथा स्विस सहायता

प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड असम के जोरहाट और सिबसागर जिलों में प्रायोगिक रेशम उत्पादन परियोजना चला रहा है।

(ख) से (घ). असम राज्य राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना चलाने के लिए चुने हुए 12 गैर-परम्परागत राज्यों में से एक है। इन सभी राज्यों में विश्व बैंक ने केवल एक अथवा दो जिलों में ही परियोजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दी है और इस परियोजना के अन्तर्गत अन्य जिलों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तथापि, राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड असम राज्य में रेशम उत्पादन के समग्र विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना संबंधी समर्थन को जारी रखे हुए है।

केरल में समेकित पर्यटन विकास

1300. **श्री पाला के. एम. मैथ्यू** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के समेकित पर्यटन विकास योजना के लिए वित्तीय सहायता के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं में अनिवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत केरल राज्य में बेकल तट को गहन विकास हेतु विशेष पर्यटन क्षेत्र अभिनिर्धारित किया गया है। बेकल के लिए एक विशेष पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जो इस क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं की पहचान करेगा।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

काला धन

1301. **श्री अनिल बसु :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काले धन के जमाकर्ताओं के लिए किसी आकर्षक प्रस्ताव की घोषणा करने का है ताकि वे जमा काले धन को सफेद धन में बदल सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख). सरकार इस समय काले धन को वैध धन में बदलने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलें

1302. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1993 को देश में राज्य-वार कितनी कपड़ा मिलें कार्य कर रही थीं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें बंद की गई तथा इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इनके पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 31.10.1993 की स्थिति के अनुसार देश में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या 1166 थी। सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) आई डी अधिनियम के अन्तर्गत कोई मिल वंद नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अन्य कारणों से बंद की गई मिलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) तथा (घ). मिलों के स्थाई/आंशिक रूप से वंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत देने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि स्थापित की गई है।

विवरण 1

31.10.1993 की स्थिति के अनुसार देश में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वस्त्र मिलों की संख्या (कुल)
1.	आन्ध्र प्रदेश	72
2.	असम	5
3.	बिहार	9
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	122
6.	हरियाणा	16
7.	हिमाचल प्रदेश	7
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	46
10.	केरल	30
11.	मध्य प्रदेश	31
12.	महाराष्ट्र	141
13.	मणिपुर	1
14.	उड़ीसा	14
15.	पंजाब	25
16.	राजस्थान	36
17.	तमिलनाडु	501
18.	उत्तर प्रदेश	55
19.	पश्चिम बंगाल	39
केन्द्र शासित क्षेत्र		
1.	दिल्ली	3
2.	पांडिचेरी	9
3.	दादर नगर हवेली	1
	कुल योग	1166

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में बंद हुई सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या तथा प्रभावित कामगारों की संख्या नीचे दी गई है।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91 (अक्तूबर/सितम्बर)		1991-92 (अक्तूबर/सितम्बर)		1992-93 (अक्तूबर/सितम्बर)	
		मिलों की सं.	कामगार	मिलों की सं.	कामगार	मिलों की सं.	कामगार
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	1	339	1	116
2.	विहार	1	83	1	उपलब्ध नहीं	-	-
3.	गुजरात	1	1744	4	7650	-	-
4.	हरियाणा	-	-	2	1824	-	-
5.	कर्नाटक	1	150	-	-	1	356
6.	क़ेरल	2	952	1	820	1	2178

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	मध्य प्रदेश	1	1226	1	5659	-	-	
8.	महाराष्ट्र	1	1588	6	5785	-	-	
9.	उड़ीसा	-		2	2971	-	-	इनमें से कोई मिल आई.डी. अधिनियम के अन्तर्गत बन्द नहीं की गई।
10.	राजस्थान	-	-	1	1196	-	-	
11.	तमिलनाडु	10	10155	10	4158	7	1414	
12.	उत्तर प्रदेश	-	-	4	5147	-	-	
13.	प. बंगाल	3	4014	2	2368	2	1965	
	अखिल भारत	20	19912	35	37917	12	6029	

कृषि श्रमिक

1303. **श्री मोहम्मद अली अशराफ फातमी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा सहायता तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलबध कराने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन सुविधाओं को प्रदान करने पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) कृषि श्रमिकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत केरल खेतिहर मजदूर कल्याण निधि के ढांचे पर एक कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

वर्जिनिया तम्बाकू

1304. **श्री एच. डी. देवगौड़ा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादन हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा कुल कितनी मात्रा में इस तम्बाकू का उत्पादन किया गया ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में पृथक-पृथक रूप से तम्बाकू की वास्तविक कितनी मात्रा का विपणन किया गया?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। तम्बाकू बोर्ड प्रत्येक वर्ष फसल को निर्धारित करता है।

(ख) से (घ). पिछली तीन फसलों के संबंध में निर्धारित की गई और बाजार में लाई गई मात्रा निम्नानुसार है :

राज्य	1991-92 फसल		1992-93 फसल		1993-94 फसल	
	नि.मा.	बि.मा.	नि.मा.	बि.मा.	नि.मा.	बि.मा.
आन्ध्र प्रदेश	125.29	132.38	102.60	125.31	67.71	1994-95 में बिक्री के लिए
महाराष्ट्र	0.55	0.40	0.31	0.31	0.15	
कर्नाटक	20.00	26.41	21.00	33.24	20.85	12.70 (1.12.94 तक)

नि.मा. - निर्धारित मात्रा (मिली. किग्रा.)

बि.मा. - बिक्री की गई मात्रा (मिली. किग्रा.)

1993-94 की कर्नाटक फसल, जिसकी नीलामी चल रही है उसके 34 मिली किग्रा. होने का अनुमान है।

तम्बाकू का निर्यात

1305. **श्री के. एच. मुनियप्पा** :

श्री वी. कृष्णा राव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान तम्बाकू का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री *(श्री कमालुद्दीन अहमद)* : *वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात किये गये तम्बाकू* (अविनिर्मित) की कुल मात्रा 81294 टन थी। इससे अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 150.16 मिलियन अमरीकी डालर रही।

औद्योगिकीकृत देशों के उपभोक्ता उत्पाद

1306. **श्री रमेश चेन्नितला** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिकीकृत देशों ने अपने उपभोक्ता उत्पादों के लिए भारत में बाजार उपलब्ध कराने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). वार्ताओं के उरुग्वे दौर में औद्योगिकीकृत देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि हम (भारत) उनके उपभोक्ता माल विशेष रूप से वस्त्र मदों के लिए टैरिफों में कटौती करके और आयात प्रतिबंधों को समाप्त करके बाजार प्रवेश की सुविधा दें।

(ग) भारत ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ऐसे अनुरोधों पर तब ही विचार किया जा सकेगा जबकि उक्त देशों के बाजारों में भारतीय वस्त्रों तथा परिधानों को पर्याप्त बाजार प्रवेश मिल जाए और भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो जाए।

जाली अमरीकी डालरों का परिचालन

1307. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री जी. देवराय नायक :

श्री ताराचंद खण्डेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली अमरीकी डालरों का परिचालन बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान जब्त किये गये ऐसे करन्सी नोटों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) देश में ऐसे जाली नोटों का परिचालन रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : *(क) से (ग).* सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पटसन का उत्पादन

1308. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 की तुलना में 1992-93 में पटसन का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने 1991-92 की तुलना में 1992-93 में कम पटसन खरीदा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) 1992-93 पटसन मौसम के दौरान बुवाई के समय वर्षा की कमी होने से उपजाऊ क्षेत्र में कमी और पिछले मौसम के दौरान कच्ची पटसन की कम वसूली के कारण कच्ची पटसन के उत्पादन में कमी आई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"आसियान" देशों के साथ व्यापार

1309. **डा. आर. मल्लू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का आह्वान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योग क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व व्यापार में देश के हिस्से में आई गिरावट का कोई गहन विश्लेषण किया गया है और उक्त आह्वान के अतिरिक्त उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या देश का उच्च ऋण सेवा अनुपात 32% पर रुका हुआ है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा आसियान देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का कोई औपचारिक आह्वान नहीं किया गया है। किन्तु, आसियान देशों सहित विभिन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।

(ग) विश्व व्यापार में देश का हिस्सा 1991 में 0.52% था जो कि जनवरी-जून 1992 में बढ़कर 0.58% हो गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश का ऋण-सेवा अनुपात वर्ष 1992-93 में 30.4% के स्तर तक गिर गया है। सरकार विदेशी ऋण की स्थिति पर नजदीकी नजर रख रही है ताकि इसे समुचित सौदा के अन्दर रखा जा सके।

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय

1310. **श्री राम कापसे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने सहित कुछ कल्याणकारी उपाय आरंभ करेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). सरकार बीड़ी श्रमिकों के स्कूल/कालेज जाने वाले बालकों को वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए, चिकित्सा सुविधा आवास एवं मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। यह योजनाएं आन्ध्र प्रदेश सहित सभी बीड़ी उत्पादक राज्यों में चलाई जा रही हैं।

लघु उद्योगों को ऋण

1311. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के कुछ जिलों में लघु उद्योगों को ऋण वितरित करने हेतु बैंकों को विशेष नामनिर्दिष्ट शाखाओं की स्थापना करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उदारीकृत लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, बैंकों को उसकी पूर्वानुमति के बिना विशेषज्ञ शाखाएं खोलने (विशेष रूप से लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु उद्योग शाखाओं सहित) की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चूंकि विशेषज्ञ शाखाओं से अन्य स्थानीय केन्द्रों से कारोबार का अधिग्रहण करने की आशा की जाती है, इसलिए ये विशेषज्ञ सामान्यतया उन केन्द्रों में खोली जानी चाहिए जहां बैंक की पहले ही 10 या इससे अधिक शाखाएं हों और/या वहां पर्याप्त कारोबार की काफी संभावना हो।

अपरिष्कृत पटसन का आयात

1312. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओपेन जनरल लाइसेंस पर अपरिष्कृत पटसन के आयात को अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत कच्ची पटसन को आसानी से आयात किया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

1313. **श्री जी. देवराय नायक** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री गुरुदास कामत :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने गैर सरकारी बैंक कार्यरत हैं ;

(ख) क्या ऐसे बैंक खोलने के लिए हाल ही में कुछ नए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों/संगठनों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं और ये बैंक किन स्थानों पर खोले जायेंगे ;

(घ) क्या इनमें से कुछ गैर-सरकारी बैंक, विदेशी गैर-सरकारी बैंकों के सहयोग से कार्य करेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान बैंक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) इस समय देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के 28 बैंक हैं।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंक खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने "सिद्धांत रूप से" निम्नलिखित 7 आवेदकों को मंजूरी दी है :

पार्टी का नाम	प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय
1. आवास विकास वित्त निगम लि.	बंबई
2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	अहमदाबाद
3. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि.	बड़ौदा

4.	मैसर्स जयंत माधव एंड एसोसिएट्स	सिकंदराबाद
5.	20 वीं. शताब्दी वित्त निगम लि.	पणजी
6.	मैसर्स वेनेट कोलमैन एंड कं.लि.	फरीदाबाद
7.	मैसर्स इंदुस एंड इंटरप्राइजेज एवं फाइनेंस लि.	पुणे

(घ) और (ङ). उपर्युक्त 7 आवेदकों में से किसी ने भी यह नहीं बताया है कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी बैंकों के सहयोग से काम करेंगे। फिर भी, उपर्युक्त आवेदकों में से एक आवेदक मैसर्स जयंत माधव एंड एसोसियेट्स ने विदेशी तकनीकी साझीदार लेने की इच्छा प्रकट की है।

(च) और (छ). वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय प्रणाली की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

[हिन्दी]

आमों का निर्यात

1314. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेष रूप से गुजरात से कुल कितनी मात्रा में आमों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) आमों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से गुजरात से आमों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान देश से निर्यात किए आमों की कुल मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(एम टी)	(करोड़ रु.)
1991-92	23104	35.46
1992-93	27000	48.00

चूंकि निर्यात संबंधी राज्यवार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं इसलिए गुजरात से निर्यात किए गए आमों के आंकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ). आमों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

(1) बागवानी क्षेत्र में अधिक व्यय,

(2) पूंजीगत सामान तथा अन्तर्निविष्टियों के मामले में शुल्क में कमी।

इसके अलावा, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ठंडी श्रंखलाओं सहित फसल पश्चात् कार्यों की उन्नत पद्धतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। एपीडा ने अवस्थापना तथा पैकेजिंग में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

(वर्ष 1991-92 के निर्यात आंकड़े : स्त्रोत डी जी सी आई एंड एस तथा 1992-93 के निर्यात आंकड़ें (अनन्तिम) निर्यातकों द्वारा एपीडा को प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार)

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में ऋण-जमा अनुपात

1315. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). मार्च, 1991, 1992 और 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में बैंकों का ऋण जमा अनुपात और अखिल भारतीय स्थिति निम्नानुसार थी :

	ऋण जमा अनुपात (%)		
	मार्च	मार्च	मार्च
	1991	1992	1993
पश्चिम बंगाल	54.5	52.7	52.2
अखिल भारत	66.2	61.0	60.5

पश्चिम बंगाल में बैंकों का ऋण जमा अनुपात अखिल भारत स्तर की प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि ऋण जमा अनुपात किसी खास राज्य/क्षेत्र के आर्थिक विकास में बैंकों द्वारा निभाई जा रही भूमिका का एक मात्र द्योतक नहीं है। किसी खास राज्य या क्षेत्र में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों के संबंध में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो सिंचाई, बिजली, रेल सड़क, परिवहन, बुनियादी एवं तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और कृषि, औद्योगिक उत्पादन आदि के लिए आवश्यक निविष्टियों और विपणन केन्द्रों की उपलब्धता जैसे आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे कारकों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों की जांच करने और उसमें सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कृतिक बल की रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की गई हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : बागबानी में सुधार, मछली पालन अंतः स्थलीय एवं जलीय दोनों, फलों के निर्यात का संवर्धन, टपकन (ड्रिप) सिंचाई की प्रणली का प्रचार, सिंचाई के लिए स्थलीय जल का पता लगाना, स्टोरेज एवं संसाधन सुविधाओं का सृजन, पुनरूद्धार के योग्य लघु रुग्ण एककों का पता लगाना और पुनरुद्धार पैकेज योजना तैयार करना, उच्च तकनीक वाले उद्यमों का संवर्धन, ग्रामीण उद्योगों के विकास पर अधिक जोर और उन उद्योगों से, जो बंद है तथा/या जिनके पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है, बैंक ऋणों की शीघ्र वसूली।

श्रमिकों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

1316. **श्री अरविंद त्रिवेदी** :

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष श्रमिकों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों/श्रमिक संस्थाओं और केन्द्रों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों/संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान, गुजरात में स्व-नियोजित महिला संघ, अहमदाबाद, जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है, को "अहमदाबाद में महिला श्रमिकों को संगठित करना" नामक परियोजना के लिए उन्हें सहायता अनुदान के रूप में निम्नलिखित धनराशि दी गई :

वर्ष	धन राशि रु.
1990-91	22,525/- रु.
1991-92	शून्य
1992-93	4,970/- रु.

(ख) और (ग). सहायता अनुदान योजना के तहत यथा अपेक्षित प्रगति की समीक्षा करने के बाद धन राशि निर्गत की गई है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

बोधगया के विकास के लिए विदेशी सहायता

1317. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को बोधगया के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी सहायता किन-किन देशों से मिली ;

(ख) बिहार सरकार द्वारा इस सहायता के उपयोग के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई एजेन्सी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बोध मात्रा परिपथों के विकास के लिए 9.244 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 15 दिसंबर 1988 को जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब तक परियोजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में निष्पादन अभिकरणों द्वारा किए गए कार्यों के 33.00 करोड़ रुपए के बारे में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य विकास कार्य हैं - राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजमार्गों को सुदृढ़ करना, जल और विद्युत आपूर्ति में सुधार करना और बढ़ाना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की स्थापना करना, भू-दृश्यांकन, दूरसंचार आदि।

(ग) और (घ). परियोजना की प्रगति की निकट से निगरानी करने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संचालन समितियां हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष निष्पादन अभिकरणों को कार्य पूरा होने के पश्चात् तथा प्रतिपूर्ति दावों को जांच करने पश्चात् ही धन देता है।

गुजरात में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1318. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** :

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए गुजरात को अब तक कुल कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ सारी धनराशि का उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) भारत सरकार द्वारा गुजरात की विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	जारी की गई राशि
	(करोड़ रुपए)
1990-91	172.89
1991-92	445.41
1992-93	329.68
1993-94	97.96

(ख) और (ग). विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रतिपूर्ति दावों के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

पश्चिम बंगाल में रबड़ की खेती

1319. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** 30 जुलाई, 1993 के अंतारांकित प्र. सं. 1019 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुडी में फील्ड आफीसर द्वारा रबड़ की खेती शुरू करने के लिए नव-उद्यमियों के सहायतार्थ कोई वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता की राशि कितनी होगी ;

वर्ष	धन राशि रु.
1990-91	22,525/- रु.
1991-92	शून्य
1992-93	4,970/- रु.

(ख) और (ग). सहायता अनुदान योजना के तहत यथा अपेक्षित प्रगति की समीक्षा करने के बाद धन राशि निर्गत की गई है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

बोधगया के विकास के लिए विदेशी सहायता

1317. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को बोधगया के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी सहायता किन-किन देशों से मिली ;

(ख) बिहार सरकार द्वारा इस सहायता के उपयोग के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई एजेन्सी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बौध मात्रा परिपथों के विकास के लिए 9.244 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 15 दिसंबर 1988 को जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब तक परियोजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में निष्पादन अभिकरणों द्वारा किए गए कार्यों के 33.00 करोड़ रुपए के बारे में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य विकास कार्य हैं - राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजमार्गों को सुदृढ़ करना, जल और विद्युत आपूर्ति में सुधार करना और बढ़ाना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की स्थापना करना, भू-दृश्यांकन, दूरसंचार आदि।

(ग) और (घ). परियोजना की प्रगति की निकट से निगरानी करने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संचालन समितियां हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष निष्पादन अभिकरणों को कार्य पूरा होने के पश्चात् तथा प्रतिपूर्ति दावों को जांच करने पश्चात् ही धन देता है।

गुजरात में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1318. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**

श्री रतिलाल वर्मा :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए गुजरात को अब तक कुल कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ सारी धनराशि का उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) भारत सरकार द्वारा गुजरात की विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु पिछले तीन वर्षो के दौरान जारी की गई कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	जारी की गई राशि
	(करोड़ रुपए)
1990-91	172.89
1991-92	445.41
1992-93	329.68
1993-94	97.96

(ख) और (ग). विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रतिपूर्ति दावों के आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

पश्चिम बंगाल में रबड़ की खेती

1319. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** 30 जुलाई, 1993 के अंतारांकित प्र. सं. 1019 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुडी में फील्ड आफीसर द्वारा रबड़ की खेती शुरू करने के लिए नव-उद्यमियों के सहायतार्थ कोई वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता की राशि कितनी होगी ;

(ग) क्या रबड़ के बागान लगाने हेतु स्थल चयन के विशिष्ट अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल के जलपाई गुडी जिले में ग्रासमियर क्षेत्र का आकलन पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में और कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी हां, गुवाहाटी, असम में स्थित रबड़ बोर्ड का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में क्षेत्र अधिकारी, सिलीगुडी का कार्यालय भी आता है के द्वारा योग्य रबड़ उत्पादकों को वित्तीय सहायता के रूप में अभी तक 90.760 रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) और (घ). जी हां। ग्रासमोर में नागरकट्टा में 47 हेक्टेयर के क्षेत्र की पहचान की गई है तथा स्थल चयन के विशेष अध्ययन के लिये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। बागान फसल के तैयार होने में 7 वर्ष का समय लगता है इस कारण मूल्यांकन अभी भी चल रहा है। तथापि अभी तक उपलब्ध मूल्यांकन के परिणाम से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी जिले के चयनित क्षेत्रों में रबड़ उगाया जा सकता है।

भारत-अमरीका वस्त्र समझौता

1321. **श्री मोहन सिंह देवरिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय वस्त्र समझौते के नवीकरण से पूर्व अमरीकी सरकार ने कुछ शर्तें रखी थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच हुए अन्तिम समझौते का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). यू.एस.ए. तथा भारत के मध्य चालू द्विपक्षीय वस्त्र करार के नवीकरण के लिए वार्ताए चल रही हैं। वार्ताओं की प्रारम्भिक दौर के दौरान दोनों ही पक्षों ने नए करार के लिए चिन्ता तथा रुचि प्रक्षेपित की है। वार्ताओं के अन्तिम परिणाम केवल इसके समापन के पश्चात् ही मालूम हो सकते हैं।

रोज़गार कार्यालयों में सुधार

1322. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का विचार समग्र देश में 800 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क को दुरुस्त कर इसे वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस सुधार और अनुकूलन कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यदल की बैठक, जो सामान्यतः वर्ष में एक बार होती है, में सेवाओं को सुधारने तथा सरल एवं कारगर बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। कार्यदल रोजगार चाहने वाले तथा नियोजकों दोनों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की क्रियाविधि के सरलीकरण की सिफारिश करता है। कार्यदल की आगामी बैठक 1994 की प्रथम तिमाही में होने की संभावना है।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात और इसकी खेती

1323. **श्री रामपाल सिंह** :

श्री बलराज पासी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने एकड़ भूमि पर चाय वागान हैं और इसमें से पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागान के अधीन कितनी भूमि है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य की चाय की मांग राज्य में उत्पादित चाय से पूरी हो जाती है और राज्य की मांग के पूरा होने के बाद चाय का निर्यात किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उत्तर प्रदेश में फिलहाल चाय की खपत कितनी है ;

(ङ) इस हेतु फिलहाल ऋण और कितनी राज़ सहायता प्रदान की गई है ; और

(च) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रो में चाय बागानों के विकास हेतु तैयार की गई विशेष योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय की उपज के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 903 हेक्टेयर था। चाय की खेती अधिकांशतः उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में होती है।

(ख) से (घ). उत्तर प्रदेश में चाय की खपत तथा राज्य से चाय के निर्यात से संबंधित आंकड़ें देना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में चाय की खपत से संबंधित आंकड़े अलग से उपलव्ध नहीं हैं। इसके अलावा चाय के समग्र निर्यात में उत्तर प्रदेश मे उत्पादित चाय के शेयर का पता लगाना भी संभव नहीं है। क्योंकि अधिकांश मामलों में चाय का निर्यात मिश्रित रूप में किया जाता है। तथापि, वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय का अनुमानित उत्पादन 550 हजार कि.ग्रा. था।

(ङ) चाय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में चाय के बागों के विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए 19.39 लाख रु. का सहायता अनुदान दिया है।

(च) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लगभग 56,950 हैक्टेयर भूमि चाय की उपज के लिए उपयुक्त मानी गई है। यह भूमि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है जो तराई, गढ़वाल तथा कुमांऊ क्षेत्रों के 25 जिलों में से 14 जिलों में फैली हुई है। अभिज्ञात किए गए क्षेत्र में से 1400 हैक्टेयर क्षेत्र में चाय का रोपण करने के लिए उत्तरकाशी, अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल इन तीन के जिलों में प्रत्येक में एक परियोजना शुरू करने का विचार है, परन्तु रोपण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। तब तक राज्य सरकार के भूमि संरक्षण विभाग ने नैनीताल अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में फैली लगभग 25 हैक्टेयर भूमि में अनेक स्थानों पर परीक्षण के तौर पर रोपण का कार्य शुरू किया है।

ड्यूटी फ्री स्टोर खोलना

1324. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र में ऐसे ड्यूटी फ्री स्टोर खोलने के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है जहां आयातित कच्चे माल और फालतू कलपुर्जे मिल सकेंगे और उनसे निर्मित उत्पादों का निर्यात किया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कदम विदेशी बाजार की चुनौतियों का सामना करने में घरेलू उद्योगों के लिए कहां तक सहायक होगा ;

(ग) क्या आयातित कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक कल्पुर्जों की समय से खरीद के परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि का लाभ घरेलू निर्यातकों को मिलेगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार निजी क्षेत्र को विदेशी ऋण लेनें के लिए विदेशी ऋणदाताओं के साथ सीधी वार्ता करने के लिए अनुमति देने पर सहमत हो गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). सरकार मामले पर विचार कर रही है।

(ङ) और (च). वाणिज्यिक विदेशी कर्ज के लिए निजी पार्टियों को विदेशी ऋण दाताओं के साथ सीधी वार्ता करनी होती है। लेकिन यह सरकार की स्वीकृति के अधीन है। इस उद्देश्य से सरकार द्वारा ऐसी स्वीकृति दिए जाने के संबंध में एक सुस्पष्ट नीति है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर जब्त की गयी नशीली औषध

1325. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमाशुल्क अधिकारियों ने इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, दिल्ली में भारी मात्रा में निषिद्ध औषधों की तस्करी के लिए एक सुसंगठित अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा कितनी नशीली औषधें जब्त की गयी ;

(ग) क्या सरकार ने देश में नशीली औषधों की तस्करी के समूचे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता ली है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अन्य विमान पत्तनों पर, जहां से आयात/निर्यात किया जाता है, इस प्रकार के गिरोहों पर अंकुश रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

विदेशों को ऋण

1326. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने किन-किन देशों को सहायता प्रदान की है और जिन कार्यों हेतु यह सहायता दी गई उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) देश को इन ऋणों की अदायगी किस रूप में की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने अंगोला, बांग्लादेश, भूटान, बोत्सवाना, कम्बोडिया, मालदीव, मारीशस, नेपाल, सेशल्स, श्रीलंका, सूरीनाम, वियतनाम और दक्षिणी अफ्रीका/नामिबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के वास्ते भी अनुदान/सहायता या ऋण/उधार प्रदान किए हैं। भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहकारिता कार्यक्रम (ई.टी.ई.सी.) और विशेष राष्ट्र मण्डल अफ्रीकी सहायता योजना (एस.सी.ए.ए.पी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों को अनुदान आधार पर तकनीकी सहायता भी प्रदान की गई।

भारत सलाहकार सेवाओं सहित भारत से मुख्यतः पूंजीगत सामान और उपस्करों की खरीद के लिए मित्र विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन देशों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे दूर-संचार, रेलवे, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, शिक्षा, बागवानी परिवहन, सिंचाई, विद्युत, उद्योग, डेयरी विकास, ग्रामीण विकास और प्रबन्धन इत्यादि में अनुदान और ऋण प्रदान किए गए।

(ख) इन ऋणों की वापसी अदायगी दो से तीन वर्षों की आरम्भिक छूट की अवधि सहित 10 से 15 वर्षों की अवधि में छमाही किश्तों में की जानी है।

हथकरघा क्षेत्र के लिए धनराशि

1327. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1992-93 में वर्ष 1991-92 की तुलना में कम धनराशि दी है ; ओर

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। यद्यपि वर्ष 1992-93 के दौरान वर्ष 1991-92 की तुलना में प्लान योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिक राशि जारी की गई जबकि गैर-प्लान योजनाओं के अंतर्गत कम राशि जारी की गई जैसा निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	प्लान	गैर-प्लान	कुल
1991-92	696.27	18613.77	19310.04
1992-93	2095.28	16217.75	18313.03

(ख) चूंकि राशि को राज्यवार आवंटित करने का कोई प्राविधान नहीं है अतः भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राशि जारी की जाती है। सरकार की नीति के अनुसार जनता कपड़ा योजना को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है इसलिए गैर-प्लान योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान जारी की गई राशि काफी कम थी।

इसी प्रकार वर्ष 1992-93 के दौरान गैर-प्लान योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि अर्थात हथकरघा कपड़े की बिक्री पर दी गई विशेष रिबेट/एम डी ए कम थी क्योंकि राज्य सरकारों ने अपने योगदान के लिए राशि नहीं रखी थी और साथ ही हथकरघा अभिकरणों ने कम क्लेम प्रस्तुत किए थे।

बिहार में किसानों द्वारा कृषि संबंधी ऋण की अदायगी

1328. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत बिहार में 10,000 रु. तक के कृषि ऋणों की कुल कितनी धनराशि माफ की गयी है ;

(ख) क्या राज्य में अनेक किसानों ने अपने ऋणों की अदायगी नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की राशि काफी बढ़ गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित किसानों से ऋण राशि की यथासंभव वसूली करने और उन किसानों पर ब्याज की बकाया राशि माफ करने का है जिन्होंने फरवरी से मई, 1993 तक कृषिगत ऋण की मूल धनराशि अदा कर दी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार राज्य में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए आर डी आर) योजना, 1990 के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 862.63 करोड़ रुपए के कृषि ऋणों को बट्टे खाते डाला गया है।

(ख) से (ङ). नाबार्ड ने सूचित किया है कि बिहार राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थितियों के कारण सभी ऋणों की वसूलियां निलम्बित कर दी है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में ऋणों और ब्याज के बट्टे-खाते डालने के किसी सामान्य नियम को रूप देने के पक्षधर नहीं हैं। बहरहाल, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने बैंकों को प्रभावित ऋणकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए स्थायी दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पावधि उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन करने, विद्यमान आवधिक ऋण किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना और फसल/निवेश ऋणों पर आधारित अतिरिक्त आवश्यकता का प्रावधान करना आदि की परिकल्पना की गई है।

गुजरात में खान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1329. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के खान श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सामूहिक बीमा योजना लागू करने और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत लाने का है ;

(घ) क्या सरकार खान दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले खान श्रमिकों को मुआवजा देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). गुजरात सहित सभी राज्यों में चूना पत्थर, और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान, और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, और माइका खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत इन खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को आवासीय, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन आदि संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) से (ङ). फिलहाल इन खान श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना चलाने अथवा उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रोजगार जनित चोट, जिसके कारण मृत्यु/अपंगता हो जाती है के लिए खान श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत शामिल किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत, प्रतिपूर्ति की अदायगी नियोक्ता द्वारा की जाती है। चूंकि प्रतिकर अधिनियम का संचालन संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा की गई प्रतिपूर्ति की राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

स्वदेशी पर्यटन

1330. **डा. सुधीर राय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जी, हां। इसके लिए कई स्कीमें हैं, यथा पर्यटन आधारिक संरचना का विकास, पर्यटक परिवहन का विकास, विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रों के लिए सहायता, खेल/साहसिक पर्यटन का विकास, पर्यटन आकर्षणों और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, स्वदेशी पर्यटन के लिए अभियान और पर्यटन का संवर्धन करने के लिए विपणन तथा प्रचार करने के वास्ते राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना जिसके तहत राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्यों को विशिष्ट प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता देती है जो उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं ओर धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वदेशी पर्यटन का विकास करने के उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए 20.20 करोड़ रु. दिए गए हैं।

बेरोजगार पी.एच.डी. तथा एम.फिल. स्कॉलर

1331. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार पी.एच.डी. तथा एम.फिल. स्कॉलरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कोई योजना बनायी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातकोत्तर योग्यताएं (पी. एच.डी. तथा एम.फिल. सहित) रखने वाले रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि, वे सभी बेरोजगार हों, 4.20 लाख थी। पी.एच.डी. तथा एम.फिल. स्कॉलरों संबंधी पृथक आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता।

(ख) से (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में ऐसे सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता है। भौगोलिक रूप से फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-कृषि तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं। विभिन्न परिकल्पित उपायों से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को भी लाभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

1332. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन से प्रखण्ड मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की दो से कम शाखाएं हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में भारतीय स्टेट बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह शाखाएं कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलबध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ). शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 13 शहरी केन्द्र आवंटित किये हैं। ये केन्द्र हैं: 1. बोकारो, 2. धनबाद, 3. रांची, 4. जमशेदपुर, 5. दरभंगा, 6. कटिहार, 7. मुजफ्फरपुर, 8. छपरा, 9. पटना, 10. आरा, 11. गया, 12. बिहारशरीफ और 13. भागलपुर। भारतीय स्टेट बैंक को अखिल भारतीय आधार पर 50 अर्द्धशहरी केन्द्र भी आवंटित किये गये हैं। भारतीय स्टेट बैंक बिहार राज्य सहित अपनी पंसद की जगहों पर उन्हें आवंटित कोटे के भीतर अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने के लिये स्वतंत्र है। इस उद्देश्य के लिए बैंक को कोई राज्यवार कोटा आवंटित नहीं किया गया है। जहां तक ग्रामीण केन्द्रों का प्रश्न हैं, बैंक को 4 लाइसेंस आवंटित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शाखा लाइसेंसिंग नीति 1985-90 के अंतर्गत जारी किये गये 41 लाइसेंस भारतीय स्टेट बैंक के पास लम्बित पड़े थे जिसका अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के कारण बैंक द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका। यद्यपि इन लाइसेंसों को दिनांक 1.4.1993 से समाप्त हो गया मान लिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को सम्बद्ध केन्द्रों पर परिसरों इत्यादि का अंतिम रूप से चयन करने के पश्चात् लाइसेंस जारी किये जाने के वास्ते नये सिरे से सम्पर्क करने को कहा है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों में कीटनाशक दवाइयों के अवशेष

1333. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को भारत से आयातित कृषि उत्पादों में अधिकतम कीटनाशक दवाइयों के अवशेष मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख). सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एफ डी ए द्वारा काजूगिरी तथा मसालों की खेपों को बी एच सी की मौजूदगी के कारण रोका गया।

(ग) वस्तु बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषदें तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसियां शैक्षिणिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है, इस विषय पर आवश्यक जानकारी भेजती रही है, संसाधनों तथा निर्यातकों को विश्लेषणात्मक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती रही है और दूरदर्शन तथा रेडियों जेसे प्रचार माध्यमों के जरिए कार्यक्रम प्रसारित करती रही है।

अधिक मूल्य वाले करेंसी नोटों की कमी

1334. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक मूल्य वाले करेंसी नोटों की भारी कमी है ;

(ख) क्या बड़ी संख्या में कम मूल्य वाले पुराने तथा कटे-फ़टे करेंसी नोट प्रचलन में हैं ;

(ग) क्या सरकार कमी को पूरा करने के लिए कम मूल्य वाले गंदे करेंसी नोटों को फिर से प्रचालित कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) क्षमता संबंधी गतिरोधों को देखते हुए, देवास और नासिक में विद्यमान नोट प्रिंटिंग मुद्रणालय भारतीय रिजर्व बैंक की उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की मांग को पूरा करने में सक्षम हैं।

(ख) एक रुपए, दो रुपए तथा पांच रुपए के नोटों का चरणबद्ध रूप में सिक्काकरण करने के सरकार के निर्णय को देखते हुए इन मूल्यवर्गों के ताजा नोटों का उत्पादन घटा दिया गया है, इसलिए, परिचालन में लगे नोटों का स्तर कुछ सीमा तक खराब हो गया है।

(ग) और (घ). कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को पुनः परिचालित किए जा सकने वाले मेले कुचैले नोटों को अधिकाधिक संख्या में एकत्र करके और उन्हें पुनः परिचालित करते हुए मैले कुचैले नोटों को फिर से परिचालित करना पड़ता है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1335. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और देश में अन्य विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए भारत को कोई ऋण सहयोग दिया है ;

(ख) यदि, हां तो दी गई धनराशि और जिन परियोजनाओं के लिए ऋण दिए गए हैं उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त ऋण का अब तक उपयोग नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) किन-किन परियोजना विशेष के लिए अब तक उक्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा और उसके लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). जर्मन सरकार भारत सहायता संघ के समय वार्षिक रूप से विकास परियोजनाओं, जिनमें गरीबी उन्मूलन पर लक्षित परियोजनाएं भी शामिल हैं के लिए वित्तीय सहयोग निधि देने की वचनबद्धता करती है। यह धनराशि गत कुछ वर्षों से 350-400 मिलियन ड्यूश मार्क के लगभग रही है। भारत सरकार और जर्मन सरकार की विस्तृत मंजूरी के बाद परियोजनाओं के लिए विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसके बाद धनराशि निकाली जाती है। इस प्रकार वचनबद्ध की गई धनराशियां कार्यान्वयन-अनुसूची जो विशिष्ट तरीके से 5-7 वर्षों तक चलती है के आधार पर निकाली जाती है। अतः किसी भी दिन विशेष को न निकाली गई उपयोग में न लाई गई धनराशि हमेशा मौजूद रहेगी। अब तक हस्ताक्षरित और जर्मनी से प्राप्त ऋण सहायता से लागू की जा रही परियोजनाओं हेतु अभी निकाली जाने वाली राशि 30.9.93 को 1016.696 मिलियन ड्यूश मार्क तक थी। इन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण "क" में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जर्मनी ने 908.6 मिलियन ड्यूश मार्क के जर्मन ऋण के साथ 15 परियोजनाओं में रुचि दिखाई है जिनके लिए अभी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। ये परियोजनाएं अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों पर हैं। इस धनराशि का उपयोग अलग-अलग परियोजनाओं, जिनके लिए धनराशि वचनबद्ध की गई है, के चरणों और जटिलताओं पर निर्भर करेगा। इन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण "ख" में दिया गया है।

विवरण-क

(आंकड़े मिलियन ड्यूश मार्क में)

परियोजना	कुल धनराशि	समापन तिथि	शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. एन.एल.सी-2	517.00	31.12.94	11.534	परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। 11.534 मिलियन ड्यूश मार्क की शेष धनराशि में से, परियोजना के लिए 7.1 मिलियन ड्यूश मार्क की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए एन.एल.सी. ने वैकल्पिक परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है।
2. कोरबा सुपर ताप विद्युत संयंत्र (एस.टी.पी.पी.)	173.80	30.12.90	34.445	परियोजना पूर्ण हो चुकी है। शेष धनराशि "एश डिपॉजिट फैसिलिटी" परियोजना के लिए है जिस पर जर्मनी के साथ विचार किया जा रहा है।
3. रामागुन्डम एस.टी.पी.पी.	145.00	31.12.91	24.407	परियोजना पूर्ण हो चुकी है। शेष धनराशि को शुष्क भस्म (ड्राई एश) निपटान परियोजना को अनुरूपान्तरित करने के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर जर्मनी के साथ विचार किया जा रहा है।
4. एन.एल.सी.-3	520.00	31.12.96	55.050	परियोजना के 31.12.96 तक पूर्ण होने की संभावना है।
5. पशु-पालन	6.00	31.12.93	0.490	परियोजना पूर्ण हो चुकी है। शेष धनराशि गौण उपकरणों के लिए है।

1	2	3	4	5
6. मध्य प्रदेश जल आपूर्ति	45.00	31.12.95	45.00	पहले परियोजना कुछ मुद्दों के कारण रुक गई थी जिन्हें अब सुलझा लिया गया है। परियोजना के दिसम्बर, 95 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।
7. हैवी ड्यूटी ब्रेक डाउन क्रेन्ज़	31.00	31.12.90	4.052	परियोजना पूर्ण हो चुकी है। शेष धनराशि अतिरिक्त कल-पुर्जों के लिए है।
8. फरक्का एस.टी.पी.पी.	54.415	31.12.94	27.876	परियोजना के दिसम्बर, 94 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।
9. राजस्थान लघु सिंचाई	12.300	31.12.95	8.196	शेष धनराशि के दिसम्बर, 95 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।
10. रामागुण्डम गहन खनन	172.388	31.12.95	123.223	परियोजना पूर्ण होने में तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ है और बढ़ाई गई समापन तारीख अर्थात् दिसम्बर, 95 में सम्पन्न होने की आशा है।
11. एच.डी.एफ.सी.-1	25.00	31.12.93	4.00	समापन तारीख तक परियोजना के पूरा हो जाने की संभावना है।
12. दादरी विद्युत परियोजना	484.90	31.12.94	96.282	परियोजना के समापन तारीख तक पूरा हो जाने की आशा है।

1	2	3	4	5
13. उरण संयुक्त परिचक्र	310.00	30.9.94	74.151	परियोजना के सितम्बर, 95 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। के.डब्ल्यू.एफ. से समापन तारीख को बढ़ाने के लिए कहा गया है।
14. रेलवे निवेश कार्यक्रम	77.70	31.12.93	77.358	परियोजना के दिसम्बर, 93 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। केवल 21 मिलियन ड्यूश मार्क की परियोजना के लिए आवश्यकता है। शेष धनराशि के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया है।
15. लिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	55.00	31.12.2000	55.00	परियोजना के समापन तारीख तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
16. उर्वरक-2	60.00	31.2.94	60.00	यह उर्वरकों के आयात के लिए ऋण-रेखा है। समस्त धनराशि के दिसम्बर, 94 तक उपयोग कर लिए जाने की आशा है।
17. पूंजीगत वस्तुओं के आयात	21.00	31.12.94	0.99	शेष धनराशि के जल्द ही उपयोग कर लिए जाने की आशा हैं।
18. आई.सी.आई.सी.आई.	134.60	30.6.96	60.896	ऋण-रेखा, आई.सी.आई.सी.आई. के उधारों (ऑनलैण्डिंग्स) वित्त व्यवस्था के लिए है। शेष राशि के समापन तारीख तक उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

1	2	3	4	5
19. आई.एफ.सी.आई. के लिए ऋण-रेखा	105.00	31.12.95	43.809	ऋण-रेखा आई.एफ.सी.आई. के उधारों (ऑनलैण्डिंग्स) की वित्त व्यवस्था के लिए है। शेष राशि के समापन तारीख तक उपयोग कर लिए जाने की आशा है।
20. एन.एस.आई.सी. के लिए ऋण-रेखा	10.0	31.12.94	9.305	ऋण-रेखा एन.एस.आई.सी. के उधारों (ऑनलैण्डिंग्स) की वित्त व्यवस्था के लिए है। शेष राशि के दिसम्बर, 94 तक उपयोग कर लिए जाने की आशा है।
21. राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण	260.0	31.12.95	204.628	परियोजनांतर्गत शेष राशि के समापन तारीख तक उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

विवरण-ख

विचाराधीन परियोजनाओं की सूची

क्रं.सं.	परियोजना का नाम	राशि (मिलियन ड्यूश मार्क में)
1.	चीनीकुरी गर्त खनन	65.00
2.	ऊर्जा निवेश कार्यक्रम	66.40
3.	राजस्थान जल आपूर्ति	40.00
4.	पश्चिम बंगाल जल आपूर्ति	30.00
5.	एन.एल.सी. विस्तार	217.70
6.	पश्चिम बंगाल वानिकी	5.00
7.	नाबार्ड पुनर्वित्त प्रबन्ध	10.00
8.	सिडबी के लिए ऋण-रेखा	35.20
9.	उरण-III	150.00
10.	एन.एल.सी.-III	12.00
11.	राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि	50.00
12.	संरचनात्मक समायोजन ऋण	110.00
13.	उर्वरक-III	60.00
14.	राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण	27.30
15.	नाबार्ड-VI	30.00
	योग :	908.6

नये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

1336. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी.एस. रामनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति ने नये अंतर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डों के निर्माण की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस संबंध में कौन से स्थलों का चयन किया ;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) इन हवाई अड्डों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). बंगलौर के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया हवाई अड्डा निर्मित करने की संभाव्यता की जांच करने हेतु श्री एस. रामानाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने नये हवाई अड्डों के निर्माण के लिये देवानाहाली के दक्षिण में एक स्थल की सिफारिश की है। यह स्थल येलाहान्का से 23 कि.मी. और बंगलौर सिटी केन्द्र से 40 कि.मी. पर स्थित है।

इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं की जांच की जानी है।

वैट-लीज पर लिए गए विमान

1337. **श्री हरिन पाठक :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइंस द्वारा वैट-लीज पर विमान लिए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

मत्स्यन पोतों की खरीद हेतु ऋण

1338. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछली तथा अन्य मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मत्स्यन पोतों की खरीद, प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु तथा उपस्करों का शुल्क मुक्त आयात करने के लिये ब्याज की कम दरों पर ऋण उपलबध कराती है ;

(ख) यदि हां, तो कौन से संस्थान ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) उड़ीसा में ऐसे संस्थानों की संख्या कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान उन्हें कितना ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, नहीं। अलबत्ता, सरकार गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के पोतों के अर्जन के लिए एस.सी.आई.सी.आई. द्वारा किए गए रुपया ऋणों पर ब्याज सब्सिडी और कोल्ड चेन तथा टूना एवं अन्य मछलियों के संसाधन के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान-सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

भारत और इजरायल के बीच व्यापार संबंध

1339. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजरायल के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कोई बैठक आयोजित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और इजरायल के बीच अनेक बैठकें हुई हैं। दोनों देशों के गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच परस्पर संपर्कों में भी वृद्धि हुई है। भारत और इजरायल के बीच परस्पर आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित एवं समझौता ज्ञापन पर भी 17 मई, 1993 को हस्ताक्षर किए गए। भारत के साथ इजरायल का व्यापार 1991-92 के दौरान 317.86 करोड़ रु. का था जो वर्ष 1992-93 के दौरान बढ़कर 660.24 करोड़ रु. हो गया।

गुजरात में जीवन बीमा निगम की शाखाएं

1340. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1993 को गुजरात में डिवीजन-वार जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं कार्यरत थीं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में निगम द्वारा डिवीजन-वार किए गए लेन-देन, अर्जित लाभ और किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न बीमा योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात के और अधिक लोगों को लाने तथा निगम द्वारा पूंजी निवेश में वृद्धि किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) अपेक्षित सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किए गए कारोबार का मंडल-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। जीवन बीमा निगम के मामले में वार्षिक अधिशेष मूल्यांकन समग्र रूप से किया जाता है न कि राज्य-वार। वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के लिए किए गए मूल्यांकन के अनुसार निवल अधिशेष क्रमशः 1800.10 करोड़ रुपए, 2108.20 करोड़ रुपए तथा 2368.32 करोड़ रुपए (अनन्तिम) था। ये निवेश मंडलों द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि निगमित कार्यालय द्वारा किए जाते हैं।

भारती जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान गुजरात में क्रमशः 226.44 करोड़ रुपए, 258.70 करोड़ रुपए तथा 243.00 करोड़ रुपए के निवेश किए गए।

(ग) जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव है कि अधिक शाखाएं खोल कर, अपनी पालिसियों का प्रचार करके तथा गुजरात राज्य में सामूहिक बीमा योजनाओं का विस्तार करके, अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न बीमा योजनाओं में सम्मिलित किया जाए।

विवरण-1

31.3.93 की स्थिति के अनुसार गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यरत शाखाओं की मंडल-वार संख्या

मंडल	शाखाओं की संख्या
अहमदाबाद	29
गांधी नगर	25
बड़ोदरा	16
राजकोट	18
भावनगर	10
सूरत	21
नाडियाड	17
जोड़	136

विवरण-2

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान गुजरात में किया गया मंडलवार कारोबार

मंडल	पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (करोड़ रुपए)	प्रीमियम आय (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91			
अहमदाबाद	160320	538.12	128.51
गांधी नगर	118941	375.04	78.68
राजकोट	155763	429.30	97.59
सूरत	113267	422.54	93.13
बड़ोदरा	112117	352.54	82.14
1991-92			
अहमदाबाद	180690	643.12	158.02
गांधी नगर	132021	459.61	99.88
राजकोट	119514	356.03	120.99
सूरत	117776	462.12	111.21
बड़ोदरा	128021	456.72	102.67
भावननगर (नई शाखा)	43859	138.50	(राजकोट मंडल के 1991-92 के आंकड़ों में सम्मिलित)
1992-93			
अहमदाबाद	177965	664.67	183.87
गांधी नगर	135878	488.16	117.88
राजकोट	124691	403.26	105.78
सूरत	117980	472.15	128.82

1	2	3	4
बड़ोदरा	144461	572.29	123.14
भावनगर	45622	162.24	37.40

[अनुवाद]

औद्योगिक संबंध संबंधी कानून में संशोधन

1341. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक संबंध संबंधी कानून में रोजगार संरक्षण से रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन लाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित कानून में इस प्रयोजनार्थ किये जाने वाले संशोधनों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). "नये औद्योगिक संबंधी विधान" पर रामानुजम समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा विभिन्न मंचों पर किये गये विचार-विमर्श, व औद्योगिक पुर्नसंरचना पर अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए गये हैं। विधि-मंत्रालय की सलाह से इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करना है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार

1342. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल सहित विभिन्न शहरों में खुलेआम चलाये जा रहे विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1343. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार की विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है_अथवा उसके द्वारा यह स्वीकृति दे दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी हां, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में परियोजनाओं के विकास के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों प्रकार के स्त्रोतों से विदेशी सहायता के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित की गई परियोजनाओं और ऋण राशि की राज्यवार सूची विवरण-1 पर स्थित है।

(ख) और (ग). आनेवाली परियोजनाओं (पाइप लाइन प्रोजैक्ट्स) की परियोजनावार और राज्यवार सूची विवरण-2 पर हैं।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना और राज्य का नाम		ऋण राशि	करार की तारीख	दाता अभिकरण
1.	दून घाटी एकीकृत जल विभाजक (उ.प्र.)		22.5 मिलियन	3.12.91	ईसीईसीयू
2.	झींगा और मछली पालन (उ.प्र. और बिहार)	अमरीकी डालर	85 मिलियन	29.1.92	विश्व बैंक
3.	बिहार पठार विकास परियोजना (बिहार)	अमरीकी डालर	117 मिलियन	17.12.92	विश्व बैंक
4.	यू पी सोडायुक्त भूमि सुधार परियोजना (उ.प्र.)	अमरीकी डालर	54.7 मिलियन	24.6.93	विश्व बैंक
5.	अनपारा "ख" तापीय विद्युत परियोजना (उ.प्र.)	येन	13224 मिलियन	3.12.92	ओ ई सी एफ
6.	अनपारा पारेषण परियोजना (उ.प्र.)	येन	19318 मिलियन	13.6.91	ओईसीएफ
7.	इस्पात आफ स्टेटिक वार कम्पेन्सेशन (उ.प्र.)	फ्रैंच फ्रांक	96 मिलियन	22.12.92	फ्रांस
8.	उ.प्र. बुनियादी शिक्षा (यू.पी.)	अमरीकी डालर	165 मिलियन	7.7.93	विश्व बैंक
9.	आई सी डी एस II (उ.प्र. और बिहार)	अमरीकी डालर	194 मिलियन	23.3.93	विश्व बैंक
10.	परिवार कल्याण सेवा परियोजना का नवीनीकरण (उ.प्र.)	अमरीकी डालर	100 मिलियन	30.9.93	यूएसएआईडी

विवरण-2

उ.प्र. और बिहार राज्य के लिए आने वाली परियोजनाएं (पाइप लाइन प्रोजैक्ट्स)

क्र.सं.	परियोजना और राज्यों के नाम	दाता अभिकरण
1.	चम्बल चरण-II में एकीकृत जल विभाजक प्रबंध	ई ई सी
2.	यू.पी. उप परियोजना VII (उ.प्र.)	नीदरलैण्ड्स
3.	यू.पी. उप परियोजना VIII (उ.प्र.)	--तदैव--
4.	बुंदेलखण्ड में भूतल जल भण्डारण (उ.प्र.)	--तदैव--
5.	उ.प्र. वानिकी परियोजना (यू.पी.)	यू.के.
6.	कोयला क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (बिहार)	यू एन डी पी
7.	बोकारों इस्पात संयंत्र के लिए भट्टियों का पुनः उष्मीकरण (बिहार)	फ्रांस
8.	उ.प्र. ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणात्मक सफाई परियोजना (उ.प्र.)	विश्व बैंक
9.	द्वितीय उ.प्र. शहरी विकास परियोजना (उ.प्र.)	विश्व बैंक
10.	मोतियाबिन्द अन्धत्व नियंत्रण परियोजना (उ.प्र.)	विश्व बैंक
11.	कुष्ठ नियंत्रण परियोजना (उ.प्र. और बिहार)	विश्व बैंक
12.	सड़क नेटवर्क के अंतराल को पूरा करना	विश्व बैंक

[अनुवाद]

शेयर दलालों के परिसरों पर छापा

1344. **डा. वसंत पवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान कई प्रमुख शेयर दलालों के परिसरों पर छापा मारा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के दौरान प्रत्येक दलाल से जब्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इन शेयर दलालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, हां। तलाशी लिए गए व्यक्तियों और लेखों में दर्ज न की गई उनसे पकड़ी गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं।

तलाशियों के दौरान पकड़ी गई सामग्रियों और प्राप्त सूचना के आधार पर अनुवर्ती जांच के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई हैं।

विवरण

क्रं.सं.	नाम	अभिगृहीत की गई लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य
		(लाख रु. में)
1.	श्री उमेश चंद्र अग्रवाल, दिल्ली	1.55
2.	मै. शुभ लक्ष्मी मर्केन्टायल लि., दिल्ली तथा बंबई	8.71
3.	अग्रवाल समह (मै. गणपति एक्सपोर्टस लि., कलकत्ता)	
4.	श्री रतन के. जासरासारिया, कलकत्ता	26.67
5.	श्री बृजमोहन शारदा, कलकत्ता	306.06
6.	श्री अनिल नरेन्द्र शाह, अहमदाबाद	2.45
7.	श्री समीर जयन्तीलाल शाह, अहमदाबाद	52.51
8.	मै. सुभाष दलाल फाइनेंसियल कन्सलटेंट लि., बड़ौदा तथा बंबई	89.58
9.	मै. एच.एम. देसाई शेयर्स एंड फाइनेंस कन्सलटेंट प्रा.लि., अहमदाबाद	10.45
10.	रसिक लाल जी. शाह, अहमदाबाद	30.68
11.	मै. के. के. वासा एंड कंपनी, अहमदाबाद	44.32
12.	श्री राजेश अनोभाई शाह, अहमदाबाद	167.28
13.	श्री चमन लाल लालभाई समूह, अहमदाबाद	61.50
14.	मै. दीपकुमार त्रिवेदी एसोसिएट्स, भोपाल	--

15. मै. चक्रवर्ती एंड कंपनी, हैदराबाद	13.61
16. श्री भूपेन दलाल समह, बंबई	--
17. श्री एच.के. दलाल, बंबई	338.82
18. श्री हितेन पी. दलाल, बंबई	
19. श्री अनिल एन. शाह, बंबई	0.99
20. मै. श्रीकांत जी. मंत्री, बंबई	1.56
कुल :	1156-74

राज्यों के उत्पाद मंत्रियों की समिति

1345. **श्री एन. डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद-मामलों संबंधी राज्यों की विधियों, विनियमों की समीक्षा के लिए राज्यों के उत्पाद मंत्रियों की किसी समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंकों के निदेशक बोर्ड के सदस्यों द्वारा हड़ताल में भाग लेना

1346. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग के निदेशक बोर्ड के सदस्यों ने सितम्बर, 1993 के दौरान हड़ताल का आह्वान किया था और उसमें भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने ऐसे सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इन बैंकों के बोर्डों के अधिकांश कर्मकार और अधिकारी निदेशकों ने सितम्बर 1993 के दौरान हुई हड़ताल(लों) में भाग लिया था जिसके लिए उनकी संबद्ध यूनियनों/एसोसिएशनों ने अपनी अन्य मांगों के साथ-साथ पेंशन संबंधी लाभों की मांगों के समर्थन में हड़ताल का आह्वान किया था। बैंकों से कहा गया था कि वह अन्य बातों के साथ-साथ अपने उन कर्मचारियों के उस दिन/उन दिनों के वेतन में कटौती करें जिस दिन/जिन दिनों वे हड़ताल पर रहे।

बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास

1347. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बोधगया, नालन्दा, राजगीर तथा वेशाली पर्यटन केन्द्रों के संबंध में बिहार सरकार के पास प्रारूप योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रारूप योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बोध यात्रा परिपथों के विकास के लिए 9.244 बिलियन जापानी येन की राशि की वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 को जापान सरकार के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। बोधगया नालन्दा, राजगीर तथा वैशाली सहित बिहार राज्य में परियोजना के मुख्य घटक हैं - राजमार्गों को सुदृढ़ करना, आन्तरिक सड़कों का सुधार करना, भू-दृश्यांकन, दूरसंचार, जल और विद्युत की आपूर्ति करना और बोधगया में होटलों की स्थापना करना।

मध्य प्रदेश में बैंक

1348. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एक बैंक ब्रांच के अन्तर्गत कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है ;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). मध्य प्रदेश में विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा कवर किये गये वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उक्त राज्य में प्रति बैंक कार्यालय

औसत आबादी (ए पी पी बी ओ) 12000 है जो 11000 के अखिल भारत प्रति बैंक कार्यालय औसत आबादी के करीब है। शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के अन्तर्गत 72 शहरी केन्द्रों की पहचान राज्यों में शाखाएं खोलने के लिये की गई हैं। बैंकों को अखिल भारत स्तर पर आवंटित कोटे के भीतर अपनी पसंद के अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है। जहां तक ग्रामीण केन्द्रों में बैंक शाखायें खोलने का संबंध है, बैंकों को सलाह दी गई है कि संबंधित राज्य सरकार के संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा विधिवत सिफारिश किये गये उनके प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा।

हवाई अड्डों से माल की ढुलाई

1349. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केवल उन हवाई अड्डों से माल ढुलाई की अनुमति देने का है जो कुछ महत्वपूर्ण बाजारों के निकट स्थित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। कार्गो उड़ानों के संबंध में एक मुक्त आकाश नीति अपनाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में इस समय किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रुई का निर्यात

1350. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के लिए रुई के निर्यात की क्या संभावना है ;

(ख) क्या 1993-94 के लिए रुई के निर्यात का कोटा जारी कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय कपास निगम द्वारा निर्यात हेतु रुई के कितने गट्ठों का आवंटन किया गया है ; और

(घ) अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्यात हेतु कितनी मात्रा में रुई का नियतन किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). कपास निर्यात की सरकार की वर्तमान नीति के अनुसरण में सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए 5 लाख गांठों का निर्यात कोटा रिलीज किया है, इसमें प्रत्येक गांठ का वजन 170 किग्रा. है।

(ग) भारतीय कपास निगम को निर्यात के लिए आवंटित की गई कपास की कुल गांठे 120 लाख गांठे हैं इसमें प्रत्येक गांठ का वजन 170 किग्रा. है।

(घ). अन्य सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्यात के लिए आवंटित कपास की मात्रा निम्नलिखित है :

		मात्रा लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.
1.	निजी व्यापार सहित सभी के लिए बंगाल देशी	1.00
2.	संस्थानों के लिए लंबे रेशे वाली कपास	
	भारतीय कपास निगम	1.20
	महाराष्ट्र संघ	0.50
	गुजरात संघ	0.40
	आन्ध्र प्रदेश संघ	0.10
	आन्ध्र प्रदेश गिरिजन संघ	0.05
	पंजाब स्पिनफैड	0.50
	हरियाणा संघ	0.25
	राजस्थान संघ	0.20
	नेफेड	0.50
	पंजाब मार्फेड	0.30

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में कपड़ा मिलें

1351. **श्री प्रेम चन्द्र राम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर तथा आजमगढ़ जिलों में कुछ और कपड़ा मिलें स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन क्षेत्रों में फिलहाल कार्यरत कपड़ा मिलें कितनी हैं ;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कपड़ा मिलों को बंद किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.8.1993 को बिहार में 9 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें तथा उत्तर प्रदेश में 55 मिलें थीं।

(घ) और (ङ). सरकारी क्षेत्र में वस्त्र मिलें अपनी स्थापना से ही भारी घाटा उठा रही हैं। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों की लागत पर अनिश्चित काल तक इन भारी घाटों को वहन करती रहे। इसलिए सरकार ने एन टी सी तथा बी आई सी की वस्त्र मिलों के लिए सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के मूल तत्वों में चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनर्सचना तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से फालतू कर्मचारियों का सुव्यवस्थीकरण करना शामिल है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय क्षमता की लाइनों पर सर्वांगीण सुधार करने के लिए गैर-अर्थक्षम कार्यकलापों/अनुभागों/एककों को छोड़ना होगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस

1352. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के लिए वेतन की सीमा 2500/- रु. से बढ़ाकर 3500/- रु. करने का कोई प्रस्ताव था

(ख) यदि हां, तो अंततः सीमा न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सीमा कब तक बढ़ाई जाएगी जैसा कि रेल कर्मचारियों के मामले में किया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). रेलवे कर्मचारियों के अलावा उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के अधीन आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिए परिलब्धियों की पात्रता सीमा बढ़ाकर 3500/- रु. कर दी है। रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की पात्रता की सीमा 4500/- रु. तक बढ़ा दी है। जिन कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिया जा रहा है उनके लिए 2500 रु. की सीमा ही जारी रखी गई है। इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सीमा में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। ये निर्णय सितम्बर, 1993 में हुई राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर निकले निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए किए गए थे।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1353. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों में भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण की नीति अपनाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो बैंकों में इस नीति के कार्यान्वयन को कौन प्राधिकारी सुनिश्चित करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). सहकारी बैंक राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। अतः अ.जा./अ.ज. जा. के लिये आरक्षण सहित उनके प्रबन्धन संबंधी नीति पर राज्य सरकार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से कार्रवाई करती है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सुपुर्द की गयी राजस्थान की कपड़ा मिलें

1354. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं ;

(ख) रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या क्या है और उनमें से कितनी मिलों को बंद कर दिया गया है ;

(ग) उनमें से ऐसी मिलों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सुपुर्द किया गया है ;

(घ) ऐसी मिलें कितनी हैं जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की पुनर्वास योजना के अंतर्गत चल रही है ;

(ङ) उन मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है जो अभी तक बंद पड़ी हैं और जिनका निपटारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है ; और

(च) सरकार ने इन मिलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). 31.03.1993 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में कपड़ा आयुक्त कार्यालय में 34 कपड़ा/मानव निर्मित रेशे वाले कपड़ा मिल पंजीकृत थे। दिनांक 31.10.1993 की स्थिति के अनुसार राज्य में पांच मिलों को अस्थाई आधार पर बंद करने की सूचना दी गई थी।

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि जनवरी 1991 से नवम्बर 1993 के दौरान राजस्थान में बाइफर में कोई कपड़ा मिल पंजीकृत नहीं किया गया है।

(घ) से (च). 1987 से 1990 की अवधि के दौरान 12 मिलें बाइफर के पास पंजीकृत की गई। इनमें से, छः मामले पुनरुद्धार के तहत हैं, चार मामलों की सिफारिश समापन करने के लिए की गई है और दो मामलों को न चलाये जाने योग्य मानकर खारिज कर दिया गया।

तमिलनाडु में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना

1355. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से राज्य में सिंगापुर और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति हेतु तमिलनाडु की सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सेबी को प्राप्त शिकायतें

1356. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान अब तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) सेबी ने इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है ;

(ग) क्या बड़ी संख्या में शिकायतों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या और स्वरूप संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) "सेबी" सभी शिकायतों को उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित कंपनियों और उनके मध्यवर्तियों के साथ तत्परता से उठा रहा है। निवेशक की शिकायतों से संबंधित कार्य को 1 मार्च, 1993 से "सेबी" में पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1992 और 1993 के दौरान अब तक "सेबी" द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या और स्वरूप

वर्ष	श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	श्रेणी-IV	कुल
1992	2,18,838	21,502	67,443	17,332	3,25,115
1993 (नवम्बर तक)	3,20,888	34,059	1 12,494	19,766	4,87,207

श्रेणी-I : वापसी आदेश/आबंटन सूचना/स्टाक इन्वेस्ट की प्राप्ति न होना।

श्रेणी-II : शेयरों/डिबेचरों/सावधि जमाओं पर लाभांश/व्याज की प्राप्ति न होना, डिबेचरों की प्रतिदान राशि तथा सावधि जमाओं की परिपक्वता राशि का प्राप्त न होना।

श्रेणी-III : अन्तरण/प्रेषण/परिवर्तन/पृष्ठांकन/समेकन/पृथक्करण के वाद शेयर/डिबेंचर प्रमाणपत्रों का प्राप्त न होना।

श्रेणी-IV : वार्षिक रिपोर्टों/राइट्रस आवेदन पत्रों/बोनस शेयरों/विलम्बित वापसी आदि के मामले में अतिकालदेय अवधि के लिए ब्याज की प्राप्ति न होना और अन्य विविध मामले।

[हिन्दी]

प्रसूति अवकाश सुविधा

1357. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **श्रम मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरी संतान के जन्म पर प्रसूति अवकाश सुविधा प्रदान न करने का है, जैसे कि 25 नवम्बर, 1993 के "जनसत्ता" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). महिला कर्मकारों को प्रसूति

लाभ दो जीवित बालकों तक ही सीमित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं। अतः ब्यौरा प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय में वर्तमान नीति/प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी समिति

1358. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक नीति में बदलाव के अनुरूप सरकारी खरीद के वास्ते आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा एक स्थापित आदर्श के रूप में कार्य करने हेतु अपनाई जा रही नीति/प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कोई समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की संरचना और विचारणीय विषयों से संबंधित, पूर्ति विभाग का दिनांक 14.9.1993 का ज्ञापन विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ). विभाग के दिनांक 14.9.1993 के उक्त ज्ञापन के अनुसार, समिति द्वारा उसकी सिफारिशें सरकार को चार माह के भीतर प्रस्तुत की जानी हैं। सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

सं. पी-3-24(5)/93

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

पूर्ति विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक, 14 सितम्बर, 1993

ज्ञापन

विषय : **वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा–एक पुनरीक्षा ग्रुप का गठन किया जाना।**

भारत सरकार की नई उदार आर्थिक नीति के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, पिछले कुछ समय से प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत और सरल बनाने पर जोर दिया गया है। पूर्ति विभाग में भी, कुछ समय से वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन और उन्हें अद्यतन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस बारे में, समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अभिवेदन भी प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन के रूप में कार्यरत पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा अपनाए जा रहे नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कहा जाता रहा है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्ति विभाग, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसके लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाए :

(1)	महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) और पदेन अपर सचिव	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त सचिव, पूर्ति विभाग	सदस्य
(3)	वित्तीय सलाहकार, पूर्ति विभाग	सदस्य
(4)	मुख्य लेखा नियंत्रक, पूर्ति विभाग	सदस्य
(5)	रेल मंत्रालय से एक प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	रक्षा मंत्रालय से एक प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	शहरी विकास मंत्रालय से एक प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि	सदस्य
(9)	सरकारी उद्यम विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	निदेशक (समन्वय), पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय	सदस्य सचिव

जब कभी आवश्यक समझा जाए तो संबंधति क्षेत्रों का अपेक्षित अनुभव/जानकारी रखने वाले संबंधित संगठनों/संघों के गैर सरकारी सदस्यों को इसमें सहयोजित कर, समिति उनके विचारों का लाभ ले सकती है।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :

(1) उदारीकरण की नई आर्थिक नीति के कारण पैदा हो रहे आर्थिक वातावरण के अनुरूप और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के लिए, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली तदर्थ खरीददारी के विकेन्द्रीकरण को भी ध्यान में रखते हुये, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली खरीद के मामलों में प्रक्रिया और नीति परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देना।

(2) उपर्युक्त (1) के तहत निर्दिष्ट परिवर्तनों के अनुरूप—

(क) हरीत कार्यो में दक्षता, मितव्ययिता और तेजी लाने का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की आपूर्ति, निरीक्षण और निपटान कार्यो के लिये कार्यालय प्रक्रिया की मौजूदा नियमपुस्तिका को सरल बनाना,

(ख) विलंब को दूर करने और लिखा पढ़ी (पेपर तर्क) को कम करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा और सरकार की ओर से खरीद कार्यो के लिए वित्तीय भुगतान की पद्धति और प्रक्रिया में सुधार लाने के बारे में सुझाव देना।

(3) विशिष्ठ विवरण (स्पेसीफिकेशन), निरीक्षण, पंजीकरण, परीक्षण, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का पुनर्गठन, आदि जैसा कोई अन्य संवद्ध विषय।

3. समिति को 4 महीनों के अंदर ही सौंपा गया कार्य, पूरा कर देना चाहिए और सरकार को विचार के लिये, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

ह./-
(ए. रामास्वामी)
भा.प्रशा.से.
दूरभाष : 3018486

सेवा में,

समिति के सभी सदस्य

प्रति :- सचिव (पूर्ति) के निजी सचिव।

भारतीय टेरी तौलियों की निर्यात संभावना

1359. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेरी तौलियों की अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में अत्यधिक मांग है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान भारत से प्रतिवर्ष कितने मूल्य के टेरी तौलियों का किन-किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) क्या मल्टीफाइबर अरेन्जमेंट (एम.एफ.ए.) के अंतर्गत भारत को दिये गये कोटे में से अधिकांश कोटे का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि देश में उत्पादित वस्त्रों का केवल बहुत कम प्रतिशत निर्यात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इस समय भारत प्रतिवर्ष कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात करता है तथा कम निर्यात करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारतीय वस्त्रों, विशेष रूप से टेरी तौलियों का निर्यात बढ़ाने के लिए तथा निर्यात की अधिक संभावना को देखते हुए इसके लिए नये बाजार का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत से टेरी टावलों का निर्यात निम्न प्रकार था :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1990-91	48.44
1991-92	55.90
1992-93	100.10

स्त्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद।

निर्यात का 90% से अधिक भाग यू.एस.ए., यू.के., फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, रूस, डेनमार्क और ग्रीस को किया जाता है। यू.एस.ए. और ई.ई.सी. में टेरी टावल कोटा प्रतिबंधों के अधीन हैं। जनवरी-अक्टूबर, 1993 के दौरान यू.एस.ए. में कोटा उपयोग 91% था जबकि ई.ई.सी. में 48% था। ई.ई.सी. में कम उपयोग इस कारण से हुआ कि यहां पर कोटा 1992 में ही आरम्भ किया गया था।

(ङ) वस्त्र उद्योग को टेरी तौलियों के निर्यात की भारी संभावनाओं से अवगत करा दिया गया था और हाल ही में कई शत-प्रतिशत्त निर्यातउन्मुखी इकाइयों की स्थापना की गई है। निर्यातक फ्रैंकफुर्ट (जर्मनी) में आयोजित टाइम टेक्सटाइल प्रदर्शनी में भाग लेते रहें हैं जो टेरी तौलियों के अन्तर्राष्ट्रीय 'शो' का कार्य करती है। सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिपद अन्तर्राष्ट्रीय आयातक समुदाय को उत्तम क्वालिटी की टेरी तौलियों के निर्माण में भारत की क्षमता की जानकारी देती रहती हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1360. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और उनमें कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं ; और

(ख) 1992-93 के दौरान इन बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि जमा की गई और कितना ऋण दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 29,356 तथा 40,817 थी।

(ख) मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमाराशियों तथा बकाया अग्रिम, क्रमशः 6909 करोड़ रुपए तथा 4611 करोड़ रुपए थे।

[अनुवाद]

नई श्रम नीति

1361. **श्री शरत पटनायक** :

श्री वी. धनंजय कुमार :

श्री के. प्रधानी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने नई श्रम नीति का पारूप तैयार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) श्रम कानूनों को कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का विकास

1362. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आरंभ की गई-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित, योजनाओं तथा ऐसी योजनाओं जिनके लिए कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया गया था, का योजना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में दी गई धनराशि और सहायता का योजना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अथवा संबंधित राज्य निकायों ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार, संबंधित राज्य निकायों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कोई सीमा निर्धारित की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय विभिन्न योजनाऐं कार्यान्वित कर रहा है। तथापि हथकरघा क्षेत्र के लिए राशि का आवंटन राज्यवार नहीं अपितु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजनावार किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान तीन नई योजनाऐं अर्थात् निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी, प्रोजेक्ट पैकेज और एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना आरंभ की गई थी। इसके अतिरिक्त 1991-92 में चालू कार्यशाला-सह-आवास योजना और थ्रिफ्ट् फंड योजना में संशोधन किया गया था। इन योजनाओं के अंतर्गत 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष 1991-92 में लागू की गई योजनाऐं	जारी की गई राशि (1991-92)
1.	निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी अनुदान	0.75
2.	प्रोजैक्ट पैकेज योजना	-
3.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	-
4.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	28.75

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधर पर वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित राशि जारी की गई।

क्रम सं.	योजना का नाम	जारी की गई राशि (1992-93)
		(लाख रुपयों में)
1.	निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी अनुदान	10.10
2.	प्रोजैक्ट पैकेज-योजना	61.55
3.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	60.00
4.	कल्याणकारी योजना	
	(क) थ्रिफ्ट फंड योजना	17:46
	(ख) समूह बीमा योजना	4.00
	(ग) स्वास्थ्य पैकेज योजना	192.278
5.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	110.50
6.	राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह	1.50
		457-388

(घ) उपरोक्त योजनाऐं चालू योजनाऐं हैं इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हथकरघा एकक

1363. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बंद पड़े हथकरघा एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) सरकार ने इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों की दयनीय स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई अध्ययन कराने का है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) चूंकि यह उद्योग विकेन्द्रीकृत प्रकार का है इसलिए सरकार के पास ऐसे आंकड़ें नहीं है कि देश में कितनी हथकरघा इकाइयां बंद पड़ी हैं।

(ख) अत्यंत गरीब बुनकरों को लाभ पहुंचानें के उद्देश्य से सरकार वर्ष 1991-92 से निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी नामक योजना कार्यान्वित कर रही है। निस्सहाय बुनकरों द्वारा तैयार की गई हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को सहायता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघों की गणना करवाई गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों की समाजार्थिक स्थिति के आंकड़ों को भी शामिल किया गया।

(घ) इस गणना से ज्ञात हुआ है कि घरेलू बुनकर औसते 715 रुपये प्रति माह कमाता है। शहर के घरेलू बुनकर की औसत आय 935 रुपये है जबकि ग्रामीण घरेलू बुनकर की औसत आय 678 रुपये है। राज्यवार घरेलू बुनकर का विवरण उनकी आय के अनुसार परिशिष्ट में संलग्न है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रं.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सभी स्त्रोतों से मासिक आय के आधार पर हाऊसहोल्ड का विवरण		
		रु.200 तक	रु.201-500	रु.501 से अधिक
1.	आंध्र प्रदेश	13,672	1,13,934	44,054
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,784	18,995	13,096
3.	असम	66,360	3,65,234	7,92,362
4.	बिहार	2,243	33,875	31,069
5.	गोआ	2	16	26
6.	गुजरात	2,425	12,717	6,211
7.	हरियाणा	273	2,917	13,771

8.	हिमाचल प्रदेश	3,219	13,657	12,193
9.	जम्मू व कश्मीर	785	8,213	8,558
10.	कर्नाटक	3,908	34,010	20,300
11.	केरल	11,811	18,296	3,464
12.	मध्य प्रदेश	1,441	20,747	13,525
13.	महाराष्ट्र	7,701	33,583	15,492
14.	मणिपुर	4,405	26,995	1,60,738
15.	मेघालय	0	213	6,186
16	मिजोरम	141	6,913	72,728
17.	नागालैण्ड	13,492	14,484	23,053
18.	उड़ीसा	4,993	53,125	28,369
19.	पंजाब	206	3,723	3,969
20.	राजस्थान	1,504	16,838	11,506
21.	तमिलनाडु	24,803	1,44,302	92,204
22.	त्रिपुरा	8,331	64,129	27,397
23.	उत्तर प्रदेश	4,289	1,10,921	74,307
24.	पश्चिम बंगाल	31,386	2,02,681	50,140
25.	दिल्ली	6	1,241	6,138
26.	पांडिचेरी	168	2,184	942
	कुल योग :	2,04,348	13,23,943	15,31,798

पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग

1364. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **वित्त मंत्री** 13 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2831 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों के पिछड़े जिलों में जिन्हें पूर्णतः पिछड़ा क्षेत्र वर्गीकृत नहीं किया गया

है उनमें नए उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु तरीकों का पता लगाने के लिए किसी अध्ययन दल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन दल का गठन कब तक किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए विदेशी विकास सहायता

1365. **श्री मोहन रावले** : क्या **वस्त्र मंत्री** 20 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3807 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर विदेशी विकास सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वित्तपोषित करने के संबंध में ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : ब्रिटिश सरकार ने अपने विदेशी विकास सहायता के अन्तर्गत एन टी सी की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त पोषण के प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण

1366. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को दिये गये विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस ऋण की अदायगी किस रूप में की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) सिंचाई परियोजनाओं हेतु गुजरात सरकार को कोई विदेशी सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, जापान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान की है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जापानी ओ डी ए पर 2.6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगता है तथा इसकी अदायगी 30 वर्षों में की जानी होती है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी सम्मिलित है।

विवरण

उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए जापान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता देने का वचन दिया है

(मिलियन येन)

परियोजना का नाम	ऋण राशि	हस्ताक्षर की तारीख	समापन की तिथि	न निकाली गई शेष धनराशि
1. गांधार गैस बेस मिश्रित साइकल विद्युत परियोजना (आई डी पी - 63)	13046	27.3.90	27.3.95	3225
2. गांधार गैस बेस मिश्रित साइकल विद्युत परियोजना (आई डी पी - 78)	42599	9.1.92	30.3.95	26058
3. गांधार गैस बेस मिश्रित साइकल विद्युत परियोजना (आई डी पी - 86)	19538	21.12.92	30.9.95	24482

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की परियोजनाएं

1367. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा देश में कुछ परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं, उनकी लागत और स्थानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). सीमेंट, इस्पात, पर्यटन, सामान्य, विनिर्माण तथा पूंजी वाजारों सहित बहुत सी परियोजनाओं हेतु भारत में निवेश करने के लिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विचार कर रहा है। तथापि, निवेश संबंधी निर्णयों की पुष्टि होने के पश्चात् तथा निवेश करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष द्वारा भारत सरकार से सम्पर्क करने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं के ब्यौरों का पता चलेगा।

औद्योगिक रुग्णता और पुनर्गठन संबंधी समिति

1368. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कुछ संस्थापक सदस्यों ने औद्योगिक रुग्णता और निगमित पुनर्गठन संबंधी समिति की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). औद्योगिक रुग्णता तथा कंपनी पुनर्निर्माण पर समिति की रिपोर्ट पर, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) से टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं तथा वे सरकार के विचाराधीन हैं।

यूरो परिवर्तनीय बांड

1369. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियां द्वारा यूरो परिवर्तनीय बांडों के जारी करने के लिए कोई मानदंड अथवा दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भारतीय कंपनियां कौन-कोन सी हैं जिन्होंने यूरो परिवर्तनीय बांड जारी किए हैं और उनके मौद्रिक मूल्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार ने विश्वजनीन निक्षेपक प्राप्तियों (जी.डी.आर.) की क्रियाविधि के जरिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ.सी.सी.बी.) और सामान्य शेयरों के इशू के लिए 12.11.1993 को एक योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अनुसार, भारतीय कार्पोरेट निकाय, इशू जारी करने के बाद कंपनी की विस्तारित इक्विटी पूंजी के 51 प्रतिशत की कुल विदेशी इक्विटी धारिता (विदेशी संस्थागत निवेशक धारिता को छोड़कर) के लिए समग्र सीमा के अधीन रहते हुए, जी.डी.आर. क्रियाविधि के जरिए एफ.सी.सी.बी. सामान्य शेयरों के इशू का विदेशी मुद्रा संसाधन जुटा सकते हैं।

(ग) भारतीय कंपनियों, जिन्होंने एफ.सी.सी.बी. जारी किए हैं, के नाम और उनके द्वारा जुटाई गई राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया गया है।

विवरण

मिलियन अमरीकी डालरों में जुटाई गई धनराशि

1.	मैसर्स एस्सर गुजरात लि.	75.00
2.	एस.सी.आई.सी.आई.	100.00
3.	मैसर्स रिलाएंस इंडस्ट्रीज लि.	140.00
4.	मैसर्स गुजरात अम्बुल सीमेंट्स लि.	80.00
5.	मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लि.	60.50

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घाटा

1370. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ अथवा घाटे का बैंक-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1992-93 के दौरान बैंक-वार हुए घाटे और विभिन्न उत्तरदायी कारणों तथा तत्वों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1992-93 के दौरान बैंक-वार माफ किए गये अत्यधिक घाटों की कुल धनराशि का व्यक्तिगत और निगमित ऋण लेने वालों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रकार की माफी में बैंक-वार कितने लेखे शामिल हैं और इसका व्यक्तिगत तथा निगमित लेखों में अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) ओर (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान अर्जित किये गये लाभ/हानियों का बैंकवार ब्यौरा नीचे दिया गया हैं :

(रुपए करोड़ में)

	बैंक का नाम	निवल लाभ/निवल हानि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	212.04
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	10.50
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	17.02
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	3.02

5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	20.12	
6.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4.02	
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	5.00	
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.00	
9.	बैंक आफ बड़ौदा	8.23	
10.	केनरा बैंक	26.07	
11.	कार्पोरेशन बैंक	4.12	
12.	इंडियन बैंक	6.51	
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	20.50	
14.	पंजांब नेशनल बैंक	38.01	
15.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	11.26	
16.	इलाहाबाद बैंक	(-) 105.89	हानि
17.	आन्ध्रा बैंक	(-) 141.09	हानि
18.	बैंक आफ इंडिया	(-) 331.12	हानि
19.	बैंक आफ महाराष्ट्र	(-) 196.51	हानि
20.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	(-) 383.31	हानि
21.	देना बैंक	(-) 90.46	हानि
22.	इंडियन ओवरसीज बैंक	(-) 752.74	हानि
23.	न्यू बैंक आफ इंडिया	(-) 75.79	हानि
24.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	(-) 195.19	हानि
25.	सिंडिकेट बैंक	(-) 670.08	हानि
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	(-) 279.36	हानि
27.	यूको बैंक	(-) 444.19	हानि
28.	विजया बैंक	(-) 97.88	हानि

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1992 से शुरू हो रहे लेखा वर्ष से आय की पहचान, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड लागू किये हैं। इन विवेकपूर्ण मानदण्डों के स्वीकार किये जाने से वर्ष 1992-93 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य पालन संबंधी परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) ओर (घ). राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाली संविधियों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार, बैंक ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की प्रमात्रा प्रकट नहीं करते हैं, जिनके लिए उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों के संतोष और साथ ही अशोध्य ऋणों की राशि को बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान किए गए हैं जिनमें उनमें अन्तर्ग्रस्त खातों की संख्या भी शामिल है।

[हिन्दी]

आयकर की चोरी की सूचना देने वालों को पुरस्कार

1371. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या वित्त मंत्री 13 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2728 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आयकर की चोरी की सूचना देने वालों को पुरस्कार देने संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

[अनुवाद]

विज्ञापनों संबंधी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड संहिता

1372. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने इशू म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जारी करने वालों द्वारा अनुसरण की जाने वाले विज्ञापन संहिता हेतु कोई रूपरेखा तैयार की है जैसा कि 18 अगस्त, 1993 के "इकानामिक टाइम्ज" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे लोगों के हितों की किस प्रकार रक्षा होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 18 अगस्त, 1993 को एक परामर्शी पत्र परिचालित किया था जिसमें पूंजी, म्यूचुअल फण्डों के निर्गमकर्ताओं और पोर्ट-फोलियो प्रबन्धकों के लिए विज्ञापन-संहिता के मसौदे की रूपरेखा निर्धारित की गई थी ताकि इसे अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व बाजार में भाग लेने वालों तथा अन्यों से विचार प्राप्त किए जा सकें। पूंजी, म्यूचुअल फण्डों के निर्गमकर्ताओं और पोर्टफोलियो प्रबन्धकों के लिए विज्ञापन संहिता के मसौदे की प्रमुख विशेषताएं विवरण में दी गई हैं। तदनन्तर, सेबी ने 11 अक्तूबर, 1993 को "निर्गम विज्ञापन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त" जारी किए हैं जिसमें पूंजी निर्गमकर्ताओं के लिए विज्ञापन संहिता का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) विज्ञापन संहिता का उद्देश्य संभावित निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद देना तथा भ्रामक विज्ञापनों को जारी करने से रोकना है।

विवरण

पूंजी, म्यूचुअल फण्डों के निर्गमकर्ताओं तथा पोर्टफोलियो प्रबन्धकों के लिए विज्ञापन संहिता के मसौदे की प्रमुख विशेषताएं

1. निर्गमकर्ताओं के लिए विज्ञापन संहिता

(क) किसी इशु का विज्ञापन सत्यपूर्ण, उचित और स्पष्ट होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई विवरण नहीं होना चाहिए जो असत्य अथवा भ्रामक हो।

(ख) किसी इशु के विज्ञापन को तत्व और रूप में इस तरह न बनाया जाए जिससे गलतफहमी होने की संभावना हो अथवा किसी विवरण के महत्व के छिप जाने की संभावना हो।

(ग) विज्ञापनों का अभिकल्प ऐसा न हो कि निवेशक के अनुभव अथवा ज्ञान की कमी का गलत लाभ उठाया जाए।

(घ) किसी इशु के विज्ञापन में ऐसा विवरण नहीं होना चाहिए जो वृद्धि अथवा शीघ्र लाभ का वादा अथवा गारंटी दे विशेषकर तब जब उसे सिद्ध न किया जा सके।

(ङ) किसी इशु के विज्ञापन में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो प्रस्ताव-दस्तावेज के अननुरूप हो।

(च) किसी इशु के विज्ञापन में ऐसी कोई सूचना नहीं होनी चाहिए जो कि कंपनियों/स्टाक एक्सचेंजों के पंजीयक के पास दर्ज प्रस्ताव दस्तावेज में दर्ज सूचना के अलावा हो।

(छ) सभी इशुओं के विज्ञापनों में विशेष रूप से कम से कम इशु का ब्यौरा, जोखिम-कारक और इशु से सम्बद्ध मर्चेन्ट बैंकरों तथा पंजीयकों और संग्रहणकर्ता बैंकरों के नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ज) निर्गमकर्ता का कोई कार्पोरेट विज्ञापन घोषणा की तिथि (सांविधिक विज्ञापन) और अभिदान सूची के पूर्ण होने के बीच जारी नहीं किया जायेगा।

(झ) अभिदान के लिए इशु के खुले होने की अवधि के दौरान ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा जिसमें इशु के अभिदत्त अथवा अत्यभिदत्त होने का उल्लेख किया गया हो, सिवाए इस आशय के कि इशु खुला है अथवा बन्द।

(ञ) प्रस्ताव दस्तावेजों अथवा इशू-विज्ञापनों पर किसी मॉडल, प्रसिद्ध व्यक्तियों, काल्पनिक चरित्रों, विशेष चिह्न अथवा उपहासचित्रों या इसी प्रकार के अन्य रूप प्रदर्शित नहीं किए जाएं अथवा वे उनके भाग न हों।

(ट) प्रदर्शित किए जाने वाले प्रस्तावित पैरामीटरों में गत तीन वर्ष के और अगले तीन वर्ष के आंकड़े होने चाहिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री, सकल लाभ, निवल लाभ, शेयर पूंजी रिजर्व, प्रति शेयर आय और अंकित मूल्य शामिल होना चाहिए।

2. **म्यूचुअल फण्डों के लिए विज्ञापन-संहिता**

(क) विज्ञापन सत्यपरक, उचित और स्पष्ट होना चाहिए तथा इसमें कोई वक्तव्य, आश्वासन या पूर्वघोषणा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो असत्य या भ्रामक हो।

(ख) विक्रय साहित्य में केवल वही सूचना अन्तर्विष्ट होनी चाहिए जिसका सार फण्डों के चालू विज्ञापनों में इस संहिता के अनुसार शामिल किया गया है।

(ग) विज्ञापनों को इस प्रकार से तैयार नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि निवेशकों के अनुभव के अभाव या जानकारी का शोषण हो।

(घ) विज्ञापन में ऐसी कोई सूचना समाविष्ट नहीं होनी चाहिए जिसकी सटीकता किसी भी मात्रा में अनुमानों पर निर्भर हो।

(ङ) विज्ञापन में किसी फंड से दूसरे फंड की व्यक्तया अव्यक्त रूप में तुलना नहीं होनी चाहिए जब तक कि तुलना न्यायोचित न हो तथा तुलना से संबंधित समस्त सूचना विज्ञापन में शामिल न की गई हो।

(च) जो फंड प्रतिफल को विज्ञापित करते हैं, वे मानकीकृत परिगणनों, जैसे कि अंकित मूल्य पर वार्षिक लाभांश, खरीद मूल्य पर वार्षिक प्रतिफल एवं वार्षिक मिश्रित दर या आय का अवश्य प्रयोग करें।

(छ) फंडों को सभी विज्ञापनों में फंड के अवस्थापक, न्यासी, प्रबंधक और या वित्तीय सलाहकार का नाम, उनकी कानूनी स्थिति तथा इन हस्तियों की सीमित देनदारी, कानूनी और उनके कार्यों, दायित्वों और बाध्यताओं, दोनों के अनुसार उनमें से प्रत्येक में भिन्नता को साफतौर से बताते हुए सूचित करना चाहिए।

(ज) सभी विज्ञापन इस आशय का एक स्पष्ट वक्तव्य देंगे कि सभी फंड और प्रतिभूतियां, बाजार जोखिमों के अधीन हैं तथा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि फंड के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।

(झ) तथापि, यदि किसी विज्ञापन में कोई फंड भावी निवेशकों को किसी आय या प्रतिफल की न्यूनतम दर की गारंटी या आश्वासन देता है तो इस प्रकार की गारंटी का समर्थन करने वाले स्त्रोतों को भी दर्शाया जाए।

3. पोर्टफोलियो मैनेजरों के लिए विज्ञापन-संहिता

(क) किसी भी विज्ञापन को सत्यपूरक, उचित और स्पष्ट होना चाहिए तथा इसमें कोई ऐसा वक्तव्य, आश्वासन या पूर्वघोषणा नहीं होनी चाहिए जो असत्य या भ्रामक हो।

(ख) विक्रय साहित्य में केवल वही सूचना समाविष्ट की जानी चाहिए जिसका विवरण पोर्टफोलियों योजना के ब्यौरे या पेशकश दस्तावेजों में शामिल किया गया हो।

(ग) विज्ञापनों को इस प्रकार से तैयार नहीं किया जाँना चाहिए जिससे कि निवेशक के अनुभव के अभाव या जानकारी का शोषण हो।

(घ) विज्ञापन में कोई ऐसी सूचना समाविष्ट नहीं की जानी चाहिए जिसकी सटीकता किसी भी मात्रा में अनुमानों पर निर्भर हो।

(ङ) तथापि, यदि किसी विज्ञापन में पोर्टफोलियों प्रबंधक भावी निवेशकों को किसी आय या प्रतिफल की न्यूनतम दर की गारंटी या आश्वासन देता है तो इस प्रकार की गारंटी का समर्थन करने वाले स्त्रोतों को भी दर्शाया जाए।

(च) विज्ञापन में किसी पोर्टफोलियों प्रबंधक की दूसरे पोर्टफोलियों प्रबंधक से व्यक्त या अव्यक्त रूप में तुलना नहीं होनी चाहिए, जब तक कि तुलना न्यायोचित न हो तथा तुलना से संबंधित समस्त सूचना विज्ञापन में शामिल न की गई हो।

ठेका श्रमिकों को काम पर लगाना

1373. **श्री राम नाईक :** क्या **श्रम मंत्री** 13 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2757 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (क) और (ग) से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). भूतल परिवहन मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दिये गये ठेकों के अधीन अनुलंग्नक में दिए गये विवरण के अनुसार 105 ठेका श्रमिकों को नियुक्त किया गया है। सरकारी नीति के अनुसार उन्हें जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में केवल मूल क्रियाकलापों में सीमित नियोजन हेतु पत्तन क्षेत्र, सड़कों तथा नगर-क्षेत्र में संरक्षा (सफाई व्यवस्था) जैसे कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। पत्तन प्राधिकारियों के अनुसार इन कर्मकारों को सफाई-झाडू-बुहारी कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाता है।

विवरण

	कार्य की प्रकृति	नियुक्त किए गए श्रमिकों की संख्या
1.	बल्क टर्मिनल में सफाई व्यवस्था	54
2.	एफ आर जी एम हेचेज में अपशिष्ट कार्गो को हटाना	13
3.	कन्टेनर टर्मिनल की सफाई व्यवस्था	13
4.	अस्पताल की सफाई-व्यवस्था	6
5.	बहु-उद्देशीय हालों और प्रशिक्षणार्थियों के छात्रावास की सफाई-व्यवस्था	6
6.	प्रशासनिक भवन की सफाई-व्यवस्था	13
		105

निर्यात-पैकेज

1374. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आधारभूत संरचना के लिए राज्यों की प्रस्तावित निर्यात आमदनी के कुछ प्रतिशत के साथ व्यापक निर्यात पैकेज की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किए गए/अनंतिम रूप दिये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने पर होने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रस्तावित आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 10.5.93 को प्रस्तुत अपनी पहली रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात-क्रियाकलापों में राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने और निर्यात-उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना के विकास हेतु उन राज्यों में अवस्थित यूनिटों से निर्यात आय के 5% तक अतिरिक्त निधियों के आबंटन की सिफारिश की है।

(ख) निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए किए गए अभ्युपाय नीचे दिए गए हैं :

(i) राज्यों से उनकी औद्योगिक नीतियों के अनुरूप निर्यात नीतियां तैयार करने तथा समयबद्ध निर्यात योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) न्यूनतम निर्यात आय की शर्त से छूट के रूप में प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा नामित एक निर्यात निगम को निर्यात घराने का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अब तक राज्य सरकारों द्वारा नामित 5 निगमों को निर्यात घराने का दर्जा दिया जा चुका है।

(iii) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना को अंतिम रूप दिया गया है और उसे राज्यों में परिचालित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र आधारभूत संरचना पर पूंजीगत व्यय के 75% तक अनुदान देता है जो सामान्यतया 10 करोड़ प्रति पार्क तक सीमित है; इसके अतिरिक्त, सुविधाओं को बनाए रखने के लिए औद्योगिक पार्कों में स्थापित किए गए प्रत्येक यूनिट के निर्यात कारोबार के 2% के बराबर अनुदान 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा।

(iv) सभी महत्वपूर्ण मामलों पर केन्द्र-राज्य संपर्क को बनाए रखा जा रहा है।

(ग) और (घ). 9 राज्यों से आशा है कि वे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों के लिए अवस्थापनापरक सुविधाओं जैसे विद्युत, जल, सड़कें, (पार्क तक पहुचने वाली सड़कों सहित), मलनिकासी तथा जल निकासी, दूर-संचार, और अन्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ऐसी सुविधाएं उच्च स्तर की होंगी ताकि पार्कों में स्थापित यूनिटों द्वारा कुशलता-पूर्वक कार्य करना सुनिश्चित हो सके।

इटली द्वारा निवेश

1375. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय उद्योग/संयुक्त उद्यमों में इटली के निवेश प्रस्तावों में आकस्मिक तेजी आई है ;

(ख) यदि हां, तो चल रहे भारत-इतावली संयुक्त उद्यम प्रौद्योगिकी अंतरण और व्यापार उद्यमों तथा इटली से प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिए गए ;

(ग) क्या दोहरी कराधान प्रणाली के संबंध में भारत-इतावली करार को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आगामी पांच वर्षों के दौरान परस्पर लाभ के विशेष क्षेत्रों में भारत-इतावली आर्थिक सहयोग हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). दोहरे कराधान से बचने के लिए संशोधित समझौते पर 19.2.1993 को हस्ताक्षर किए गए थे जो अनुसमर्थन के उपकरणों के आदान-प्रदान के बाद ही लागू होगा।

(ङ) पिछले कुछ समय में, आगामी पांच वर्षों के दौरान परस्पर लाभ के विशिष्ट क्षेत्रों में भारत-इतावली आर्थिक सहयोग हेतु ऐसे कोई उपाय प्रस्तावित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1376. **प्रो. प्रेम धूमल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1993 तक विभिन्न राज्यों विशेषरूप से राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस ओवरड्राफ्ट को पूरा करने हेतु विशेष अनुदान जारी करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 30.11.1993 की स्थिति के अनुसार पांच राज्य ओवरड्राफ्ट में थे जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	राज्य	दिनांक 30.11.1993 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट की राशि
		(करोड़ रुपये में)
1	असम	5.87(नौवें दिन)
2.	हिमाचल प्रदेश	30.21(छठे दिन) (दिनांक 30.11.93 की स्थिति के अनुसार ये दो राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन थे।)
3.	मध्य प्रदेश	4.84(पहले दिन)
4.	मिजोरम	18.10(छठे दिन)
5.	पश्चिम बंगाल	28.17(तीसरे दिन)

(ख) भाग (क) के उत्तर में दर्शाए गए राज्यों के ओवरड्राफ्टों को दिनांक 1.12.1993 की

स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों की हकदारी की राशि जारी करके पूरा कर दिया गया था और इस प्रकार दिनांक 1.12.1993 को कोई भी राज्य ओवरड्राफ्ट में नहीं था। अतः इस ओवरड्राफ्ट को पूरा करने के लिए विशेष अनुदान जारी करने पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एर्णाकुलम, केरल में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना

1377. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एर्णाकुलम, केरल में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का कोई निर्णय दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार का इस संबंध में कोई निवेदन मिला है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या इस परियोजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गयी है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च). केरल सरकार से प्राप्त एर्णाकुलम में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण

1378. **श्री एस.बी. सिदनाल** :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमजोर वर्गों के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) संशोधित प्रक्रिया कमजोर वर्गों के लिये किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगी ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक इन वर्गों को राज्यवार कितनी ऋण राशि दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत सभी भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल ऋणों का 10% हिस्सा अथवा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अपने कुल अग्रिमों का 25% कमजोर वर्गों को प्रदान करें। वाणिज्यिक बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों का अनुपालन करें। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि 25,000/- रुपये तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अंदर और 25,000/- रुपये से अधिक ऋण सीमा वाले आवेदन 8-9 सप्ताहों के भीतर निपटा दिये जाने चाहिएं और 10,000/- रुपये से कम रकम के ऋणों के संबंध में तीसरी पार्टी गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिएं, शाखा प्रबंधकों को मंजूरी संबंधी उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी चाहिए ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किये जा सकें और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों के ऋण प्रस्ताव, वैध कारणों के बिना नामंजूर नहीं किये जाने चाहिए और उन्हें शाखा प्रबंधक से ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा ही नामंजूर किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा, कमजोर वर्गों को दी जाने वाली ऋण सहायता के संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की, संबंधित बैंकों के निदेशक बोर्डों, सरकार तथा साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और ध्यान में आयी कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने संबद्ध जानकारी हासिल करने के लिय बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अलग-अलग श्रेणी के अग्रिमों के लिये विभिन्न फार्मेट निर्धारित किये हैं। विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत आंकड़ें, एकत्र तथा समेकित करने संबंध प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, अतः किसी खास वक्त पर, अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित सूचना उसी अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होती है। कमजोर वर्गों को दिये गये ऋणों से संबंधित प्रत्येक राज्य की अद्यतन सूचना, मार्च 1992 को समाप्त हुई अवधि के लिये उपलब्ध है। मार्च 1992 के अंत तक, सभी बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दी गयी बकाया रकम का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्च 1992 के अंत तक (अद्यतन उपलब्ध) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित अग्रिमों की बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
हरियाणा	301
हिमाचल प्रदेश	80
जम्मू व कश्मीर	36
पंजाब	556

राजस्थान	512
चंडीगढ़	26
दिल्ली	94
असम	149
अरुणाचल प्रदेश	6
मणिपुर	19
मेघालय	23
मिजोरम	12
नागालैण्ड	21
त्रिपुरा	26
बिहार	827
उड़ीसा	398
सिक्किम	5
पश्चिम बंगाल	636
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
मध्य प्रदेश	761
उत्तर प्रदेश	1449
गोवा	22
गुजरात	472
महाराष्ट्र	780
दादरा व नागर हवेली	0.2
दमन व दीव	0.8
आंध्र प्रदेश	1089
कर्नाटक	791

केरल	652
तमिलनाडु	1404
लक्षद्वीप	1
पांडिचेरी	23

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन

1380. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में चाय का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या इसके उत्पादन में कमी आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)
1990	720.34
1991	754.19
1992 (अनुमानित)	703.93

(ख) तथा (ग). वर्ष 1992 के दौरान चाय के उत्पाद में गिरावट रही है जिसका कारण यह है कि उस वष के दौरान देश में चाय उपज वाले विभिन्न क्षेत्रों में कृषि-जलवायु दशाएं अनुकूल नहीं रही थी।

[अनुवाद]

रुग्ण उपक्रम

1381. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है ;

(ख) इन उपक्रमों के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की रिपोर्ट क्या है ;

(ग) इनमें से कितने सरकारी उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया गया है और इनमें से कितनों का पुनरुद्धार किया जा चुका है ;

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को श्रमिक समितियों द्वारा चलाया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि जब से दिसम्बर 1991 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार में आये हैं तब से उसे सरकारी क्षेत्र के 140 उपक्रमों के संबंध मे संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). प्राप्त हुए 140 संदर्भो में से 106 संदर्भो को 30.11.1993 तक दर्ज किया गया था। इन 106 मामलों में से 80 को रुग्ण घोषित किया गया है, 13 मामलों को जारी न रखे जाने के योग्य समझ कर खारिज किया गया, 7 मामलों के संबंध में आदेश आरक्षित रखे गए और 6 मामलों में अभी सुनवाई होनी बाकी है।

रुग्ण घोषित किए गए मामलों में से 3 मामलों को बंद करने के लिए धारा 20(1) के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए, 7 मामलों के संबंध में इस आशय के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि कंपनी को बंद क्यों न किया जाये और 2 मामलों के संबंध में मसौदा योजनायें परिचालित की गई। बाकी 68 मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में सुनवाई के अलग-अलग चरणों में हैं।

(घ) यह सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अभी तक कोई पुनरुद्धार योजना मंजूर नहीं की है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम समितियों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है।

मुम्बई हवाई अड्डा

1382. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुंबई हवाई अड्डे पर अतिरिक्त कुलियों को काम करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सतर्कता अधिकारी ने मुम्बई हवाई अड्डे पर दिल्ली स्थित एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा निःशुल्क कुली सेवा चलाये जाने की तीव्र भर्त्सना की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इस एजेंसी की सेवाओं को आगे तक बढ़ा दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा की गई छानबीन के फलस्वरूप आवश्यकता से अधिक भारकों की तैनाती का पता चला था। चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

(ङ) और (च). एजेंसी का ठेका 18.6.93 तक वैध था। सुविधाएं जुटाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। तकनीकी कारणों से पूर्व-निविदाओं को रद्द करने के कारण वैकल्पिक प्रबंध करने में देरी हो गयी थी। प्राप्त हुई नई निविदिओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एजेंसी का 31.12.93 तक भारक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

ग्रामीण और कुटीर उद्योग

1383. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने देश में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए पुनर्वित्तपोषण के रूप में कोई सहायता उपलब्ध कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष नाबार्ड द्वारा राज्य वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, अति लघु, कुटीर और ग्रामोद्योग लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1.	चण्डीगढ			
2.	नयी दिल्ली	8.00	6.84	13.59
3.	हरियाणा	510.00	416.00	624.62
4.	हिमाचल प्रदेश	51.00	125.00	46.89
5.	जम्मू और कश्मीर	107.00	11.00	94.04
6.	पंजाब	145.00	185.09	202.96
7.	राजस्थान	380.00	599.00	786.88
8.	अरुणाचल प्रदेश	2.00		3.90
9.	असम	162.00	191.01	119.00
10.	मणिपुर		20.00	137.60
11.	मेघालय	5.00	2.00	2.10
12.	मिजोरम		1.00	7.39
13.	नागालैण्ड		8.18	3.00
14.	त्रिपुरा	2.00		3.00
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			
16.	बिहार	20.00	11.00	243.50
17.	उड़ीसा	56.00	76.00	199.42
18.	सिक्किम		-	4.00
19.	पश्चिम बंगाल	550.00	827.00	934.00

1	2	3	4	5
20.	मध्य प्रदेश	152.00	111.45	153.65
21.	उत्तर प्रदेश	425.00	473.00	576.50
22.	दादरा और नागर हवेली		8.01	12.00
23.	गोवा दमन और दीव	53.00	37.45	49.80
24.	गुजरात	488.00	903.88	1234.65
25.	महाराष्ट्र	1408.00	1796.00	1456.88
26.	आन्ध्र प्रदेश	343.00	347.00	665.08
27.	कर्नाटक	1132.00	1202.95	1755.45
28.	केरल	1312.00	1501.00	1802.96
29.	पाण्डिचेरी	7.00	23.00	15.00
30.	तमिलनाडु	698.00	1237.00	1673.77
	कुल	8038.00	10121.86	12826.43

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1384. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के "आपरेशन एजूकेशन डिविजन" की रिपोर्ट के अनुसार सरकार परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के संबंध में बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने में असफल रही है और इस रिपोर्ट में प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास परियोजनाओं हेतु धनराशि न देने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि को बंद कर दिए जाने के फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). पुनर्वास और पुनः स्थापना के संबंध में विश्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने में सरकार की असफलता के बारे में विश्व बैंक के आप्रेशन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, विश्व बैंक के आप्रेशन्स इवेल्युएशन डिपार्टमेंट द्वारा "अर्ली एक्सपीरिएंस विद इनवोलुंटरी रिसेटलमेंट - ओवर व्यू" नामक अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन विभिन्न मामला अध्ययनों, जिनमें

2 मामले भारत से हैं, पर केन्द्रित हैं। पुनर्वास के संबंध में बैंक के मार्गनिर्देशों के प्रभावी होने से पहले ही ये दो परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी थी। इस रिपोर्ट में, प्रभावित लोगों के पुनर्वास संबंधी परियोजनाओं हेतु निधिकरण को रोकने की सिफारिश नहीं की गई है।

कमजोर वर्गों के लिए ऋण योजनाए

1358. **श्री काशी राम राणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान गुजरात में कमजोर वर्गों के लिये ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से गुजरात के कमजोर वर्ग के लिए ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन की कोई पुनरीक्षा नहीं करवाई है। तथापि. योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन करने वाले भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, अखिल भारत स्तर पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारी कदम उठाते हैं। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला स्तर पर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। गुजरात राज्य में मार्च 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त गत दो वर्षो के लिए प्रत्येक खण्ड के अंन्तर्गत कमजोर वर्गों को सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये बकाया अग्रिम निम्न प्रकार थे :

(करोड़ रुपए)

कमजोर वर्गों का खण्ड	बकाया राशि	
	मार्च 90	मार्च 91
आईआरडीपी हिताधिकारी	133	119
डीआरआई हिताधिकारी	46	34
लघु और सीमांतक किसान आदि	195	171
कारीगर ग्राम और कुटीर उद्योग	37	36
अनु.जा./अनु.ज.जा. हिताधिकारी	146	149
एसईपीयूपी हिताधिकारी	7	11

बंगलौर हवाई अड्डा

1386. **श्री एच. डी. देवगौडा** :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). बंगलौर के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया हवाई अड्डा निर्मित करने की संभाव्यता की जांच करने हेतु सरकार द्वारा श्री एस. रामानाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

समिति ने नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए देवानाहाली के दक्षिण में एक स्थल की सिफारिश की है। यह स्थल येलाहान्का से 23 कि.मी. और बंगलौर सिटी केन्द्र से 40 कि.मी. पर स्थित है।

इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाना है।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद के पास अभियोजन संबंधी मामले

1387. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के कार्यालय में अभियोजन के कितने मामले कब से विचाराधीन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में दंड दे दिया गया है; और

(ग) विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), धनबाद न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। तथापि पिछले 10 वर्षों के दौरान धनबाद क्षेत्र में दायर अभियोजन मामलों में से 12,596 मामले अभी तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

(ख) 667

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित न्यायालयों को कहा जा रहा है।

राज्यों को अल्प बचतों का भाग

1388. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि अल्प बचतों में उनके भाग में वृद्धि की जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जमाराशि तथा ऋणदान पर ब्याज की दरों में कमी करने से राज्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मत्रांलय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों के हिस्से में वृद्धि करने के सुझाव को केन्द्रीय सरकार की वापसी-अदायगी, ब्याज अदायगी और इन योजनाओं के प्रबन्ध की लागत के संबंध में बढ़ती हुई बाध्यताओं और केन्द्र की बजटीय रुकावटों के संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

(ग) सितम्बर, 1993 तक के अल्प बचत संग्रहों ने पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में उत्साहवर्धक वृद्धि दर्शाई है। इस वर्ष नवम्बर, 1993 तक राज्य सरकारों को मंजूर किए गए निवल अल्प बचत संग्रह 3644.69 करोड़ रुपए के थे, जबकि इसकी तुलना में मंजूर किये गये संग्रह पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 2523.08 करोड़ रुपए के थे।

[हिन्दी]

व्यापार संतुलन

1389. **श्री भगवान शंकर रावत** :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम छः माह के दौरान भारत के व्यापार संतुलन में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसमें कितनी गिरावट आई है और रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में आयात और निर्यात आंकड़े क्या हैं;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में क्षेत्रवार विदेशी व्यापार आयात और निर्यात आंकड़ें क्या हैं; और

(घ) जूतों, कृषि उत्पादों तथा हस्तशिल्प जैसे श्रमिक बहुल उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). चालू वर्ष की पहली छमाही अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 93-94 के दौरान भारत के व्यापार संतुलन में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, डालर के रूप में 83% की कमी आयी है। उपर्युक्त अवधि के आयात, निर्यात तथा व्यापार संतुलन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

रुपये के रूप में		(करोड़ रु.)
	अप्रैल-सितम्बर 93	अप्रैल-सितम्बर-93
निर्यात	24404.33	32461.19
आयात	31888.24	33842.54
व्यापार संतुलन	-7484.91	-1381.35
डालर के रूप में	(मिलियन अमरीकी डालर)	
निर्यात	8548.68	10351.11
आयात	11170.71	10791.59
व्यापार संतुलन	-2622.03	-440.48

(ग) अप्रैल-अगस्त 93-94 की जिस अवधि के लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, उस अवधि के दौरान डालर के रूप में भारत द्वारा प्रमुख वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) सरकार ने हमेशा ही श्रम प्रधान उद्योगों के निर्यातों को प्रोत्साहित किया है जिसमें भारत को प्राकृतिक रूप से तुलनात्मक लाभ है। निर्यात संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में इस प्रकार के उपाय शामिल है ; जैसे निर्यात घराने/व्यापारिक घराने/चोटी के व्यापारिक घराने का दर्जा प्राप्त करने की हकदारी के लिए लघु उद्योगों, हथकरघा तथा हस्तशिल्प आदि द्वारा विनिर्मित उत्पादों के वास्तविक निर्यात, को दुगुना महत्व देना ; गुणवत्तायुक्त कच्चा माल उपलब्ध कराना, विदेशों में आयोजित होने वाली क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, कृषि संवंधी निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपने उत्पादों का 50% बेचने की अनुमति देना आदि। निर्यात संवर्धन एक निरंतन चलती रहने वाली प्रक्रिया है और व्यापार तथा उद्योग के सहयोग से नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की जाती हैं।

विवरण-1

प्रमुखा वस्तुओं के आयात : अप्रैल-अगस्त 1993-94

वस्तुएं	अप्रैल-अगस्त 1992	अप्रैल-अगस्त 1993	% वृद्धि
1	2	3	4
I. **कुल आयात**	9280.49	8947.64	-3.6
II. **बल्क आयात**	4063.81	3691.50	-9.2
1. **अनाज तथा उससे बने सामान**	53.42	60.71	13.6
(क) चावल	5.35	17.62	229.6
(ख) गेहूं	18.16	33.39	-
(ग) अन्य अनाज	0.01	0.02	-
(घ) तैयार माल	29.91	9.07	-69.7
2. **उर्वरक**	495.84	314.14	-36.6
(क) क्रूड	75.51	40.98	-45.7
(ख) सल्फर तथा बिना रोस्ट क्रिया हुआ या पराइट्स	66.31	21.46	-67.6
(ग) विर्निमित माल	354.02	251.70	-28.9
3. खाद्य तेल	9.41	10.68	13.5
4. चीनी	0.15	0.02	-
5. लुग्दी तथा रद्दी काग़ज	82.01	56.69	-30.9
6. पेपर बोर्ड तथा उससे बने माल	50.70	56.34	11.1
7. अखबारी कागज़	18.99	38.30	101.7
8. कच्चा रबड़	41.23	44.72	8.5
9. अलौह धातुएं	162.77	173.47	6.6

1	2	3	4
10. धात्विक अयस्क तथा धातु कतरन	339.05	133.68	-60.6
11. लोहा तथा इस्पात	339.59	270.68	-20.3
12. कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद	2470.64	2532.08	2.5
III. मोती मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्न	943.48	1229.54	30.3
मशीनरी	1218.56	1570.15	28.9
1. मशीनी औजार	61.80	65.26	5.6
2. इलैक्ट्रिकल के अलावा अन्य मशीनरी	680.66	759.41	11.6
3. इलैक्ट्रिकल मशीनरी	332.78	277.65	-16.6
4. परिवहन उपस्कर	143.32	467.82	226.4
IV. परियोजना सामान	563.02	453.59	-19.4
अन्य	2491.62	2002.36	-19.6
1. काजूगिरि	67.02	35.98	-40.3
2. फल तथा गिरियां	19.23	16.68	-13.2
3. कच्चा ऊन	59.73	46.52	-22.1
4. कच्ची रेशम	41.10	29.33	-28.6
5. संश्लिष्ट तथा फाइबर	11.74	10.86	-7.5
6. दालें	47.46	49.07	3.4
7. कच्चा चमड़ा तथा खालें	10.86	9.60	-11.7
8. चमड़ा	30.08	32.36	7.6
9. कोयला कोक तथा ब्रिकेट्स	239.78	172.02	-28.3
10. अधात्विक विनिर्माण	38.62	32.36	-16.2

1	2	3	4
11. अन्य कच्चे खनिज	41.87	27.61	-34.1
12. कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन	689.43	454.97	-34.0
13. रंजक तथा शोधक सामग्री	32.65	32.31	-1.0
14. मेडे तथा फार्म-उत्पाद	110.72	86.07	-22.3
15. कृत्रिम रेजिन आदि	218.67	466.75	-23.7
16. रसायन उत्पाद	74.09	58.40	-21.12
17. ट्रैक्सटाइल यार्न फैबिरक आदि	69.15	77.19	11.6
18. धातु से बने माल	59.96	65.40	9.1
19. क्रोफा उपस्कर आदि	203.02	192.29	-5.3

स्त्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता।

विवरण-2

प्रमुख वस्तुओं के निर्यात : अप्रैल-अगस्त, 1993-94

(मिलियन अमरीकी डालर)

वस्तुएं	अप्रैल-अगस्त 1992	अप्रैल-अगस्त 1993	% वृद्धि
I. **बागान**	145.58	184.54	26.8
1. चाय	103.70	136.39	31.5
2. काफी	41.87	48.15	15.0
II. **कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद**	727.40	1002.92	37.9
1. अनाज	147.01	177.79	20.9
(क) चावल	142.70	176.39	23.6
(ख) गेहूं	2.05		-100.0

1	2	3	4
(ग) अन्य	2.26	1.40	-37.9
2. दालें	7.23	5.94	-17.9
3. तम्बाकू	75.11	62.94	-16.2
(क) अविनिर्मित	64.27	47.92	-25.4
(ख) विनिर्मित	10.84	15.03	38.6
4. दालें	60.78	71.90	-18.4
5. गिरियां तथा बीज	118.62	167.43	41.2
(क) सीएनएसएल सहित काजू	106.72	138.40	29.7
(ख) तिल तथा नाइजर सीड	11.71	7.24	-38.1
(ग) मूंगफली	0.19	21.79	11647.6
6. खाद्य तेल	159.18	262.13	64.7
7. गोरगम खाद्य	13.40	19.05	42.2
8. अरण्डी का तेल	12.81	37.22	190.6
9. चमड़ा	3.94	11.29	186.3
10. चीनी तथा शीरा	6.18	45.32	180.0
11. संसाधित खाद्य	75.83	92.54	22.0
(क) फल तथा सब्जियां	44.85	54.82	22.2
(ख) संसाधित फल तथा पेय	17.39	20.16	15.9
(ग) विविध संसाधित मदें	13.59	17.56	29.2
12. मांस तथा मांस उत्पाद	30.73	42.12	37.1
13. पुष्पोत्पाद	2.27	1.95	-14.1
14. स्प्रिट तथा बीव्रीज	4.39	5.29	20.5
III. **समुद्री उत्पाद**	203.20	244.75	20.4

1	2	3	4
IV. **अयस्क तथा खनिज**	271.28	354.28	30.6
1. लौह अयस्क	146.02	187.89	28.7
2. अभ्रक	3.04	4.49	47.9
3. संसाधित खनिज	54.42	73.76	35.6
4. अन्य अयस्क तथा खनिज	66.05	84.42	27.8
5. कोयला	1.76	3.71	110.9
V. **चमड़ा तथा चमड़े से बने सामान**	504.41	520.62	3.2
1. पदत्राण	163.01	177.93	9.1
2. चमड़ा तथा उससे बने सामान	341.39	342.69	0.4
VI. **रत्न तथा आभूषण**	1093.46	1507.32	37.8
VII. **खेल के सामान**	14.66	15.22	3.8
1. मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री	458.41	531.43	15.9
2. प्लास्टिक तथा लिनोलियम	50.67	112.75	122.5
3. रबड़, ग्लास तथा अन्य उत्पाद	164.24	232.38	41.5
4. अवशेष रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	35.37	37.23	5.2
VIII. इंजीनियरी सामान	845.37	1035.37	22.5
IX. इलेक्ट्रिकल सामान	95.49	112.70	18.0
X. परियोजना सामान	10.63	2.67	-74.9
XI. वस्त्र	1785.63	1972.62	10.5
1. सिलेसिलाए परिधान	963.91	1046.71	8.6
2. काटन यार्न, फ्रेबिक तथा मेड अप्स आदि	522.59	603.09	15.4

1	2	3	4
3. मानवनिर्मित वस्त्र, मेडअप्स आदि	165.83	192.82	16.3
4. प्राकृतिक रेशम वस्त्र	57.28	43.00	-24.9
5. ऊन तथा ऊन से बने सामान	12.39	19.14	54.5
6. कयर तथा कयर उत्पाद	12.48	16.76	34.3
7. पटसन विनिर्माण	51.15	51.10	-0.1
XIII. हस्तशिल्प	105.20	126.65	20.4
XIV. गलीचे	205.07	210.62	2.7
1. रेशम सहित हस्त निर्मित	162.45	164.30	1.1
2. रेशम रहित मिल निर्मित	34.79	40.93	17.6
3. रेशमी गलीचे	7.82	5.40	
XV. रद्दी सहित कपास	6.31	148.67	2256.3
XVI. पेट्रोलियम उत्पाद	193.30	210.04	8.7
XVII. अवर्गीकृत निर्यात	67.40	130.26	93.3
कुल योग	6983.08	8693.03	24.5

स्त्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता।

[अनुवाद]

आयात शुल्क में कमी

1390. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ औद्योगिक उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपाय का वर्ष की शेष अवधि के दौरान राजस्व वसूली पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक माल पर आयात शुल्क की दरें कम करने के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और इस तरह जारी की गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रख दिया गया है। वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान शुल्क में इस तरह की गई कमी के कारण पड़ने वाला राजस्व प्रभाव लगभग 77 करोड़ रुपए आंका गया है।

सीमा शुल्क दर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन

1391. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री जी. देवराय नायक :

श्री ताराचंद खण्डेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेंखी सम्रिति की सभी सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समिति को सिफारिशों को देखते हुए सरकार का विचार सीमाशुल्क दर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भारी परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). रेखी समिति की सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट का खंड-1, मई 1993 में प्राप्त हुआ था तथा रिपोर्ट का खंड-2 अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। चूंकि सरकार ने इस बारे में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है, अतः सभी सिफारिशों पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिए गये हैं।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों के लिए शिक्षण केन्द्र

1392. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बाल श्रमिकों के लिए शिक्षण केन्द्र खोलने और उन्हें चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से चल रहे ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार प्रत्येक केन्द्र को कितनी सहायता प्रदान की गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्वास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये सहायता देती है। शिक्षा प्रदान करना ऐसी परियोजनाओं का एक अभिन्न भाग है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	संगठन	स्कूलों की संख्या	पिछले तीन वर्षो में जारी की गई राशि	परियोजना
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	(1) सेन्टर फॉर रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलेपमेंट एक्शन (सी आई ई डी ए)	10	3855844	नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (एन सी एल पी)
	(2) सघन क्षेत्र विकास समिति (एस के वी एस)	10	3538230	एन सी एल पी
	(3) इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर (आई सी सी डब्ल्यु)	30	6847038	एन सी एल पी
मध्य प्रदेश	(1) इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर (आई सी सी डब्ल्यु)	4	383380	सहायता अनुदान (जी आई ए)
	(2) चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाइटी, मन्दसौर	3	3081438	एन सी एल पी
राजस्थान	(1) चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाइटी, जयपुर	20	7057324	एन सी एल पी
आन्ध्र प्रदेश	(1) चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाइटी, जग्गमपेट	1	232608	एन सी एल पी
	(2) चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाइटी, मार्कापुर	20	6941192	एन सी एल पी
तमिल नाडु	(1) वुमैन्स वालुन्टरी सर्विस आफ तमिलनाडु	3	1208102	एन सी एल पी
	(2) तमिलनाडु रूरल रिकस्ट्रक्शन मूवमेंट	4	1003555	एन सी एल पी

1	2	3	4	5
	(3) यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन	3	1074686	एन सी एल पी
	(4) सोसाइटी फार प्युपिल्स एजुंकैशन एंड इकोनॉमिक चेन्ज	1	686062	एन सी एल पी
	(5) अन्नाई थैरेसा कल्वी मुनेत्र संगम शंकरा-पंडयूयापुरम	2	5,81,816	एन सी एल पी
	(6) यूथ्स एसोसिएशन मुथ्थुरामलिंगापुरम	1	3,70,307	-वही-
	(7) एसोसिएशन ऑफ रार्व सेवा फामर्स, थिरूथंगल	2	7,95,846	-वही-
	(8) मदुरई मल्टीपरपज सोशल सर्विस सोसायटी	3	19,12,842	-वही-
	(9) अनइंप्लाइड यंग पिपल्स एसोसिएशन, थिरू नगर	3	16,55,951	-वही-
	(10) गिल्ड ऑफ सविर्स, सत्तूर	3	12,13,208	-वही-
	(11) डवल्पमेंट एक्शन फॉर वुमन इन नोड	2	3,90,924	-वही-
	(12) कंग्रवेशन ऑफ दी सिस्टस ऑफ क्रास ऑफ चेवनॉड, तिरूचिरापल्ली	2	1,50,132	जी आई ए
	(13) मलारची ट्रस्ट वहाईकुलम	1	3,50,063	-वही-
	(14) मदर होमआरफनेज	5	7,10,197	एन सी एल पी
उड़ीसा	रूचिका स्कूल, भुवनेश्वर	10	3,71,220	जी आई ए
कर्नाटक	कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वैलफेयर	3	2,49,131	-वही-
प. बंगाल	(1) इंस्टीट्यूट ऑफ साइको-लाजिकल एंड एज्युकेशनल रिसर्च	36	18,21,265	-वही-

1	2	3	4	5
	(2) विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटी, कलकत्ता	1	63,941	जी आई ए
दिल्ली	इन्डियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वैलफेयर	2	2,13,645	-वही-

एन सी एल पी : नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट-(100 प्रतिशत सहायता देता है)

जी आई ए : ग्रांट-इन-एंड स्कीम-(75 प्रतिशत सहायता देता है)

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता

1393. **श्री राम कापसे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 1993-94 के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनायें शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे हैं तथा प्रत्येक परियोजना के लिए जो राशि मांगी है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनमें से प्रत्येक स्वीकृत परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान, महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में विदेशी निवेश

1394. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों में विदेशी निवेश के मुद्दे पर चर्चा आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे प्रत्येक राज्य को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, नहीं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एशिया विकास बैंक ऋण

1395. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण देने की सुविधा (सॉफ्ट लेंडिंग विन्डो), एशिया विकास कोष के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए आह्वान किया है क्योंकि इस क्षेत्र में काफी जनसंख्या गरीबी की रेखा उसे नीचे थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). जी हां। प्रति व्यक्ति निम्न सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सीमित ऋण वापसी अदायगी क्षमता वाले विकासशील सदस्य देशों को एशियाई विकास बैंक रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान करता है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स की 4-6 मई, 1993 को आयोजित 26वीं वार्षिक बैठक में, सरकार ने यह मुद्दा उठाया कि ए डी एफ संसाधनों के लिए भारत भी पूरी तरह से पात्र है तथा ए डी एफफ-VI की मध्यावधिक समीक्षा के समय, इन संसाधनों तक पहुंचने हेतु हमारे देश के वैध दावों पर विचार किया जाना चाहिए। समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों पर समायोजन प्रक्रिया से संबंधित कठिनाई को कम करने के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रचालनों को बैंक द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु ए डी एफ संसाधनों तक पहुंच होना जरूरी है।

[हिन्दी]

गुजरात में पर्यटन-विकास हेतु सहायता

1396. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** :

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात में पर्यटन विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थानों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए इस प्रकार की सहायता दी गई थी;

(ग) इनमें से कौन-कौन से स्थान गुजरात के पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में हैं; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गुजरात राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए 1991-92 में 141.58 लाख रु. और 1992-93 के दौरान 20.90 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गुजरात राज्य सरकार ने 1994-95 के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
		(लाख रु. में)
	1991-92 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें	
	गुजरात	
1.	भज में पर्यटक परिसर	13.08
2.	श्यामलाजी में पर्यटक परिसर	16.27
3.	उकई झील में पर्यटक परिसर	16.27
4.	सोला में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	9.00
5.	कामरेज में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.79
6.	नवसाड़ी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.24
7.	भीमनाथ में पर्यटक गृह	11.39
8.	लिमखेड़ा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.24
9.	जल क्रीड़ा उपकरण	10.00
10.	लैण्ड सेलिंग यॉट्स	2.27

11.	मेले तथा उत्सव	7.16
12.	हालिडे होम्स का नवीनीकरण	3.62
13.	चोरवाड़ का नवीनीकरण	10.00
14.	हालिडे हाम्स का नवीनीकरण	23.25
	जोड़ :	141.58

1992-93 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

1.	तारनेत्र के लिए शिविर उपकरण	15.90
2.	प्रचार सहायता	5.00
	जोड़ :	20.90

ग्रामीण रोजगारोन्मुख क्षेत्रों को बैंक ऋण

1397. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण रोजगारोन्मुख क्षेत्र जैसे खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग, पम्पिंग सेट तथा कृषि उपकरणों के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता/ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या नीति और मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) उपरोक्त शीर्षो के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान और 1994-95 में राज्यवार दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40%, 10% और 18% ऋण क्रमशः प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्गो और कृषि को दें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे डी आर आई योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार अपने कुल बकाया अग्रिमों का कम से कम 1% मंजूर करें। ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा द्वारा मंजूर किए गए अग्रिमों के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को कम से कम 60% का ऋण जमा अनुपात रखना होता है। बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेना होता है और वे अर्थक्षम उद्यम शुरू करने के लिए वे पात्र हिताधिकारियों को ऋण भी प्रदान करते हैं।

प्राथमिकता, क्षेत्र को अग्रिम देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक किसानों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिनमें कृषि उपकरण खरीदने और विद्युत मोटर और पम्पसेट लगाने जैसे विद्युत उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम शामिल हैं।

यदि ऋण प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से अर्थक्षम हों तो बैंक निवेश ऋण प्रदान करते हैं जिनकी वापसी अदायगी उचित किस्तों में की जानी होती है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए निवेश की इकाई लागत, उन इकाइयों की संख्या जो किफायती आदि किस्म की हों उनमें विभिन्न प्रकार के निवेश करने के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सूचना दी जाती है। ऋणकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करते समय बैंकों द्वारा इन मानदंडों पर विचार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा अर्थक्षम उद्यमों का वित्तपोषण करना "एक निरंतर" प्रक्रिया है। जून 1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु सिंचाई योजना और ट्रैक्टरों तथा कृषि उपकरणों के लिए दिए गए सावधि ऋण नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)
(खाते लाखों में)

	संवितरित		बकाया	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
लघु सिंचाई	2.26	260.50	21.58	2,070.30
ट्रैक्टर और कृषि उपकरण	1.31	846.41	9.16	3,702.13

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को धनावंटन

1398. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान गुजरात सरकार को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितना धनावंटन किया गया;

(ख) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ग) क्या गुजरात में उक्त योजना के अंतर्गत बैंकों की भूमिका व कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). वर्ष 1992-93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को

किया गया कुल आवंटन (केन्द्रीय और राज्य) 20.10 करोड़ रुपए था। इसके मुकाबले 1992-93 के दौरान कुल निर्गम 21.95 करोड़ रुपए थी तथा उपयोग 22.04 करोड़ रुपए था, जिससे 61842 परिवारों को लाभ हुआ। चालू वित्तीय वर्ष (सितम्बर 1993 तक) के दौरान अब तक 23.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है तथा 13.69 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है, जिससे 34031 परिवारों को लाभ हुआ है।

(ग) और (घ). बैंकों की भूमिका तथा उनके कार्य निष्पादन सहित, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त की है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

1399. **श्री छेदी पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के लाभार्थियों को ऋण सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन के बारे में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा के दौरान राज्यवार किन-किन अनियमितताओं का पता चला; और

(ग) इस प्रकार की अनियमितताएं रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के बीच आय और रोजगार के अवसरों पर इनके प्रभाव के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को ऋण देने संबंध कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए दिसंबर, 1990 में एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन अखिल भारत आधार पर किया गया था और इसमें देश के 19 राज्यों में स्थित 59 जिलों में कार्यरत 285 बैंक शाखाओं को कवर किया गया था। उक्त अध्ययन के मुख्य जांच परिणाम/निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में आम तौर पर बैंकों का कार्य निष्पादन संतोषजनक था।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को दिये जाने वाले ऋणों का समूचा प्रवाह संख्यावार तथा रकमवार दोनों तरह से बढ़ गया है।

(3) इस अध्ययन के तहत कवर किये गये बैंकों ने विभेदी ब्याज दर योजना और समन्वित

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अलबत्ता, बैंक शाखाएं, शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार योजना तथा शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं। तथापि, इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत, उनके कार्यनिष्पादन में सुधारात्मक प्रवृत्ति दिखायी दी।

(4) उक्त अध्ययन से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ऋण अग्रिमों के संबंध में अदायगी/वसूली संबंधी खराब स्थिति का पता चला।

(5) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गयी आर्थिक सहायता का बड़ा हिस्सा, डी आर आई, आई आर डी पी और सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों के तहत दिया गया थां

(6) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से प्राप्त ऋण आवेदनों पर बैंक शाखाओं द्वारा आम तौर पर सहानुभूतिपूर्वक और तत्काल विचार किया गया था। किसी भी बैंक शाखा में इन श्रेणियों के ऋण आवेदन, बेबुनियादी आधार पर नामंजूर नहीं किये गये थे।

(7) अधिकांश बैंक शाखाओं ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम आदि जैसी राज्य एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लिया था।

(8) प्रतिभूति संबंधी मानदण्डों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों/हिदायतों का आम तौर पर बैंक शाखाओं द्वारा अनुपालन किया गया था।

(9) सृजित की गयी वृद्धिशील आय की सीमा संतोषजनक नहीं थी। आय पैदा करने संबंधी खराब स्थिति, परिसंपत्तियों के खराब रख-रखाव अथवा दुरुपयोग के कारण थी।

(ग) अध्ययन के जांच परिणामों/निष्कर्षों का सारांश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के ध्यान में लाया गया था और उन्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था जिन पर बैंकों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित था।

महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों को ऋण

1400. **श्री धर्मण्णना मोडयूया सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास-बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से राज्य में स्थापित किये जाने वाला सहकारी कताई मिलों के दीर्घकालिक ऋणों को स्वीकृत करने के कार्य को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त संस्थाओं ने ऋण उपलब्ध किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में अब तक किये गए ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में ऐसे मिल लगाने के लिए उन्हें 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आगे कहा है कि पहले से विद्यमान बृहत कताई क्षमता को देखते हुए वित्तीय संस्थायें आधारभूत कताई मिलों को सहयोग देने में चयनात्मक रही हैं। केवल कपड़ा उद्योग में पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रवर्तकों द्वारा स्थापित और धागों का निर्यात करने वाली परियोजनाओं को ही सहायता देने पर विचार किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान सहकारी कताई मिलों के कमजोर कार्य निष्पादन और ऋृण आंकड़ें को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि सहकारी कताई मिल सामान्यतया घरेलू बाजार की मांग पूरी करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सहकारी क्षेत्र में स्थित नए कताई मिलों को सहायता देने के बारे में अपनी बाध्यताओं से महाराष्ट्र सरकार को अवगत करा दिया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रतनागिरि जिलों में पर्यटन विकास

1401. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रतनागिरि जिलों के समन्वित विकास के लिए इन्हें विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर्यटन के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग को ही गहन विकास हेतु विशेष पर्यटन क्षेत्र अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार सिंधुदुर्ग के लिए विशेप पयटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक

1402. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत वेंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या राज्य के वृहत आकार को ध्यान में रखते हुए यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जून, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 2888 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए प्रति शाखा कार्यालय के हिसाब से औसत जनसंख्या (ए पी पी बी ओ) 14000 बैठती है, जबकि इसकी तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार नीति 1985-90 के अंतर्गत, प्रति शाखा कार्यालय के हिसाब से 17000 की औसत जनसंख्या का लक्ष्य रखा गया है। शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के तहत शाखाओं के खोलने के साथ ही प्रतिशाखा कार्यालय के हिसाब से औसत जनसंख्या के और कम होने की संभावना है।

(ग) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के अंतर्गत 12 केन्द्रों के लिए जारी किए गए लाइसेंस राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लंबित हैं। इन केन्द्रों की अवस्थिति विवरण में दी गई हैं। बैंकों के इन केन्द्रों में 31.3.1995 तक शाखाएं खोलने की आशा की गयी है। इसके अलावा, शाखा विस्तार नीति 1985-90 के अंतर्गत, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए जारी किए गए 33 लाइसेंस मार्च 1993 के अंत तक सम्बद्ध केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण मुख्य रूप से लम्बित थे। यद्यपि, इन लाइसेंसों को 1.4.1993 से व्यपगत/रद्द हुए समझा जाने का निर्णय लिया गया है, फिर भी बैंकों को परिसरों आदि के प्रश्न को अंतिम रूप देने के पश्चात लाइसेंस जारी करने के लिए पुनः भारतीय यरिजर्व बैंक से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इन 33 केन्द्रों की अवस्थिति, जिनके लिए लाइसेंस लंबित चल रहे थे, विवरण में भी दी गयी हैं।

विवरण

शाखा, विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के अन्तर्गत ग्रामीण केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किये गये लाइसेंस और जा लम्बित हैं

केन्द्र का नाम	जिला	केन्द्र का नाम	जिला
1. सरहेमऊ	बाराबंकी	2. वेलवा	बस्ती
3. डूमरियादेव	गोण्डा	4. खालमा पीली भीत	प्रतापगढ़

5.	रामनगर	प्रतापगढ़	6.	दुर्गागंज बाजार	प्रतापगढ़
7.	रानीगंज धांडूपुर	रामपुर	8.	संग्रामगढ़	प्रतापगढ़
9.	इलपुर	रामपुर	10.	सहस्रधारा	प्रतापगढ़
11.	नरौठा देवीदास	शाहाजहांपुर	12.	रिहन्द नगर	शाहांजहांपुर

शाखा विस्तार कार्यक्रम 1985-90 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किये गये ग्रामीण लाइसेंस और 31.3.93 की स्थिति के अनुसार लंबित लाइसेंस

	केन्द्र का नाम	जिला		केन्द्र का नाम	जिला
1.	बांसबगाद	पिथौरागढ़	2.	कोटियाबाजार	सिद्धार्थ नगर
3.	घासीयारी बाजार	सिद्धार्थनगर	4.	बाभनी	सिद्धार्थ नगर
5.	पुरसारी	ऐटा	6.	कुसुमखेड़ा	फर्रूखाबाद
7.	मलौठा	हरदोई	8.	अखारी	टिहरी गढ़वाल
9.	महेशपुर	आजमगढ़	10.	सिकोरा	आजमगढ़
11.	इबराहीमपत्ती	बाल्लिया	12.	शेसपुर खाना	जड्पुर सहारनपुर
13.	घटेला	सहारनपुर	14.	नालसवागंज	सहारनपुर
15.	गल्जापुर	सहारनपुर	16.	मरपुर कला	गाजियाबाद
17.	उमरपुर	गाजियाबाद	18.	मलौन	गोरखपुर
19.	राकाहाट	गोरखपुर	20.	सैटाल	गोरखपुर
21.	दाहना	गाजियाबाद	22.	दाहना	गाजियाबाद
23.	दूहरी	गाजियाबाद	24.	कनिया	गाजियाबाद
25.	मन्केरी	बुलन्दशहर	26.	मन्दाखार	इलाहाबाद
27.	इहारी	गाजियाबाद	28.	मेल्खा	इलाहाबाद
29.	बैंकजलपुर	इलाहाबाद	30.	पसारा	इलाहाबाद
31.	जंगल बहादुर	गोरखपुर	32.	कुचेसर रोड चान्पला	गाजियाबाद
33.	सैदपुर	गाजियाबाद			

[अनुवाद]

बनारसी सिल्क साड़ियां

1403. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारसी सिल्क साड़ियों की गुणवत्ता तथा स्तर में बुनकरों को घटिया किस्म के कच्चे माल की सप्लाई करने के कारण निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वाराणसी में सिल्क साड़ी उद्योग के लिये अच्छी किस्म का कच्चा माल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार को इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश राज्य में अच्छी किस्म के रेशम की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में राज्य के वाराणसी और गाजीपुर जिलों में पांच वर्षीय पूर्वांचल रेशम विकास परियोजना को मंजूरी दी है जिसकी कुल लागत 719 लाख रुपये है। इसके साथ-साथ विश्व बैंक/स्विस से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम परियोजना के अन्तर्गत पाईलेट रेशम परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा अभिकरणों को वर्ष 1993-94 के दौरान पूंजी सहयोग की प्रथम किस्त के रूप में 27.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है ताकि राज्य में हथकरघा, बुनकरों, जिसमें बनारसी साड़ी के बुनकर भी शामिल हैं, को स्थिर मूल्यों पर अच्छी किस्म का रेशम धागा मिलता रहे।

राष्ट्रमण्डल देशों का दौरा

1404. **श्री बी. देवराजन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में राष्ट्रमण्डल देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन दौरों के क्या परिणाम निकले हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में एक पर्यटन संवर्धन शिष्टमण्डल 5.6.93 से 16.6.93 तक लंदन, हेलसिंकी, कोपेन्हगेन, एम्सटर्डम, मेड्रिड, पैरिस, लक्समबर्ग और फ्रैंकफूर्ट गया था। इनमें से केवल लंदन (यू.के) ही "राष्ट्रमण्डल" में शामिल है।

(ग) पर्यटन संवर्धन शिष्टमण्डल ने इस स्थानों का दौरा संबंधित देशों के यात्रा व्यवसाय तथा

उद्योग के सदस्यों से मिलने के लिए किया था। अयोध्या की घटनाओं और बंबई में बम विस्फोटों के पश्चात, भारत के प्रति एक गंतव्य-देश के रूप में फिर से विश्वास जमाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा थी यह यात्रा भारत को एक सुरक्षित और रोमांचकारी गंतव्य-देश के रूप में प्रस्तुत करने और यात्रा व्यवसाय के लिए अनुकूल विपणन वातावरण मुहैया कराने की दिशा में एक प्रयास था ताकि भारत का संवर्धन पर्यटक गंतव्य-देश के रूप में किया जा सके। नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में इस शिष्टमण्डल की यात्रा से भारत के लिए पर्यटन का संवर्धन करने में और इन देशों से पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी-निवेश को आकृष्ट करने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

1405. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) कौन-कौन सी मिलें घाटे में चल रही हैं; और

(ग) सरकार ने इन मिलों को लाभ में चलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा महाराष्ट्र में 35 वस्त्र मिलें चलाई जा रही हैं।

(ख) इन मिलों में से 33 मिलों ने अप्रैल-सितम्बर, 1993 के दौरान घाटा उठाया है।

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र में एन टी सी मिलों सहित एन टी सी की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के प्रमुख तत्वों में चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय पुनःसंरचना और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत फालतू कामगारों का सुव्यवस्थीकरण शामिल है। यह आशा की जाती है कि महाराष्ट्र में एन टी सी सहित इसकी मिलें इस सर्वांगीण सुधार नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर तीन वर्षों में लाभ प्राप्त करने योग्य हो जाएंगी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत एन टी सी (एस एम) और (एम एन) लि. की मिलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कानपुर को विमान सेवाएं

1406. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर को विमान सेवाएं नियमित हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कानपुर को विमान सेवाएं नियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). इस समय कानपुर विमान मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। अपर्याप्त यातायात मांग के कारण इंडियन एयरलाइंस ने 20.5.1992 से कानपुर के लिये अपनी उड़ाने वापस ले ली हैं। वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक दोनों कारणों से इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत कानपुर के लिये सेवाएं पुनः चालू करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

1407. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विशेषतः बिहार में बकाया ऋण राशि की वसूली और नए ऋण देने में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों के संवितरण और वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन में कमी आई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है :

(करोड़ रुपये)

	जारी किए गए ऋण (अप्रैल-मार्च)	वसूल किए गए ऋण (जुलाई-जून)	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1990-91	66.96	67.68	32.73
1991-92	44.93	30.78	14.00
1992-93*	36.07	10.24	13.62

*आंकड़े अन्तिम (1992-93 के आंकड़े राज्य में 22 में से 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में हैं)

असंतोषजनक वसूली कार्यनिष्पादन से बैंकों की पुनः उधार देने के लिए अपनी निधियों के पुनर्निवेश करने की क्षमता में रुकावट उत्पन्न होती है। अधिक पुनर्वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों से उधार लेने की बैंक की क्षमता भी प्रतिबंधित होती है। कम वसूली अनेक कारकों जैसे प्राकृतिक आपदा, ऋण के अंतिम उपयोग पर अपर्याप्त पर्यवेक्षण, ऋण काफी, वसूली प्रयासों में स्थानीय प्रशासन का अपर्याप्त समर्थन और जानबूझकर चूक करना, से हो सकती है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से, उन्हें अन्य बातों के साथ ही निम्नलिखित सुनिश्चित करने को कहा गया हैं :

(i) अन्य बातों के साथ-साथ, गैर सरकारी कारबार के कार्य दिवस का ऋणकर्ताओं के पास दौरा करने के लिए उपयुक्त, रूप से उपयोग करना, विशेष रूप से उनके पास जिनसे वापसी अदायगी नहीं हो रही है।

(ii) सभी अतिदेय अग्रिमों को पुनरीक्षा की जाए और डी आई सी जी सी के पास दावे दर्ज किए जाने चाहिए और जहां वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की देयताओं के लिए उपयुक्त वसूली अधिनियमें के अधिनियमन द्वारा तलवार समिति की सिफारिशों के आधार पर कानून पारित किया गया है, वसूली संबंधी दावे भी साथ-साथ दायर किए जाएं।

(iii) जहां कहीं लोक अदालतें स्थापित हो गई हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है;

(iv) जान बूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रारम्भ की जाएं।

(v) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सभी ऋण खातों के संबंध में वसूली स्थिति की ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति (वी एल बी सी) जिला समन्वय समिति (डी सी सी) आदि मंचों पर समीक्षा की जानी चाहिए और राज्य सरकार के अधिकारियों का सहयोग वसूली संबंधी अभियान के लिए प्राप्त करना चाहिए; और

(vi) जबकि ऋण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समस्त प्रयास किए जाए निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए और अग्रिमों के दुरुपयोग के मामले में तुरंत कदम उठाए जाएं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सामान्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नए ऋणों के 40% से अनधिक की सीमा तक गैर लक्ष्यगत उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोजक बैंकों से कहा है कि वे उनके पास रखी गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्त एस एल आर सावधि जमाराशियों तथा अन्य सावधि जमाराशियों पर न्यूनतम 13.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करें।

(iii) 1.4.93 से भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके पास रखी गई चालू खाते की शेष राशियों की ब्याज दरों में वृद्धि करके उसे 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत वार्षिक करें।

(iv) क्षेत्रीये ग्रामीण बैंकों को 15 लाख रुपए से अनधिक के परिव्यय वाले लघु एवं अति लघु औद्योगिक एकर्कों को दिए गए उनके ऋणों के लिए 10 लाख रुपए तक शत प्रतिशत पुनर्वित्त प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात में श्रम न्यायालयों में निर्णयाधीन मामले

1408. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न श्रम न्यायालयों में कितने मामले निर्णयाधीन हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले एक लंबे समय से लंवित हैं; और

(ग) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.7.93 की स्थिति के अनुसार श्रम न्यायालयों के समक्ष 1,08,998 मामले लंबित थे। इसमें पांच वर्षों से ज्यादा दिनों से लंबित 17,806 मामले और 10 वर्षों से ज्यादा दिनों से लंबित 968 मामले शामिल हैं।

(ग) इन मामलों के निपटान के लिये किये गये उपायों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों को भरना, अतिरिक्त श्रम न्यायालय स्थापित करना और जहां संभव हो लोक अदालतें आयोजित करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्टाम्प शुल्क की दरें

1409. **श्री विजय. एन. पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्टाम्प शुल्क की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं जबकि अमरीका में यह कुछ भी नहीं है और ब्रिटेन में एक प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो विदेश में इस कम स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत किये जा रहे व्यापार का क्या प्रभव पड़ता है;

(ग) क्या सरकार की योजना स्टाम्प शुल्क की दरों को कम करके विश्व के अन्य देशों में चल रही दर के समान लाने की है;

(घ) यदि हां; तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) स्टाम्प शुल्क की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। यूनाइटेड किंगडम/संयुक्त राज्य अमरीका के संदर्भ में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ). स्टाम्प शुल्क में सामान्य रूप से कमी किए जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में बेरोजगार विकलांग व्यक्ति

1410. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रोजगार कार्यालयों में 31 अक्तूबर, 1993 तक कितने विकलांग व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) उनमें से कितने विकलांग व्यक्तियों को गत तीन वर्षो के दौरान रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण कोटा भरा जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 31 दिसंबर, 1992 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) गुजरात में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, 12911 थी।

(ख) 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान गुजरात में रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी में लगाये गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 507, 367 तथा 813 थी।

(ग) एवं (घ). आरक्षित कोटे में भरी गयी रिक्तियों संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विकलांगों की आश्यकताओं को पूरा करने तथा उपर्युक्त रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए चार विशेष रोजगार कार्यालय अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट तथा सूरत में कार्य कर रहे हैं। मेहसाना स्थित रोजगार कार्यालय में भी विकलांगों हेतु विशेष कक्ष खोला गया है। केन्द्र के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों, बैंकों इत्यादि के संबंध में विकलांगों के लिए आरक्षित वर्ग "ग" एवं "घ" की रिक्तियों को भरने के लिए तीन विशेष भर्ती अभियान चलाये गये हैं।

भारतीय निजी बैंकों पर विदेशी इक्विटी

1411. **श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निजी बैंकों में विदेशी इक्विटी का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय सार्वजनिक बैंकों पर इसका क्या प्रभाव है;

(ख) क्या भारतीय सार्वजनिक बैंकों ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान बैंकों में एन आर आई, विदेशी कार्पोरेट निकायों आदि की कोई इक्विटी भागीदारी नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र के नए बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गनिर्देशों के अनुसरण में कुछ आवेदकों ने अपने आवेदन पत्रों में बताया कि वे एन आर आई, विदेशी कार्पोरेट निकायों आदि से निधियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि किसी बैंककारी कंपनी की प्राथमिक इक्विटी में 40

प्रतिशत तक की एन आर आई भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। विदेशी बैंककारी कंपनी या वित्त कंपनी के मामले में इक्विटी भागीदारी को 20 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है। फिर भी, एन आर आई/विदेश इक्विटी भागीदारी के साथ गैर सरकारी क्षेत्र में अभी तक कोई नया बैंक स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के नए प्रस्तावित बैंकों में एन आर आई/विदेशी इक्विटी भागीदारी के विरुद्ध सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों से अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर ब्याज की दर

1412. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर ब्याज की दर कम करने का है;

(ख) क्या राज्य सरकार की वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसी कमी को कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) गत दो वर्षो के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये निवेश का अनुपात विदेशी बैंकों की तुलना में कितना रहा; और

(घ) क्या ब्याज की दर में कटौती करने से विदेशी बैंकों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से अधिक लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क)भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि मुद्रास्फीति की दर के गिरावट के रुख और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की जमा/ऋण संबंधी दरों को कम किए जाने को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं ने 19 नवम्बर, 1992 से ब्याज दरों में अधोमुखी संशोधन किया है और न्यूनतम उधार दर को 17.5% से कम करके 15.5% वार्षिक कर दिया है। ब्याज कर सहित वर्तमान ब्याज की मात्रा 15.5% - 18.5% है। इस मात्रा के अन्तर्गत ही जोखिम की जानकारी और ऋणकर्ताओं की ऋण की पात्रता के अनुसार ब्याज दरें वसूल की जाती हैं।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो अपनी-अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के तहत राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करते हैं, ने योजनाओं के तहत 8 सितम्बर 1993 से ब्याज की दर को 15.5% से 15.0% तक घटा दिया है। तदुपरान्त, राज्य स्तरीय संस्थाओं को अंतिम ऋणकर्ताओं के लिए वसूल की गई 19.0% के दर के स्थान पर 18.5% प्रतिवर्ष अधिकतम ब्याज वसूल करने को कहा गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न के इस भाग का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। भारत में विकास संबंधी वित्तीय संस्थाएं सावधि ऋण के क्रियाकलापों के कार्य करती है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह विदेशी बैंक मूल रूप से कार्यशील पूंजी वित्त और अल्पावधि ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य करते हैं।

भारत-आयरिश द्विपक्षीय समझौता

1413. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सितंबर, 1993 में आयरलैंड के राष्ट्रपति के भारत के दौरे के दौरान किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को परस्पर लाभ के लिए आयरलैंड के साथ संयुक्त उद्यम लगाने और औद्योगिक आर्थिक विशेषज्ञता में भागीदारी करने का भी आमंत्रण मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). आयरिश राष्ट्रपति ने आयरलैंड में भारतीय कम्पनियों के अवसरों और तीसरे देशों में भारत आयरिश सहयोग की संभाव्यता का उल्लेख किया है।

छोटे बैंकों की स्थापना

1414. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमित शाखाओं और सीमित कार्यक्षेत्र वाले छोटे बैंकों की स्थापना में प्रोत्साहन देने की संभावना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बैंक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). भारतीय रिर्जव बैंक ने गैर सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए जनवरी, 1993 में मार्ग निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इन मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ये बैंक, ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

1415. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे योजना और देश की अर्थव्यवस्था में रखे गये उद्देश्यों के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों की अतिरिक्त शेयर पूंजी को देखते हुए चालू वर्ष (1993-94) के बजट में 5,700/- करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अतिरिक्त शेयर पूंजी आबंटित करने से पहले अन्य बातों के साथ साथ स्टाक उत्पादकता, आस्ति प्रबंधन और निष्क्रीय परिसम्पत्तियों आदि के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक करार करना होता है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यनिष्पादन और पर्यवेक्षण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से परिणाम योग्य कार्य निष्पादन पैरा मीटरों और कार्य सम्पादन के मूल्यांकन के महत्व के बारे में बताया है।

एयर टैक्सी आपरेटरों द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

1416. **श्री हरिन पाठक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सी आपरेटरों ने विमानों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर टैक्सी आपरेटरों ने इस संबंध में सीमा शुल्क का पूरा भुगतान किया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे प्रत्येक आपरेटर पर सीमा शुक्ल की कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) इन आपरेटरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार किया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं

1417. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विगत तथा चालू वर्ष में दाता देशों पर जिन व्यवसायों में भारत को तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु चुना गया था उनका व्यवसाय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से उड़ीसा से विभाग-वार चुने गए व्यक्तियों की संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जिन क्षेत्रों में कोलम्बो योजना के तहत वर्ष 1992-93 तथा चालू वर्ष में विभिन्न दानकर्ता देशों द्वारा भारत को तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई वे इस प्रकार हैं : कृषि, उद्योग, आधार, ढांचा संबंधी क्षेत्र (जिनमें विद्युत, कोयला, रेलवे, बन्दरगाह, सड़कें और सड़क-परिवहन तथा संचार शामिल हैं), प्राकृतिक संसाधन (पर्यावरण और जल संसाधनों सहित), ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जनसंख्या। इस अवधि के दौरान कोलम्बो योजना के तहत जिन दानकर्ता देशों ने भारत को तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी सहायता मुहैया कराई है, वे हैं : यूनाइटेड किंग्डम, जापान, आस्ट्रेलिया और थाईलैंड। इनमें से प्रत्येक देश ने जिन क्षेत्रों में भारत को प्रशिक्षण स्थान उपलब्ध कराए तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) अपनाई गई प्रथा के अनुसार, किसी भी तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विशेष के लिए, सामान्यतया उन व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संबंधित क्षेत्रों में अथवा उस क्षेत्र में संबंधित दानकर्ता देश द्वारा सहायता-प्राप्त परियोजना में कार्य कर रहे होते हैं। इस प्रकार विवरण में दिए गए विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों का विवरण प्रशिक्षणार्थियों के क्षेत्र/व्यवसाय-वार विवरण भी इंगित करता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोलंबो योजना के अन्तर्गत विदेशों द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध करायी गई तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं

	क्षेत्र का नाम	यू.के		जापान		आस्ट्रेलिया		थाईलैंड	
		1992-93	93-94	1992-93	93-94	1992-93	93-94	1992-93	93-94
1.	कृषि	31	5	2	4	14	-	1	-
2.	उद्योग	3	-	9	7	-	-	-	-
3.	प्राकृतिक संसाधन	172	70	2	1	1	-	-	-
4.	ग्रामीण विकास	20	23	-	-	-	-	-	-
5.	अवसंरचना	250	50	38	16	17	-	-	-
6.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी	30	6	3	1	-	-	-	
7.	स्वास्थ्य	66	25	8	2	6	-	-	-
8.	शहरी विकास	26	12	1	-	-	-	-	-
9.	शिक्षा	60	14	30	30	-	-	-	-
10.	जनसंख्या	8	-	-	-		-	-	-
11.	अन्य	30	-	25	21	-	-	-	1

टिप्पणी : *वर्ष 1993-94 के लिए आंकड़े 30 नवम्बर, 1993 तक के हैं।

कर की बकाया राशि

1418. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर की बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है और इसके कारण राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान आयकर तथा निगमित कर की संचित बकाया राशि कितनी है और तत्संबंधी प्रथक-पृथक आंकड़े क्या हैं और गत तीन वर्षों के साथ इनकी तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए किन कारणों की पहचान की गई है; और

(घ) बकाया राशि वसूल करने और इसके पहचान किए गए कारणों के उपचार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1992-93 और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर और निगम कर (दोनों मिलाकर) की संचित बकाया धनराशि इस प्रकार है :

(रु. करोड़ों में)

1992-93	1991-92	1990-91	1989-90
5149.33	4219.02	3936.42	4356.26

इन आकंड़ों में न्यायालयों, आयकर अपीलीय अधिकरण, समझौता आयोग द्वारा आस्थगित मांगें और देय हुई तथा भुगतान की गई परन्तु सत्यापन के लिए लम्बित मांगें शामिल नहीं हैं।

कर की बकाया धनराशियों में पिछले चार वर्षों में घटती-बढ़ती हुई हैं और सम्पूर्ण रूप से इसमें थोड़ी वृद्धि दिखाई देती है। फिर भी, इसके कारण राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) कुल बकाया करों में पिछले वर्षों के बकाया वसूल न किए गए कर और वर्ष के दौरान की गई सकल मांग का वसूल न किया गया हिस्सा शामिल है। चूंकि इन वर्षों में सकल मांग लगातार बढ़ती रही है, अतः बकाया धनराशियों में वृद्धि की प्रवृत्ति स्वाभाविक है।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनिर्णीत अपीलों के मामलों में वसूल हो सकने वाली बकाया धनराशि का कुछ हिस्सा आस्थगित रखा जाता है और वास्तविक कठिनाईयों के मामलों में बकाया धनराशि की वसूली के लिए किस्तों की मंजूरी दी जाती है।

(घ) जहां तक इन बकाया धनराशियों की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों का प्रश्न है, बकाया मांग में कमी के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है और इसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी एवं दूसरे उपाय किए जाते हैं। बड़े मामलों में संचिकाएं (डोजियर) रखी जाती हैं और स्थिति

की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। अधिक राजस्व की रकम वाले महत्वपूर्ण मामलों में विशेष काउंसेल (वकील) रखे जाते हैं ताकि जहां आवश्यक समझा जाए सरकार के दृष्टिकोण का बचाव किया जा सके। जहां आवश्यक हो, शीघ्र सुनवाई और स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए न्यायालयों का भी सहारा लिया जाता है। बकाया धनराशि की मांग की तुरन्त वसूली के लिए उचित मामलों में विभाग द्वारा सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री, दण्ड लगाने, आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।

कुशल श्रमिक निर्यात परिषद

1419. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को भारतीय मूल के कुशल श्रमिक तथा अन्य व्यावसायिक व्यक्ति भेजने के उद्देश्य से कुशल श्रमिक निर्यात परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रूग्ण औद्योगिक इकाइयां

1420. **श्री छीतूभाई गामीत** :

श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को 1991, 1992 और 1993 के दौरान अब तक रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के राज्य-वार कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास भेजी गई औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के क्या कारण हैं; और इन इकाइयों में कुल कितना निवेश किया गया;

(ग) ऐसी कितनी इकाइयों को अन्य कम्पनियों को सौंपा गया है;

(घ) शेष रूग्ण एककों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष बड़ी संख्या में लम्बित पड़े मामलों के संबंध में इन इकाइयों को पुनः चालू करने संबंधी एक मुश्त योजना को अंतिम रूप देने के बारे में निर्णय

लेने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि जनवरी 1991 से नवम्बर 1993 तक की अवधि के दौरान 456 मामले दर्ज किये गये थे। राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रबंधकीय अक्षमता, परियोजनापूर्व मूल्यांकन की कमी, समय पर ऋण की अनुपलब्धता, विजली की आपूर्ति में रूकावट, बाजार क्षमता और परिचालनों में परिवर्तन, प्रौद्योगिक अप्रचलन, निम्न उत्पादकता, आधुनिकीकरण की कमी इत्यादि सहित विभिन्न कारणों से कम्पनियां रूग्ण हो जाती हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास दर्ज कराई गई इन 456 कम्पनियों की संचित हानियां और निवल मालियत क्रमशः 11,908 करोड़ रुपए और 3,180 करोड़ रुपए की है।

(ग) और (घ). बी आई एफ आर के पास जनवरी 1991 से नवम्बर 1993 तक दर्ज कराये गए 456 मामलों में से 181 मामलों का अंतिम रूप से निपटान किया जा चुका है। इसमें ये शामिल हैं : 51 मामले जो पुनरूज्जीवन की ओर अग्रसर हैं, बंद किये जाने की सिफारिश वाले 26 मामले, एक वह मामला जिसमें निवल मालियत सकारात्मक होने के कारण कार्रवाई रोक दी गई है और भरण-पोषण योग्य न होने के कारण खारिज कर दिये गये 103 मामले रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार शेष 275 मामले प्रक्रियाधीन हैं।

(ङ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि जांच पड़ताल के विभिन्न चरणों में सभी संबंधितों को उचित अवसर देने के पश्चात और सभी संबंधितों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनरूद्धार पैकेज तैयार किये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1991 से नवम्बर, 1993 के दौरान दर्ज किये गये मामलों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	अपेक्षित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	61
2.	बिहार	15
3.	दादर एवं नगर हवेली	1
4.	गोवा दमन एवं दीव	1
5.	गुजरात	25

6.	हरियाणा	13
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2
9.	केरल	29
10.	कर्नाटक	31
11.	मध्य प्रदेश	19
12.	महाराष्ट्र	67
13.	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	13
15.	पांडिचेरी	4
16.	पंजाब	12
17.	राजस्थान	18
18.	तमिलनाडु	31
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	67
21.	पश्चिम बंगाल	31
22.	असम	6
	जोड़	456

जेवरात खरीदने के लिए ऋण

1421. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक ने जेवरात खरीदने के लिए ऋण देने की कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यह किस सीमा तक सरकार की ऋण नीति के अनुरूप है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) इंडियन ओवरसीज बैंक ने जेवरात

खरीदने के लिए ऋण देने हेतु कोई अद्वितीय योजना शुरू नहीं की है। उसने 1960 से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद हेतु मेहनतकशों के लिए उपभोक्ता ऋण शुरू किए थे। पात्रता के लिए सख्त शर्तों के साथ ऐसे ऋण, उनके अपने कर्मचारियों के लिए भी कार्मिक ऋण योजना के तहत उपलब्ध हैं। कार्मिक ऋण योजना के तहत 5 माह की सकल वेतन के बराबर के ऋण उन पात्र ऋणकर्ताओं को स्वीकृत किये जा सकते हैं, जो भली भांति कार्यरत हैं, बशर्ते कि वे कुछ अन्य शर्ते भी पूरी करते हों। ऐसे ही, 5 माह के सकल वेतन तक के ऋण उन बैंक कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाते हैं, जिन्होंने बैंक में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा कुछेक अन्य शर्ते पूरी करते हैं। इन कर्मचारियों के मामले में 5 माह के सकल वेतन की पात्रता में से ही 25,000 रु. से अनधिक का एक भाग, जेवरात खरीदने के लिए वाणिज्यिक दरों पर तिमाही अन्तरालों में दी जाती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह योजना, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, का उल्लंघन नहीं करती है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक

1422. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) उन एसोसिएट बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी दशा बहुत खराब है; और

(घ) सरकार ने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के समस्त बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करता है। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का इस प्रकार का पिछला निरीक्षण 31.3.92 की स्थिति के अनुसार किया गया था।

(ख) और (ग). इस निरीक्षण के अनुसार, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक के समस्त सहयोगी बैंकों की वित्तीय स्थिति का कोटि निर्धारण "अच्छा" के रूप में किया गया है। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, जिसका कोटि निर्धारण पहले "अच्छा" के रूप में किया गया था, अनियमित प्रतिभूति लेनदेनों में उसके एक्सपोजर के कारण उसका दर्जा घटाकर "असंतोषजनक" कर दिया गया।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में सूचित कर दिया है।

[अनुवाद]

समझौता आयोग के पास आवेदन

1423. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समझौता आयोग (आयकर और धनकर) की प्रमुख पीठ तथा अन्य पीठों में पीठ-वार कितने आवेदन दाखिल किये गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त आयोग की प्रमुख पीठ तथा अन्य पीठों में वर्ष-वार कितने आवेदन स्वीकार किये गये; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुरक्षक अथवा जो आवेदन एक ही आंकलन वर्ष के लिए एक ही आवेदक द्वारा दिये गये एक अन्य आवेदन स्वीकार किये जाने के कारण अस्वीकार किये गये थे, को छोड़कर गुणवत्ता के आधार पर कितने आवेदन अस्वीकार किये गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पीठ	दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या			स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या			गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत आवेदनों की संख्या		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
प्रधान पीठ, दिल्ली	192	168	157	130	46	172	44	16	1
अतिरिक्त पीठ, बम्बई	86	227	205	65	77	174	63	38	8
अतिरिक्त पीठ, कलकत्ता	121	98	169	61	106	128	2	2	4
अतिरिक्त पीठ, मद्रास	56	75	134	97	89	76	48	13	4
कुल	455	568	665	353	318	550	157	69	17

काजू प्रसंस्करण उद्योग

1424. **श्री एन. डेनिस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उद्योग को, अंर्तराष्ट्रीय बाजार में बाहरी देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) भारत की प्रतिस्पर्धा में कौन से देश काजू का उतपादन करते हैं; और

(ग) काजू प्रसंस्करण उद्योग के हितों की रक्षा करने तथा काजू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख). ब्राजील, मोजाम्बिक, तन्जानिया, चीन, इंडोनेशिया तथा कीनिया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजूगिरी के भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।

(ग) कृषि मंत्रालय ने कच्चे काजू के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई एक परियोजनाएं बनाई हैं। इनमें शामिल हैं :-

(1) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति;

(2) पुनर्रोपण कार्यक्रम;

(3) वैज्ञानिक कृषि को लोकप्रिय बनाना;

(4) बेकार पड़ी भूमि में रोपण की योजना।

विदेशी क्रेताओं की काजूगिरी की मांग को पूरा करने के लिए काजूगिरी के संसाधक निर्यातकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे कच्चे काजू की अपनी आवश्यकता को चाहें तो देशी स्त्रोतों से पूरा करें अथवा अपनी कुल आवश्यकताओं के लिए उसका निःशुल्क आयात करें।

एकीकृत विनिमय दर को लागू करना, कतिपय शर्तों के अध्यधीन काजूगिरी के लदानपूर्व अनिवार्य निरीक्षण को समाप्त करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरकार द्वारा काजूगिरी के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, काजू निर्यात संवर्धन परिषद विदेशों में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेती है और अन्य देशों में आयातकों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करती है। काजू निर्यात संवर्धन परिषद उन देशों को शिष्टमंडल भी भेजती है जिनको निर्यात बढ़ाने की संभाव्यता है।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ के आयात पर रोक

1425. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ के आयात पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ की खेती पर राज सहायता बढ़ाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). प्राकृतिक रबड़ की केवल उतनी ही मात्रा के आयात की अनुमति दी जाती है जिससे की मांग-सप्लाई का अन्तर पूरा किया जा सके। वर्ष 1993-94 के लिए प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत का अनुमान क्रमशः 4,40,000 मी.टन और 4,51,000 मी.टन लगाया गया है। मांग तथा सप्लाई का अन्तर पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1993-94 के कम उत्पादन वाली अवधि के दौरान रबड़ उपभोक्ता उद्योग को 10,000 मी.टन प्राकृतिक रबड़ आयात करने की अनुमति दी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वास्तविक आयात केवल 4131 मी. टन हुआ।

सिंथेटिक रबड़ के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के तहत दी गई है।

(ग) तथा (घ). रबड़ बागान विकास योजना के तहत नए रोपण तथा पुनर्रोपण के लिए दी जाने वाली इमदाद को मौजूदा 5,000रु. प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 8,000 रु. प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। पोली बैग वाले पौधों के प्रयोग हेतु दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मौजूदा 2700 रु. प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 3,000 रु. प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। ये संशोधित ऊँची दरें वर्ष 1993-94 से लागू होंगी।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग

1426. **श्री के. प्रधानी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सितम्बर, 1992 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

लघु उद्योगों को ऋण सहायता

1427. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को सावधिक ऋण सहायता देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पुनर्वित्त सुविधा देने के संबंध में कतिपय छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उनकी योजनाएं किसी विशेष राज्य के संदर्भ में नहीं बनाई जाती हैं। सिडबी अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत गुजरात सहित पूरे देश में लघु और अति लघु उद्योग क्षेत्र के एककों का राज्य वित्तीय निगमों (एस एफ एस) राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एस आई डी सी) और बैंकों के माध्यमं से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

सिडबी से पुनर्वित्त सहायता के लाभ उठाने और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता के अबाध प्रवाह को सुगम बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के उपाय के रूप में सिडबी ने अपनी स्वतः पुनर्वित्त योजना (ए आर एस) के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र सावधि ऋण पर सीलिंग को 1 अप्रेल, 1993 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रति एकक 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक बढ़ाया है। सिडबी ने सकल खिड़की योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी घटक को छोड़कर, जहां पुनर्वित्त नकद ऋण के 75% तक है, ए.आ.एस. और सामान्य पुनर्वित्त योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सावधि ऋणों की राशि के पुनर्वित्त को 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है।

जयपुर हवाई अड्डे का विस्तार

1428. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि आवंटित की है और इस प्रयोजनार्थ अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 23.5 लाख रूपए के भुगतान पर 11.24 एकड़ भूमि प्राप्त की है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने धावनपथ को 5975 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5.90 करोड़ रुपए की लागत पर टर्मिनल भवन के विस्तार और उसमें सुधार का काम शुरू कर दिया है।

सेलम में हवाई अड्डा

1429. **डा. (श्रीमती) के.एस.सौन्द्रम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के सेलम में हवाई अड्डा बनाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) पूरा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और हवाई अड्डे से विमान सेवा चालू करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस हवाई अड्डे से कब से विमान सेवा चालू हो जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों (1.4.90 से 31.3.93) के दौरान सेलम हवाई अड्डे के निर्माण के लिये 666 लाख रुपये स्वीकृत किये गए थे। इसके विपरीत 570.60 लाख रूपये खर्च हुये हैं।

(ख) और (ग). सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे कर लिये गए हैं। हवाई अड्डे को प्रचालनात्मक भी घोषित कर दिया गया है।

मुद्रा प्रसार

1430. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1993 तथा सितम्बर, 1993 के बीच जनता में मुद्रा प्रसार में कितनी वृद्धि हुई और यह गत दो वित्तीय वर्षों की इसी अवधि की तुलना में कितनी है; और

(ख) सरकार मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) 1993, 1992, 1991 में अप्रैल और सितम्बर के बीच जनता के पास मुद्रा प्रसार (एम 3) में हुई वृद्धि नीचे दर्शायी गई है :

	पूर्ण (करोड़ रुपए)	प्रतिशत
(1) 1 अप्रैल से 17 सितम्बर, 1993	27,594	7.6
(2) 2 अप्रैल से 18 सितम्बर, 1992	24,434	7.7
(3) 1 अप्रैल से 20 सितम्बर, 1991	19,116	7.2

खाड़ी देशों को उड़ानें

1431. **श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों के बीच संयुक्त उड़ानें शुरू करने के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में औपचारिकताओं पर विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। उपलब्ध विमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयरइंडिया ने कालीकट से मस्कट, दुबई और आबूधाबी के लिए संयुक्त उद्यम उड़ानें प्रचालित करने के लिए करार किया है।

(ग) और (घ). जी, हां। इंडियन एयरलाइंस के ए-320 विमान का उपयोग करके तथा एयर इंडिया की उड़ान संख्या के साथ 15 दिसम्बर, 1993 से, प्रति सप्ताह कुल 12 उड़ानें प्रचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्रों का विकास

1432. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से इन राज्यों में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को जनता कपड़ा की आपूर्ति

1433. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में गरीब वर्ग के लोगों को जनता कपड़ा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को जनता कपड़ा के वितरण के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष गुजरात को आपूर्ति किया गया जनता कपड़ा वास्तविक मांग की तुलना में अपर्याप्त था;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रतिवर्ष गुजरात द्वारा मांग किए गए तथा राज्य को वास्तव में आपूर्ति किए गए जनता कपड़ा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात में छोटा उदयपुर के ग्रामीण और सुदुर क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को जनता कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) जी हां।

(ख) जनता कपड़ा तैयार करने वाले प्रत्येक राज्य को अनुमति दी गई है कि वह राज्य में उत्पादित समस्त जनता कपड़े का राज्य में ही उपयोग कर ले।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गुजरात में तैयार किए गए जनता कपड़े को गुजरात राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, उचित दर दुकान और गुजरात राज्य की हथकरघा अभिकरणों के विक्रय केंद्रों के माध्यम से लक्षित उपभोक्ताओं को जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता भी शामिल हैं, बेचा जाता है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

1434. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 नवम्बर, 1993 के "इकोनामिक टाइम्स" नई दिल्ली में "यू.एस. रिजोल्युशन प्रिकर्सर टू बैन आन चाइल्ड लेबर इम्पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जहां तक बाल श्रमिकों को रोजगार देने वाले भारतीय उद्योगों को संबंध है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में कालीन करघा मालिकों के चंगुल से बंधुआ बाल श्रमिकों को मुक्त कराने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित विधान न तो किसी विशिष्ट देश व न ही किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए है। विभिन्न निर्यात उद्योगों पर इसके वास्तविक प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि वास्तविक प्रभाव, संबंधित नियोक्ताओं, विनिर्माताओं व निर्यातकों द्वारा बाल श्रम को नियोजित न करने के लिये, व कल्याण एवं पुर्नस्थापना गतिविधियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए उठाये गये कदमों पर निर्भर करता है। सरकार ने विशेष रूप से कालीन क्षेत्र में विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बाल श्रम संबंधी उपबंधों के प्रवर्तन की कार्रवाई तेज कर दी है।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बंधित बाल श्रमिकों सहित बंधित श्रमिकों की पहचान करने व इस पद्धति का उत्सादन करने का प्रावधान है। जहां भी बाल श्रमिकों को बंधुआ परिस्थिति में कार्यरत पाया जाता है, राज्य सरकारें अपने प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से उन्हें मुक्त कराने व उन्हें उनके माता-पिता के पास वापिस भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं। इस अधिनियम की धारा 16 और 20 के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही सहित अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारें समुचित प्राधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अदायगी योजना

1435. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अदायगी योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). इंजीनियरी वस्तुओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अदायगी योजना इस समय प्राइमरी इस्पात के उत्पादकों पर लगाए गए उपकर के आधार पर चल रही है। आई.पी.आर.एस. के भावी स्वरूप पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और सरकार ने अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है।

एयर इंडिया के विमानचालकों द्वारा हड़ताल

1436. **श्री राम नाईक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** 27 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4881 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के प्रबंधन ने उपयुक्त प्रक्रिया तय करने के लिए यह मामला संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ानों को आकस्मिक रूप से रद्द करने से बचने के लिये बनायी गयी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे उन मामलों में कर्मीदल के सदस्यों को नहीं रोकेंगे जिनमें वे अंतर्ग्रस्त न हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्देशीय उड़ानों में खान-पान सेवा

1437. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस की अंतर्देशीय उड़ानों में खान-पान सेवा में कोई सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर इंडियन एयरलाइंस ने कितनी अतिरिक्त राशि व्यय की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इकोनोमी श्रेणी में किया गया अतिरिक्त खर्च 8.40 रुपए प्रति यात्री और एक्जिक्यूटिव/बिजनेस श्रेणी में किया गया अतिरिक्त खर्च 21.80 रुपये प्रति यात्री है।

असंगठित क्षेत्र के लिए कल्याण योजनायें

1438. **श्री एस.बी.सिदनाल :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इनका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अब तक पहले से ही यदि ऐसी कोई योजनायें आरम्भ की हैं तो उनकी संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) से (ग). संबंधित कल्याण निधियों के अन्तर्गत शामिल बीड़ी कर्मकारों और खान कर्मकारों के लिये विद्यमान कल्याण योजनाओं में संशोधन करने के लिए सुझाव देने के लिये गठित कृतक बल की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कर्मकारों की आय-पात्रता-सीमा बढ़ाने, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य संबंधी कल्याण योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाने और शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में कुछ नयी योजनायें शुरू करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित सहायता सीमा को लागू करने और नयी योजनायें आरम्भ करने के यथा सम्भव शीघ्र प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना

1439. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से उनके मंत्रालय की विभिन्न कल्याणकारी निधियों के तहत आने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना फिर से तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है और बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु कोई विशेष पुरस्कार आरंभ किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

कल्याण निधियों में शामिल किये गये कर्मकारों के बालकों की शिक्षा से संबंधित योजनाओं को निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है :

(1) फिलहाल प्राथमिक कक्षाओं में पढने वाले बालकों के लिये दो योजनाएं हैं, पहली योजना एक जोड़ा वर्दी की खरीद के लिये प्रति बालक 50/- रु. की दर से प्रति वर्ष सहायता प्रदान किया जाना और दूसरी के अंतर्गत स्लेटें/पाठ्य पुस्तकें/कापियां खरीदने के लिए 10/- रु. से 25/- रु. तक की सहायता प्रदान करना जो उस कक्षा पर निर्भर करता है जिसमें छात्र पढ़ता है। दोनों योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है और प्रत्येक बालक को 125/- रु. प्रतिवर्ष की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) समितियों ने छात्रवृत्तियों की निम्नलिखित दरों का अनुमोदन किया है :-

	विद्यमान दरें	बढ़ी हुई दरें
ग्रुप-1 (कक्षा V और VI)	180/- रु.	250/-रु. प्रति वर्ष
ग्रुप-2 (कक्षा VII,VIII, IX और X)	360/- रु.	450/- रु. प्रतिवर्ष
ग्रुप-3 (XI, XII, आई.ए.आई सांइस आदि)	600/- रु.	700/- रु. प्रतिवर्ष

(वे सभी पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थियों को दसवीं परीक्षा पास कर लेने के बाद प्रवेश मिलता है)

ग्रुप-4 (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और वी.टी., एल.टी., बी.एड, तथा एल.एल.बी जैसे निम्न तकनीकी पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम)	900/- रु.	1000/- रु. प्रतिवर्ष
ग्रुप-5 (एम.बी.बी.एस. बी., बी.ई., बी.एस.सी. (एग्री.) जैसे अन्य उच्चतर तकनीकी पाठ्यक्रम, अनुसंधान तथा डाक्टरेट अध्ययन)	2400/- रु.	3000/- रु. प्रतिवर्ष

छात्रवृत्तियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी है। जहां तक संभव हो, स्कूल जाने वाले सभी बालकों को छात्रवृत्तियां 15% तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये 7 1/2% और बालिकाओं के लिये समग्र 50% आरक्षण को ध्यान में रखा जाता है।

(3) शिक्षा के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिये, ऐसे कर्मकारों के बालकों को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित विशेष पुरस्कार शुरू किये गये हैं:-

	प्रथम श्रेणी (60% से ऊपर) रुपये	द्वितीय श्रेणी (50% से ऊपर) रुपये	तृतीय श्रेणी (50% से कम) रुपये
(क) हाई स्कूल	500/-	350/-	250/-
(ख) प्लस 2/औद्योगिक व्यवसाय प्रमाण पत्र (आई टी आई)	750/-	500/-	350/-
(ग) स्नातक/3 वर्षीय व्यावसायिक डिप्लोमा	1000/-	750/-	500/-
(घ) व्यावसायिक डिग्री (बी ई/ एम बी बी एस/बी. आर्क आदि)	2000/-	1500/-	1000/-

(4) महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ऊपर की कक्षाओं में विद्यालय में प्रतिदिन की उपस्थिति पर बालिकाओं को 1 रु. दिया जाता है।

अंडों का आयात

1440. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितने अंडे आयात किये गये;

(ख) क्या हाल के वर्षों में अंडों का आयात बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद):

		विशेष पैथोजेन से मुक्त अंडों की मात्रा संख्या में
(क)	1990-91	19,500
	1991-92	41,600
	1992-93	1,17,600
		1,78,700

(ख) जी, हां।

(ग) इस आयात की अनुमति इसलिए दी गई है ताकि विभिन्न बिमारियों की रोकथाम के लिए कुक्कुट-टीकों सहित विभिन्न पशुधन टीकों का उत्पादन किया जा सके तथा नैदानिक एजेंट, रिएजेंट एवं बायोलोजिकल्स का उत्पादन किया जा सके।

असम में भारतीय जीवन बीमा निगम की आवास योजनाएं

1441. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने असम में कुछ आवास योजनाएं शुरू की हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होने की आशा है; और

(घ) ये योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

1442. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निजी उद्योगों और फैक्टरियों में लाखों श्रमिकों को प्रतिदिन 8 घन्टे से लेकर 12 घन्टे तक कार्य करना पड़ता है, परन्तु उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार निर्धारित मजदूरी न दिए जाने के संबंध में सरकार को 1991-92 और 1992-93 के दौरान श्रमिकों की कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राइवेट फैक्टरियों में कार्यरत श्रमिकों को कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य सभी सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत समुचित सरकार है, ने सूचना दी है कि दिल्ली के निजी उद्योगों और कारखानों में अधिकांश श्रमिकों को 8 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाती है। तथापि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने अथवा समयोपरिकार्य के लिये मजदूरी न देने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली थी। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये 1991-92 में 993 और 1992-93 में 1147 अभियोजन दायर किये।

(ग) और (घ). सरकार दिल्ली के निजी उद्योगों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य सभी प्रकार की सुविधायें देने का प्रयास कर रही है। निरीक्षकों और श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मकारों को सभी स्वीकार्य सुविधायें दी जा रही हैं। श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किसी व्यक्ति तथा व्यवसाय संघों से प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जाती है। चूककर्ता प्रबंधनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

1443. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान शाखायें अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए इस संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह समीक्षा कब तक हो जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राजय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). वर्ष 1985-90 की शाखा विस्तार नीति का उद्देश्य, प्रत्येक खण्ड में, ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रति बैंक कार्यालय के हिसाब से 17,000 की जनसंख्या कवरेज (1981 की जनगणना के अनुसार) प्राप्त करना था ताकि बैंकिंग संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता में व्यापक स्थान-अन्तरों को दूर किया जा सके जिससे कि आम तौर पर कोई भी ग्रामीण शाखा 10 कि.मी. की दूरी पर उपलब्ध हो जाये। पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों तथा छिटपुट आबादी वाले क्षेत्रों में असाधारण बातों को देखते हुए जनसंख्या संबंधी मानदण्डों में छूट देकर, उसे प्रति बैंक कार्यालय के हिसाब से 10,000 कर दिया गया था। ग्रामीण इलाकों में और अधिक शाखाएं खोलने से ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय के हिसाब से औसत जनसंख्या, मार्च, 1989 के अंत तक कम होकर 13,000 रह गयी है। इस समय, देश के ग्रामीण इलाकों में वाणिज्यिक बैंकों की 35313 शाखाओं का नेटवर्क है। तथापि, आमतौर पर दो कारणों से ग्रामीण इलाकों में कई अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता पड़ेगी :

(1) किसी बैंक शाखा को आबंटित किया गया सेवा क्षेत्र, आबंटित किये गये गांवों की भारी संख्या, ग्राहकों की संख्या और लम्बी दूरियों/क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्तर्ग्रस्त दुष्कर भूभागों के कारण असंचालनीय हो सकता है।

(2) ग्रामीण शाखा के कारोबार में वृद्धि के कारण एक अतिरिक्त बैंक शाखा खोलने का औचित्य हो जो अर्थक्षम हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 1990-95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के तहत, यह प्रश्न बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपनी-अपनी ग्रामीण शाखाओं के संबंधित सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं निर्णय करें।

[अनुवाद]

होटलों का निर्माण

1444. **श्री काशीराम राणा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए होटलों के निर्माण के लिये गुजरात सरकार के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय पर्यटन सलाहकार बोर्ड

1445. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी हिमायल पर्यटन सलाहकार बोर्ड ने पर्यटन के विकास के लिए नई नीतियां तैयार करने के लिए एक द्विदिवसीय बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में देश में पर्यटन विकास के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में नए क्षेत्रों का चयन करने का सुझाव दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). हिमालय पर्यटन सलाहकार बोर्ड की एक बैठक 18-19 सितम्बर 1993 को ऋषिकेश में हुई थी। इस बैठक में हिमालयवर्ती क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी। सुरक्षा एवं बचाव उपायों को अपनाने और पर्यावरण का संरक्षण करने के बारे में सिफारिशें की गई थीं।

काली मिर्च का निर्यात

1446. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान काली मिर्च का कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च के मूल्य में कमी के कारण कितना घाटा हुआ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान भारत से 83.17 करोड़ रुपए मूल्य की 25.80 मी. टन काली मिर्च का निर्यात किया गया था।

(ख) वर्ष 1992-93 में न्यूयार्क मार्केट में काली मिर्च (एम जी-1) की स्थान विशेष पर कीमत 1.22 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. थी, जबकि वर्ष 1991-92 में यह कीमत 1.42 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. रही थी। परिणामस्वरूप, वर्ष 1992-93 में भारत से काली मिर्च की औसत एफ ओ बी निर्यात इकाई कीमत वर्ष 1991-92 में 36.08 प्रति कि.ग्रा. से गिरकर 32.64 रुपए प्रति कि.ग्रा. हो गई। इससे विदेशी मुद्रा आय में 8.8 करोड़ रुपए की कमी हुई।

बैंक अधिकारियों के लिए निर्धारित ग्रामीण सेवा मानदंड

1447. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री जी. देवराय नायक :

श्री ताराचंद खंडेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक अधिकारियों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा मानदंडों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सरकार के विचार का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). अपर सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल वर्तमान में आर्थिक कार्य विभाग की प्रणाली और प्रक्रिया पर विचार कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यों पर भी विचार किया जा रहा है जिन्हें सरकार बैंकों को प्रत्यायोजित कर सकती है। बैंक अधिकारियों की पदोन्नतियों के लिए अनिवार्य ग्रामीण/अर्धशहरी सेवाओं की अपेक्षा को समाप्त करना भी अन्य मदों में से एक है जो समिति के समक्ष विचाराधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक विशेष रूप से ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं है। यदि अंत में समिति द्वारा ऐसी सिफारिश की गई, तो केवल बैंकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकासात्मक गतिविधियां

1448. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विकासात्मक गतिविधियां शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि यह वित्तीय सहायता की अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकासशील कार्यकलापों में सहायता कर रहा है। मजदूरी/स्वरोजगार के माध्यम से अवसरों का सृजन कर शोषितों का उन्नयन करने के उद्देश्य से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, सामाजिक रूप से सुविधा रहित लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों और महिलाओं जैसे लक्ष समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाली स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान

की जाती है। स्वैच्छिक एजेंसियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रायोगिक आधार पर आईडीबीआई ने चुने हुए दस ब्लाकों को अपनाया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने वाली मध्य स्थल संगठन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की संग्रह (कारपस) निधि के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता भी उपलब्ध कराई है।

विवरण

स्वैच्छिक एजेंसियों को मंजूर सहायता का विवरण/राज्यवार

राज्य	एजेंसियों की संख्या	मंजूर राशि (लाख रु.)
आंध्र प्रदेश	1	4.70
अरूणाचल	2	11.08
असम	3	12.94
बिहार	2	7.00
गुजरात	3	37.41
हरियाणा	1	3.00
जम्मू व कश्मीर	1	7.00
कर्नाटक	6	38.83
केरल	2	8.16
महाराष्ट्र	10	79.94
मणिपुर	4	15.15
मध्य प्रदेश	5	19.95
मेघालय	7	6.26
मिजोरम	2	7.00
नागालैंड	3	16.28
उड़ीसा	9	25.33
राजस्थान	1	12.00

1	2	3
तमिलनाडु	7	37.85
त्रिपुरा	1	5.08
उत्तर प्रदेश	3	5.95
पश्चिम बंगाल	6	55.76
कुल	79	416.67

[अनुवाद]

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया

1449. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज का थोक ऋण बाजार खण्ड में कार्यों के प्रथम चरण को फरवरी, 1994 तक आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज अपना कार्य, तैयारी संबंधी कार्य की विभिन्न मदों यथा कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेअर तथा दूर संचार प्रणालियों की संस्थापना के सम्पन्न हो जाने के बाद ही आरम्भ कर सकता है।

रूस और राष्ट्रकूल के देशों को चाय का निर्यात

1450. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस और राष्टकूल के देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). रूस और अन्य सी आई एस देशों

में चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और वे निम्नानुसार हैं:

(1) रूस, क्जाकिस्तान, तर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान, उक्रेन, उजेबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और लातविया इत्यादि जैसे देशों में भारत से अन्य निर्यातों के साथ-साथ चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार, आर्थिक संबंध इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) इस क्षेत्र में भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सितम्बर, 1 में मास्को में चाय बोर्ड का एक कार्यालय खोला गया है।

(3) भारतीय चाय को प्रोत्साहन देने के लिए नियमित आधार पर विदेशी क्रेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त चाय बोर्ड ने प्रचार अभियान, स्टोरों में प्रदर्शन तथा रूस एवं अन्य सी आई एस देशों में व्यापार मेलों में भागीदारी की योजना बनाई है।

इसके परिणामस्वरूप 1993 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान रूस और अन्य सी आई एस देशों को 450.91 करोड़ मूल्य की 72.97 मिलीयन कि.ग्रा. चाय के निर्यात के लिए लदान लाइसेंस जारी किए, जबकि 1992 की इसी अवधि में लादान लाइसेंस 142.32 करोड़ रु. मूल्य के 25.64 मिलीयन कि.ग्रा. चाय के निर्यात हेतु जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

जाली बैंक ड्राफ्ट और चैक

1451. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जाली बैंक ड्राफ्टों और चैकों को जारी करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन माह में इस तरह के गिरोह के कुछ व्यक्तियों को दिल्ली में पकड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनसे क्या-क्या सामान जब्त किया गया;

(ङ) उन व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर के बकाया

1452. **श्री छेदी पासवान** : क्य **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रथम दस व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके ऊपर अब तक अधिकतम आयकर बकाया है और उन पर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ख) सरकार बकाया आयकर वसूल करने के लिए क्या प्रयास रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार है जो संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कर की देय राशि को वसूल करने के लिए आयकर कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य कार्यवाही के अलावा, कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए बराबर समुचित प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं।

कानूनी कार्यवाहियों में भुगतान न करने के लिए अर्थ दंड लगाना, बैंक खातों, ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए कुर्की-आदेशों को जारी करना; कर वसूली अधिकारी द्वारा कर वसूली विवरण-पत्र तैयार करना ताकि वह परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री के द्वारा वसूली को प्रभावी बना सके, आदि शामिल है। यदि जहां किसी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कर-निर्धारिती को वापस अदायगी की राशि देय है, तो उसे दूसरे कर-निर्धारण वर्षों की मांग के समायोजित किया जाता है। उचित मामलों में कर-निर्धारिती को विभाग द्वारा निर्धारित किश्तों में बकाया मांग की बकाया राशि को भुगतान करना अपेक्षित होता है। चूंकि इन सभी मामलों में मांग की राशि का एक बड़ा भाग अपीलों में विवादस्पद होता है और विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों तथा न्यायालयो द्वारा स्थगित किया जाता है इसलिए या तो स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए अथवा अपीलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए उपाय किए जाते हैं।

प्रशासनिक तौर पर वसूली की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। कर-निर्धारण अधिकारियों को इन मामलों में करों की वसूली में हुई प्रगति दिखाते हुए डोजियर रिपोर्टें भी भेजनी होती हैं और इन रिपोर्टों की आयकर आयुक्त और इससे ऊपर के स्तर पर पुनरीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	व्यक्तियों/संस्थाओं का नाम	दिनांक 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया मांग
		(करोड़ रु. में)
1.	भारतीय स्टेट बैंक	682.82
2.	श्री हर्षद एस. मेहता	204.50
3.	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लि.	186.68
4.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	133.89
5.	डनलप इंडिया लि.	104.07
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा	84.30
7.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.	65.12
8.	इलाहाबाद बैंक	55.13
9.	सिटी बैंक लि.	47.46
10.	पीयरलैस जनरल फाइनेंस एंड इन्वे. कम्पनी लि.	46.38

[अनुवाद]

रुग्ण एककों को कामगारों की सहकारी समितियों के हवाले करना

1453. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा कामगारों की सहकारी समितियों को सौंपे गए रुग्ण औद्योगिक एककों की प्रगति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो कामगारों की सहकारी समिति द्वारा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने निम्नलिखित चार औद्योगिक कंपनियों के संबंध में कामगारों की सहकारी समितियों के आधार पर पुनरुद्धार योजनायें मंजूर की हैं :

(1) कमानी टयूब्स लि.

(2) न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लि.

(3) पाउडर मेटल्स एंड एलोयज लि.

(4) के.एम.ए.लि.

बाइफर ने सूचित किया है कि वह योजनाओं के कार्यान्वयन की गति और प्रगति को जानने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा करवा रहा है। कमानी टयूब्स लि. के संबंध में अंतिम पुनरीक्षा जुलाई 1993 में कराई गई थी जब कंपनी को उत्पादन और विक्रय का चार वर्ष का ब्यौरा भेजने का निदेश दिया गया था। न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लि. के मामले में, योजना की पुनर्रीक्षा करने के कंपनी के परामर्श पर योजना के संशोधन के विवरण को परिचालन एजेंसी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जबकि के.एम.ए.लि. के संबंध में, प्रायोजकों ने अपील दायर की है, पाउडर मेटल्स एंड एलायज लि. के मामले में उनके कर्मचारियों की भविष्य निधि से अंशदान धन निकालने में कठिनाई की सूचना दी गई है जिससे उनका अंशदान जारी रहे।

बनारसी साड़ियों का निर्यात

1454. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से बनारसी साड़ियों के निर्यात में निरंतर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस अवधि में इन साड़ियों का कितना निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने इन साड़ियों के निर्यात के लिए नए उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). चूंकि विदेशों में अधिकांश रूप से साड़ियों का प्रयोग प्रवासी भारतीयों द्वारा ही किया जाता है तथा उनकी जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है इसलिए विदेशों में साड़ियों की मांग उनके उपभोक्ता ढांचे पर निर्भर करती है और रेशमी साड़ियों के निर्यात में अधिक वृद्धि की संभावना नहीं है।

(ग) भारत सरकार द्वारा किसी विशेष स्थान पर उत्पादित साड़ियों के निर्यात के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) सरकार ने रेशमी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए जिसमें रेशमी साड़ियां भी शामिल हैं, कई कदम उठाये हैं।

(ङ) रेशमी साड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने 28 जून 1993 से मलबरी कच्चे रेशम और जरी से बनी साड़ियों को अग्रिम लाइसेंसिंग योजना में शामिल कर लिया है जिससे इन

मदों के निर्यात के विरुद्ध भार में प्रति किलोग्राम रेशम के बदले 1.20 किलोग्राम मलबरी कच्चे रेशम और प्रति किलोग्राम जरी के बदले 1.05 किलोग्राम जरी आयात करने की अनुमति होगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

1455. **श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार** :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में वर्ष-वार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितना लेन-देन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न पालिसियों के अंतर्गत वर्ष-वार कितने नए पालिसी धारकों का पंजीकरण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निगम को कितना लाभ हुआ; और

(घ) जमा धनराशि में से महाराष्ट्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना निवेश किया गया और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद):

(क)	वर्ष	बीमित राशि (करोड़ रुपए)
	1991-92	4509.01
	1992-93	5088.61

(ख)	वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (लाख रुपए)
	1991-92	7,94,211	2,81,358
	1992-93	8,45,280	3,00,897

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास लाभ का आकलन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। वह अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन करता है और उसके परिणामस्वरूप दर्शाई गई 95 प्रतिशत अधिशेष राशि उसके भागीदार पालिसीधारकों के बीच बांट दी जाती है। 5 प्रतिशत राशि भारत सरकार को अधिशेष में उसके अंश के रूप में दे दी जाती है। वर्ष 1991-92 और 92-93 में सरकार का हिस्सा क्रमशः 118.42 करोड़ रुपए और 105.41 करोड़ रुपए था।

(घ) महाराष्ट्र में भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1991-92 और 1992-93 में 967.31

करोड़ रुपए और 1291.36 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय अर्जित की। इन दो वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम ने महाराष्ट्र में क्रमशः 569.29 करोड़ रुपए और 499.11 करोड़ रुपए राशि का निवेश किया। उन योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है जिनमें इन राशियों का निवेश किया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया सकल निवेश

श्रेणी	इन वर्षों के दौरान किया गया निवेश	
	1991-92	1992-93
	(करोड़ रुपए)	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	12.17	26.01
भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	4.63	4.83
राज्य बिजली बोर्ड के बांड	10.00	18.00
राज्य वित्त निगम के बांड और शेयर आदि	3.00	5.00
निम्नलिखित को ऋण दिए गए :		
सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारें	0.32	0.93
शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति	25.00	25.00
जल आपूर्ति योजनाओं के लिए नगरपालिका जिला परिषदें	37.58	18.25
राज्य बिजली बोर्ड	23.24	25.56
राज्य सड़क परिवहन निगम	5.63	6.19
औद्योगिक एस्टेट		2.60
निगमित क्षेत्र		
कम्पनियों (सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र) को शेयर, ऋणपत्र और ऋण	377.54	436.92
जोड़ :	**499.11**	**569.29**

[अनुवाद]

जनता कपड़ा

1456. श्री **आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता कपड़े की मांग घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1991-92 तथा 1992-93 में जनता कपड़े की मांग कितनी थी तथा इस अवधि के दौरान उसकी कितनी आपूर्ति की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जनता कपड़े के मांग के अनुरूप ही जनता कपड़े का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 में वितरित किए गए जनता कपड़े की मात्रा क्रमशः 401.89 मिलियन वर्ग मीटर और 341.07 (अनुमानित) मिलियन वर्ग मीटर थी।

[हिन्दी]

बचतों को प्रोत्साहन देना

1457. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये उपायों का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में बचतों को और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). सरकार द्वारा किये गए उपायों के कारण चालू वर्ष के दौरान सितम्बर, 1993 तक अल्प बचतों से हुए संग्रहों ने गतवर्ष की तदनुरूप अवधि में हुए संग्रहों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है।

अल्प बचत संग्रहों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और संग्रहों में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर उपाय किये जा रहे हैं।

एक ही स्थान पर आयकर की वसूली

1458. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं, दुकानदारों की सुविधा के लिए तथा सरकारी वसूली सुनिश्चित करने के लिए आयकर की वसूली एक ही स्थान पर करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय कर-निर्धारितियों को देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कर का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। यह प्रणाली कर-निर्धारितियों (उपभोक्ताओं एवं दुकानदारों सहित) की सुविधा एवं आराम के लिए बनाई गई है। एक ही स्थान पर कर की वसूली/भुगतान से कर-निर्धारितियों को अत्यधिक असुविधा होने की संभावना है और इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।

केन्द्रीय सहकारी उपक्रमों की अर्थक्षमता

1459. **श्री महेश कनोडिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से केन्द्रीय सहकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने संबंधी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण द्वारा सिफारिश किया गया कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). चूंकि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधान सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते है, अतः सहकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के लिए औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) द्वारा सिफारिश को करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में तस्करी

1460. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में चांदी/नशीले पदार्थों तथा सोने के बिस्कुटों की तस्करी का पता लगाने के लिए कोई छापे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के विभिन्न नगरों में गत दो वर्षों के दौरान मारे गये इन छापों का ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गयीं; और

(ग) इन गतिविधियों में लिप्त पाये गये व्यक्तियों का तथा अन्तरराष्ट्रीय गिरोह से उनके संभावित सम्पर्कों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के जनप्रतिनिधियों के रिक्त स्थान

1461. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनप्रतिनिधियों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/अथवा उठाए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). वर्तमान में 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर सरकारी निदेशकों के 85 रिक्त स्थान हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिलों में बैंकों की शाखाएं

1462. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जिलों विशेषतः पौडी और चमोली में सार्वजनिक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार 15 से 25 गांवों को समाहित करते हुए प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में खोले गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त पर्वतीय जिलों में पूर्व सैनिकों को, जो भारी संख्या में बैंकों से पेंशन लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये बेंक सुदूर स्थानों पर स्थित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद):

(क) से (ग). वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण/अर्ध-शहरी

क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 की आबादी का कवरेज प्राप्त करना और व्यापक स्थानिक दूरियों को समाप्त करना था ताकि सामान्यतया 10 कि.मी. की दूरी के अन्दर एक ग्रामीण शाखा उपलब्ध हो। आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों और छुट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों के संबंध में जनसंख्या मानदंड को शिथिल करके 10,000 कर दिया गया था। तदनन्तर, ग्रामीण ऋणों के लिए सेवा क्षेत्र योजना को अपनाकर नीति में एक नया आयाम जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा से सामान्यतया 15 से 25 गांव कवर करने की आशा की जाती है। 1985-90 के दौरान बैंक शाखाएं खोलने से उत्तर प्रदेश में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या 17,000 के लक्ष्य के मुकाबले कम होकर 14,000 हो गई है और पौड़ी तथा चमोली जिलों के संबंध में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या क्रमशः 6,000 और 7,000 है। भूतपूर्व सैनिकों को बैंक शाखाओं से अपनी पेंशन प्राप्त करने में होने वाली किसी भी विशिष्ट समस्या की अलग से जांच की जा सकती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के 1990-95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं के संबंधित सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का काम अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्री

1463. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस के विमानों से 1993 के प्रथम नौ महीनों में, 1992 की इसी अवधि की तुलना में, कम यात्रियों ने यात्रा की है;

(ख) क्या कम उड़ानों के बावजूद संचालन लागत में वृद्धि हो रही है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी सेवा में सुधार करने और संचालन लागत में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सेवा में सुधार और व्यय कम करने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) ग्राउंड और विमान के अन्दर दोनों जगह ग्राहक सेवा में सुधार।

(2) अधिक उड़ान और निःशुल्क उड़ान, प्वाइंट-टु-प्वाइंट किराए, अंतर्देशीय टूर पैकेज जैसी योजनाओं को शुरू करना।

(3) समय पर उड़ानों पर निगरानी रखना।

(4) एजेंटों के लिए व्यवसाय में जुड़े प्रोत्साहन सहित मार्किट नीति में परिवर्तन।

(5) सुविधाजनक अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध कराना।

(6) बेड़े की उपयोगिता को बढ़ाना।

(7) अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि।

(8) अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का अनिवेश

1464. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों के अनिवेश के जरिये धनराशि को एकत्र करने का क्या प्रयोजन है;

(ख) अनिवेश और इस्तेमाल करने के फलस्वरूप अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी; और

(ग) सरकार का विचार और कितना अनिवेश करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों में सरकारी शेयरों के विनिवेश के प्रमुख उद्देश्य जनता द्वारा व्यापक निवेश को प्रोत्साहित करना तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देना और सरकार के लिए गैर-स्फीतिकारी संसाधनों को जुटाना है।

(ख) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान शेयरों के विनिवेश द्वारा जुटाई गई धनराशि क्रमशः 3038 करोड़ रुपए और 1912 करोड़ रुपए थी।

(ग) 1993-94 के केन्द्रीय बजट में, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3500 करोड़ रुपए की और राशि जुटाने का प्रस्ताव था।

ग्रेनाइट/सिरेमिक/टाइलों का निर्यात

1465. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान तथा अब तक ग्रेनाइट/टाइलों/सिरेमिक का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) क्या ग्रेनाइट/सिरेमिक/टाइलों का यूरोपीय और पश्चिमी बाजारों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की काफी गुंजाइश है;

(ग) यदि हां, तो मशीनरी के आयात के लिए आसान ऋण सुविधाएं/शुल्क रियायत देने तथा

विदेशों में अपना व्यापक बाजार बनाने हेतु विपणन सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेनाइट निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सिरेमिक ग्लेज्ड टाइलों तथा ग्रेनाइट और उसके उत्पादों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है :

(मूल्य करोड़ रु. में)

मद	1992-93	1993-94 (अप्रैल-अक्टूबर)
सिरेमिक ग्लेज्ड टाइलें	15.40	12.00
ग्रेनाइट तथा उसके उत्पाद	41.00	26.00

मात्रावार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उठाए गए सामान्य कदमों में निर्यात क्षेत्र को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को निर्देश; रुपया-ऋण पर ब्याज दर में कमी तथा मशीनरी के आयात पर टैरिफ स्तरों में कमी शामिल हैं। भारतीय मिशनों द्वारा सभी संभव विपणन सहायता दी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

ऋण जमा अनुपात

1466. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने संबंधी सुझाव देने के लिए कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कृतिक बल में कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने कम ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) वाले कुछ राज्यों में उनके कारणों की जांच करने और इसमें सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु कृतिक बल गठित किया है। जिन राज्यों में कृतिक बल गठित किये गये हैं उनके नाम हैं: बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी। इन कृतिक बलों के सदस्य संबंधित राज्यों के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के प्रायोजक बैंकों, भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित कृतिक बलों ने अपनी रिपोटें प्रस्तुत कर दी हैं कृतक बलों की रिपोर्टों को भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही उसकी विभिन्न सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अभिकरणों को भेज दिया है। आशा है कि कृतिक बलों की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन से संदर्भाधीन राज्यों के सीडीआर में सुधार होगा।

[अनुवाद]

अगरबत्ती और धूपबत्ती का निर्यात

1468. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान अब तक अनुमानतः कितने मूल्य की अगरबत्तियों और धूपबत्तियों का निर्यात किया गया;

(ख) इसमें कर्नाटक का कितना योगदान रहा;

(ग) क्या अगरबत्ती और धूपबत्तियों के निर्यात में कर्मी, इनके निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल पर आयात और सीमा शुल्क की उच्च दर के कारण हुई है;

(घ) क्या इनके निर्यात में बढ़ोतरी हेतु कच्चेमाल पर आयात और सीमा शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). अप्रैल-अक्तूबर, 1993 के दौरान सुगन्धित बत्तियों सहित अगरबत्ती का निर्यात 4.6 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर होने का अनुमान है जिसमें कर्नाटक का योगदान लगभग 75% है। अप्रैल-अक्तूबर 1993 के दौरान अगरबत्ती निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यात की तुलना में डालर के रूप में 24.3% बढ़ा है और रुपये में 38.7% बढ़ा है। अगरबत्ती के निर्यातक कच्चे माल का आयात करते हैं, और वे किये गये निर्यात के बदले शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।

भारतीय ट्रैवल एजेन्टों के लिए एक राष्ट्रीय वितरण कंपनी की स्थापना

1469. **श्री के. प्रधानी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय ट्रैवल एजेन्टों के लिए एक रार्ष्ट्रीय वितरण कंपनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कंपनी कब तक स्थापित की जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस के पायलटों के साथ समझौता

1470. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के पायलटों के साथ हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हमारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग की तुलना में इस समय देश में 1 नवम्बर, 1993 को तथा चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल कितने मान्यता प्राप्त/योग्य पायलट हैं; और

(घ) पायलटों की मांग और उपलब्धता के अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर और विमानन पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ हाल में हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार विमानचालकों के फ्लाइट और ड्यूटी समय में वृद्धि कर दी गई है और संशोधित प्रशिक्षण पद्धति शुरू की गई है। इन पर विचार करते हुए विमानचालकों को अतिरिक्त भत्ते मंजूर किये गए हैं। इंडियन एयरलाइंस में विमानचालकों की कमी को इस समझौते के कार्यान्वयन से पूरा किया जाएगा।

1.11.1993 की स्थिति के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय ने 9023 विमानचालकों को लाइसेंस जारी किए हैं। लाइसेंसों का जारी किया जाना विमानचालकों के रोजगार की मांग से संबद्ध नहीं है।

कृषि उत्पादों का निर्यात संबंधी कोटा

1471. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतर निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात संबंधी कोटे तथा न्यूनतम निर्यात मूल्यों के उत्पादन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). सरकार की यह नीति है कि आम खपत की मदों के निर्यात की अनुमति इस प्रकार दी जाए कि इससे हमारी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को कोई जोखिम न हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार चावल, गेहूं, मोटा अनाज, चीनी, सरसों (बीज) तथा रैपसीड के संबंध में न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) तथा मात्रात्मक सीमा निर्धारित करती है।

क्षेत्रीय व्यापार ब्लाकों का गठन

1472. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार मानदण्डों के ध्रुवीकरण तथा क्षेत्रीय व्यापार ब्लाकों के गठन में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों से भारत के विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा विश्व बाजार में इसका क्या योगदान रहा है;

(ग) क्या सरकार ने गुणवत्ता और मानक प्रमाणीकरण के कारण उत्पन्न समस्याओं सहित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की इन गतिविधियों से निपटने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). यद्यपि टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट) पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अक्षुण्ण है किंतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय अत्यधिक एकीकरण तथा अधिक सदस्यता की ओर बढ़ रहा है। नाफ्टा कार्यक्रम व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के साथ तैयार हुआ है जिसका समय 10-15 वर्ष है। अपैक, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र शामिल है, व्यापार उदारीकरण पर बातचीत और परामर्श करने का एक मंच है न कि वह व्यापारिक ब्लाक है। भारत इन व्यापारिक ब्लाकों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। भारत की अपने विश्व-निर्यातों को मौजूदा ०.5% से भी कम शेयर से अधिक विस्तृत करने की क्षमता कीमतों, गुणवत्ता और हमारे उत्पादों को डिलीवरी की मूल प्रतियोगिता को उन्नत करने के प्रयासों मात्र से ही प्रभावित होगी। अतः आशा है कि भारत के बाह्य व्यापार के लिए क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लाकों के गठन का सम्भावित प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

भारत क्षेत्रीय दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुपक्षीय दृष्टिकोण को महत्व देता है। उरूग्वे दौर के दौरान हमारे प्रयत्न बहुपक्षीयवाद को सुदृढ़ करने के रहे हैं क्योंकि यह माना जाता है कि गैर-विभेदगारी व्यापार विश्व व्यापार के एक समान विस्तार के लिए सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है।

ताइवान के साथ निवेश गांरटी करार

1473. **श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताइवान और भारत ने हाल ही में निवेश गारंटी और दोहरा कराधान से बचने संबंधी करार के संबंध में समझौता वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो इन करारों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन करारों से भारत को कितना लाभ प्राप्त होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया राशि

1474. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया राशि में से कितनी धनराशि ऐसी है जिसे वसूल नहीं किया जा सकता तथा नवीनतम जानकारी के अनुसार "वास्तविक बकाया राशि" कितनी है;

(ख) इस राशि को जमा न करने के दोषी नियोजकों पर 31 मार्च, 1992 तक बकाया राशि के अतिरिक्त हरजाने की लगभग कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) इस राशि को किस प्रकार वसूल करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि के रूप में विभिन्न नियोजकों पर 178.56 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कुल बकाया राशि में से 73.97 करोड़ रुपए की धनराशि वसूली पर न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने, प्रतिष्ठानों का परिसमापन/बन्द किये जाने, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्यवाही आदि के कारण तत्काल वसूल नहीं की जा सकती।

(ख) 28.50 करोड़ रुपए (31.3.1993 की स्थिति के अनुसार)।

(ग) बकाया धनराशि की वसूली के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पहले ही आवश्यक दंडात्मक गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की शाखाओं में कमी

1475. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की शाखाओं की संख्या में कमी करने

का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान उदारीकृत नीति के अंतर्गत बैंकों को अपनी छुट-पुट या अलाभकर शाखाओं की अन्य बैंकों के साथ अदला-बदली करने की अनुमति प्रदान की गई है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतया अच्छी बैंक सुविधाओं वाले शहरी/महानगरीय केन्द्रों में हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करेगा। बैंकों को यह अनुमति भी प्रदान की गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वर्तमान शाखा नेटवर्क को उनकी अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत बना सकते हैं। ग्रामीण केन्द्रों में, जहां दो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सेवा प्रदान कर रही हैं, संबंधित बैंक परस्पर परामर्श करके, एक शाखा को बन्द करने का निर्णय ले सकते हैं। बैंकों को संबंधित जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके पूर्वानुमोदन के लिए भेजना चाहिए।

महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार योजना

1476. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी कपास एकाधिकार योजना चालू रखने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख). जी हां, केन्द्र सरकार ने मौजूदा शर्तों पर महाराष्ट्र कपास एकाधिकार योजना को 1.7.93 से 30.6.94 तक की एक और वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काफी बोर्ड के कर्मचारी

1477. **श्री सी.पी.मुदाल गिरियप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काफी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए "गोल्डन हेंड शेक स्कीम" कार्यान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख). सरकार को काफी की मौजूदा विपणन

प्रणाली में कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों के संदर्भ में तैयार की गई कार्फा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव मिला है। परन्तु सरकार ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

नेहरू मेमोरियल पैवीलियन

1478. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुवाहाटी में नेहरू मेमोरियल पैवीलियन के निर्माण के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई धन-राशि मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1479. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 के दौरान राज्यवार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य वार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है और ये बैंक कहां-कहां खोले जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में कोई नवीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

हैंडलूम क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति

1480. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परामर्शदात्री समिति का, जो हैंडलूम क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में संशोधन करने के लिए सिफारिशें करती हैं, पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के खण्ड 4 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति के सदस्यों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसी आशा है कि यह सलाहकार समिति फरवरी 1994 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

1. सचिव (कपड़ा)

2. अध्यक्ष,

   अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी

   समिति लि. वाराणसी-221001

3. श्री एम.पी.गजारला

   महासचिव,

   भारतीय सूत मिल्स फेडरेशन, 17 अम्बा दीप,

   14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

4. श्री धनपाल तारे

   अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्युतकरघा बुनकर संघ

   एसोसिएशन इचाल्कारंजी, महाराष्ट्र

5. श्री प्रगदा कोटैया, संसद सदस्य,

   171, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।

6. श्री डी.एम.सादुल, संसद सदस्य

   205 बल्लभ भाई पटेल हाऊस, नई दिल्ली।

7. श्री मंजूर अहमद अंसारी, अध्यक्ष,
छोटानागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर
सहकारी समिति इरबा; रांची-835238 (बिहार)

8. जामिर अहमद पायाम,
एडीटर, कबीर भामी,
मोहल्ला पिपरापुर, गोरखापुर (उ.प्र.)

9. मो. शमीम अंसारी,
614, फेथफुल गंज,
कानुपर (उ.प्र.)

10. श्री रतन कौल,
ईवर्स्ट आऊस, मोडल टाऊन,
गाजियाबाद (उ.प्र.)

11. श्री एन.एच.अंसारी, महासचिव,
अखिल भारतीय बुनकर संघ,
गांधी नगर, बस्ती-272001 (उ.प्र.)

12. श्री जी.रामामूर्ति, अध्यक्ष,
आन्ध्र प्रदेश पद्मशीला संघ, स्काईलाइन थ्रीटरलेन,
बघीर बाग, हैदराबाद-29

13. श्री हबीर-उर-रहमान नोमानी,
अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन
शहीद ललित मखान भवन,
सी-15 भाई वीर सिंह रोड, गोल मार्केट नई दिल्ली।

14. श्री ए.एन.जरीवाला, अध्यक्ष,
सूरत कला रेशम वस्त्र विनिर्माता संघ,
रेशम भवन, लाल दरवाजा, सूरत-395003 (गुजरात)

15. अध्यक्ष, असम सहकारी रेशम हाऊस लि.

पान बाजार, गुवाहाटी-781001

16. श्री ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह, संसद सदस्य,

215, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली।

17. प्रो. आर.सी.शेखर,

टी.ए.पाई प्रबन्ध संस्थान

मनीपाल-576119

18. श्री डी.वेंकटेशम, अध्यक्ष,

आन्ध्र प्रदेश हथकरघा श्रमिक संघ,

नं. 4-3-207 कन्दा स्वामी बाग,

सुलतान बाजार हैदराबाद।

19. वस्त्र आयुक्त,

नई सी.जी.ओ. बिल्डिंग, न्यू मेरिन ड्राइव,

पोस्ट बाक्स नं. 11500, बम्बई-400020

20. सदस्य सचिव,

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, महात्मा गांधी रोड

बंगलौर।

21. अध्यक्ष, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद,

622-अन्ना मलाई, मद्रास-600006

22. प्रबन्ध निदेशक,

तमिलनाडु हथकरधा बुनकर सहकारी समिति लि.

350 पंथेन रोड, मद्रास-600008

23. निदेशक हथकरधा एंव वस्त्र,

उत्तर प्रदेश सरकार, हथकरघा भवन,

जी.टी.रोड़ कानपुर-208005

24. डा. बी.पी.सरकार,

निदेशक, अखिल भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान,

चौकाघाट, वाराणसी।

25. श्री टी. नागाएह,

निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि.

बहीलिनगामपल्ली, हैदराबाद-44

26. अध्यक्ष,

पश्चिम बंगाल राज्य हथकरघा बुनकर

सहकारी समिति, 45, बिप्लबी अनुकूल चन्द्र स्ट्रीट,

कलकत्ता-700072

27. अध्यक्ष,

सम्बलपुरी वस्त्रालय, हथकरघा सहकारी

समिति लि. जिला बारागढ़ उड़ीसा।

28. प्रबन्ध निदेशक,

उत्तर-पूर्वी हथकरघा एवं हस्तशिल्प

विकास निगम, शीलोंग।

29. श्री पी.शंकर,

अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक,

तमिलनाडू सहकारी औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल

विकास लि. 68-ग्रीवेस रोड,

मद्रास-600006

30. अध्यक्ष,

आन्ध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर

सहकारी समिति लि., बुनकर भवन,

हाऊस नं. 3-5-770 वित्तल वेदी,

हैदराबाद।

31. विकासायुक्त (हथकरघा) – सदस्य सचिव

चमड़े के निर्यात के संबंध में कृतिक बल

1481. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़े के निर्यात के संबंध में एक कृतिक बल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) कृतिक बल की स्थापना मूल रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई है :

(1) चमड़ा क्षेत्र में निर्यात की तीव्र वृद्धि में बाधक कारणों का विश्लेषण करना; और

(2) निर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में उपलब्धियों की समय-समय पर मानीटरिंग करना।

यूरोपीय बाजार में काली मिर्च का निर्यात

1482. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय यूरोपीय देशों को काली मिर्च का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान कुल कितनी मात्रा में काली मिर्च का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या काली मिर्च के मूल्य वर्द्धित निर्यात हेतु यूरोपीय बाजारों की खोज का कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को कुल 3755 मी. टन काली मिर्च का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य 12.57 करोड़ रु. था।

(ग) और (घ). जी, हां। मसाला-तेल और ऑयलरेजिनस की संभावनाओं का पता लगाने तथा उनकी मांग-क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 1989 में मसाला तेल और आयलरेजिनस (काली मिर्च का तेल तथा आयल रेजिनस सहित) संबंधी एक मार्किट मिशन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यू. के. और नीदरलैंड में भेजा गया था। इस दौरे का उपयोग क्रेताओं की आश्यकताओं, गुणवत्ता के मानदंडों आदि का अध्ययन करने और इन देशों में क्रेताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में भी किया गया था। मसाला बोर्ड ने यूरोप में अर्थात एस आई ए एल मेला, पैरिस, अनुपा मेला, जर्मनी और फूड इन्ग्रीडिएंट्स, यूरोप आदि अंतर्राष्ट्रीय मेलों में नियमित रूप से भाग लेकर इन व्यक्तिगत संपर्कों को और सुदृढ़ किया है।

एयरलाइनों को घाटे

1483. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री जी.देवराय नायक :

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष एयरलाइनों को घाटे होने की संभावना है जैसा कि 4 नवम्बर, 1993 के "इकोनामिक टाइम्स" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में एयरलाइनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). संदर्भाधीन समाचार में बताया गया है कि विश्व भर में एयरलाइंस उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण विश्व की एयरलाइनों को घाटा होने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1992-93 में एयर इंडिया ने लाभ कमाया जबकि इंडियन एयरलाइंस को घाटा हुआ। चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया को लाभ होने की आशा है किन्तु इंडियन एयरलाइंस को, कम यात्री भार, विमान बेड़े की उपयोगिता में कमी और लागतों में वृद्धि के कारण अब भी घाटा होता रहेगा। इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने निष्पादनों में सुधार करने हेतु किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं:-

- मांग के अनुरूप समयावलियों पर निगरानी रखना।
- विमान बेड़े की उपयोगिता में वृद्धि करना।
- अधिक अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रचालन करना।
- मार्गों को छोटा करके, गति अनुसूचियों/सामान्य स्तरों के अनुकूलन आदि द्वारा विमान ईंधन की खपत में किफायत।
- जहां कहीं संभव हो, समयोपरि में कमी।
- जहां तक संभव हो, पूंजीगत व्यय और प्रशासनिक खर्चों में कमी।

[हिन्दी]

बैंक ऋणों का दुरूपयोग

1484. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऋणों के दुरूपयोग से संबंधित रिकार्ड बैंक में रखे जाते हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंक अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके बैंक ऋणों का दुरूपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (घ). बैंक अपने ऋण मामलों के रिकार्ड रखते हैं तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में ऋण वसूली के लिए प्रयास करते हैं। इस विषय में सरकार की तरफ से कोई दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। साधारणतया सरकारी क्षेत्र के बैंक ये सुनिश्चित करते हैं कि ऋण जिस प्रयोजन के लिए दिए जा रहे हैं उन्हीं के लिए उसका उपयोग हो। जिसके लिए वे उधारकर्ताओं के गोदामों/स्थलों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। उनसे मासिक स्टाक विवरण तथा आर्थिक आंकड़े आदि मंगवाते हैं। तथापि समय-समय पर दुरूपयोग के कुछ मामले बैंकों के सामने आते हैं और वे मामलों से निपटने के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान जब कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें जिस प्रयोजन के लिए ऋण लिया गया उस पर उपयोग उन प्रयोजन के लिए न किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक उपचारी कार्रवाई के लिए मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाता है। यदि ऋण के दुरूपयोग में बैंक कर्मचारियों का शामिल होना/मौन सम्मति का पता चलता है तो बैंक चूककर्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के विमानचालकों की हड़ताल

1485. **श्री मनोरंजन भक्त** :

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1993 के दौरान एयर इंडिया के विमान चालक कितने दिन हड़ताल पर रहे;

(ख) इसके क्या कारण थे;

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी उड़ानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(घ) एयर इंडिया द्वारा विमान सेवा न चलाये जाने के कारण कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) उन विमानचालकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की, जिन्होंने इस हड़ताल में भाग लिया;

(च) एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा गत छः महीनों के दौरान की गयी हड़ताल की अन्य घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने भविष्य में विवादों के निपटारे तथा ऐसी हड़तालों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए अन्य क्या कदम उठाये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय विमानचालक गिल्ड से संबद्ध एयर इंडिया के विमानचालकों ने सीधी कार्रवाई के रूप में 3.9.93 से 6.9.93 तक 4 दिनों की अवधि के लिए बीमार हो जाने की सूचना दी।

(ग) और (घ). 41 एकल उड़ानें प्रभावित हुई थी, इससे कुल 358.28 लाख रुपए की निवल हानि होने का अनुमान है।

(ङ) कोई दाण्डिक कार्रवाई नहीं की गई है।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(छ) वर्तमान नीति ढांचे के अंतर्गत, द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझौतों के माध्यम से हड़ताल इत्यादि को टालने के लिए क्रियाविधि उपलब्ध है।

विवरण

(क) 27 जुलाई, 1993 को प्रचालित उड़ान ए.आई-401 के केबिन कर्मीदल के सदस्य के विरूद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ विरोध में, 27 जुलाई, 1993 को एयर इंडिया केबिन कर्मीदल संघ ने काम बन्द करने का सहारा लिया। काम बन्द करने में भाग लेने वाले केबिन कर्मीदल के सदस्यों की संख्या लगभग 60 थी।

(ख) एयरपोर्ट सेवा विभाग से संबंधित प्रचालक जिनकी संख्या लगभग 100 थी, 31 जुलाई, 1993 को अचानक हड़ताल पर चले गए क्योंकि उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा रोका गया था जो कुछ झगड़े के बाद उनके एयरपोर्ट आई डी पासों को ले गए थे।

(ग) वायुयान निगम कर्मचारी यूनियन, बंबई जो कि एयर इंडिया की एक गैर मान्यताप्राप्त यूनियन है, 9.9.93 को एक दिन की हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल एयर इंडिया द्वारा पेंशन के कार्यान्वयन न करने और वायु निगम अधिनियम, 1953 को निरस्त करने के विरोध में थी।

(घ) एयर इंडिया केबिन कर्मीदल संघ ने इस बात का सहारा लेते हुए 2 सितम्बर, 93 को सीधी कार्रवाई की कि उनके सदस्य कैप्टन ए.आर.केरमानी के साथ उड़ानें प्रचालित न करें क्योंकि उपर्युक्त कमांडर ने 22 अगस्त, 1993 को उड़ान ए आई 614/III पर उड़ानगत पर्यवेक्षक द्वारा कर्मीदल सामान की घोषणा पत्र को भरने के लिए आपत्ति की गई थी।

(ङ) एयर इंडिया में गैर-तकनीकी और तकनीकी श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व वाले एयर इंडिया कर्मचारी गिल्ड ने 2 अक्तूबर, 1993 और 10 नवम्बर, 1993 को एयरपोर्ट सेवा विभ्राग में काम बन्द कर दिया।

यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार

1486. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय समुदाय के साथ कोई व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस समझौते के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं; और

(ग) इस समझौते से क्या लाभ होने की संभावना है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभी किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात

1487. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से सिले-सिलाए वस्त्रों/कपड़ों का आयात कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों ने भारतीय वस्त्रों के आयात की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों और अन्य वस्त्रों का निर्यात करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). लगभग सभी देशों द्वारा वस्त्रों और परिधानों का भारत से आयात किया जाता है। भारतीय वस्त्रों के प्रमुख आयातक देश ई ई सी सदस्य देश, यू.एस.ए., कनाडा, यूनाइटिड अरब अमीरात, बंगलादेश, जापान, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया आदि हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार पुनः आरम्भ होने के कारण उस देश को निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार ने वस्त्र और परिधान के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति देना, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना शामिल है।

अलफांसो किस्म के आमों का निर्यात

1488. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और अमेरिका में अलफांसो किस्म के आमों पर प्रतिबंध है;

(ख) प्रतिबंध उठाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या भारत में एक आम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अलफांसो किस्म के कितने आमों का देश-वार निर्यात किया गया;

(ङ) क्या फलों के निर्यात हेतु एअर इंडिया में जगह उपलब्ध कराने को कोई प्राथमिकता दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). भारत में फ्रूट फ्लाइज बीमारी के कारण जापान और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारतीय आमों के आयात की अनुमति नहीं दी गई हैं किन्तु, यदि देश में कारगर रोगाणुनाशन प्रणालियां लागू की जाएं तो उक्त प्रतिबंध को सशर्त समाप्त किया जा सकता है। जापान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे भारत में वाष्प ऊष्मा उपचार संयंत्र स्थापित करें। जापान सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी को वाष्प ऊष्मा उपचार प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया है।

(घ) देश से निर्यात की गई आमों की कुल मात्रा वर्षवार इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (मी.टन)
1990-91	19380
1991-92	23104
1992-93	27000

अलफांसो किस्म के आमों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए अलफांसो आमों की कुल मात्रा के वर्षवार और देशवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) से (ज). सरकार वायुमार्ग के संबंध में एक ऐसी खुली नीति पर चलती रही है जिसमें अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वायुयान संचालकों को अपनी-अपनी नीतियों के अनुसार कार्गों उठाने की छूट है। किन्तु एयर इंडिया सहित वायुयान कंपनियों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे फलों सहित जल्दी खराब होने वाली मदों के लिए अग्रता आधार पर स्थान की व्यवस्था करें।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंक

1489. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी/डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 और 1992-93 के दौरान पकड़ी गयी/जानकारी में आई धोखाधड़ी और डकैतियों की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी और इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई;

(घ) क्या ऐसे मामलों में कुछ बैंक कर्मचारी भी लिप्त पाये गये थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है; और

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऐसे मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय मं राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से धोखाधड़ियों की राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती, जैसा कि माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है। अलबत्ता वर्ष 1991, 1992 और जून, 1993 तक के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ियों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)
1991	1559	6541.31
1992	1717	14449.10 (1500 एफ डालर)
1993 (जून तक)	1048	11206.19

यह आवश्यक नहीं है कि धोखाधड़ियों के मामलों में अंतर्ग्रस्त राशियां अंततोगत्वा बैंकों को होने वाली वास्तविक हानियों की द्योतक हों। सामान्यतया बैंकों के पास उनके द्वारा दिए गए अग्रिमों

को कवर करने के लिए कुछ प्रतिभूतियां होती हैं और वे समुचित राहतें प्राप्त करने के लिए सिविल एवं आपराधिक मुकदमें दायर करते हैं। बैंक कीमा कवच भी लेते हैं।

वर्ष 1991 के दौरान महाराष्ट्र में लूटपाटों की 2 वारदातें हुई। इनमें से एक वारदात सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के डी.एन.कालेज विस्तार काउंटर, नागपुर में हुई जिसमें 92,790/- रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। लुटेरों से 58,000/- रुपये की राशि वसूल कर ली गई थी। छः लुटेरों को दोषी सिद्ध किया गया था। बैंक आफ महाराष्ट्र की मिर्च बाजार, नागपुर शाखा में हुई दूसरी वारदात में 114000/- रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। अब तक कुछ भी राशि वसूल नहीं हो पाई है। 1992 और जून, 1993 तक के दौरान महाराष्ट्र में लूटपाटों/डकैतियों की कोई वारदात नहीं हुई। इन मामलों में कोई भी बैंक कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त नहीं पाया गया।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त होने के कारण दोषसिद्ध/बड़ा/छोटा दण्ड पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

	1991	1992	1993 (जून तक)
1. दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	82	51	21
2. बड़ा/छोटा दण्ड पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	829	870	358
3. (2) में से बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	289	283	130

(च) अवस्थिति, नकदी के लेन-देन, कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे अंतर्ग्रस्त जोखिम तत्व के आधार पर बैंकों ने अपनी शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराने, अलार्म प्रणालियां स्थापित करने आदि जैसे कई उपाय किए हैं। लुटेरों/डकैतों का मुकाबला करने के लिए कर्मचारियों, पुलिस और आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से पुरस्कार देने की एक योजना चलाई जा रही है।

जहां तक धोखाधड़ियों को रोकने तथा उसका शीघ्र पता लगाने का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश वाले परिपत्र जारी किये हैं जिसमें बैंकों से कदाचार की गुंजाइशों को समाप्त करने के लिये नियंत्रक तंत्र को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ियों के मामलों की पुनरीक्षा की जाती है और विशिष्ट मामलों में उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये कार्रवाई शुरू करने के लिये बैंकों को कार्य पद्धति और अपेक्षित सुरक्षा संबंधी सलाह दी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर परिचालनात्मक कर्मचारियों के उपयुक्त प्रशिक्षण के लिये भी जोर डाला है ताकि वे निर्धारित प्रक्रियाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में हुई शिथिलता/लापरवाही के कारणों का पता लगा सकें और वास्तविक कार्यकरण में आवश्यक ध्यान दे सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित की गई बड़ी धोखाधड़ियों की जांच और पहचान किये गये धोखाधड़ियों वाले क्षेत्र में प्रणालियों और प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए अचानक जांच करने के लिये विशेष जांच कक्ष स्थापित किया है।

जब कभी उधार खाते के संचालन और परिचालन में गंभीर अनियमिततायें/कपटपूर्ण लेन देन पाया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष की जानकारी के लिये चेतावनी नोटिस जारी करता है और उन्हें ऐसी पार्टियों को किसी प्रकार की सुविधा देने/ उसका पुनर्नवीकरण करने से पहले विस्तृत और गहरी जांच पड़ताल करने की सलाह देता है।

बैंको को खातों के संतुलन में बकाया निपटाने और अंतर शाखा और अन्य खातों का निरंतर आधार पर सामाधान करने के लिये भी कहा गया है ताकि उन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों को रोका जा सके। बैंकों द्वारा उठाये गये कदमों और सुधार की भारतीय रिजर्व बैंक पुनरीक्षा करता है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग में हड़ताल

1490. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान श्रमिकों की हड़ताल के कारण वस्त्र उद्योग में कितने श्रम दिवसों की हानि हुई है; और

(ख) इन हड़तालों के मुख्य कारण क्या थे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कपड़ा उद्योग (सूती वस्त्र, ऊनी, रेशमी, कृत्रिम वस्त्र, जूट, सन तथा मेस्ता वस्त्र उत्पाद) में हड़तालों के कारण वर्ष 1992 में 10.6 मिलियन तथा वर्ष 1993 (जनवरी से सितम्बर तक) में 0.96 मिलियन श्रम दिवस नष्ट हुए। नष्ट हुए श्रम दिवसों के बारे में सूचना कलेन्डर वर्ष के रूप में रखी जाती है।

(ख) सामान्यतः हड़तालों का कारण वेतन और भत्ते, कार्मिक, बोनस, अनुशासनहीनता/हिंसा इत्यादि हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ऋण योजनाएं

1491. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऋण योजनाओं में सुधार करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऋण-योजनाओं में सुधार करने के लिये कोई समिति

गठित नहीं की है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में अगस्त, 1992 में ऋण जमा अनुपात से संबंधित कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ग) उपर्युक्त संदर्भाधीन कृतिक बल की रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें शामिल हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में आधारभूत सुधार, सिंचाई, परिवहन इत्यादि, राज्य का तेजी से औद्योगिकीकरण, रूग्ण औद्योगिक एककों का पुनर्वास, क्षेत्रीय ग्रार्माण बैंकों का पुनरूज्जीवन, वसूली स्थिति में सुधार और उचित नेटवर्क के माध्यम से विपणन सहयोग शामिल है।

[अनुवाद]

गुजरात में बुनकरों को ऋण

1492. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत गुजरात में बुनकरों को अब तक कितना-कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) इस संबंध में गुजरात सरकार ने कितनी धनराशि का दावा प्रस्तुत किया है और अब तक वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में उन किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों और बुनकरों को ऋण राहत देने की परिकल्पना की गई थी जो 2.10.89 की स्थिति के अनुसार अपनी संचित देय राशियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वापस करने में असमर्थ थे। इसमें योजना के अंतर्गत ऋण देने की परिकल्पना नहीं की गई थी। राज्य सरकारों ने भी केन्द्रीय योजना के अनुसार सहकारी समितियों के ऋणकर्ताओं के लिए योजनाएं तैयार कीं। जहां भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण राहत की पूरी प्रति-पूर्ति की वहां इसने राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत का 50% वहन किया। ऋण राहत का बकाया 50% राज्य सरकारों को पूरा करना था। ऋण राहत का 50% का राज्य सरकारों का हिस्सा पूरा करने के लिए उनकी सहायता करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान किए। कृषि और ग्रामीण विकास ऋण राहत योजना के प्रावधानों का कार्यान्वयन जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया, वहीं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये यह नाबार्ड ने किया। पात्र ऋणकर्ताओं को राहत प्रदान करने के पश्चात बैंकों को अपने दावे आरबीआई/नाबार्ड के पास भेजने थे। गुजरात राज्य द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाना था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि योजना के अंतर्गत बुनकरों को प्रदान की गई ऋण राहत के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अलग से आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं। फिर भी, बुनकरों को ग्रामीण कारीगरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। गुजरात राज्य में ग्रामीण कारीगरों

को सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 78,123 ग्रामीण कारीगरों को 14.35 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान की गई थी।

सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा गुजरात के बुनकरों को प्रदान की ऋण राहत, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे और जारी की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1. नाबार्ड के पास प्रस्तुत किए गए कुल दावे	351.66	8.55
2. इनमें से बुनकरों को प्रदान की गई राहत	0.19	1.72
	राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई राशि	
(क) अनुदान	148.56	6.68
(ख) ऋण	148.56	--
(ग) जोड़	297.12	6.68

हथकरघा क्षेत्र के लिए धनराशि का नियतन

1493. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसी योजना का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) हथकरघा क्षेत्र में राशि का आवंटन राज्यवार नहीं अपितु योजनावार किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकारों पर है कि वे विभिन्न प्लान और गैर-प्लान योजनाओं के अंतर्गत सहायता लेने के लिए अपने प्रस्ताव भिजवाऐं। गुजरात राज्य सरकार से प्लान और गैर-प्लान योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अंतर्गत सातवीं योजना के दौरान जारी की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा संलग्न है।

(ख) हथकरघा क्षेत्र के लिए आठवीं योजना के लिए आरंभ में 300 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। हथकरघा विकास केंद्रों की स्थापना के संबंध में योजना को अनुमोदन मिलने से परिव्यय में और वृद्धि होगी। हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 1992-93 के दौरान प्लान योजनाओं के अंतर्गत व्यय 29.80 करोड़ रुपये था। 1993-94 के लिए प्लान योजनाओं हेतु परिव्यय 50 करोड़ रुपये है। वर्ष 1994-95 के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान गुजरात राज्य को योजना वार दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.स.	योजना का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	कुल
	योजना						
1.	प्राथमिक	-	1.50	1.25	-	9.69	12.44
2.	एस.एच.डी.सी.	-	10.00	-	-	6.00	16.00
3.	एपैक्स	-	2.50	-	-	-	2.50
4.	प्रबंधकीय सब्सिडी	-	1.00	-	-	5.50	6.50
5.	अधुनिकीकरण	12.00	2.00	-	-	36.00	50.00
6.	कार्यशाला-सह-आवास	2.90	3.63	-	-	27.00	33.53
7.	थ्रिफ्ट फण्ड योजना	-	4.00	-	-	-	4.00
8.	राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना	-	-	-	10.20	-	10.20
	कुल :	14.90	24.63	1.25	10.20	84.19	135.17
गैर-प्लान							
1.	जनता कपड़े पर सब्सिडी	137.27	195.09	288.31	119.21	378.77	1118.65
2.	हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	18.33	43.04	45.93	63.76	178.42	349.48
	कुल :	155.60	238.13	334.24	182.97	557.19	1463.13

[हिन्दी]

गुजरात सरकार को ऋण

1494. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने कितनी ऋणराशि की मांग की और किस उद्देश्य के लिए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात सरकार को कितनी ऋणराशि मंजूर की गई;

(ग) क्या गुजरात सरकार को मंजूर की गई ऋणराशि उसकी मांग से बहुत कम थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात सरकार ने खेती के काम में आने वाली वस्तुओं की खरीद तथा उनके वितरण के लिए वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण मांगे थे।

(ख) से (घ). बजटीय दबाव को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात को क्रमशः 14.65 करोड़ रुपए तथा 12.70 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया था।

[अनुवाद]

विनिवेश संबंधी रंगाराजन समिति

1495. **श्री मोहन रावले** :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **वित्त मंत्री** रंगाराजन समिति की रिपोर्ट के बारे में 18 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3422 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश करने के संबंध में रंगाराजन समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को कब प्रस्तुत की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की समीक्षा कर ली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार/अस्वीकार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट की समीक्षा कब तक की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों के विनिवेश संबंधी रंगराजन समिति की रिपोर्ट भारत सरकार को 20 अप्रैल, 1993 को प्राप्त हुई थी।

(ख) जी नही।

(ग) और (घ). उक्त समिति की सिफारिशों का दूरगामी प्रभाव होगा जिन पर, सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति से पूर्व ध्यान पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। अतः रिपोर्ट की समीक्षा कब तक पूर्ण हो पाएगी, वह समय बताना अभी सम्भव नहीं होगा।

विश्व बैंक सहायता

1496. **श्री ताराचंद खंडेलवाल** :

प्रो. प्रेम धूमल :

श्री बी. श्री निवास प्रसाद :

डा. लक्ष्मीनरायण पाण्डेय :

श्री जी. देवराय नायक :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री के. जी. शिवप्पा :

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री धर्मण्ण मोंडय्या सादूल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में हाल के भूकम्प के कारण हुए विनाश का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक का कोई दल भारत आया था;

(ख) क्या विश्व बैंक ने सरकार को इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) राहत और पुनर्वास कार्य के लिए अन्य विभिन्न देशों/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) से (ग). महाराष्ट्र में हाल में आए भूकम्प से प्रभावित जिलों में पुनर्निर्माण कार्यों हेतु सहायता प्रदान करने की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक के एक दल ने नवम्बर, 1993 में भारत का दौरा किया था। सहायता के आकार और प्रकार का पता परियोजना के मूल्यांकन के बाद ही चलेगा।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य दाता देशों ने भी प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता देने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता के अलावा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स,जापान और यू.के. ने भी अनुदान और कुछ मामलों में वस्तुओं के रूप में 83.95 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। यह सहायता सरकार के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य स्त्रोतों से भी सहायता प्रदान की जा रही है।

खनिज एंव धातु व्यापार निगम के कार्य-कलापों का विविधीकरण

1497. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम का अपने कार्य-कलापों का विविधिकरण करने तथा संयुक्त उद्यम लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें विविधीकरण करने और संयुक्त उद्यम लगाने का विचार है; और

(घ) उक्त विविधीकरण करने और संयुक्त उद्यम लगाने से अनुमानतः कितनी आय प्राप्त होगी?

वाणिजय मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). खनिज एंव धातु व्यापार निगम के जरिए सारणीबद्ध की गई कई मदों के आयात एवं निर्यात का गैर-सरणीकरण कर दिए जाने के फलस्वरूप कंपनी ने आपूर्ति-आधार बनाने की दृष्टि से विविधीकरण करने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। विविधीकरण करने और संयुक्त उद्यमों में निवेश के जरिए आपूर्ति आधार तैयार करने के लिए जिन क्षेत्रों को चुना गया है, वे हैं : (1) कृषि-उत्पाद (2) समुद्री उत्पाद (3) वस्त्र (4) कपड़ा (5) रसायन, औषध एवं भेषज।

वर्ष 1992-93 में खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने इन क्षेत्रों में 58.67 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह भी अनुमान है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम पहले से अनुमोदित दी संयुक्त उद्यमों से उनके द्वारा पूर्ण उत्पादन शुरू किए जाने के बाद प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए का व्यापार-सृजन करने में समर्थ हो जाएगा और अधिक संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विभिन्न देशों द्वारा भारत में इस्पात का ढेर लगाया जाना

1498. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितंबर, 1993 के "पैट्रिएट" में भारत में विभिन्न देशों द्वारा इस्पात का ढेर लगाये जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार इस्पात का ढेर लगाये जाने का स्वदेशी इस्पात उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार से इस्पात का ढेर लगाये जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से स्वदेशी इस्पात उद्योग के संरक्षण के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). ब्राजील, कुछ यूरोपीय तथा पूर्वी एशियाई देशों द्वारा भारतीय बाजार में इस्पात और उसके उत्पादों के पाटन के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रकट की गई चिन्ता के बारे में "दी पेट्रिएट" ने दिनांक 2 सितंबर, 1993 को रिपोर्ट दी है।

2. अक्तूबर 1982 में यथा संशोधित भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में सरकार को उन मामलों में पाटन-रोधी-शुल्क लगाने का पहले से ही अधिकार दिया गया है, जहां पाटन किए गए माल की घरेलू उद्योग को आर्थिक हानि पहुंचती हो। ऐसे शुल्क को लगाए जाने से पहले सरकार द्वारा नामित अधिकारी को पाटन के अस्तित्व तथा घरेलू उद्योग को हानि तथा पाटन किए गए माल एंव घरेलू उद्योग को कथित नुकसान के बारे में जांच करनी होती है। नामित अधिकारी सामान्यत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम तथा सीमाशुल्क टैरिफ नियमों के अंतर्गत पाटन के प्रमाण, घरेलू उद्योग को हानि तथा प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दोनों के बीच कारण संबंधी संबंध द्वारा समर्थित लिखित निवेदन प्राप्त होने पर ही जांच-पड़ताल शुरू करता है।

3. नामित अधिकारी को भारत में इस्पात तथा उसके उत्पादों के पाटन के संबंध में अभी तक घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित शिकायत नहीं मिली है।

मांस का निर्यात

1499. **श्री गुमानमल लोढा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के मांस के निर्यात की अनुमति दी गई थी और वास्तव में कितनी मात्रा में कितने मूल्य के मांस का निर्यात किया गया और वे निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार मांस का निर्यात बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) निर्यात और आयात नीति, 1992-93 के

अनुसार भैंसों के मांस के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। तथापि भेड़ और बकरी के मांस के निर्याप पर मात्रात्मक प्रतिबंध है जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए डी जी एफ टी द्वारा भारतीय भेड़ और बकरी के मांस के निर्यात के लिए निर्धारित की गई सीमा तथा वास्तविक निर्यात निम्नानुसार हैं :

वर्ष	भेड और बकरी के मांस के लिए निर्धारित की गई कुल सीमा	वास्तविक निर्यात (मी.टन में)
1992-93	16,392	13,724
1993-94	40,000	8,393 (सितम्बर, 93 तक)

वर्ष 1992-93 और 1993-94 (सितंबर, 93 तक) के लिए भैंस और बकरी के मांस को देशवार निर्यात विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ख) और (ग). सरकार का मांस निर्यात के बंद करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण 1

अप्रैल-1992 से मार्च-1993 के दौरान भैंस के मास का देशवार निर्यात

देश	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (मिलि.डा.में)
मलेशिया	30289.475	29.39
संयुक्त अरब अमीरात	11982.447	10.50
जोर्डन	5096.184	4.58
यमन अरब गणराज्य	2838.371	2.54
मारिशस	2182.886	2.26
ओमान	2260.226	2.12
कुबैत	1714.629	1.94
बहरीन	704.845	0.75
सिंगापुर	206.337	0.22
कतर	119.709	0.10
बरुनै	46.039	0.05

नीदरलैंडस	45.000	0.05
सऊदी अरब	25.000	0.04
मालदीव	36.200	0.03
इजराईल	11.627	0.01
योग	57558.975	54.58

स्त्रोत : निर्यातकों द्वारा एपीडा में दाखिल की गई रिटर्नस

अप्रैल-92 से मार्च-93 तक के दौरान भेड़ और बकरी के मांस का देशवार निर्यात

देश	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (मिलि.डा.में)
संयुक्त अरब अमीरात	8695.110	17.22
सऊदी अरब	3752.643	8.18
ओमन	847.527	1.75
बहरीन	429.481	0.95
योग	13724.761	28.10

स्त्रोतः अखिल भारतीय मांस और पशुधन निर्यातक संघ

विवरण - II

अप्रैल-1993 से सितंबर-1993 के दौरान भैंस के मांस का देशवार निर्यात

देश	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (मिलि.डा.में)
मलेशिया	6033.434	5.79
संयुक्त अरब अमीरात	3673.751	3.50
जोर्डन	2247.891	1.89
कुबैत	1165.889	1.93
ओमान	1079.093	0.91

बहरीन	753.455	0.67
यमन अरब गणराज्य	682.392	0.57
मारिशश	597.230	1.30
कतर	179.000	0.15
सिंगापुर	124.994	0.11
श्रीलंका	48.000	0.04
बर्मा	31.994	0.03
मालदीव	21.466	0.06
योग	16638.589	16.95

स्त्रोत : नियार्तकों द्वारा एसीडा में दाखिल की गई रिजर्नस

अप्रैल-93 से सितंबर-93 के दौरान भेड़ और बकरी के मॉस का देशवार निर्यात

देश	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (मिलि.डा.में)
संयुक्त अरब अमीरात	5003.700	9.37
सऊदी अरब	2635.304	6.08
ओमान	443.574	0.91
बहरीन	152.922	0.33
जोर्डन	152.000	0.21
कुवैत	6.300	0.02
योग	8393.800	16.92

स्त्रोत : अखिल भारतीय मांस और पशुधन निर्यातक संघ

12.04 म.प.

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज डाक विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। कृपया हमें इस मामले पर बोलने का मौका दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बॅनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : पश्चिम बंगाल में औद्योगिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। श्रम मंत्री और वस्त्र मंत्री यहां उपस्थिति हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे स्पष्ट करने दें डंकल प्रस्ताव पर हमने 11 घंटे तक चर्चा की और शायद यह निर्णय लिया था कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद इस मामले पर विचार होगा मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने की अनुमति दे रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं केवल पांच मिन्ट लूंगी। डाक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। चार दिन बीत चुके हैं और सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। डाक विभाग पूर्णतः डगमगा गया है।

पश्चिम बंगाल में, सभी जूट मिलों में या तो तालाबंदी चल रही है या वहां तालाबंदी की जाने वाली है। विक्टोरिया जूट मिल, कनोरिया जूट मिल और अंगूज जूट मिल - सभी मिलें बंद पड़ी है। मिल मालिक जूट मिलों को खरीद रहे हैं और कर्मचारियों को धोखा दे रहे है। वे भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कर रहे हैं वे कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियां भी नहीं दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने अपना आन्दोलन छेड़ दिया है। कनोरिया जूट मिल में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज उन्होंने अपना रेल रोको आन्दोलन शुरू किया है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विक्टोरियाा जूट मिल में तालाबंदी की दर अधिक है। एक कर्मचारी 30 नवम्बर से गायब है। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। वह पुलिस की हिरासत में है। उसे उसकी पत्नी के सामने मारा गया है और उसके बाद से वह गायव है, उसका अभी तक पता नहीं चला है। ऐसी आशंका है कि उसे पुलिस ने पूछताछ करते समय मार दिया।

मंत्री महोदय से अनुराधे है कि वह इस मामले की जांच करें यह एक बहुत गंभीर मामला है और पश्चिम बंगाल में लोगों की रक्षा नहीं की जा रही है। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करवाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि संसदीय मामले के मंत्री इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें अन्यथा 15 तारीख से मैं भूख हड़ताल करने जा रही हूं। मैं मानव जीवन की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूं। आज तक श्री भिखारी पासवान को ढूंढा क्यों नहीं गया? उन्होंने आन्दोलन इसलिए शुरू किया था क्योंकि उन्हें अपनी भविष्य निधि राशि और वेतन प्राप्त नहीं हुआ था। कर्मचारियों को अपनी देय राशि प्राप्त नहीं हुई। भविष्य निधि की 150 करोड़ से भी अधिक राशि जमा नहीं की गई है। वस्त्र मंत्री यहां उपस्थित हैं। 11 करोड़ रु. की राष्ट्रीय वस्त्र निगम की राशि अभी तक जमा नहीं की गई।

उन्होंने ये राशि जमा नहीं की है। मैं नहीं जानती कि श्रम मंत्री और वस्त्र मंत्री क्या क

रहे हैं मैं इसे संसदीय कार्य मंत्री के ध्यान में भी ला रही हूं जो कि यहां उपस्थित हैं। मैं जानना चाहती हूं कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या हो रहा है।

कृपया मेरी बात सुनिए। अन्यथा मैं अपना धरना शुरू कर दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पुलिस की हिरासत में अस्सी से भी अधिक व्यक्ति मारे गए हैं। वहां मानव अधिकारों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्रियों से कुछ प्रतिक्रिया चाहती हूं। मैं इस मामले को गृह मंत्री के समक्ष भी लाना चाहती हूं जिससे पता चले कि क्या हो रहा है। पुलिस हिरासत में लोगों को अन्धाधुन्ध मारा जा रहा है। वे उन्हें न्यायालयों में पेश नहीं करा रहे हैं। यह क्या है? कानून और व्यवस्था कहां हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या हो रहा है? हम बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी, आपने अपनी बात कह दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात जोरदार शब्दों में कह दी है।

कुमारी ममता बनर्जी: पुलिस की हिरासत में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या वे अकेली इससे चिन्तित हैं?

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, आप यहां संरक्षक हैं। यह जनता की अदालत है। कृपया लोगों के मानव अधिकारों को संरक्षण दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ममता जी आपने अपनी बात कह दी है।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर आपसे और मंत्रियों से चर्चा करूंगा। कृपया अन्य सदस्यों को भी कुछ कहने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया है कि मैं मामले पर आपके और मंत्रियों से भी चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कन्येरिक जूट मिल और पश्चिम बंगाल में भी कुछ अन्य जूट मिलें बंद हैं और कर्मचारी आन्दोलन कर रहे है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। मैं कुमारी ममता बनर्जी द्वारा उठाई गई समस्या से भी सहमत हूं।

महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की पीठ ने कुछ सिफारिशें की है और अत्यधिक चिंता के साथ नोट किया कि यद्यपि छः माह से भी अधिक बीत गए हैं, न तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और न ही भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने

योजना कार्यान्वित की है और न ही भारतीय औद्योगिक और वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के सहयोग के मामले को सुलझाने और इन संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उचित कदम उठाए हैं। यह बहुत ही दुभाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, आप ये क्या पढ़ रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाहः यह औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का निर्णय है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से आवधिक ऋण देने के लिए कहा गया था लेकिन वे नहीं दे रहे हैं। ये मिल पूंजी की कमी के कारण बंद हुई हैं। मैंने श्रम मंत्री से भी बात की है जो मामले को दो दिनों में उठाने के लिए सहमत हुए हैं। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जीः महोदय, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या हो रहा है?

श्री हन्नान मोल्लाहः समस्या का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और अपराधियों को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेने देना चाहिए। मैंने माननीय मंत्री महोदय से बात की है और मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अपनी उचित भूमिका निभाएगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः ममता जी यदि आप यहां आकर पटल के पास खड़ी होकर बोलेंगे। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री हन्नान मोल्लाहः मैंने वस्त्र मंत्री से भी बात की है। वे कुछ कार्यवाही करने को सहमत हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः मैं केवल एक मुद्दे पर आप सबकी बात नहीं सुनूंगा। अन्य सदस्य भी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया समझने की कोशिश करें। मैंने एक सदस्य की बात सुन ली है। अब अन्य सदस्यों को भी बोलने दें। **(व्यवधान)**

श्री पी.जी.नरायणन (गोबिचेट्टिपालयम): इस समय तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण हैं जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कृपया समझने की कोशिश कीजिए आप इस तरह सभा में नहीं बोल सकते। मैंने श्री नारायणन का नाम पुकारा है। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, क्या मैं आधा मिनट ले सकता हूं? राज्य सरकार के विरुद्ध जो कुछ भी कहा गया है हमने चुपचाप सुना। **(व्यवधान)** केन्द्रीय सरकार ऋण नहीं दे रही है। श्री प्रणव मुखर्जी यह जानते हैं। **(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः यदि आप बोलना चाहेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा लेकिन मैं आपके दल के सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया ध्यान दें मैंने आपके दल के एक सदस्य को अपनी बात कहने की अनुमति दी है। आप सब नहीं बोल सकते। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को, यदि वह अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन मैं एक ही दल के सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पालः महोदय, मैं लम्बे समय से विक्टोरिया जूट मिल से सम्बद्ध हूं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आपको ध्यान देना चाहिए कि हमने डंकल प्रस्ताव पर 11 घंटे तक चर्चा की है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के इच्छुक होंगे। हम इसके प्रयास कर रहे हैं अब आप जबरदस्ती अपने विचार हम पर लाद रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, कृपया हमें सोमवार को बोलने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अब, श्री नारायणन

श्री पी.जी.नारायणनः अध्यक्ष महोदय, इस समय तमिलनाडु में पिछड़े वर्गो के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सहित 69 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हम उच्चतम न्यायालय का अत्यधिक आदर करते हैं। लेकिन साथ ही लोगों की भावनाओं का भी आदर किया जाना चाहिए। पिछड़े हुए लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय की सुरक्षा सरकार का कर्त्तव्य है। यदि तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय के अनुसार आरक्षण के वर्तमान स्तर को कम करने का प्रयास करता है तो यह एक सामाजिक समस्या होने के कारण सामाजिक तनाव पैदा करेगा और इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। इन सभी कठिनाईयों से बचने का केवल एक मात्र रास्ता आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। तमिलनाडु विधान सभा ने 1 नवम्बर, 1993 को अपने एक विशेष सत्र में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और राज्य में सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने के लिए संवैधानिक संशोधन करने के लिए केन्द्र से अनुरोध करने के संबंध में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। संकल्प के समर्थन में राज्य की आरक्षण नीति पर प्रकाश डालते हुए एक राज्य व्यापी हड़ताल भी की गई थी।

अब समय आ गया है कि न केवल तमिलनाडु में बल्कि सम्पूर्ण देश में समाज के कमजोर वर्गो को प्रदान किए जा रहे आरक्षण लाभों का पूरा पूरा फायदा उठाने को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और यदि राज्य सरकार अपनी वर्तमान आरक्षण नीति जारी रखती है तो संविधान में संशोधन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। एक अन्य अवसर पर, पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में जब ऐसी स्थिति सामने आई थी तो पंडित नेहरू ने निम्नलिखितानुसार

खंड 15 के अन्तर्गत एक नया उप-खंड 15 (4) अन्तःस्थापित कर संविधान में संशोधन करते हुए स्थिति का समाधान निकाला था :

"इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंउ (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र संविधान में उचित संशोधन करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए। मैं सभी राजनैतिक दलों से भी अनुरोध करता हूं कि वह दल की लीक से हट कर इसको समर्थन करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, हम जोरदार शब्दों में इसका समर्थन करते हैं। इनमें संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है। अतः महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मामले पर सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करने का अनुरोध करता हूं। इस तथ्य के बावजूद कि सभा द्वारा निर्णय लिया गया था, सरकार कुछ नहीं कर रही है और अधिकारी वर्ग यह कहकर कठिनाईयां पैदा कर रहा है कि संविधान आड़े आ रहा है। अतः संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है, इसी संदर्भ में, मैं तकलीफ के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि वी.पी.सिंह साहब इस सदन में बड़े अर्से से गैर-हाजिर है। सरकार ने मंडल कमीशन को लागू जरूर किया लेकिन उसको तोड-फोड़ कर लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 50 परसेंट की बार लगायी है, मैं माननीय सदस्य के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सूबों के हाथ की बात है, इसमें बहुत दिक्कत फंसेगी और कमजोर तबकों के जो विकास का रास्ता है और वर्षो से हमारे सूबों में, स्टेट्स में, इस आंदोलन ने अपनी जगह बनायी है। लगातार कई दिनों से यह सुविधा लोगों को मिली हुई है। हमारे कुछ वे सूबे बेहतर चल रहे हैं अपेक्षाकृत उन सूबों के जहां इन सिफारिशों को लागू करने का काम नहीं हुआ है। जहां लागू नहीं हुआ है, वहां बहुत बेचैनी है। वी.पी.सिंह जी इस सदन में महीनों से बाहर हैं। उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है। मैं तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये जो एडवर्टाइजमेंटस निकाले जा रहे हैं, उनमें से एक में भी ऐसा पता नहीं चलता कि कहीं बैकवर्ड क्लासेज के लिये जो कोटा है, उसे सरकार ने लागू किया है, मेरा मतलब है कि सरकार की उसमें बहुत बदनियति हमें दिखाई देती है। जबकि हमारे वी.पी.सिंह साहब सदन के बाहर हैं, उनकी मेम्बरी को भी खतरा है। वे यहां दस्तखत करने भी नहीं आयेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सारी परिस्थितियों को देखते हुए, हिन्दुस्तान की जो बहुसंख्यक आबादी है, उस आबादी के संबंध में हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी, एपैक्स कोर्ट ने एक नया वातावरण मुहैया किया है परन्तु यह सरकार उस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने यह कहा है कि जब तक सिविल सर्विसेज में कोई नौजवान भर्ती नहीं होगा, तब तक वे दिल्ली वापस नहीं आयेंगे। उनकी यह जो काल है, कसम है, बहुत कठिन कसरत है, जिसकी तरफ देश की सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि कमजोर तबकों के लोग आज बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरको को इस बात को गंभीरता से लेना

चाहिये। आपके हाथ में सब कुछ है। वी.पी.सिंह साहब एक संस्था हैं। हिन्दुस्तान के गरीब लोगों के लिये उन्होंने बहुत कुरबानी की है। उनकी कुरबानियों को देखते हुए, यदि यह सरकार उनके इस छोटे से आग्रह को भी पूरा नहीं कर सकती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष जी, उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार से आपने भी निवेदन किया था कि इस मामले को जल्दी निपटाना चाहिये। आपने यह भी कहा था कि अपने चैम्बर में बुलाकर मैं खुद भी बातचीत करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस छोटे से मामले को जल्दी से जल्दी सरकार को पूरा करना चाहिये, मतलब यह कि लोगों के मन में जो भावना है, उसको और आगे नहीं चलने देना चाहिये, इस मामले को और ज्यादा नही टाला जाना चाहिये क्योंकि जब एक आदमी स्वतःदेश की इतना बड़ी आबादी के लिए बाहर निकला है तो आपको उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर, आबादी की भावनाओं को ध्यान में रखकर, इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात और ज्यादा बिगड़ेगी, इसे और नहीं बिगड़ने देना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। भारत के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री, इस सभा के सदस्य सरकारी निर्णय के विरूद्ध नहीं बल्कि सरकारी निर्णय के क्रियान्वयन की वजह से यहां से बाहर चले गए हैं। वे कहते हैं कि यह सरकार का निर्णय है। इस सभा ने इसे स्वीकृत किया है। इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि एक पीठासीन अधिकारी और हमारे हितों के रक्षक के रूप में यदि आवश्यक हो तो आप कृपया इसमें हस्तक्षेप करें। सरकार को अपने निर्णय को क्रियान्वित करना चाहिए ताकि वे सभा में वापस आ सकें और एक बहुत पुरानी मांग पूरी हो जाए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष जी, वी.पी.सिंह साहब ने संकल्प लिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन मण्डल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के बाद 13.11.1993 को लाईफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन का एक विज्ञापन निकला है परन्तु उसमें पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वह विज्ञापन अखबारों में निकला है। हम लोग यहां कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा तो जरूर कर दी है लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पिछड़ी जातियों में रोष है, देश में असंतोष है और वी.पी.सिंह साहब अपने संकल्प के चलते दिल्ली के बाहर हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार ने जो घोषण की है, उसको लागू कराया जाए। वैसे तो सरकार कहती है कि हम लागू कर रहे हैं लेकिन वास्तव में कुछ लागू नहीं किया जारहा है। मैं इस संबंध में सारे प्रमाण आपके पास रखना चाहता हूं, सीधे रखना चाहता हूं। विज्ञापन जो छपा है।

दूसरी बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत की जो सीमा लगायी गयी है, सुप्रीम कोर्ट के ओब्जर्वेशन के मुताबिक, उसको हटाने के लिये, संविधान में संशोधन लाया जाये और इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाये कि वहां की आबादी को देखते हुए, कुल मिलाकर 85 प्रतिशत आबादी है, उनका आरक्षण 50 प्रतिशत के कम न हो, और इसमें विकलांगों के लिये भी आरक्षण होता है। इसमें फौजियों के बच्चों

के लिए भी आरक्षण होता है। मांग की जा रही है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इन सबको देखते हुए 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन कराया जाए, यही हम आग्रह करते हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस माग का पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहता हूं और सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हू... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया अभी नहीं। आपके दल के सदस्य इस पर बोल चुके हैं। आप कुछ और कहिये।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : मेरा दूसरा मुद्दा जो बहुत गंभीर है, यह है कि 1978 में बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय का सरकार ने नामकरण करने का निर्णय लिया था और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की ऐग्जीक्यूटिव कमेटी ने तथा विधान सभा, विधान परिषद दोनों सदनों ने सम्मिलित रूप से प्रस्ताव पास किया था कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा साहेब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। श्री शरद पवार उस समय मुख्य मंत्री थे। उसके बाद सैंकड़ों नौजवानों की जानें गई। पिछली 26 तारीख को गौतम बागबाले, दलित पैन्थर के अध्यक्ष ने आत्मदाह कर लिया। वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अम्बेडकर साहेब का शताब्दी वर्ष हमने मना लिया है, गांव-गांव में सभी पार्टियां अम्बेडकर का नाम ले रही हैं। लेकिन एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नामकरण को लेकर आज नौजवानों को आत्मदाह करने की नौबत आई है।

हम सरकार से मांग करना चाहते है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। मुकुल वासनिक जी, आप वहां से आए हैं। आज वही शरद पवार जी मुख्य मंत्री हैं जो उस समय मुख्यमंत्री के पद पर थे। इसलिए उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा जाए और सरकार को इस सदन में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि वे सिर्फ महाराष्ट्र के ही नेता नहीं थे, वे संविधान के जनक भी थे। उनके अपमान को यह सदन सहन नहीं कर सकता। उनको यदि इज्जत नहीं दे सकते है तो उनका अपमान भी नहीं किया जाना चाहिए? यदि प्रस्ताव लागू नहीं करना था तो उसे पास क्यों किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि अविलम्ब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपका एक शब्द इस मामले में बहुत लाभदायक होगा।

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 75 प्रतिशत से अधिक लोग जनजातीय हैं। वहां पर अनेक जटिल समस्यायें हैं। मैंने इस सभा में कई बार उन मामलों को उठाया है और आपका ध्यान उनकी ओर दिलाया है। आपने उन मामलों के साथ अपनी सहानुभूति भी व्यक्त

की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग आधी आबादी अपनी जीविका के लिये वन उत्पादों पर निर्भर करती है। और शेष लोग भुखमरी के शिकार भी हैं। अतः उन लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इसके अलावा पेयजल भी नहीं है और लोगों को वर्ष भर सिंचाई की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वहां पर कोई उद्योग भी नहीं हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि फूलबनी, बोलंगीर और कालाहाण्डी में जो कि वर्ष भर गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, विशेष जिला विकास बोर्ड स्थापित करें।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा): अध्यक्ष महोदय, करीव डेढ़ वर्ष हो चुका है, जी. आई.सी. कम्पनी में विकास अधिकारियों की परीक्षा ले ली गई है और उसके वाद भी नियुक्ति नहीं की गई है। विभिन्न अदालतों द्वारा स्टे दिया गया था।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ऐसे मामले पार्लियामेंट में उठायेंगे तो कैसे चलेगा।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिये राजय सरकार द्वारा विधायकों को राशि दी जाती है, उसी तरह से ...**(व्यवधान)**.. पिछले सत्र में हमने आपसे मांग की थी कि हम लोगों को भी ...(**व्यवधान**)...**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। आप बैठ जायें।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय पटसन उद्योग अन्य उद्योगों की भांति बहुत कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल में चार पटसन मिलों की एक विचित्र समस्या है। इन चार में से दो मिलें - उत्तर सामनगर पटसन मिल और विक्टोरिया पटसन मिल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। अन्य हैं एंगस और टीटाघर पटसन मिलें। कुछ समय पहले, एक अंग्रेज मालिक श्री आर.जे.ब्रियरली ने भा.रि.बै. की अनुमति से इन चार मिलों में नियन्त्रक शेयर खरीदे। उसने 171 करोड़ रु. निकाल लिये। इसमें से लगभग 65 करोड़ देय मजदूरी, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए देय आदि के रूप में श्रमिकों के हैं। उनके द्वारा यह धनराशि निकाल लिये जाने के बाद इन मिलों में अनेक गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। गम्भीर कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। विक्टोरिया पटसन मिल पिछले वर्ष अक्तूबर में बन्द हो गई थी।

इस संबंध में मैंने प्रधान मंत्री, वस्त्र मंत्री और श्रम मंत्री को पत्र लिखे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लिया है। उन्होंने इस संबंध में केन्दीय सरकार से संपर्क स्थापित किया है और वे इन मिलों को पुनः खोलने और उन्हें चलाने के लिए तरकीब निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, इस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। कृपया यह देखें कि कुछ कार्यवाही की जाए। **(व्यवधान)**

श्री रूपचन्दपाल: महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले की जांच करें और श्री ब्रियरली जिन्होंने धनराशि निकाली है के प्रत्यावर्तन का आदेश दिया जाये और उनको भारत लाया जाए तथा वह मिलों को चलाए जैसा कि उन्होंने वायदा किया था। उनके शेयरों का अपनिवेश किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को देय धनराशि की अदायगी की जा सके। कम्पनियों के पंजीयक द्वारा इस संबंध में धारा 621 के अतंर्गत उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कॉफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) नियम, 1993 और इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इनके कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कॉफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) नियम, 1993, जो 13 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4646/93]

(2) (एक) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4647/93]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिये समझौता ज्ञापन आदि

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4648/93]

(2) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4649/93]

भारतीय विधि आयोग का एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ छियालीसवां प्रतिवेदन, आदि

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भारद्वाज): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) संविधान के अनुच्छेद 12 और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी एक सौ पैंतालीसवां प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल.टी. 4649-ए/93]

(दो) महिलाओं और बच्चों की बिक्री-प्रस्तावित धारा 373क-भारतीय दण्ड संहिता संबंधी एक सौ छियालीसवां प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल.टी. 4650/93]

(2) असम, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी विधान सभाओं के 1991 के आम चुनावों तथा 1991 में हुए विधान सभाओं के उप-चुनावों

संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4651/93]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) 8 मई, 1993 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 303 (अ) में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 1993।

(दो) 25 अक्तूबर, 1993 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.817 (अ) में प्रकाशित निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 1993।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4652/93]

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचना और गर्म मसाला व्यापार निगम लि. (बंगलौर) का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का.आ. 733 (अ), जो 30 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 20 के अंतर्गत जारी 29 फरवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या का. आ. 235 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4653/93]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गर्म मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गर्म मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4654/93]

(ख) (एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंगक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4655/93]

(3) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1993, जो 29 मई, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और निरसन) (संशोधन) नियम, 1993, जो 19 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद् (निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993, जो 26 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 312 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1993, जो 10 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1477 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी.4656/93]

(4) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1577, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या का.आ. 576 को विखंडित किया गया है।

(दो) का.आ .1578, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1772 को विखंडित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1579, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1221 (क) को विखंडित किया गया है।

(चार) का.आ. 1580, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अक्तूबर, 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2968 को विखंडित किया गया है।

(पांच) का.आ .1581, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2353 को विखंडित किया गया है।

(छह) का.आ. 1582, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5577 को विखंडित किया गया है।

(सात) का.आ. 1583, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4575 को विखंडित किया गया है।

(आठ) का.आ. 1584, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2355 को विखंडित किया गया है।

(नौ) का.आ. 1585, जो 24 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जुलाई, 1978 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2139 को विखंडित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी.4657/93]

आयकर अधिनियम 1961, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 1993, जो 3 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 611 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1993, जो 6 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 667(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, 1993, जो 30 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 736 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी.4658/93]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 649 (अ), जो 27 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 650 (अ), जो 27 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 707 (अ), जो 21 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 708 (अ), जो 21 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 719 (अ), जो 27 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 720 (अ), जो 27 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 822 (अ), जो 27 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 823(अ), जो 27 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण और स्टाम्प शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्रित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4659/93]

(3) केन्दीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 645 (अ), जो 8 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों को अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 646 (अ), जो 8 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 9 मई, 1959 की अधिसूचना संख्या 53/59-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(तीन) सा.का.नि. 652 (अ), जो 14 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 197/92-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(चार) सा.का.नि. 653 (अ), जो 14 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 23/86-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4660/93]

(4) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1993, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 20 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4661/93]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निम्नांकक) विनियम, 1993 जो 8 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 760 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निम्नांकक) विनियम, 1993 जो 8 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.ई/10/93 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4662/93]

(6) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1993 जो 20 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 567 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 जो 2 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 599 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इन्दिरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1993 जो 2 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589 (अ) में प्रकाशति हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4663/93]

(7) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर (मासिक आय खाता) (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 जो 2 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 1993 जो 2 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 586 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक घर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1993 जो 2 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 587 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4664/93]

(8) अधिसूचना संख्या एफ.सं. 15/2/93-एन.एस.-2 जो 11 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसका आशय सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की जमा योजना, 1989 में कतिपय संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4665/93]

(9) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिन्डीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (व्यवहार) (संशोधन) विनियम, 1992, जो 28 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 872/0090/पी.डी.:आई.आर.डी. (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या 915/एस./0090/पी.डी. : आई.आर.डी. (ओ.), जो 4 सितम्बर 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें 28 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या 48 के शुद्धिपत्र का केवल हिन्दी. संस्करण सम्मिलित है।

(तीन) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1992 जो 21 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.ओ.पी.आर.एस. विधिक 22:93:94 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1992 जो 10 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एन.बी./डी.ए.सी./1/93 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1992 जो 19 जून, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ. : ओ.एस.आर. एण्ड आई.आर. : 27/107/581 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4666/93]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आन्ध्र बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1993 जो 6 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/विधि/141 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) पंजाब और सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1992 जो 3 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विज्ञा. 3/4/153-93 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4667/93]

(11) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4668/93]

(12) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4669/93]

(ख) (एंक) ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4670/93]

(ग) (एक) यूनाईटेड इंडिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूनाईटेड इंडिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4671/93]

(घ) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालोखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4672/93]

(ङ) (एक) न्यू इंडिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, मुम्वई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वाराा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इंडिया कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4673/93]

(13) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल.टी. 4674/93]

(दो) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4675/93]

(तीन) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4676/93]

(चार) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4677/93]

(पांच) देना बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4678/93]

(छह) इण्डियन बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4679/93]

(सात) इण्डियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4680/93]

(आठ) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4681/93]

(नौ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4682/93]

(दस) यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4683/93]

(ग्यारह) यूको बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4684/93]

(बारह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4685/93]

(14) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आन्ध्र बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4686/93]

(दो) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4687/93]

(तीन) न्यू बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4688/93]

(चार) पंजाब एण्ड सिंघ बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिदेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4689/93]

(पांच) विजया बैंक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के वारे में प्रतिवेदन, लेख तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4690/93]

(15) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) संशोधन नियम, 1993, जो 6 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4691/93]

(16) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के तेईसवें मूल्यांकन के परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4692/93]

(17) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी रांस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदनः-

(एक) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4693/93]

(दो) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं. एल.टी. 4694/93]

(18) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत्त 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के तेईसवें मूल्यांकन प्रतिवेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल.टी. 4695/93]

(19) संविधान के अनुच्छेद 280 के परन्तुक के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 800 (अ), जो 24 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें डा. सी.रंगराजन के स्थान पर श्री मन श्रीफ को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में उनके पदग्रहण की तारीख से 30 नवम्बर, 1993 तक के लिए नियुक्त किये जाने के बारे में राष्ट्रपति का आदेश सम्मिलित है।

(दो) का.आ. 921 (अ), जो 30 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दसवें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 जून, 1994 तक बढ़ाने संबंधी राष्ट्रपति का आदेश सम्मिलित है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं. एल.टी. 4696/93]

12.28 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना हैः-

"मुझे लोकसभा को यह जानकारी देने का निदेश हुआ है कि अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1992 जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 30 नवम्बर, 1992 को हुई बैठक में पारित किया गया था, राज्य सभा द्वारा अपनी 7 दिसम्बर, 1993 को हुई बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया है :-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "तैतालीसवां" शब्द के स्थान पर "चवालीसवां" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड एक

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 अंक "1992" के स्थान पर अंक "1993" प्रतिस्थापित किया जाये।

अतः मैं राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियम के नियम 128 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त विधेयक को इस निवेदन के साथ वापस भेजता हूं कि उपरोक्त संशोधनों के लिए लोकसभा की स्वीकृति इस सभा को प्रेषित कर दी जाये।

12.29 म.प.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ वापस भेजे गये अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1992 को सभापटल पर रखता हूं।

12.29/1/2 म.प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पन्द्रहवां, सोलहवां और सत्तहवां प्रतिवेदन

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रन्द्रहवा, सोलहवां और सत्तहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

व्यापार वार्ता संबंधी डंकल प्रारूप के निहितार्थों के बारे में प्रस्ताव - जारी

अध्यक्ष महोदयः अब मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में मैं उन सभी माननीय सदस्यों

के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, एक छोटा सा स्पष्टीकरण। हम जानते हैं कि फ्रांस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार सोचती है कि हस्ताक्षर करना बाध्यकर है जबकि अन्य देश हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। कम से कम वे प्रारंभ में आश्वासन दे सकते है - जिससे कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने से पहले वे संसद की सहमति लेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): तथा राज्य विधान मंडलों की सहमति भी ली जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी: महोदय, प्रारंभ में मैं उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया तथा अपना योगदान दिया और चर्चा जो कि चल रही है तथा जिसे उरूग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है, के अपने ज्ञान से अवगत कराया। जहां तक इसकी तकनीकी बातों का संबंध है प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने इसके परिप्रेक्ष्य में समय सारणी दी थी कि क्या बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए अधिकारी स्तर पर पर चर्चा के 15 दिसम्बर, तक समाप्त हो जाने की संभावना है। उसके बाद अधिकारी स्तर पर इसके 15 दिसम्बर तक पूरा हो जाने की संभावना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: "पूरी होने जा रही है" तथा "पूरा होने की संभावना है" विभिन्न बातें हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं अंग्रेजी का विशेषज्ञ नहीं हूं तथा मैं इसे अपने ढंग से कहने की कोशिश करूंगा।

वार्ता के लिए अधिकारियों की एक समिति है तथा इस वार्ता समिति का कार्य 15 दिसम्बर तक समाप्त हो जाएगा। अंतिम अनुमोदन हेतु वे प्रारूप पर अपनी सिफारिशें एक अन्य समिति को करेंगे जिसमें संविदा करने वाले विभिन्न देशों के मंत्री शामिल होंगे। उसके बाद 1 जनवरी, 1994, 1 जनवरी, 1995 तक अभिपुष्टि हेतु, इसे संविदा करने वाली विभिन्न पार्टियों को दिया जाएगा। इसलिए यह समय-सारणी है जिसका पालन करना होगा।

फ्रांस द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में वास्तव में मैंने इसकी जांच की थी जब इस मुद्दे का सभा में उल्लेख किया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है वे सहमत हुए हैं तथा उनके सभी मतभेदों को हल कर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या वे दबाव में आकर सहमत हुए हैं?

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं नहीं जानता कि यह दबाव में हुआ या नहीं लेकिन तथ्य यही है कि कोरिया ने भी सहमति व्यक्त की है। मेरे विचार से कुछ माननीय सदस्यों को उनकी कृषि संबंधी समिति द्वारा जारी की गई सूचना मिल गई होगी। उन्होंने कुछ मामले उठाए थे कि कृषि विशेषकर चावल और कुछ अन्य कृषि वस्तुओं को "गैट" व्यवस्था की परीधि में नहीं लाया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने भी इस बात पर सहमति बना ली कि इसे "गैट" व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और हमें वह

सूचना मिल गई।

महोदय यह सत्य है कि हम इस मामले पर एक पूर्व चर्चा नहीं कर सके, लेकिन विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशासन की ओर से तथा विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हमने चर्चा के लिए पहली सूचना, मई, 1992 में दी थी। उसके बाद गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के माध्यम से सीमिति चर्चा हो सकी तथा इसे एक सत्र विशेष के अंतिम समय में लाया गया था।

श्री सामेनाथ चटर्जी: इसे हमेशा सत्र के अंत में लाया गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी: यह मैं नही जानता। निःसन्देह, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि यह कैसे हुआ। कार्य मंत्रण समिति, जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है, इस पर विचार कर सकती है लेकिन यह एक भिन्न बात है।

इसके अलावा, जब मेरे सहयोगी ने दूसरे सदन में चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया था कि हम सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करना चाहते हैं, मैंने वह चर्चा प्रारंभ की थी, तभी प्रमुख राजनीतिक दलों से हमारे साथ चर्चा करने का अनुरोध किया और वास्तव में अप्रैल और मई महीनों में मुझे प्रमुख राजनीतिक दलों के विचार जानने का अवसर मिला। दुर्भाग्यवश बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया लेकिन उसे छोड़ कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया तथा चर्चा में भाग लिया। इस पर हमारी सहमति तो हुई लेकिन जो भी हो, हमने अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया। मेरा मुद्दा यह नहीं है कि क्या डंकल मसौदों का पाठ अच्छा है या बुरा है तथा उसे यहां न्यायोचित ठहराना या प्रमाणित करना मेरा काम नहीं है।

महोदय मैं उस टिप्पणी से प्रारंभ करूंगा जो एक माननीय सदस्य ने इस सभा में की थी कि हमें इस बात को देखना होगा कि क्या हमारे राष्ट्रीय हितों को देखते हुए चर्चा के इस दौर में उन प्रस्तावों से लाभ होगा। निसंदेह इस देश के राष्ट्रीय हितों को सबसे अधिक प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमें यह भी ध्यान रखना होगा, चूंकि यह एक बहुदेशीय मंच है तथा सभी 108 संविदा करने वाले देश इसमें भाग ले रहे हैं। कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहेगा। अतः एक प्रणाली होनी चाहिए जिसमें न केवल एक बल्कि सभी 108 देशों के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जा सके।

उस प्रक्रिया में, यह प्रशंसा करनी पड़ेगी कि आप ऐसा कोई तंत्र नहीं तैयार कर सकते जिसमें सभी दलों को 100% संतुष्टी मिल सके। यही आम सिद्धान्त है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं की जा रही है।

अब मैं उस परिप्रेक्ष्य की ओर आता हूं जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है, यह सच है कि जब 1948 में पहली बार "गैट" की परिकल्पा की गई थी तथा इसे क्रियान्वित किया गया था। इसका कार्यचालन क्षेत्र, क्षेत्राधिकार या आम तौर पर जिसे "गैट" व्यवस्था कहा जाता है केवल व्यापार तक सीमित था। पहली बार न केवल व्यापार बल्कि सेवाएं, निवेश, व्यापार से संबंधित निवेश मामलों, व्यापार से संबंधित सेवा मामलों, व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पत्ति मामलों को इसमें लाया जा रहा है। इसे चर्चा के लिये लाया गया था यह विवादास्पद भी है। यह विवादास्पद है क्योंकि तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बहुत अधिक विवादास्पद है क्योंकि किसी भी चर्चा पर इतना अधिक

समय नहीं लगा जितना इस पर लगा है। इस पर चर्चा सितम्बर, 1986 में प्रारंभ हुई थी तथा अब दिसम्बर, 1993 है तथा अभी भी इस पर चर्चा जारी है। यह तथ्य स्वतः दर्शाता है कि चर्चा हेतु विभिन्न उपबन्ध आसानी से स्वीकार्य या आसानी से समाधानशील नहीं है। इसी कारण इसने इतना अधिक समय लिया गया तथा विभिन्न स्तरों पर ऐसा लगा कि यह ऐसी स्थिति में न पहुंच जाए और यह विफल हो जाए। अतः मेरे विचार से इसके लिए निष्पक्ष, उद्देश्य पर विचार वनाना होगा कि यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे, क्या लाभ होंगे और क्या हानियां होंगी। मैं यह नहीं कहता कि कोई हानियां नहीं होंगी। मेरा ऐसा कहना नहीं है।

स्पष्ट तौर पर हम "गैट" का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। आपको याद होगा जो पारम्परिक रुख हम शुरू से अपनाते आ रहे हैं। जब तक 1976 में समाप्त हुई टोक्यो वार्ता दौर के लंबित मामलों को हल नहीं कर लिया जाता, भारत ने काफी दवाव डाला कि मंत्री स्तर की बैठक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें, यहां तक की 1984 में जब मैं विकासशील देशों का प्रतिनिधि था, जी-24 के चेयरमैन के रूप में, विश्व बैंक में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में मैंने यही मुद्दा उठाया था कि टोक्यो वार्ता दौर में इस बात पर सहमति हुई थी कि जब तक एम ए ए जिसका अभी तक हल नहीं हुआ है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा समेत इन लंवित मामलों का हल नहीं कर लिया जाता तब तक मंत्री स्तर की बैठक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्व बैंक समुदाय ने इसके विपरीत निर्यण लिया। परिवर्तन इतनी तेजी से हुए, जिनकी हम अपेक्षा नहीं कर सके। 1984 में भी इसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की। यह प्रणाली न केवल टिकी रही बल्कि बहुत प्रभावी ढंग से टिकी रही और केवल एक अर्थव्यवस्था, जो मेरे विचार से–यदि मुझे ठीक तरह से याद है और यदि मैं ठीक न हूं तो इसे ठीक कर लेना–जो 1930 के प्रारम्भ में विश्व व्यापी मन्दी का सामना कर सकी, वह नियंत्रित सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। इसमें निरंतर छह प्रतिशत से सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि रही। अन्य सभी अर्थ व्यवस्थाएं, मुक्त अर्थव्यवस्था, पूंजी वादी अर्थव्यवस्था चौथे दशक की मन्दी में समाप्त हो गई। लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था टिकी रही तथा चौथे दशक की मन्दी में टिकते हुए निरंतर विकास दर्ज किया। लेकिन सात दशकों से अधिक की अवधि तक अपनी प्रभावी उपस्थिति के बाद वह अर्थव्यवस्था वह प्रणाली स्वतः समाप्त हो गई। इसलिए जो परिवर्तन हुए, यदि आप सितम्बर, 1986 में उरूग्वे वार्ता दौर से आज तक की घटनाओं पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों की बात करने से पहले मैं उस पृष्ठ भूमि को बताने में कुछ समय लूंगा जिसमें ये वार्ताए चल रही हैं। एक समय यह सोचा गया था कि विकासशील देश एक साथ मिलकर ऐसा परिप्रेक्ष्य अपना सकते हैं जहां वे उसमें से अधिकतम फायदा प्राप्त कर सकते हैं। जब वार्ताए पूरी नहीं की जा सकी, डंकल मसौदा स्वतः एक समझौता फार्मूला है। जब संविदा करने वाली पार्टिया किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी तब यहां तक कि महानिदेशक, उसके निर्णय के अनुसार जो उसने विचार किया वह समझौते का आधार होगा। उन्होंने उन उपबंधों को संकलित किया मसौदे में रखा जिसे डंकल मसौदे के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके बाद सितम्बर, 1993 में अर्जेन्टिना के राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रमुख विकासशील देशों समेत 37 देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधान मंत्री तथा जापान के प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि डंकल पाठ के आधार पर हम उरूग्वे दौर की वार्ता का शीघ्र निष्कर्ष चाहते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण है जिसमें हमें अपनी वार्ताएं करनी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। अधिकारिक स्तर की चर्चाएं चल रही हैं और वे 15 तारीख तक चलेंगे तथा हम इसमें भाग ले रहे हैं। इसी दौरान, यूरोपीय साझा बाजार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की वार्ताएं हुई हैं। प्रत्येक दिन हमें उसके बारे में सूचना प्राप्त हो रही है तथा उनकी आपस में वार्ताएं हो रही हैं और अब उन्होंने मंत्री स्तर पर एक व्यवस्था कर दी है।

इससे परामर्श नहीं किया गया। किसी भी विकासशील राष्ट्र से परामर्श नहीं किया गया। जब श्री डगलस हर्ड ने अमेरिका में श्री विल क्लिंटन के साथ बैठक की तथा जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ओर से श्री जैक्वेस डेनर्स ने अमेरिका के अपने समकक्ष अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे और अब वे अपने मतभेदों को दूर करने के लिए मंत्री स्तरीय चर्चा कर रहे थे तब भी विकासशील देशों से परामर्श नहीं किया गया। भारत से परामर्श नहीं लिया गया है। अब यह हम पर थोपा जा रहा है और अब हमें या तो इसे स्वीकार करना है अथवा अस्वीकार करना है। स्थिति यही है, अतः मंत्री स्तर पर श्री प्रणव मुखर्जी की प्रबल चाह के बावजूद आपकी बात को वहां क्या निर्णयक महत्व दिया जायेगा? आपको कोई नियायक महत्व नहीं दिया जायेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं सदस्य द्वारा उठाए इस विशेष मुद्दे को स्पष्ट कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है और हमारे व्यापार सहयोगी के साथ चर्चा करने से हमें कोई नहीं रोकता परंतु हमने जान बूझ कर यह राय बनाई है कि इस स्थिति में हमारी उपस्थिति से स्थिति में सुधार नहीं होगा क्योंकि हम चर्चा में अधिकारिक स्तर पर शामिल होना चाहेंगे और अधिकरिक स्तर पर औपचारिक चर्चा में अपने विचारों को मनवाने के प्रयास करना हमारे लिए बेहतर होगा। परंतु मंत्री अनौपचारिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ मंत्री ही नहीं, शासनध्यक्ष भी चर्चा कर रहे हैं और जब श्री पीटर सदरलैंड यहां आए थे, तो स्वयं मैंने भी उनसे अनोपचारिक रूप से चर्चा की थी। जब मंत्रीगण यहां दौरा करने आए थे तो मैंने उनसे भी अनौपचारिक चर्चा की थी। ऐसी बात नहीं है कि हमने विचारों का अनौपचारिक आदान-प्रदान नहीं किया। हमने ऐसा प्रयास किया है। जब हमारे विदेश मंत्री या वित्त मंत्री वहां जाते हैं, तो वे भी अनौपचारिक चर्चा करते हैं। परंतु निःसन्देह समृद्ध देशों की बातचीत चर्चा और समझौते को अधिक प्रचार मिलता है और हमारी बातचीत और चर्चा को उतना प्रचार नहीं मिलता।

मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं जिसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। हमें इन परिस्थितियों में वार्तायें करनी पड़ी। हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या इससे हमें कोई लाभ मिलेगा। **(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि समझौता वार्ता की अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है इसका मतलब यह हुआ कि यह 15 दिसम्बर 1994 को खत्म होगा। क्या यह सही है।

श्री प्रणव मुखर्जी: यह प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह सम्भावना है कि समझौता वार्ता इस दिसम्बर में समाप्त हो जाये ऐसा नहीं है कि कोई नया समझौता होगा। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई नया समझौता नहीं होगा। इन समझौता वार्ताओं के बाद पुनः मंत्री स्तरीय बैठक नहीं होगी। विभिन्न देश इस बात पर विचार करेंगे कि इसकी सम्पुष्टि करने की प्रक्रिया क्या होगी और उसके बाद देशों को इन्हें स्वीकार करना होगा अथवा वे इसे अस्वीकार करें।

सच्चाई यही है। मैंने प्रारंभ में ही यह कहा है। जब मैंने प्रस्ताव पुरः स्थापित किया था, उस समय की मेरी टिप्पणियों को यदि आप पढ़ें तो उसमें इसका उल्लेख मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जीः ओवीच्युरी के बाद जो करते हैं उसको क्या कहते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जीः यह कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यह 'ओबीच्युरी' है या नहीं। मेरा मुद्दा यह है कि हम यह समझौता वार्ता क्यों करने जा रहे हैं। हम यह समझौता वार्ता इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस समझोते से हमें जो कुछ मिलने जा रहा है वह पूरी तरह से हमारे लिए लाभकारी होगा। परंतु यदि हम एक बहुपक्षीय मंच बना लें तो स्पष्टतः इससे होने वाले लाभों का संतुलन हमारे अनुकूल होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि चीन की आर्थिक शक्ति हमसे काफी अधिक है। वे अधिक शक्तिशाली है। उनका अंतराष्ट्रीय व्यापार 130-140 विलियन डालर का है उनका निर्यात 64 से 70 विलियन डालर का है। उनका व्यापार अधिशेष 7-8 विलियन का है। परंतु अमेरिका को 24 विलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात करने तथा अमेरिका से सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र जैसा व्यवहार प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना पेटेंट कानून बदलना पड़ा क्योंकि बहुपक्षीय प्रणाली की तुलना में द्विपक्षीय प्रणाली में अधिक दबाव पड़ता है। वहुतपक्षीय व्यवस्था में हमें कम से कम तीन स्पष्ट लाभ हैं। यदि हम एम.एफ.ए. में शामिल हो जायें तो हमसे स्वतः सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार होने लगेगा।

अब ट्रिप्स को भी ले, कुछ समय के लिए मान लें कि हम 'गेट' समझौते से बाहर है। इस समय हमारा लगभग 33 प्रतिशत निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हो रहा है, 16.17 प्रतिशत निर्यात अमरीका को, 10-12 प्रतिशत जापान को हो रहा है। हमारा लगभग 60 प्रतिशत निर्यात इन देशों को हो रहा है। अब इन तीन देशों ने एक समूह बना लिया है। देशों को एक समूह और दो अन्य देश यह कह रहे है कि या तो आप अपने पैटेनट कानून में परिवर्तन करिए अन्यथा हम आपके निर्यात पर प्रतिभारी शुल्क लगाने जा रहे हैं, क्या हम इस स्थिति का सामना कर सकते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जीः हम नहीं कर सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): हां, हम ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर सकते। लेकिन वह चीन से वस्तुएं आयात कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जीः अतः यह असमान विश्व है। एक समय में 1980 के शुरू में हम अन्य बाजार की ओर देख सकते थे क्योंकि हमारा 33 प्रतिशत निर्यात रुपए में भुगतान किये जाने वाले क्षेत्र को हो रहा था। लेकिन वह प्रणाली चल नहीं सकी। इसलिए मौजूदा हालातों में हमें इस बात पर विचार करना होगा कि चीन को अपनी नीति में परिवर्तन क्यों करना पड़ा जबकि वह ऐसा देश है जिसने 1949 में इस समझौते से अलग रहना पसंद किया था, आज उन्हें 1986 में पंक्ति में क्यों खड़े होना पड़ रहा है। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): क्या आप नहीं मानते कि चीन पिछले 45 वर्षो से अपना अस्तित्व बनाए हुए है? उसने अपनी आर्थिक शक्ति को इतना मजबूत कर लिया है। क्या आप इसे नहीं मानते? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष जी, आपके आश्वासन पर हम लोग बहस में शामिल हुए हैं। आपने अभी कहा था कि क्लोज माइन्ड नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस तरह से आपको वैसा उत्तर नहीं मिल सकता जैसा कि आप चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जीः मैं अपनी बात कहना नहीं छोड़ूंगा यह उचित नहीं है। जब वे टिप्पणियां कर रहे थे तो मैंने किसी के भाषण में व्यवधान नहीं डाला। यह उचित नहीं हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः केवल श्री प्रणव मुखर्जी के भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जीः सीधे सी बात जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि 'गैट' समझौते से बाहर आना सरल है; किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच से बाहर आना सरल है लेकिन पुनः उसमें प्रवेश करना कठिन है। इसका निर्णय लेना देश का कार्य है क्योंकि ये प्रस्ताव स्वतः कार्यान्वित नहीं होने वाले हैं ये बात मैं बताना चाहूंगा। ये कुछ प्रस्ताव कानून के जरिए कार्यान्वित होने वाले हैं। यदि उस समय संसद ये निर्णय लेती है कि जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है, जो कुछ सरकारी बातचीत समिति ने कहा है कि हम समझौते के कुछ उपबन्धों को प्रभावी होने के लिए कानून में नहीं ला रहे हैं तो स्वतः ही उन्हें लागू नहीं किया जा सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जीः तब क्या होगा। स्थिति वही रहेगी।

श्री प्रणव मुखर्जीः वे लागू नहीं किये जायेंगे। वे शामिल नहीं किये जाएंगे। यहां तक कि यदि आप समर्थन के लिए इन्कार करते हैं यदि कल सरकार चाहे वह कोई भी सरकार हो, चाहे वह आपकी सरकार हो या मेरी सरकार हो या श्री जार्ज फर्नान्डीज की सरकार हो–यह निर्णय करती है कि हम नहीं जाएंगें, तो आप नहीं जा सकते। यहां तक कि यदि आप सदस्य हैं, तो भी आप छः माह का नोटिस देकर सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। अतः आप इसके बारे में ऐसा दुष्प्रचार मत करिये कि यदि आप इसके सदस्य बन जाते हैं तो इससे विश्व में तबाही आ जायेगी। हम तबाह नहीं हो जायेंगे। हम बचे रहेंगे और मैं यही बताने जा रहा हूं कि हम कैसे बचे रहेंगे या दूसरा लाभ जो हमें होगा जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वह यह है कि यदि मैं द्विपक्षीय आधार पर व्यापार संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो उससे हम पर इस प्रकार का दबाव पड़ेगा कि हमें हमारे पैटेन्ट कानूनों में परिवर्तन करने के लिए जो दस वर्ष की अन्तर्वर्ती अवधि उपलब्ध है, वह भी नहीं मिलेगी और हमें थाईलैंड और अन्य देशों की तरह तत्काल इसे अपनाना पड़ेगा।

दूसरे, अब आप इसका महत्व जान पाएंगे कि पिछले और उससे पिछले वर्ष हम विशेष धारा 301 के अधीन थे। वह एक पक्षीय कार्यवाही थी। उस विशेष धारा 301 के परिणामस्वरूप, हमारे कुछ वस्तुओं के निर्यातकों को 64 विलियन उमरीकी डालर तक सीमा शुल्क देना पड़ाा था। अब यदि हम विद्यमान बहुपक्षीय विवाद समाधान क्षेत्र को अपनाते हैं, तो हम ऐसी एक पक्षीय कार्यवाही से बच जाएंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न लिख सकते हैं। मैं आपको बाद में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी: अब विशेष धारा 301 जो कि समाप्त हो चुका है पुनः रखी जा रही है। मैं नहीं जानता कि प्रशासन की क्या राय है। लेकिन सच यही है कि पुनः कोई लाबी इसे उठाने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में हम विभिन्न प्रस्वातों की जांच करें जो रख गए हैं, जिनकी आलोचना की गई है।

जहां तक राज्य सहायता का संबंध है, समझौते के परिणामस्वरूप एक बात यह होगी- यह उससे भी आगे की बात है। राज्य सहायताएं जो कि आरम्भ में उपलब्ध कराई जाती थी। पहले उनकी व्यवस्था अलग-अलग प्रकार से की गई थी। विशिष्ट मदों के मामले में यह विकासशील देशों के लिए दस प्रतिशत थी और सामान्य वस्तुओं के मामले में यह दस प्रतिशत थी। अब इसे मिलाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि जब आप 20 प्रतिशत राज सहायता दे सकते है और यह विभिन्न मदों और विशिष्ट तथा सामान्य मदों के लिये कम ज्यादा की जा सकती है। अतः यह आशंका है कि कुछ वस्तुओं के लिए हमें अधिक राज सहायता देनी पड़ सकती है और ऐसा उत्पादन के क्षेत्रानुसार करना होगा तो यह व्यवस्था अधिक समय तक जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से हमारी राज सहायता ऋणात्मक है।

दूसरा मुद्दा जिसपर मैं बल देना चाहूंगा क्योंकि संभवतः पारस्परिक विचार विनिमय की कमी है, वह कृषि संबंधी समझौते के बारे में है। जहां तक कृषि संवंधी समझौते का संबंध है, यह सात वर्ष के लिए है और उन सात वर्षो के लिए प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के संबंध में जो आंकड़े उन्होंने गैट सचिवालय को दिये हैं, वे उस राज सहायता पर आधारित हैं जो 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में दी गई थी। यदि ऐसा होता है तो मैं स्थिति का आकलन सैद्धान्तिक रूप से कर रहा हूं, हमारे देश में यह सिद्धान्ततः भी नहीं हुआ है और यदि उसके बाद किसी देश ने अपनी राज सहायता में वृद्धि की है विद्यमान समझौते के कार्यान्वयन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिये मोजूदा समझौते के जारी रहने तक इसे हिसाब में नहीं लिया जायेगा। मान लो यह समझौता 1 जनवरी, 1995 से लागू होता है, तब 2002 तक कोई भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि आपने आधार वर्ष के बाद अपनी राज सहायता में वृद्धि की है अतः आपके लिए यह व्यवस्था है कि आपने अपनी राज सहायता बढ़ाई है। वह लागू नहीं होगी। इस विशेष समझौते के संबंध में छठे वर्ष के अंत में प्रत्येक संविदकारी पक्ष को उस समय विद्यमान शर्तो के आधार पर कृषि संबंधी समझौते पर पुनः बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा। जहां तक हमारा संबंध है, अनेक अवसरों पर मैंने इसे विस्तार से स्पष्ट किया है इसका प्राथमिक स्तर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अब मैं बाजार की गांरटी के संबंध में चिंता के दूसरे विषप पर आता हूं। अव यदि आप बाजार उपलब्ध करा देते हैं तो भी यह आवश्यक नहीं है कि आप को आयात करना ही पड़े।

प्रश्न यह होगा कि यदि हम विदेशों को बाजार उपलब्ध कराते हैं और यदि उनकी वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं तो हमारे किसानों पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि उनकी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा में आती है और हमारे किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सर्वप्रथम भुगतान संतुलन पर भी ध्यान दें। भुगतान संतुलन को कौन निश्चित करने जा रहा है? मैं नहीं जानता कि अ.मु.को. क्यों बनाया गया है। अ.मु.को. की जब स्थापना हुई थी पता नहीं तव इसका स्वरूप किस प्रकार का था।

श्री सोमनाथ चटर्जीः मंत्री महोदय, गैट समझौते का घोषण पत्र क्या था?

श्री प्रणव मुखर्जीः जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का संवंध है, अ.मु.को. को मुद्रा के मूल्य निश्चित करने का भी अधिकार है। जहां तक भुगतान संतुलन के प्रश्न का संवंध है आप सब इस बात से सहमत होंगे कि भुगतान संतुलन के मुख्य संघटकों में से एक व्यापार घाटा है। ऐसा देश जिसमें 1976-77 के छोटे अन्तराल को छोड़कर उस में जब हमारा 72 करोड़ रु. की राशि का बहुत कम व्यापार अधिशेष रहा, हमें हमेशा व्यापार घाटा रहता है, इस व्यापार घाटे के वावजूद पिछले सात महीनों में निर्यात में सुधार हुआ है, व्यापार घाटा घटा है। यह कम हुआ है फिर भी यह कायम है। व्यापार घाटा कायम है। व्यापार घाटा 560 मिलियन डॉलर है। हमारे मूल्यांकन ओर विशेषज्ञों के मूल्यांकन के अनुसार जो हमने योजना दस्तावेज में दिखाया है वास्तव में चालू खाता घाटा जो कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में प्रतिविम्बित होता है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 1991-92 के मूल्य स्तर पर निरपेक्ष रूप से 22 बिलियन अमीरीकी डालर का तथा घरेलू उत्पाद का 1.6 प्रतिशत होगा। इसलिए भुगतान संतुलन पर निरंतर ध्यान रखा जा रहा है। यदि मान लें कि कभी भुगतान संतुलन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भी हमारी टैरिफ की बाध्यता तो है। कृषि के क्षेत्र में हमने कितना टैरिफ दिया है? अनाज के लिए 100 प्रतिशत, 150 प्रतिशत संसाधित योजन के लिए और 300 प्रतिशता खाद्य तेलों के लिए। अतः सीमा शुल्क की प्रतिशत की जो सुरक्षा हम कृषि मदों के आयात से बचने के लिए हम यह मानते हुये भी दे रहे हैं कि भारत ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जव हम भुगतान संतुलन के संकट से तत्काल निकल बच जाएंगे, इसी प्रकार का सीमा-शुल्क संरक्षण भारत के किसानों को संरक्षण देने में समर्थ होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः आप बहुत शीघ्रता से भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जीः मैं केवल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मैं केवल व्यापार संतुलन की एक तत्व के रूप में बात कर रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः हो सकता है आपका व्यापार संतुलन आपके पक्ष में न हो लेकिन भुगतान संतुलन आपके पक्ष में हो सकता है।

श्री प्रणव मुखर्जीः तब भुगतान की बात सामने आएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः यह एक भिन्न बात है। भुगतान संतुलन आपके पक्ष में हो सकता है।

श्री प्रणव मुखर्जी: यह सच है। लेकिन इस प्रकार नहीं हो रहा है। आप इसकी गणना करें, आप इसे जान जायेंगे। आप अगले दस वर्षों के लिए गणना कर सकते हैं। मैं इससे आगे जाने के लिए नहीं कह रहा हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लें मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता होती है कि विशेष वाक्यांश जो उसमें प्रयोग किए गए थे, उसके अनुसार कृषि उत्पाद हमें बाजार मूल्य पर वेचने होंगे हमारा मुद्दा था और इसे जब निदेशक गैट के निदेशक यहां आए थे तो उनके साथ भी उठाया गया था, मैंने यह मुद्दा उठाया है आपको उत्पादों के लिए राजसहायता की चिंता है। आपको उपभोक्ता राज सहायता की चिंता नहीं है। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कभी भी किसी राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित नहीं रही है। छठे दशक के शुरू से ही यह कार्यपालिका का यही आदेश है। न हम कोई कानून लाने जा रहे हैं और न ही हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन करने वाले हैं न ही हम सुरक्षित भंडार रखने की व्यवस्था को छोड़ने वाले हैं। वे हमारी अवधारणों और व्याख्याओं से सहमत हैं और पाठ में आवश्यक परिवर्तन प्रस्तुत कर दिये गए हैं और मुझे आशा है कि इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। यहां अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणालाी, सुरक्षित भंडार रखने की व्यवस्था को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बीजों को पैटेंट करने के संबंध में, यह सच है कि हमें अपना राष्ट्रीय कानून बनाना पड़ेगा। उस राष्ट्रीय कानून द्वारा हम इसकी रक्षा कर पाएंगे। जहां तक किसानों के आदान-प्रदान अधिकार, अनुसंधान कर्त्ता के अधिकार, किसानों द्वारा उपज का कुछ भाग वाद में बोने के लिए अपने पास रखने का संबंध है, ये सब बातें गैट व्यवस्था से बाहर हैं। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरे यदि हम उस स्थिति में कानून बनायें तो इससे केवल कार्यपालिका को ही नहीं सदस्यों को भी इस बात पर विचार करने का अवसर मिलेगा कि किसानों और अनुसंधान कर्त्ताओं के हितों की कैसे भली भांति रक्षा की जा सकती है।

01.00 म.प.

सेवा क्षेत्रों, विशेषतः निवेश के विषय में अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब व्यापार से संबंधित निवेश के मामलों पर चर्चा की जा रही है तो संभवतः आपका ध्यान 1956 की औद्योगिक नीतियों या 1948 की औद्योगिक नीतियों या 1970 में प्रारम्भ में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की ओर भी जा रहा होगा। जी हां, यदि आप 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यह असंगत है। लेकिन हमारा एक 1991 का औद्योगिक नीति संकल्प है जिस पर इस सभा में वाद-विवाद हुआ है। **(व्यावधान)** आप इसे पसन्द करें या न करें लेकिन यह आज की औद्योगिक नीति है। इसका सरकार अनुकरण कर रही है। **(व्यवधान)** मैं इसके गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)** लेकिन सच यह है। **(व्यवधान)** यह पहले ही से है। **(व्यवधान)** यह पहले ही से है **(व्यवधान)** हमने विदेशी कम्पनियों को अपना शेयर 76 प्रतिशत से या जितने प्रतिशत भी हो, उससे कम करके 26 प्रतिशत तक करने के निर्देश दिए थे। और आज, नई नीतिगत व्यवस्था में हम बिना किसी स्वीकृति के 30 करोड़ के औद्योगिक् क्षेत्रों में 51 प्रतिशत इम्विटी की भागीदारी की अनुमति दे रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अपने आप ही क्लियरेन्स दे सकता है। अतः आपको उन उपबंधों को देखना होगा जो उस संदर्भ में बनाए जा रहे हैं।

जो दूसरा प्रश्न है, वह यह है कि लघु उद्योगों की रक्षा कैसे करें। मूल पाठ आपके लघु उद्योगों

के आरक्षण के अधिकार को नहीं छिनता है। यहां तक कि नई औद्योगिक नीति में भी आरक्षण को जारी रखा गया है। मूल पाठ निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यमों पर जिन्हें हम वास्तव में स्थापित कर रहे हैं शर्तें लगाने से राष्ट्रीय सरकार को नहीं रोकता है। निर्यात प्रतिबंध को लगाने से भी नही। जबकि यह सत्य है कि कोई स्थानीय अंश नहीं होगा तथा विनिर्माण के चरणबद्ध कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से बंद नहीं किया जाएगा, परन्तु उन्हें निर्यात दायित्व सौंपा जा सकता है और अनेक मामलों में निर्यात दायित्व को एक शर्त के रूप में रखा गया है ताकि विदेशी मुद्रा आय तथा विदेशी मुद्रा व्यय में सन्तुलन लाया जा सके।

सेवाओं के मामले में, जो अद्यतन रुख हमने अपनाया है ..**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः विदेशी मुद्रा आय तथा विदेशी मुद्रा व्यय में संतुलन लाने के बारे में आपने जो कुछ कहा है, क्या आप उसे दोहराएंगे? **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जीः जहां तक सेवाओं का ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः यदि आप संतुलन लाने में सफल हो जाते हैं तो भुगतान संतुलन की समस्या नहीं रहेगी। आप अपनी पहली बात के विरुद्ध कह रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जीः नहीं मैं इसके विरुद्ध नहीं जा रहा हूं। यह समर्थकारी उपबंध है। परन्तु इसका असर क्या होगा? हमें यह देखना है।

मैं श्री चटर्जी से कहता हूं 24 परगना से मेरे जिले में आए और निवेश करें। मैं उनको सुविधाएं भी उपलब्ध करा दूंगा। परन्तु उनका आना, निवेश करना तथा मेरे जिले को सम्पन्न बनाना उन पर निर्भर है मुझ पर नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जीः परन्तु यह निवेश सिर्फ मुझी के लिए होगा। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जीः इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या हम बैंकिंग क्षेत्र को बीमा क्षेत्र के लिए खोल रहे हैं, हमारी स्थिति वहीं है–मैं माननीय सदस्यों को उस बात का आश्वासन दे सकता हूं जो हमने कही है– 'विराम', इसका अर्थ है 'विद्यमान उपबंध'। **(व्यवधान)** विद्यमान उपबंध यह है कि 1969 से जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया; और उसके बाद हमने विदेशी शाखाओं को चयनित आधार पर खोले जाने की अनुमति दी कुछ मामलों में पारस्परिक विनिमय के आधार पर और कुछ मामलों में अन्य आधार पर, जब हम यह चाहते हैं कि कुछ शाखाएं खोली जानी हैं, तो वह खोली जाती हैं। आज स्थिति यह है कि बैंकों की कुल 60,000 शाखाओं में से लगभग 160 विदेशी बैंकों की हैं। **(व्यवधान)** बैंकिंग व्यवसाय को लगभग 11 प्रतिशत कारबार विदेशी बैंकों का है। हमारी स्थिति यह है कि हम बैंकिंग क्षेत्र को विदेशी बैंकरों के लिए नहीं खोल रहे हैं तथा यह स्वतः तब तक नहीं हो सकता है जब तक इसका प्रस्ताव न किया जाए। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः कुल बिक्री 11 प्रतिशत है और लाभ 67 प्रतिशत है। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जीः हो सकता है। यह उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर है और मैं इस बारे में

कहने नहीं जा रहा हूं। **(व्यवधान)** मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं आज की स्थिति के बारे में बता रहा हूं। यह एक गतिरुद्ध उपबंध है।

जहां तक जीवन बीमा का संबंध है, इसे बैंकों तक पहुंच प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक समुद्री बीमा तथा हवाई बीमा का संबंध है, हमने इसे पहले ही खोल दिया है। तृतीय पक्ष बीमा अनुमन्य है।

मेरे विचार से लचीलापन वह मुद्दा है जिस पर हमें जोर देना चाहिए और अपनी चिन्ता प्रकट करनी चाहिए। जब हम लचीलेपन की बात करें हैं, तो हमारा अभिप्राय और उदार दृष्टिकोण अपनाने से होता है। हाल ही में आपने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम सचिव वीसा जारी करने पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और इस पर भारत ने औपचारिक रूप से विरोध जताया है। हमारे राजदूत ने विरोध व्यक्त किया है कि ऐसे में जब कि हम और अधिक क्षेत्रों को खोलने की बात कर रहे हैं आप कुशल व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जब हम वहां जाते हैं तो यह इस देश से प्रवास होगा। जब वह आते है तो वह व्यापार में निवेश होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यापार हमें निवेश होना चाहिए और मुक्त आवागमन होना चाहिए। इसलिए मेरा तर्क यह है कि मात्र इसको स्वीकार करने से ही सभी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। इससे ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिनका लाभ हम ले सकते हैं। हम इसका लाभ किस हद तक उठा पाएंगे यह इस बात पर निर्भर होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, हम दूसरों का सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि हमने आसानी से हार नहीं मान ली परन्तु ठोस सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ निहित स्वार्थो के कारण हुआ। मैं देशों के नाम नहीं लूंगा। मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा। परन्तु अपने अल्पावधि हित साधन के लिए-क्योंकि एम.एफ.ए. कोटा प्रणाली जारी रखने में उनका कुछ अधिक हित है–वे 10 वर्ष से कम अवधि की संक्रमण अवधि रखने को नहीं कह रहे हैं।

मैंने अपनी चिन्ता आप से कह दी है। मैं इसे दुहरा रहा हूं। तथापि यदि 10 वर्षो की अवधि में 51 प्रतिशत एकीकरण होता है तो ग्यारहवें वर्ष में शेष पद प्रतिशत एकीकरण हो जाएगा। मैं इसे खरीदने नहीं जा रहा हूं। मैंने विभिन्न देशों के वाणिज्य मंत्रियों को यहां तक कि पीटर सदर लैण्ड को भी स्पष्टः भी यह बात स्पष्ट कर दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: सारा डंकल प्रस्ताव उल्टा सीधा है।

श्री प्रणव मुखर्जी: हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम ही खिलाड़ी नहीं हैं। यह 1976 से हो रहा है। जहां तक एम.एफ.ए. का संबंध है यह 1976 से जारी है क्योंकि विकासशील देश एक साझा रणनीति बनाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। इस प्रयास के भागीदार कौन हैं? केवल पाकिस्तान। उसके अलावा और कोई नहीं है। इसमें भी दो फाड़ हो गए हैं। पाकिस्तान ने उन 37 देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं जो चाहते हैं कि उरूग्वे दौर के निष्कर्ष डंकल ड्राफ्ट के आधार पर निकलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्लिंटन कुछ नकद धन दे देंगे। इसीलिए वे यह कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी: ड्रग तथा औषधियों पर एकाधिकार के संबंध में मैंने अपनी चिन्ता पहले भी प्रकट की है। एक क्षेत्र में ऐसी सम्भावना है कि हमारी दवाइयों तथा कुछ ड्रगों की कीमतें बढ़ जाएंगी।

एक माननीय सदस्य: कितनी?

श्री प्रणव मुखर्जी: यह गणना हर विशेषज्ञ अलग अलग बतलाता है। कुछ कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद का 68 प्रतिशत। कुछ कहते हैं लगभग 300 प्रतिशत तक क्योंकि इस देश में काला धन सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है। मुझे विशेषज्ञों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिये। मैं उसमें नही जा रहा हूं। परन्तु कीमतें बढ़ेंगी। परन्तु मैं ऐसा अनुभव अवश्य कर रहा हूं। इस मामले में भी हम कठिन प्रयास कर रहे हैं। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं सफल होऊंगा। परन्तु हम अथक प्रयास कर रहे हैं। आज तक, जो जानकारी हमें मिली है वह यह है कि उन्होंने एम.एफ.ए. वस्त्र समझौता औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है–कि संक्रमण अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की जानी चाहिए।

परन्तु यदि वह ऐसा प्रस्ताव रखते हैं। तब हमारी जवाबी प्रस्ताव यह होगा कि बौद्धिक सम्पदा के अन्य मामलों में संक्रमण अवधि 10 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष की जानी चाहिए। इसमें अंशशोधन किया जाना चाहिए और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जितना समाकलन होगा, उतना ही समाकलन अन्य क्षेत्रों में भी होगा। मुझे बताया गया है कि 500 प्रमुख औषधों में से 10 प्रतिशत, जिनकी विक्री लगभग 70 प्रतिशत होती है, इस समय यूरोप और अमेरिका में पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत आती है। जहां तक कीमतों का संबंध है, जैसा कि मैने आपसे उल्लेख किया था, इनसे राजकोष पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। परन्तु गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार के पास एक रास्ता है। हम प्रभावी अनिवार्य लाइसेंस मशीनरी के द्वारा उचित मूल्य पाने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि तब आयात भी होगा। सैद्धान्तिक रूप से ये असंभव है। परन्तु छोटे देशों के लिए अन्य छोटे देशों की भांति यह सम्भव हो सकता है। परन्तु अपनी अर्थ व्यवस्था के आकार की तुलना कीजिए। मैं इसके बारे में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। आप स्वयं भारत की अर्थव्यवस्था का विचार कर यह निर्णय कीजिए कि क्या आयात तथा आयात द्वारा पेटेंट प्राप्त करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है या नहीं। मेरे आकलन के अनुसार यह आर्थिक रूप से व्यावहार्य नहीं है। इसलिए अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके हम दस वर्षों से आगे से लिये भी व्यवस्था करने में समर्थ होंगे। वास्तव में हमारे पास 5 वर्षों की अवधि के लिए विपणन का विशेष अधिकार रहेगा जिस पर इस के लागू होने के बाद पेटेंट किया जाएगा। ऐसी आशा करनी होगी।

अब कुछ अन्य मामलों के क्षेत्र में, ओ.ई.सी.डी. द्वारा एक अध्ययन विशेष रूप से किया गया है जिसे मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं। उसके अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा में, वर्तमान मूल्य स्तर के आधार पर, 270 बिलियन डालर की और बढ़ोत्तरी होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: किस वर्ष?

श्री प्रणव मुखर्जी: आने वाले पांच-छः वर्षों में इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद होगी और 0.5 प्रतिशत निर्यात हिस्से के वर्तमान स्तर पर भी भारत को 4.7 बिलियन तक का लाभ होगा। इसलिए ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह अर्थहीन है।

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं ऐसा नहीं समझता हूं...**(व्यवधान)** ... वास्तव में प्रतिशत 0.4 होगा। आप इस की हंसी उड़ा सकते हैं, परन्तु यह सत्य है। ...**(व्यवधान)**... 270 बिलियन डालर अतिरिक्त होंगे। यह मानते हुए कि हमारा भाग 0.4 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाएगा, यह मानते हुए कि हमें आने वाली पीढ़ियों तक लंगडाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं समझता हूं या इससे मैं सहमत नहीं हूं। बहरहाल हम आज तक टिके हुए हैं। यदि आप इसे जानना नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अन्यथा, आपने स्वयं यह सभी बातें नहीं कही होती। यदि कोई व्यक्ति आपके आज के वक्तव्य को पढ़े तथा इसकी तुलना 17 तारीख के वक्तव्य से करें, तो वह यही निष्कर्ष निकालेगा कि जो कुछ हमने 1970 में किया था, उसे आपने 1990 में पूरा समर्थन दिया और मुझे विश्वास है कि हम जो कुछ 1990 में कर रहे हैं इसका आप 20 वर्षों पश्चात समर्थन करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, जो तर्क माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, वे निराधार हैं तथा कोई तर्क ऐसा नहीं है जो हमको हमें होने वाले विशेष लाभों के बारे में बतलाता है।

मैं तीन प्रशन पूछ रहीं हूं। एक यह है कि हमारे राष्ट्रीय कानून बदलने पड़ेंगे। क्या हमारी वार्ता समिति (निगोशिएटिंग कमेटी) ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका डंकल प्रारूप पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अपनी कानून की किताव से स्पेशल 301 को हटा देगा?

दूसरे, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए पृष्ठभूमि टिप्पण के पृष्ठ 13 पैरा 46 में मंत्रालय ने कहा है कि 'ट्रिप्स' दस्तावेज के संबंध में कुछ परिवर्तनों/परिवर्धनों पर बातचीत की जा रही है। इसमें चार मुद्दे थे जिनमें पाइपलाइन संरक्षण, 'माइक्रो आरगेनिज्म' शब्दों की समुचित व्याख्या तथा इसी प्रकार के मुद्दे थे। क्या ट्रिप्स समझौते में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में कोई सकारात्मक प्रगति हुई है। बल्कि मंत्रीजी ने आत्मश्लाघा के ढंग से यह कहा है कि..

अध्यक्ष महोदय: कृपया टीका-टिप्पणी छोड़ो तथा अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: ठीक है महोदय। मेरा अन्तिम प्रश्न मूल 'गैट' करार के भाग चार के अनुच्छेद 18 के बारे में है जिसमें विकासशील देशों को कुछ संरक्षण दिए गए हैं। अव डंकल प्रारूप में इस अनुच्छेद को प्रभावहीन बनाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्यों समझौता वार्ता समिति ने यह सुनिश्चित कर लिया है यदि डंकल प्रारूप पूरा पैकेज है, तो अनुच्छेद 18 केवल गैट पर ही नहीं लागू होना चाहिए, बल्कि गैट के सेवाओं पर तथा बौद्धिक सम्पदा पर करार आदि पर भी लागू होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि क्या अनुच्छेद 18, जो हमारे देश जैसे विकासशील देशों का संरक्षण करता है, कुल पैकेज पर लागू होता है या नहीं।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम): मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले 'गैट' वार्ता में कृषि क्षेत्र शामिल नहीं था। उस समय कुछ विकाशील देश इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। क्या भारत की यह राय दृढ़ रहेगी कि कृषि को गैट की परिधि से बाहर होना चाहिए।

"सुई जेनेरिस" प्रणाली के संबंध में हमारे पास दस वर्षों का समय है। मुझे नहीं पता यह

सही है या नहीं। परन्तु 1991 के ''यूपीओपीवी' सम्मेलन के बारे में भ्रान्ति है। मुझे बताया गया है कि विकासशील देश 'यूपीओपीवी' सम्मेलन में नहीं है तथा केवल 21 बड़े विकसित देश ही इसमें शामिल हैं। क्या हमें 'यूपीओपीवी' सम्मेलन का अनुपालन करना चाहिए? यदि हम डंकल प्रारूप को स्वीकार कर रहे हैं और यदि हम 'सुई जेनेरिस' प्रणाली को स्वीकार करने जा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के विद्वान वैज्ञानिकों की राय लेगी? क्याा भारत सरकार 'सुई जेनेरिस' की नई प्रणाली तैयार करने में उनकी सलाह लेगी? वास्तव में, हमारे पास दस वर्षों का समय है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इसे करेगी या नहीं, क्योंकि इसे करने का यही समय है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार अपने पहले के स्टेंड से लगातार फिसलती जा रही है। पिछली बार यह कहा गया था कि इसमें जो हमारे लिये हितकारी नहीं होगा, उसको नहीं मानेंगे। पीटर सदरलैंड आयें। उसके बाद कहा गया कि हमने अपने कनसर्न को एक्सप्रैस किया है और उन्होंने एप्रीशियेट किया है। आज जब इन्होंने भाषण शुरू किया तो कहा कि कम्पेरेटिव ऐडवैंटेजिस ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नया भाषण न दें।

श्री नीतीश कुमारः यह नया भाषण नहीं है। भूमिका के बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः आपको पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है।

श्री नीतीश कुमारः अपने कनसर्न के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। अब इनका कोई कनसर्न बचा है या नहीं? कुल मिला कर स्थिति यह है कि इन्होंने यह डिसिजन ले लिया है कि हम इसको मान लेंगे। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से 2-3 सफाइयां लेना चाहुंगा जो अपने ही ढंग का सिस्टम मान रहे हैं, उसका गैट से कोई मतलब नहीं है। पेटेंट लॉ का मतलब गैट से है। 'यूपीओपीवी' 1991 से गवरन होगा। वैसी स्थिति में आपने कहा है कि किसान सीड्स को रिटेन कर सकेंगे, उनका आदान-प्रदान कर सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किसान जो कि सीड्स को रिटेन करेंगे, आपस में आदान-प्रदान करेंगे, उसके लिये प्लांट ब्रीडर्स को रॉयल्टी देनी पड़ेगी या नहीं? किसान उसे दूसरों को पहले बेचता था क्या ऐसे में दूसरों को बेच सकेगा या नहीं? यह मैं। आपसे बिल्कुल साफ जानना चाहता हूं।

दूसरी बात है कि एग्रकल्चर स्टेट सबजैक्ट है, इस बात को यहां भी और बाहर भी कहा गया। वैसी स्थित में एग्रीकल्चर के मामले में कोई इतना बड़ा समझौता बाहर करने के पहले क्या आप राज्य सरकारों को विश्वास में लेंगे? उनके साथ ही बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे?

तीसरी बात, जो आपके स्तर पर अनौपचारिक तौर पर बातचीत हुई थी, हम उसका विस्तार यहां नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक सहमति उससे बनने लगी थी कि इस पर अन्तिम निर्णय करने के पहले सरकार राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और एक्सपर्ट ग्रुप्स, खासकर नेशनल वर्किंग ग्रुप आन पेटेंट ला और जीन कैम्पेन को साथ बैठाकर एक अन्तिम निर्णय करने का प्रयास करेगी, स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास करेगी कि कैसे हम अधिक से अधिक इसमें से अपने देश के लिए फायदा निकाल सकेंगे।

इसके लिए आपके स्तर पर अनौपचारिक बातचीत हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का इस पर क्या रिएक्शन है, सरकार क्या कर रही है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने अंतिम वाक्यों को यहां रखते हुए कहा कि 270 बिलियन डालर इस नये समझौते के चलते अगले कुछ सालों में व्यापार में बढ़ने वाले हैं और उससे हम लोगों को कैसे 4.7 बिलियन डालर मिलने वाले हैं, ऐसा आपने बताया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह आंकड़ा आपको कहां से मिला, इसके पीछे कौन सा दस्तावेज है या कौन सी अधिकृत कोई भी चीज है? क्या यह सही नहीं है कि यह दस्तावेज ओइसीडी के एक रिसर्च ग्रुप ने केवल अपनी अन्दरूनी बहस के लिए बनाया हुआ दस्तावेज है, जिसके लेखकों का नाम इयान बोल्डिन और डोमिनिक वेंडर में संबद्ध है? इन दो लोगों ने बनाये हुए दस्तावेज को इस नये गेट के समझौते को दुनिया में बेचना चाहने वालों को अपने देश में गुमराह करने के लिए जब इस्तेमान किया गया, तब चुनौती दी गई तो उस चुनौती के बाद इयान क्लोडवैल, सैक्रेट्री जनरल आफ ओईसीडी ने लिखित निवेदन देकर यह कहा कि यह दस्तावेज **(अनुवाद)** "केवल एक सुन्दर सैद्धान्तिक अध्ययन था" **(हिन्दी)** और उसमें तथ्यों का कोई सवाल नहीं आता है, क्या यह बात सही नहीं है? आपको इस बात की जानकारी थी तो आप सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं और यदि आपको यह जानकारी नहीं थी तो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी तरफ से अभी तक इस बातचीत कोा चलाता रहा, उसने इन तथ्यों की जानकारी आपके सामने क्यों नहीं रखी और क्यों देश को गुमराज किया जा रहा है कि हम लोगों को 4.7 बिलियन डालर मिलने वाले हैं? वह भी कितने सालों में मिलने वाले हैं और यह भी कि यह प्रेटी थियोरेटिकल स्टडी है। यह थियोरेटिकल स्टडी यह कहती है कि इसके 10 बरस चलने के बाद 200 बिलियन डालर, यह 270 नहीं है, 200 बिलियन डालर की 10 बरस के आसपास इसमें कुछ तरक्की हो सकती है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में यहां पर बहुत स्पष्ट खुलासा करें, क्योंकि बहुत सी गलतफहमियों को इसमें फैलाया जा रहा है और यह एक नई गलतफहमी इसमें अभी यहां पर और सामने आई है।

दूसरे मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग में स्टेंड स्टिल की बात जरूर है, जो स्टेंड स्टिल कब तक है, कितने समय के लिए है और इस स्टेंड स्टिल की बात पर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री मेहता ने आज से दो महीने पहले वाल स्ट्रीट फील्ड जरनल को किस आधार पर कहा कि विदेशी बैंको का स्वागत है, उनके सामने एक शर्त रहेगी कि अत्याधुनिक गैजेट्स लेकर आयें ताकि कर्मचारियों की भर्ती न हो सके। इस वाक्य का अंतिम हिस्सा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उसका अर्थ तो यही है। तो यह किस आधार पर कहा गया और क्या यह सही नहीं है कि अमेरिका की और कनाडा की जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेसंस हैं, निजी कम्पनियां हैं, वह कम्पनियां अब हिन्दुस्तान में आने के लिए तैयारियां कर रही हैं और इसके लिए वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही हैं, क्या यह बात सही नहीं है? रेजिमैन में भले ही यह बात नहीं आती हो लेकिन गैट के आधार को लेकर विदेशी बैंक और विदेशी बीमा कम्पनियों को इस देश में आने के लिए क्या आप मंजूरी नहीं दे रहे हैं? हर क्षेत्र में आपकी यह चीज हो रही है।

मैं एक और प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, वैसे बहुत चीजें हैं लेकिन आप घंटी बजाते रहे हैं, वह यह है कि मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के बारे में मंत्री जी ने जो कहा, हम लोगों का आज अगर सबसे अधिक किसी ऐरिया में निर्यात बढ़ रहा है तो वह टैक्सटाइल में है। आपने मल्टी फाइबर एग्रीमेंट में जो कहा कि हम राष्ट्र का नाम नहीं बताएंगे कि जो हरकतें कर रहा है। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट

में अगर हम लोगों को कोटा नहीं मिलता है तो उसका मुख्य कारण यह है कि हम ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ये तीन राष्ट्रों के जो बड़े कपड़े बनाने वाले कारखानें हैं इन लोगों का हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान, ये तीन देशों में जो कारखाने हैं तो ये सारे इनके कांट्रेक्ट अपने घर के अंदर होते हैं, अध्यक्ष जी, यह एक प्रकार का रिसाइकलिंग हो रहा है। ये बड़े गोरे लोगों के कारखाने, बड़े गोरे लोगों की कम्पनियां फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की, अपने छोटे कारखानों को हांकांग, सिंगापुर और ताइवान में खोलते हैं और कोटा अपने लिए जमा करके रखते हैं।

अध्यक्ष महोदयः दूसरे भी पूछने वाले हैं । **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीजः चूंकि मैं। मंत्री जी से सफाई चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री फर्नान्डीज, आप प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु आपको प्रश्न पर टिप्पणी भी करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीजः बात तो स्पष्ट हो जाए, तो मैं मंत्री जी से इन तीन सवालों का उत्तर चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, मैं दो विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रथम, जैसा कि श्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया, क्या मूल बोली लगाने वाले की औपचारिक सहमति से ही बीज के उद्देश्य के लिए अनाज का उत्पादन करना तथा उसका उपयोग करना किसानों का अधिकार नहीं है? क्या प्रस्तावित व्यवस्था से अपने पड़ोसियों को भी सांकेतिक मात्रा में बीज बेचने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और इस प्रकार बीज की उन्नत किस्मों के प्रवर्धन को प्रभावित करता है?

दूसरे, क्या यह सत्य नहीं है कि डंकल के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करते ही–यहां तक कि उससे पहले प्रत्येक कृषि उत्पाद पर अन्य उपबंध लागू हो जाते हैं। हमें सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.3 प्रतिशत के निर्धारित 3.3 प्रतिशत का 40 प्रतिशत आयात की अनुमति देनी होगी? भरमार की इस स्थिति में क्या इससे हमारी कृषि का सर्वनाश नहीं हो जाएगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डेः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशेषरूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या अलग-अलग समाचारों को देखते हुए कृषि मंत्री को वाणिज्य मंत्रालय के माइक्रो-आरगैनिज्म तथा माइक्रो-बायलौजिकल प्रोसेसेज को पेटेन्ट करने के मत पर कोई आपत्ति नहीं है? मैं इस विशेष पहलू पर माननीय वाणिज्य मंत्री का स्पष्ट स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार माइक्रो-आरगैनिज्म तथा माइक्रो-बायलॉजिकल प्रोसेसेज को पेटेन्ट करने का विरोध करने जा रही है।

दूसरे, माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हमारे देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 1255 रु. होने का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है? इस संबंध में सरकार की स्थिति क्या है?

और तीसरे, वह चीन का उल्लेख कर रहे थे। चीन 'गैट' में नहीं है। इसने स्वयं को किस प्रकार बनाए रखा तथा एक बहुत बड़ी तथा शक्तिशाली आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ? आज, यह गैट में शामिल होने की राय बना रहा है। हमारा देश क्यों नहीं ऐसा कर सकता है जहां इतनी अधिक मध्यम वर्ग की आबादी है? हमें केवल उनके ही बाजार में प्रवेश नहीं करना है, बल्कि इस उपभोक्ता बाजार का इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे बाजार में प्रवेश करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हम अपने मत पर मजबूती से क्यों नहीं अड़े रहें?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षितण): महोदय, हमारा देश विशाल है और हमारे 70 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सरकार किसानों को क्या संरक्षण दे रही है; विशेषकर उन किसानों को जो कृषि इलाकों में हैं। जहां तक उर्वरक पर राज सहायता देने का संबंध है, सरकार किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रही है?

दूसरे, हमारे निर्धन लोगों को जीवन-रक्षक औषधियां उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, मैं बहुत साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं जो पेटेण्ट की अवधि के बारे में है। आज यह अवधि 14 वर्ष है और डंकल प्रारूप के अनुसार इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है। मेरे विचार से, यदि इसे 14 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया जाता है तो इससे हमारा और नुकसान होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे 20 वर्ष से घटाकर कम करने को वांछनीय समझती है? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में बातचीत की है अथवा नहीं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक बैंकिंग प्रणाली का संबंध है, हमारी स्थिति 'यथावत' रहेगी।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने इसका उल्लेख किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि यह आज भी अच्छा है, तो क्या इस 'यथावत स्थिति' को बनाए रखा जाएगा? मैं यह जानाना चाहता हूं कि क्या गैट करार में ऐसा खण्ड होगा कि इस क्षेत्र विशेष में हमारे अपने कानून लागू होंगे?

हम बैंकिंग उद्योग के लिए यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः मंत्री जी को इसके बारे में बहुत ही साफ तथा स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्षेत्र विशेष में हम उनके समझौते के खंडों को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपने कानून रख सकते हैं। अन्यथा, इसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): इस तथ्य को देखते हुए कि डंकल प्रारूप संधि के उपबंधों से भारत का संविधान सीधा प्रभावित होता है और उन राज्य विधान मंडलों तथा उनके अधिकारों के

लिए दूरगामी परिणाम होंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सभा को यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों की सहमति के बिना वह ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेगी जो देश की आत्म-निर्भरता तथा आर्थिक प्रभुसत्ता को खतरे में डाल सकती है।

हमारे देश में 500 स भी अधिक बीज कम्पनियां है जो सारे देश के लिए बीज उपलब्ध कराती हैं। क्या 1978 या 1991 के किसी सम्मेलन के अनुसार उनको लाइसेंस का अधिकार होगा ताकि वह इन बीजों को स्वतः बढ़ा सकें तथा जरूरतमन्द किसानों को बेच सके?

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह संकट के समय वर्षा न होने की स्थिति में सरकार या संसद द्वारा तय कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने हेतु खाद्यान्नों को आवश्यक रूप से खरीद करने में स्वतंत्र होगी?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: वह अनुसंधान से जुड़े रहे हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि हमारी दवाइयों की कीमतें पेटेण्ट वाले अन्य देशों के मुकाबले 500 प्रतिशत कम हैं, इसके बारे में उन्हें क्या कहना है? आने वाले वर्षों में दवाइयों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बारे में उनका अनुसंधान अनुभव क्या कहता है?

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): मंत्री जी ने हमें अनेक स्पर्ष्टीकरण दिए हैं उन्होंने यह भी बताया है कि वार्ता के दौरान वह कई और स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। क्या उन स्पष्टीकरणों को करार में शामिल करना सुनिश्चित किया जाएगा, यदि नहीं, तो क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या ताइवान, जापान तथा यहा तक कि आस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जिनकी प्रमुख मुद्दों, विशेपकर कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, सेवाओं के मुद्दों पर हमसे अलग राय है, कोई समन्वित प्रयास किया गया है? क्या अधिकतम संभव दवाव डालने के लिए हमने कोई समन्वित प्रयास किया है, या यदि अब तक नहीं किया है, तो क्या हम ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जो भी स्पष्टीकरण या संशोधन अथवा जो भी यह है हमने मांगा है और वह उपलब्ध नहीं होता है। क्या भारत इसे अस्वीकार करने में स्वतंत्र है या नहीं अथवा क्या हमारे हाथ बंधे हुए हैं?

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम): विश्व के अधिकांश देश जापान, ताइवान, ब्राजील - स्पेशल 301 के कारण भयभीत हैं। स्पेशल 301 द्वारा इन देशों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई की गई। क्या हम गैट में यदि 301 इसमें रहता है तो इस बारे में यह मुद्दा उठा सकते हैं?

श्री प्रणव मुखर्जी: अध्यक्ष महोदय, काफी संख्या में स्पर्ष्टाकरण मांगे गए हैं। सबसे पहले मैं एक मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अपने उत्तर के दौरान उल्लेख किया था कि बहुपक्षीय वार्ता के कुछ उपबंध स्वतः लागू नहीं हो जाएंगे। उसके लिए देश की संसद में विधान लाना होगा, और उस विधान में स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार संशोधन करना होगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू है। यह भारत पर भी लागू है। यह समझौते में शामिल किसी अन्य देश पर भी लागू है। अन्यथा यह लागू नहीं होगा।

मैंने इसी सभा में एकपक्षीय उपबंधों का उस समय उल्लेख किया था जब स्पेशल 301 के अन्तर्गत हमारे देश को प्रथमिकता में रखा गया था, मैंने कहा था कि यह एकपक्षीय कार्रवाई थी।

बहुपक्षीय मंत्रों के अन्तर्गत विवाद निपटान प्रक्रिया के जरिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई

भी देश एकपक्षीय कार्रवाई न कर सके। यदि वे एकपक्षीय कार्रवाई करेंगे, तो वे गैट समझौते का उल्लंघन करेंगे। दूसरा प्रश्न अनुच्छेद 18 के बारे में है। **(व्यवधान)**

क्या आप मुझे बोलने देंगे या आप ही बोलते रहेंगे? फिर स्पष्टीकरण मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया एक एक करके बोले।

श्री प्रणव मुखर्जीः मैं अभी स्पष्टीकरण ही दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न 'गैट' के अनुच्छेद 18क के बारे में है। जब यह करार लागू होगा तो पुराना 'गैट' करार समाप्त हो जाएगा। मैंने यह उल्लेख किया था। जब यह व्यवस्था लागू होगी, तो तीन अलग-अलग समझौते होंगे। जब यह व्यवस्था लागू होगी, पुराना गैट करार समाप्त हो जाएगा, पुरानी अवधारणा खत्म हो जाएगी क्योंकि पहले का 'गैट' व्यापार के सीमित उद्देश्य के लिए था। हमने इसके क्षेत्रों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः इसका अर्थ है कि विकासशील देशों को विशेष तथा अलग दर्जा अब और आगे नहीं मिलेगा।

श्री प्रणव मुखर्जीः सर्वोच्च प्राथमिकता देशों सार्वाधिक (मोस्ट फेवर्ड नेशन) को यह दर्जा मिलेगा और इसलिए बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय समझौतों के जरिए आपको कुछ प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, जी. एस.पी. को लें यह अनिवार्य नहीं है। परन्तु जी.एस.पी. देशों द्वारा स्वयं प्रदान किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ वस्तुओं पर से जी.एस.पी. वापस ले लिया तथा शुल्क लगा दिया इसलिए वे सुविधाएं तथा लचीलापन जारी रहेगा।

अगला प्रश्न यह था कि कृषि को गैट के अंतर्गत क्यों लाया गया है? इसे क्यों लाया गया तथा कैसे लाया गया इसके बारे में मैंने विस्तारपूर्वक बता दिया है। आज यह कहना नासमझी है कि इसे इसमें नहीं होना चाहिए था।

जहां तक "सुई जेनेरिस" का संबंध है, हमें इसे मानना होगा। इसको लागू करने के लिए कोई मानक सूत्र नहीं है और हमें इसके लिए विधान तैयार करना होगा और जहां तक माइक्रो-आर्गेनिज्म का संबंध है, भारत की व्यक्त स्थिति यह है कि हम माइक्रो-आरगेनिज्म पर सहमत नहीं हो रहे हैं।

किसानों के अधिकारों के संबंध में मैने कई बार उल्लेख किया है कि या तो इनको आदान-प्रदान किया जा सकता है अथवा इनका प्रयोग किया जा सकता है अथवा सीमित बिक्री जो कि निश्चित रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं होनी चाहिए और जो बिक्री व्यावसायिक नहीं होगी, उसे पूरा संरक्षण दिया जायेगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): ऐसा किस उद्देश्य के लिए किया गया है? रायल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते है।?

श्री प्रणव मुखर्जीः यदि आप "आदान-प्रदान" के लिए बेचते हैं, तब इसको संरक्षण दिया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जीः माननीय मंत्री जी का अभिप्राय "सीमित बिक्री" से है।" सीमित बिक्री"

से आपका क्या अभिप्राय है, कृपया इसे स्पष्ट करें।

श्री प्रणव मुखर्जी: मैं आदान-प्रदान के लिए कह रहा हूं। व्यवसायिक बिक्री पर रोक लगाई गई है। परन्तु प्रचलित प्रथा क्या है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः रायल्टी देनी होगी या नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी: नहीं देने होगी, मैं यही बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

कभी-कभी खेती के उपयोग के लिए किसान आदान-प्रदान के लिए अपने उत्पाद का एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं।

मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पास रखने के लिए अगली खेती के लिए अथवा अधिक दरों के लिए आदान-प्रदान हेतु हम कभी-कभी अधिक दर के लिए आदान-प्रदान करते हैं। इन कार्यकलापों के लिए रायल्टी देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा जटिल है। आपको इसे स्पष्ट करने देना होगा। आप इस तरह मंत्री को भ्रमित नहीं कर सकते। मैं इस बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदानपुर): मैं एक बात कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि यह मामता जटिल है। तब हमें इस पर इस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए ताकि हम इसे ठीक से समझ सकें। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि "सीमित बिक्री" क्या है, तो इसे स्पष्ट किया जा सकता है।

मैं बीज का उत्पादन करता हूं और मैं इसे बीज के विक्रेता के पास बेचता हूं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं बीज का उत्पादन करता हूं और मैं इसे उस किसान को बेचता हूं जो इसका उपयोग करना चाहता है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जीः उसकी अनुमति नहीं दी गई है। मंत्री को इस बारे में कहने दीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि मेरा स्पष्टीकरण सही नहीं है तव मंत्री जी इसे स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जीः महोदय, मैंने "आदान-प्रदान" शब्द का प्रयोग किया है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जीः वह वस्तु विनिमय है। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी: मेरे प्रिय महोदय कृपया प्रतीक्षा करें। "आदान-प्रदान" से आपका क्या अभिप्राय है? यह आदान-प्रदान वस्तु के रूप में भी हो सकता है अथवा यह नगदी में भी हो सकता है। मैंने

आदान-प्रदान शब्द का उपयोग किया है। हमें इसकी और व्याख्या करके इस मामले को और जटिल नहीं बनाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। मैं आपको एक प्रश्न पूछने के लिए पुनः अनुमति दूंगा। आप यो ही स्वयं को भ्रम में डालकर देश को भ्रम में नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): महोदय, हम मंत्री जी को देश को भ्रम में डालने नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैं मंत्री जी के उत्तर के पश्चात आपको एक प्रश्न पूछने दूंगा। अब आपको बैठना होगा।

श्री प्रणव मुखर्जीः मैं इस सभा को आश्वसन दे सकता हूं कि हम किसानों के हितों की रक्षा के प्रति बहुत इच्छुक हैं। किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री नीतिश कुमारः कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यदि आप कोई आगे स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं। मैं बाद में एक या दो प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। परन्तु जिस समय मंत्री जी स्पर्ष्टीकरण दे रहे हों, उस समय उन्हें बीच में टोकने की मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं इन्द्रजीत जी को भी बाद में एक और स्पष्टीकरण मांगने दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ए.चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने सभा से उठकर बाहर चले जाने का निर्णय लिया है। यह अनुचित है। **(व्यवधान)** हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जीः आपको हमे परामर्श देने की जरूरत नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः चार्ल्स जी, कृपया बैठ जाइये।

मैं मंत्री जी के भाषण के पश्चात श्री नीतीश कुमार और श्री इन्द्रजीत गुप्त दोनों को एक-एक प्रश्न पूछने दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः मैं एक स्पष्टीकरण मागूंगा और मंत्री जी को इसे स्पष्ट करने में आधे मिनट कासमय भी नहीं लगेगा। आप जो कह रहे है वह बीजों के बारे में है। बीजों के आदान-प्रदान के बारे में है और यह कि किसान अपने बीजों को कैसे दे सकते हैं। क्या यह सभी विशेष प्रकार के बीजों जैसे संकर बीजों, अधिक उपज देने वाले बीजों पर भी लागू होता है और उन सामान्य सा साधारण बीजों पर लागू नहीं होता है जिनका इस्तेमाल किसान करता रहा है? आप जो कह रहे हैं, वह साधारण बीजों पर लागू होता है। संकर बीजों और अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के बारे में आपका क्या विचार है जिनकी किस्में तैयार की जा रही हैं अथवा जिनकी किस्में तैयार करने में उनकी रूचि है?

श्री प्रणव मुखर्जी: जहां तक अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों का संबंध है, उन्हें पहली बार रॉयल्टी देनी होगी। **(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य से एक बात जानना चाहूंगा। जब आप नये किस्म के बीज, जो कि यहां पर उपलब्ध नहीं हैं, खरीदते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो कीमत आप देते हैं उसमें रॉयल्टी भी शामिल है? **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आप किनसे खरीदेंगे?

श्री प्रणव मुखर्जी: परन्तु उसके बाद जब आप इनका अगली उपज के लिए अथवा उस भाग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको वह अधिकार है। जिस चीज पर रोक लगाई गई है वह...

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप नहीं जानते। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी: मुझे अफसोस है। मैं मानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आप विशेषज्ञ हैं। मैं नहीं जानता हूं। परन्तु दुर्भाग्य से आपको मुझ जैसे अनभिज्ञ व्यक्ति से स्पष्टीकरण लेना होगा। अतः हमें उस पहलू की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मैं समझता हूं वह यह है कि वह हर बात जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता। **(व्यवधान)**

परन्तु यह मानते हुए कि तथ्य यह है कि मूल पाट में किस बात पर रोक लगाई गई है और यदि हम उस मूल पाठ को स्वीकार करते हैं कि इसमें व्यावसायिक बिक्री नहीं होगी ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रणव मुखर्जी: नेशनल इंट्रेस्ट तो आप देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं, यह बात आप छोड़िये।

[अनुवाद]

आप केवल उन व्यक्तियों में से हैं जो पिछले चालीस वर्षों से राष्ट्रीय हितों के चैम्पियन के रूप में अकस्मात ही इस तरफ आकर बैठ गये हैं। मैं ऐसा समझता हूं। परन्तु मेरा मुद्दा भिन्न है। मेरा प्रश्न यह है कि किसान वर्षों से जो खेतीबाड़ी का काम करते आ रहे हैं, किसी भी रूप में उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। दो मुद्दे उठाये गये थे—आदान-प्रदान के लिए कृषि की अगली फसल के लिए उत्पाद के एक हिस्से को अपने पास रखने की किसानों की वर्षों से चली आ रही परम्परा जोखिम में होगी अथवा नहीं। इसका उत्तर है नहीं। बीजों के पेटेन्ट के संबंध में ...

अध्यक्ष महोदय: मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आदान-प्रदान और बिक्री में अन्तर है। कृपया बतायें कि यह बिक्री है अथवा आदान-प्रदान।

श्री प्रणव मुखर्जी: "आदान-प्रदान के लिए सही शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु निश्चित रूप से हम इसके लिए वाद टिप्पणी दे सकते हैं और हम इस बारे में स्पष्टीकरण ले सकते हैं और मैं वह मांग सकता हूं...**(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी: सही शब्द जिसका प्रयोग किया जा रहा है वह है "निकले" हुए बीज की किस्म का पुनर्रोपण और आदान-प्रदान किया जा सकता है। किसान को ब्रान्ड वाले बीजों की व्यवसायिक विक्री करने की अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): व्यावसायिक और गैर-व्यवसायिक बिक्री में क्या अन्तर है? **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी: इसलिए, ब्रांड वाले और संरक्षित बीज का आदान-प्रदान किया जाता है। वे इसकी व्यवसायिक रूप से बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन वे अगली फसल के लिए इसका एक भाग अपने पास रख सकते हैं। वह अपने उपयोग के लिए अन्य किस्मों के बीज प्राप्त करने के लिए दूसरे किसानों के साथ आदान-प्रदान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः मैं श्री नीतीश कुमार को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने हाई ब्रीड सीड के बारे में बताया। हाई ब्रीड सीड का इस्तेमाल रिटेन करके नहीं किया जा सकता हर साल फार दा फर्स्ट टाइम होगा।

अध्यक्ष महोदयः हाई ब्रीड सीड दो प्रकार के होते है जो हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है और जैनेरेशन से जैनेरेशन कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार: ठीक है। हाई ब्रीड सीड का मैजर और हमारे सीड का 5 परसेंट है हमारा कन्सर्न हाई ब्रीड से उतना नहीं है जितना कम्पोजिट वैरायटी या ट्रेडीशनल इम्प्रूव्ड वैरायटी से है। इस देश में किसान दो तिहाई सीड की रिक्वायरमेंट बेचकर करता है, आपस में आदान-प्रदान करके करता है और दो-तिहाई सीड रिटेन करता है जिसमें कामर्शियल सैलिंग भी है जिसको ये कह रहे हैं। उसका एक तिहाई भाग राज्य बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किया जाता है। दो-तिहाई सीड में भी 4 लाख टन का मार्किट है और सारी समस्या की यही जड़ है। जिस ऋण किसान को कामर्शिलय रोल की परमिशन नहीं दी जायेगी, उसी क्षण हमारे सीड सैक्टर में मल्टी नेशनल प्लांट्स प्रोड्यूसर आ जायेंगे। और हमारा कंसर्न वही है और वहीं किसानों को इजाजत नही दी जाएगी और वही रॉयल्टी का सवाल आएगा।

अध्यक्ष महोदयः इसमें आप प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार: यह टोटल फार्मर्स के इंटरस्ट के खिलाफ बात हो रही है। इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जीः महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक किसानों के हितों का संबंधा है, वह पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसमें विस्तार करने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं सिर्फ विपक्ष के बेंचों पर बैठे इन सज्जनों के आंदोलन से यह सूचित नहीं होता कि केवल वे ही किसानों के हितों

के संरक्षक हैं। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी। यह राजनेतिक चाल के अलावा और कुछ नहीं है... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जीः महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। वे हमारा मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन इसमें राष्ट्रीय हित शामिल है। इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लगभग सदन के सभी वर्ग उत्तेजित हैं। उन्होंने मुद्दों तक को भी स्पष्ट नहीं किया है। यह देश और राष्ट्र दोनों के हितों के खिलाफ है और हम यहां बैठकर अपने राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगते नहीं देख सकते ...**(व्यवधान)**

01.51 म.प.

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री प्रणव मुखर्जी: महोदय, वे जा सकते हैं लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा . . . **(व्यवधान)**

श्री छेदी पासवान (सासाराम): महोदय, ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यह ठीक नहीं है। यदि आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री लाल बाबू राय (छपरा): महोदय, ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः अब आप कतिपय सीमाओं से बाहर जा रहे हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं इस सदस्य को चेतावनी दे रहा हूं जिन्होंने बिना किसी कारण, बिना किसी तुक के यहां अनुचित बर्ताव किया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, किसी संसद सदस्य का इस प्रकार सदन में दूसरे सदस्यों पर कागजात फेंकना शोभा नहीं देता। कृपया इसे रोकें। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जीः मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य लगातार विरोध कर रहे हैं। वे विरोध करना चाहते थे, इसलिये विरोध करते रहे। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वे अपने आप को किसानों का एकमात्र हितैषी समझ सकते हैं परन्तु यहां पर नोट करने की जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बीजों की जिन सभी नई किस्मों का हमारे राष्ट्रीय और राज्यों के

कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओ ने विकास किया है, और बिना कोई रायल्टी अदा किये, और बिना किसी रूकावट के बोकर उनकी वृद्धि की जा सकती है और उन्हें बेचा जा सकता है और उनके लिये जनता से वित्तीयन तथा जन उपयोग के लिये उन पर अनुसंधान किया जा सकता है। अतः यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई इस बात पर आपत्ति करने लगे कि इससे कुछपरेशानी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में यह संरक्षण प्राप्त रहेगा और हमारे कृषि वैज्ञानिक इसका उपयोग करने और नई किस्मों का विकास करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

श्री भोगेन्द्र झाः महोदय, मेरे द्वारा पूछे गये एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न यह है कि हमारी तरह शंका व्यक्त वाले लोगों के साथ आपने अपने प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।

श्री प्रणव मुखर्जी: महोदय, मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर देना भूल गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः राज्य सरकारों के बारे में क्या स्थिति है। आप उन्हें पूरी तरह से नजरन्दाज कर रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झाः महोदय, दूसरी बात यह है कि यदि जो भी परिवर्तन आप करवाना चाहते है, और शामिल करवाना चाहते हैं, यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, तो क्या आप इसको रद्द करने के लिये स्वतंत्र होंगे या नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी: महोदय, जहां तक उनके द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरणों का सवाल है, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह स्वीकार कर लिया गया है और प्रारूप के पाठ में परिवर्तन कर लिये गये हैं हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह संरक्षण दिया जायेगा। जहां तक कृषि उत्पादों पर लगने वाले शुल्क की बाध्यता का सवाल है, मैंने आपको अनुसूची दे दी है। सभी संशोधन हैं जो हमने रखे थे और स्वीकार कर लिये गये हैं।

जहां तक अन्य देशों के साथ समन्वय का सवाल है, यह समन्वय लगातार बनाये रखा जा रहा है परन्तु यदि माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी गलत हो, तो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने बताया है कि फ्रांस विरोध कर रहा है मेरी जानकारी है कि वह पहले ही सहमत हो गया है। उन्होंने कहा है कि कोरिया विरोध कर रहा है। परन्तु कोरिया भी पहले ही सहमत हो गया है। अतः यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी का कोई आधार नहीं तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री भोगेन्द्र झाः एक-एक करके वे टूट रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी: यह निर्णय उनको करना है कि वे टूटेंगे या स्थिर रहेंगे। मैं उनकी नीति के बारे में निर्णय नहीं कर सकता हूं। जहां तक संवैधानिकता और अन्य पहलुओं का सवाल है, मैं संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं हूं। जहॉ तक इन पहलुओं का सवाल है, इन पर विचार कर लिया गया है। भारत सरकार को यह समझौता करने में उसके विधायी क्षमता या संवैधानिक क्षमता की दृष्टि से कोई रोक नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब हम इस तरह के किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पहले भी हमने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते किये हैं।

जहां तक कृषि नीति का सवाल है सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी भारत सरकार की ही नीति

है यद्यपि कृषि राज्य सूची का विषय है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी भारत सरकार की नीति है। अतः आप केवल यह ही नहीं कह सकते हैं कि भारत सरकार राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिये वैधानिक दृष्टि से सक्षम नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः मैं इतना टूट भी नहीं गया था। मैंने कहा था कि हर तरह से एक ऐसे देश में जहां संघीय ढांचा है, ऐसा कोई समझौता करने से पहले, जिसका राज्यों और राज्य सरकारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा और विशेषकर जो राज्य सूची के विषयों में कोई समझौता करने से पहले क्या राज्यों से उचित परामर्श करके उनकी सहमति लेना जरूरी नहीं है? पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये एक पत्र में यह कहा गया था कि राज्यों की सहमति के बिना किसी भी मुद्दे पर अन्तिम रूप से सहमति नहीं दी जानी चाहिये, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसा करने के लिये मना कर दिया। मैं इस पहलू पर विरोध करता हूं।

श्री प्रणव मुखर्जीः मैंने इसके बारे में पहले जिक्र किया था। वास्तव में, मैंने राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया क्योंकि इसे जरूरी नहीं समझा गया। परन्तु निश्चित रूप से मैंने सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया था और एक भी राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो राजनीतिक दल विशेष की न हो।

श्री भोगेन्द्र झाः परन्तु प्रश्न यह है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। कृपया उन्हें भी प्रश्न पूछने दीजिये। आप ही सभा के एकमात्र सदस्य नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झाः महोदय, मेरा प्रश्न इस मामले पर है।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैंने दूसरे सदस्य को अनुमति दी है। वे भी सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी): भोगेन्द्र झा जी आपको दो बार अवसर मिल गया। अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने दीजिये। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदयः यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा (रोहतक): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीड्स के बारे में एक जानकारी लेना चाहता हूं कि जब हमारे देश में मल्टी-नेशनल कम्पनियां आयेंगी और अपने सीड्स सप्लाई करेंगी तो उनकी बल्क में सप्लाई आयेगी, जो हाई यील्ड के सीड्स हैं, उनमें आजकल एन्टी-डिजीज जीन्स कमजोर होता है, उसके साथ यदि कोई वायरस यहां पर आयेगा तो फार्मर्स उसके लिये कम्पेंसेशन के अधिकारी होंगे या नहीं, उन कम्पनियों के खिलाफ, क्योंकि वे मल्टी-नेशनल कम्पनियां होंगी।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी: महोदय मैं इस प्रकार के स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दे सकता हूं। परन्तु यह संविदात्मक बाध्यता है। जब आप कुछ खरीदेंगे और यदि वह वस्तु मानकों के अनुसार अच्छी नहीं होगी, तो संविदा में किसी प्रकार के मुआवजे का प्रावधान तो होगा।

श्री भोगेन्द्र झा: महोदय आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम यहां जो भी परिवर्तन, संशोधन या जो कुछ भी करना चाहते हैं, यदि उसमें से कुछ भी स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो क्या भारत प्रारूप को रद्द करने पर सहमत होगा?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको मंत्री महोदय से इस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहिये?

श्री भोगेन्द्र झा: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: आवश्यक नहीं है।

सभा 3.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित **होती है।**

2.00 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बजे **म.प. तक के लिये स्थगित हुई।**

3.07 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 3.07 म.प. **पर पुनः समवेत हुई।**

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुये।]

सभापति महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामले। श्री कालिया पेरूमत।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विल्लुपुरम से कुड्डालोर तक रेल लाइन को बड़ी लाइन से जोड़ने की आवश्यकता

श्री पी. पी. कालिया पेरूमल (कुड्डालोर): महोदय, कुड्डालोर तमिलनाडु स्थित 1000 मेघावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना की पुनरीक्षा की गई और विकास योजना तैयार कर ली गई है। इस परियोजना के 4 मिलियन टन से 5 मिलियन टन कोयला या लिग्नाइट प्रति वर्ष की आवश्यक्ता होगी और इसे उड़ीसा से रेल या सड़क मार्ग से बारास्ता मद्रास और विल्लुपुरम कुड्डालोर लाना पड़ेगा। मद्रास से विल्लुपुरम तक वर्तमान लाइन को पहले ही बड़ी लाइन से जोड़ा जा रहा है, परन्तु विल्लुपुरम से

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुड्डालोर तक की रेल लाइन छोटी लाइन से जुड़ी है और अब इसे बड़ी लाइन से जोड़ना अपरिहार्य हो गया है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि विल्लूपुरम से कुड्डालोर तक की लाइन को बड़ी लाइन से जोड़ा जाये।

(दो) चिल्का झील को गाद से भरने तथा छोटे होने से बचाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर): उड़ीसा में चिल्का झील में जलीय पैदावार में तेजी से कमी होने से आस-पास के गांवों की काफी बड़ी संख्या में आबादी के लिये गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। 1000 वर्ग कि.मी. में फैली चिल्का झील जो कि पूरी एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। धीरे-धीरे सूखती जा रही है।

एक अनुमान के अनुसार चिल्का से वर्ष 1980-81 में 10,000 मीट्रिक टन समुद्री उपज प्राप्त हुई थी। यह वर्ष 1984-85 में कम होकर 7000 मीट्रिक टन रह गई। अब वर्ष 1992-93 में यह केवल 2000 मीट्रिक टन है।

192 गांवों के आस-पास रहने वाले लगभग 50,000 पारम्परिक मछुआरे और 1 लाख से अधिक अन्य लोग अपनी जीविका उपार्जन हेतु पूर्णतः इस झील पर निर्भर हैं। यदि झील इसी दर से सूख्ती चल गई तो इसमें मछलियॉ कम होती जायेंगी। इसके अलावा झील से लगे इलाके में तेजी से हो रही वनों की कटाई और भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये जाने से भी समुद्री उपज में कमी हो रही है। झील में प्रति वर्ष अनुमानित तौर पर 130 लाख टन गाद जमा हो जाती है। वर्षा के पानी के साथ आने वाली मिट्टी, मगरमुख नहर जो कि बंगाल की खाड़ी से संपर्क करने वाला एक ही मुहाना है, प्रतिदिन उत्तरी बहाव से आने वाली बालू के भारी मात्रा में जमा होने के कारण सकरा होता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 1.5 वर्ग कि.मी. की गीली भूमि में बालू भर जाती है जिससे बड़ा हिस्सा सूख जाता है और झील के पानी की गहराई भी कम होती जाती है, जिससे अन्ततः खारेपन के स्तर में भी कमी आ जाती है।

यदि मास्टर प्लान तैयार करने के लिये तत्काल कदम नहीं उठाये गये और झील में गाद के जमा होने को न रोका गया तो समुद्री पैदावार और कम हो जायेगी। जो लोग अपनी जिविका के लिये केवल इस झील पर ही निर्भर करते हैं, वे आने वाले वर्षों में अपनी आय के एकमात्र साधन को भी गंवा बैठेंगे। इसी कारण में केन्दीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह चिल्का झील को गाद के जमाव और सिकुड़ने से बचाने की किसी योजना के लिये धनराशि का आवंटन करे।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्व विद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय विगत लगभग 110 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इस विश्वविद्यालय ने देश के राजनीतिक

जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन के क्षेत्र में, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में देश और विश्व की महान हस्तियों को पैदा किया। एक जमाने में देश के सर्वोच्च स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र अपना शीर्ष स्थान बनाये हुए थे लेकिन संसाधन के अभाव में यह विश्वविद्यालय निरंतर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। पठन-पाठन और शिक्षण कार्य काफी हद तक कम हो गया है। प्रशासन और शिक्षण में निरंतर गिरावट एक चिंता का विषय है जिसके कारण उत्तरी हिन्दुस्तान के नवजवान सभी क्षेत्रों में अपनी अहम् भूमिका निभाने में पीछे हो रहे है। इस कार्य को पूरा करने के लिए इस महान शिक्षा संस्थान को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेकर पूरा कर सकती है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेकर इस देश के अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान देने लायक बनायें।

(चार) केरल के ओट्टापलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के मुदुक्काचेरी में एक ऊपरि रेलवे पुल बनाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. शिवरामन (ओट्टापल्लम): केरल में त्रिचूर और पालाकड् जिलों की जनता कई वर्षों से ओट्टापलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुदुक्काचेरी में एक ऊपरी रेलवे पुल की मांग कर रही है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज अस्पताल भी है। अत्यधि क यातायात के कारण उक्त क्षेत्र में ऊपरी रेलवे पुल बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि शीघ्रातीशीघ्र रेलवे ऊपरी पुल शुरू करने के लिए तत्काल उपाय करें।

(पांच) तटीय क्षेत्रों के उचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर): इस देश का समुद्रतटीय क्षेत्र देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि, इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

यहां तक कि चीन ने भी तटीय क्षेत्रों में अपने आर्थिक जोन विकसित कर लिए हैं क्योंकि वे विश्वभर में उनके व्यापक व्यापार के संपर्क सूत्र हैं। हम पाते है कि सभी बन्दगाहों के प्रबंध संबंधी निकाय अकुशल हैं और योजनाबद्ध नहीं हैं, मत्स्य व्यापार अल्पविकसित है, समुद्री भू-क्षरण से भूमि की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं 500 मी. तक वेतरतीव निर्माण कार्य के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है।

इसलिए केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि समुद्रतटीय क्षेत्रों के लिए पृथक मंत्रालय का गठन किया जाए। मंत्रालय को निम्नलिखित विषय दिए जाएं:-

(क) मत्स्यन.एम.पीईडी.ए., गहरे समुद्र में मत्स्यन (खाद्य संसाधन मंत्रालय) तथा मत्स्यन विभाग का विलय करके।

(ख) समुद्री अतिक्रमण (समुद्री भू-रक्षण; जो इस समय जल-संसाधन मंत्रालय के अधीन है)।

(ग) पत्तन।

(घ) समुद्र विकास।

(ङ) नौ-वहन।

वैकल्पिक रूप में जल, भूतल-परिवहन मंत्रालय को समुद्रतटीय क्षेत्रों संबंधी मंत्रालय में बदल दिया जाए जो तटीय क्षेत्रों के समेकित विकास को देखेगा और अत्यधिक धन की बचत होगी और निर्यात बढ़ेगा।

(छह) पश्चिम बंगाल के संदरवन में पर्यटन के विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, जहां पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन को भरपूर प्राकृतिक संपदा प्राप्त है और जो सुविख्यात टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी प्रसिद्ध है वहा उस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी है। वहां कोई छोटा या लघु उद्योग भी नहीं है और वहां की जनता को मछली पकड़ने या लकड़ी काटने से ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है। इससे मुश्किल से ही उनके परिवारों का निर्वाह होता है। निःसन्देह पर्यटन के विकास के लिए वहां काफी संभावनायें हैं जिससे सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित करने में ही सक्षम नहीं होगी बल्कि इस इलाके की गरीब जनता को भी थोड़ी राहत मिलेगी। आश्चर्य होता है कि सरकार की तरफ से अभी तक सुन्दबन में पर्यटन के विकास के लिए कोई आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया गया है।

मैं केन्दीय सरकार से अनुराध करता हूं कि यहां पर्यटन के विकास के लिए कुछ आवश्यक उपाए किए जाएं यथा दम-दम विमान पत्तन से पर्यटकों को हेलीकाप्टर से लाने ले जाने के लिए सुन्दरवन में हेलीपेड का निर्माण; विदेशी और भारतीय पर्यटकों के स्वादानुसार भोजनालय सहित पर्यटकों के लिए विश्राम-स्थल की स्थापना और विद्युत उत्पादन के लिए ज्वारीय लहरों के उपयोग तथा जीव मंडल अनुसंधान केन्द्र के लिए परियोजनाएं बनाना; सुविख्यात टाइगर प्रोजेक्ट और अन्य दृश्यात्मक सुन्दर स्थानों पर ले जाने के लिए मिनी बस चलाना और पर्यटक आकर्षण के लिए अन्य आवश्यक उपाय करना। महोदय, इससे प्राकृतिक संपदा वाले इस प्रकृति के उपेक्षित क्षेत्र को नया रूप मिलेगा और यसहां के निवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा।

3.17 म.प.

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक – जारी

सभापति महोदय : अब हम 28 अगस्तर, 1993 को श्री पवन सिंह घाटोवार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल, क्या कुछ कहना चाहते हैं?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, इस विधेयक, जो मानव अंगों को निकालने भण्डारण करने और उनके प्रत्योरोपण के लिए विनियमन के लिए प्रस्तुत किया गया है, के बारे में मामला राज्य सभा को भेजा गया था क्योंकि यह कहा गया था कि विधेयक की संभाव्यता की पुनः जांच की जानी है। राज्य सभा को सदस्यों से विचार करने के बाद राज्य सभा का यह मत था कि उन्होंने विधेयक पहले ही पारित कर दिया है और इसलिए इस पर जब तक लोकसभा अपने विचार व्यक्त नहीं करती, वह इसकी पुनः जांच नहीं करना चाहती। जब मामला माननीय अध्यक्ष को भेजा गया तो उन्होंने सुझाव दिया कि हम इस सभा की एक चयन समिति बनाएगे और उसे 6-7 दिन में अपनी रिपोर्ट देने का निदेश देंगे ताकि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित कर सके। समिति विभिन्न सुझावों जो कि प्राप्त हुए हैं, पर विचार कर सकती है और यदि कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें भी इसके लिए अवसर दिया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध ा करूंगा कि इस मामले को कल उठाएं। तब तक हम विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श कर लेंगे और चयन समिति के गठन के लिए सदस्यों के नाम प्राप्त कर लेंगे। वे नई चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अब हम अगला विषय ले सकते हैं।

सभापति महोदय: यह विषय कल के लिए स्थगित किया जाता है। अब हम अगला विषय लेंगे।

3.20 म.प.

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 13 और 17 को एक साथ लेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

[अनुवाद]

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 33) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मुझे इस बारे में बहुत सारे मुद्दे नहीं उठाने हैं, सिवाए इसके कि किन खास परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश के जरिए कानून बनाने का अधिकार भारत के संविधान निर्माताओं ने दिया, लेकिन अब इस धारा और इस अधिकार का भारत सरकार किस तरह से दुरुपयोग कर रही है।

सभी चीजों को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद का है, उसको बाईपास करते

हुए अध्यादेश के जरिए सरकार कानून बना देती है और अंत में संसद को इस बात के लिए कहती है कि वह उस पर मोहर लगा दे। इस तरह से अध्यादेश के जरिए राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाने का जो अधिकार है, उसका सीधा-सीधा खुला दुरुपयोग सरकार करने लगी है। इसलिए सरकार को सभी दलों से मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि किन आवश्यक परिस्थितियों में, जब आवश्यक तथ्य देश के सामने आ जाएं, तभी अध्यादेश का उपयोग किया जाएगा। इसके बारे में एक सदाचार सरकार के ऊपर कायम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि संविधान की इस धारा के दुरुपयोग का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है।

सभापति महोदय, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि 3 दिन से संसद में डंकल ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है और आज ही भारत सरकार की तरफ से वाणिज्य मंत्री ने इस बात का जवाब दिया है कि अधिकारी स्तर पर 15 तारीख तक यह नेगोसिएशन होना है और आगे आने वाले 5-6 महीनों में भारत सरकार को भी उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। संसद को बहुत सारे कानून, उन सहमत पक्षों को इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए बहुत सारे कानून संसद के भीतर पास कराने होंगे, लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि डंकल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले ही बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन, जो उसके बाद होने हैं, इस बात को इस देश से छिपाते हुए भारत सरकार पहले ही वे सारे कानून बना देना चाहती है, जिन कानूनों को बाद में बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

इस अध्यादेश के जरिए भारत की जो मुख्य बैंकिंग संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके संस्थागत परिवर्तन और संस्थागत बदलाव का पहला अध्याय खोला जा रहा है। आज की स्थिति में भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है और इसको निजीकरण की ओर ले जाने की यह पहली कोशिश है। अभी तक स्टेट बैंक में आरबीआई का हिस्सा 98.23 परसेंट है और जनता का हिस्सा 1.77 परसेंट है, लेकिन अब इस कानून के जरिए इसमें 68.93 परसेंट जनता का हिस्सा हो जाएगा और आरबीआई का हिस्सा धीरे धीर कम होता चला जाएगा। इस तरह से बैंकों के निजीकरण की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, बैंकों के निजीकरण की यह एक दिशा है।

भारत सरकार ने अभी राज्यसभा में यह उत्तर दिया है कि हिंदुस्तान के बैंकों की लगभग 10,000 शाखाएं घाटे में चल रही हैं, उनको बंद करने की दिशा में भारत सरकार अभी से सोचने लगी है। पिछले 10-12 सालों में बैंकों में रोजगार के अवसर सिकोड़ दिए गए हैं। बैंकिंग सैक्टर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है और इस देश के पढ़े-लिखे नौजवानों को यहां सबसे अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन पिछले 12 वर्ष का आंकड़ा यदि देखा जाए तो पता लगेगा कि आज से 12 साल पहले भी बैंकों में काम करने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के आसपास थी और आज की तारीख में भी लगभग 10 लाख लोग ही बैंकिंग सेक्टर में सेवा कार्य में लगे हुए हैं।

भारत सरकार इस कोशिश में है कि घाटा दिखाकर करीब दस हजार बैंकों की शाखाओं को बंद कर दिया जाए। इस देश के चार-पांच लाख पढ़े लिखे लोगों को सड़क पर लाने की व्यवस्था सरकार के दिमाग में है। भारत सरकार एक तरफ निजी क्षेत्र के बैंकों को खोलने के नए लाईसेंस दे रही है और वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन बैंको को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। एक तरफ तो अध्यादेश आया और इसके जरिये स्टेट बैंक ने एक हजार करोड़ रुपए के इक्वीटी शेयर बाजार में फ्लोट किए। इस तरह स्टेट बैंक निजी हाथों में हो जाएगा और रिजर्व बैंक का उसके ऊपर अधिकार खत्म हो जाएगा। जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में लाया गया तो उसके दो कारण थे। एक तो भारत सरकार ने उस समय

कहा कि बैंकों को देश की गरीब जनता को उसकी चुनौती का सामना करने योग्य बनाना है। जो सामाजिक दायित्व है बैंक का तो उसको नीजि क्षेत्र के बैंक पूरा नहीं कर रहे हैं। इस भकसद को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उन्हीं बैंकों के जरिए इस देश की गरीब जनता का सामाजिक दायित्व पूरा करने का भारत सरकार करती थी। इस देश की जनता और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया हासिल करने के लिए और इनकी सहूलियत पूरी करने का काम ये सरकारी बैक किया करते थे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया उस पर निगरानी का काम करता था। धीरे-धीरे सरकार सामाजिक दायित्वों के संकल्प से पीछे हटने की कोशिश कर रही है। इसी मंशा से इस सरकार ने इस अध्यादेश को लाने का काम किया है। मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि एक तरफ इस देश में विदेशी बैंको को खोलने की क्या सीमा होगी और खास परिस्थितियों में भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को रोकने का काम हिन्दुस्तान की सरकार ने किया था। उसी समय इसी सदन में सरकार की ओर से आश्वासन था कि खास बड़े शहरों में विदेशी बैंकों का प्रवेश इस देश में होगा। लेकिन जव आर्थिक नीति का निष्पादन पिछले दो वर्षों में देश में हुआ और विदेशी बैंकों की अनेक शाखाएं इस देश में आई तो उनका परिणाम शेयर घोटाले के रूप में देखा गया और बहुत वड़ी दौलत विदेशी बैंकों ने अपने देश में ले जाने का काम किया। इस देश की गरीब जनता और बेरोजगार नौजवानों के साथ बैंकों का निजीकरण किया और विदेशी बैंको का बेरोकटोक प्रवेश इस देश की जनता के साथ विश्वासघात की शक्ल में किया गया। मंत्री जी जव जवाब देंगे तो बतायेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंको को निर्जी हाथों में देने के बारे में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है। इसके बारे में स्पष्ट आश्वासन सदन के भीतर दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं स्टेच्युटरी रेजोलुयशन पर बल देता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (नरसिंहम समिति) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आय की पहचान और प्रावधान करने तथा साथ ही साथ जोखिम वाली आस्तियों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता के लिए मानदंडों का एक नया सेट आरम्भ किया है। ये मानदण्ड, चालू अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार, भारतीय बैंकों के वित्तीय लेखों और विवेक पूर्ण मानकों को सुदृढ़ आधार पर तैयार करने के लिए बनाए गए थे। इन मानदंडों के आरम्भ किए जाने से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक को अगले तीन वर्षों में अपने पूंजी आधार को पर्याप्त रूप से तैयार कना पड़ेगा। सभी बैंकों को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि 31 मार्च, 1996 तक उनकी पूंजी, उनकी जोखिम वाली आस्तियों के कम से कम 8 प्रतिशत तक हो जाये। परिचालन वाले बैंकों को यह मानदंड 31 मार्च, 1994 तक पूरा करना है।

बैंकिंग प्रणाली के बुनियादी वित्तीय स्वास्थ्य के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी निर्धारित मानदण्डों को प्राप्त करना आवश्यक है। यह इसकी अन्तर्राष्ट्रीय साख के लिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे विश्व में स्थित बैंक इन मानकों का अनुपालन कर रहे हैं, जो बैंक आफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा नियुक्त की गई बैंककारी विनिमन तथा पर्यवेक्षी प्रथा संबंधी समिति द्वारा निर्धारित किए गए थे।

विदेशी परिचालन वाले भारतीय स्टेट बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह 31 मार्च, 1994 तक 8 प्रतिशत तक का पूंजी पर्याप्तता संबंधी अनुपात हासिल कर लें। इस प्रयोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक से यह उम्मीद की जाती है कि वह बाजार से भारी संसाधन जुटायें। अतः यह बैंक शीघ्र ही अधिकार-सह पब्लिक निर्गम आरम्भ कर रहा है।

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और साथ ही बैंक द्वारा अधिकाधिक छोटे निवेशकों को आकर्षित कर सकने के योग्य बनाने के लिए तथा साथ ही साथ बाजार अधिमान को मद्दे नजर रखते हुए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनिर्यम, 1955 में, कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया। चूंकि उस समय संसद का सत्र नहीं था और उक्त संशोधनों की तत्काल आवश्यकता थी। अतः राष्ट्रपति ने दिनांक 15 अक्तूबर, 1993 को प्रख्यापित कर दिया। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

प्रस्तावित संशोधनों में बैंकों के शेयर के अंकित मूल्य में 100 रुपये से 10 रुपये तक की कमी करने, व्यक्तिगत धारकों के लिए 200 शेयरों के प्रतिबंध को हटाने और वोट डालने के अधिकार को 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर उस पर लगे प्रतिबंध में छूट देना शामिल है। शेयरधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और कार्य की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के विचार से स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शाखा रजिस्टरों में रख-रखाव से छुटकारा पाने, केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों का केवल एक ही केन्द्रीय रजिस्टर रखने और उस रजिस्टर को कम्प्यूटर फ्लोपियों या डिस्कों में रखने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। शाखा रजिस्टर समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप अधिकांश रूप से परिणामी प्रकृति के कतिपय अन्य संशोधन को अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में भी प्रस्तावित किया गया है।

इसके साथ ही, मैं सदन के समक्ष इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 33) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इन दोनों मदों पर अगली बार एक साथ चर्चा की जाएगी। अब हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्यसूची पर चर्चा करेंगे।

3.34 म.प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री पी.पी. कालीयापेरूमल (कुड्डालोर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 1993 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 9 दिसम्बर 1993 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.35 म.प.

समान सिविल संहिता के बारे में संकल्प – जारी

सभापति महोदयः श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा प्रस्तुत समान सिविल कोड संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करने से पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस संकल्प पर 3 घंटे 46 मिनट तक चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर चर्चा के लिये निर्धारित समय पूरा हो चुका है। इस संकल्प पर आगे चर्चा के लिए अब सभा को समय बढ़ाना होगा। क्या सभी इस बात से सहमत है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः मैं समझता हूं कि सभी सहमत हैं। समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाता है। अब कौन बोलेंगे?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन के इस संकल्प पर बोलना चाहूंगी।

सभापति महोदयः प्रो. रीता वर्मा पहले बोल रही थीं। वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। परन्तु आप पहले इस संकल्प पर बोल चुकी हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वास्तव में, मैं बोल रही थी। मैं बोलने वाली थी, परन्तु उस समय निर्धारित समय पूरा हो गया था। इसके बाद मैं उपस्थित नहीं हो पायी थी। अतः मैं आप से यह अनुरोध करती हूं कि मुझे बोलने की अनुमति दें।

डा. असीम बाला (नवद्वीप): एक गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प है। मेरा नाम असीम बाला है।

सभापति महोदय: आप अपना नाम भेजें। श्रीमती भट्टाचार्य एक विशेष मामले के रूप में मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। सामान्यतः हम इस प्रकार अनुमति नहीं देते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, मैं इस कृपा के लिये आपका धन्यवाद करती हूं। वास्तव में मैं इस संकल्प पर बोलने के लिए काफी लम्बे समय से इंतजार कर रही थी। और मैं इस पर खासतौर पर इसलिये बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं इस संकल्प का पूरी तरह विरोध करना चाहती हूं। श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा प्रस्तुत संकल्प में कहा गया है :

"यह सभा सरकार से यह आग्रह करती है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये और देश के सभी नागरिकों में एकता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाने के लिये एक समान सिविल संहिता तैयार करने के लिये एक आयोग का गठन किया जाये।"

मैं इस कारण इस संकल्प का विरोध नहीं कर रही हूं कि मुझे संविधान के अनुचछेद 44 के बारे में पता नहीं है। मैं संविधान के अनुच्छेद 44 से परिचित हूं। जिसमें यह कहा गया है : "राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

यह संविधान के नीति निर्देशक तत्व के एक भाग के रूप में संविधान में दिया गया है। अतः यह बहुत ही विशेष खण्ड है। मुझे यह पता है और फिर भी मैं इस संकल्प का विरोध कर रही हूं।

संकल्प में, यह कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों में एकता औ भ्रातृत्व की भावना का विकास करने के लिये यह प्रस्तावित किया जा रहा है। मैं इसलिये इस संकल्प का विरोध नहीं कर रही हूं कि मैं देश के लोगों में एकता और भ्रातृत्व की भावना का विरोध करती हूं। मैं देश के नागरिकों में एकता और भ्रातृत्व भावना बढ़ाने की आवश्यकता को पूरी तरह समझती हूं। तो मैं इस संकल्प का विरोध क्यों कर रही हूं? यह बात मैं कुछ शब्दों में इस सभा के समक्ष बताना चाहूंगी। जिस तरह इस सभा के समक्ष यह संकल्प लाया गया है मैं उसका विरोध कर रही हूं। जिन शब्दामें में इस संकल्प को प्रस्तुत किया गया है, उससे हमें यह शंका होती है कि वास्तव में यह संकल्प देश के नागरिकों में एकता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिये नहीं है, बल्कि इस समय देश के नागरिकों में एकता और भ्रातृत्व की जो भावना है, उसको भी यह बिगाड़ सकता है।

साम्प्रदायिक सद्‌भाव के प्रति यह जो चिन्ता इस संकल्प में बताई गई है, अक्तूबर 1990 में उस का प्रदर्शन नहीं किया गया जब गुजरात में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा शुरू की गई थी। यह साम्प्रदायिक सद्‌भाव 6 दिसम्बर, 1992 को या उसके बाद हुये दंगों के दौरान नहीं दिखाई गई थी। अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि समान सिविल संहिता को प्रोत्साहन देने के लिये केवल एक आयोग स्थापित करके पिछले कुछ वर्षों से हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जो जहर घोला गया है उसे तुरन्त ठीक किया जाये। समान सिविल संहिता को तत्काल फायदा पहुंचाने वाली किसी रामबाण औषध के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हमारी राजर्नीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पिछले कुछ वर्षों से उसमें घोले जा रहे साम्प्रदायिकता के जहर से बचा सकती है। मैं इसी बात पर चर्चा कर रही हूं। वास्तव में, मैं समझती हूं कि जो प्रस्ताव यहां किया गया है उससे विभिन्न समुदायों के बीच कटुता और अधिक बढ़ेगी।

हमें एक बारगी इस बात पर विचार करना चाहिये, कि इस व्यवस्था को संविधान के एक खण्ड

के रूप में शामिल न करके केवल निर्देशक तत्वों के रूप में ही क्यों शामिल किया गया है। यह समझने के लिये हमें उस समय का ध्यान करना चाहिये जब संविधान सभा कार्य कर रही थी जब संविधान पर वाद-विवाद किया जा रहा था और समान सिविल संहिता जैसे प्रश्नों पर खुलकर वाद-विवाद किये गये थे।

इस बात को याद करें कि समान सिविल संहिता की इस मांग को सबसे पहले अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा उस समय उठाया गया था जब हमें स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने यह मांग यह समझकर उठायी थी कि इससे हमारे उन देश वासियों में किसी हद तक एकता की भावना जागृत होगी जिन्हें उपनिवेशवादी शासकों द्वारा गुमराह किया जा रहा है और साम्प्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है।

तथापि, आगे घटनाओं में एक अलग ही प्रकार का मोड़ आया यह पाया गया कि सभी पक्षों के कट्टरपंथी लोग समान सिविल संहिता का विरोध कर रहे हैं। उसी समय एक और वाद-विवाद चल रहा था। यह वाद-विवाद हिन्दू कोड बिल पर बी.एन. राव समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के संबंध में था। जब यह वाद-विवाद समान सिविल संहिता पर चर्चा के साथ-साथ संसद में आया और जब तक एक पक्ष के कट्टरपंथियों ने यह पाया कि उनको पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं है और हिन्दू कोड बिल का देश में या संसद में अधिक विरोध नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सारे मामले को साम्प्रदायिक रूप देकर यह कहना शुरू कर दिया कि यदि यह हिन्दुओं के लिये अच्छा है तो यह मुसलमानों के लिये भी अच्छा है। यदि यह कानून सभी के लिये हो तो ही हम इसे स्वीकार करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अपने वक्तव्य में ऐसी बहुत सी बातें कहीं हैं जो उस समय के विधि मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कही गई थी। तथापि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को छोड़ दिया है। हिन्दू कट्टरपंथी लोग हिन्दू कोड बिल के सम्पूर्ण मामले को किस प्रकार साम्प्रदायिक रूप दे रहे हैं मैं इस बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कही गई बातें सभा को याद दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा थाः

"अब मैं यही कहूंगा कि मुझे आश्चर्य है कि वह लोग जो कल तक इस संहिता के सर्वाधिक विरोधी थे और पुरातन हिन्दू विधि के वर्तमान स्वरूप प्रबल समर्थक थे, उन्हें आगे आकर यह कहना चाहिये कि वह अखिल भारतीय सिविल संहिता के समर्थक हैं। एक कहावत है कि चीता रंग नहीं बदलता है और मुझे यह विश्वास नही होता है ये चीते जो जब भी मैं सभा में आता था, इस विधेयक अर्थात हिन्दू कोड बिल पर झपट पड़ते थे। अब अचानक उनकी मानसिकता इतनी कैसे बदल गई है कि वे इतने अधिक क्रान्तिकारी हो गये हैं कि पूर्णतः एक संहिता की मांग करने लगे हैं।"

बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक प्रस्ताद रखा। उन्होंने कहा कि हम लोग एक समान सिविल संहिता अपना सकते हैं। हिन्दू कोड बिल का प्ररूप तैयार करने में हमें पांच वर्ष लगे थे, परन्तु समान सिविल कोड हम आधे घण्टे में तैयार कर सकते हैं।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का उदाहरण लीजिये। इसे सार्वजनिक और सिविल अर्थात सभी पर लागू किये जाने योग्य बनाने के लिये केवल इस बात की आवश्कता होगी कि अधिनियम के खण्ड 2 में अन्तर्विष्ट शब्दों को जोड़ा जाये अर्थात "यह हिन्दुओं पर लागू न हो" का लोप कर दिया जाये। निःसंदेह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पृथक है। अब यह बात ऐसी है जिस पर समान नागरिक संहिता की चर्चा विवादास्पद हो जाती है क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में हिन्दुओं को शामिल करना एक ऐसी बात है जिसको हिन्दू कट्टरपंथी कभी स्वीकार नहीं करेंगे और संक्षेप में केवल उत्तराधिकार

के विषय में ही हमने पाया है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि कुछ स्वीय विधियों में काफी अवनतिकारी खंड हैं। इसी प्रकार हिन्दू स्वीय विधि और उत्तराधिकार कानूनों में भी काफी वातें ऐसी हैं जो अवनतिकारी हैं। काफी बातें ऐसी हैं जो पुरूषों और महिलाओं में असमानता को बढ़ावा देती हैं। अतः महोदय यहां से मैं इन तर्कों पर वापस जाना चाहती हूं जो श्रीमती सुमित्रा महाजन ने दिये थे और मैंने बावा साहेब अम्बेडकर की याद इसलिये दिलाई क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा था उससे उसी दिन मुझे वाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कही गई बात का ध्यान आ गया। वास्तव में उनके भाषण में उन्होंने समान सिविल संहिता की दलील दी है, परन्तु उनके सम्पूर्ण भाषण में एक ही प्रकार का तर्क जारी रखकर एक समुदाय, अर्थात मुस्लिम समुदाय के शरीयत में कुछ कमियों के बारे में ही बताती रही और उन्होंने महिलाओं के प्रति असमानताओं को, अन्याय को, जो कि हिन्दू कानून सहित अन्य स्वीय विधियों में सन्निहित हैं, अपने विचार क्षेत्र से वाहर रखा है। इसी कारण मैंने यह महसूस किया कि इस विशेष संकल्प के पीछे एकता और भ्रातृत्व भावना को बढ़ाने की इच्छा नहीं है। बल्कि यह ऐसी स्थिति पैदा करने की इच्छा से अभिप्रेरित है कि समान सिविल संहिता का भय पैदा करके अल्पसंख्यकों की असुरक्षित स्थिति को उनके दिमाग में और अधिक भयावह वना दी जावे। विशेषकर हाल की घटनाओं के बाद हम जानते हैं कि एक विशेष समुदाय अर्थात् मुसलमान समुदाय को अपनी जान का भय है। वह यह पूछ रहे हैं कि यद्यपि वह भारत के नागरिक हैं, फिर भी वह अपने धार्मिक स्थल की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अतः इन परिस्थितियों में समान सिविल संहिता की बात उठाना मेरे विचार से इस मुद्दे को पूर्णतः गलत नजरिये से बहुत भयानक स्थिति तक पहुंचाने जैसा है। इसी कारण मैं इस संकल्प का विरोध कर रही हूं।

3.49 म.प.

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुये]

मैं सभा के समक्ष कुछ और बातें उठा रही हूं जो कि श्री मणि शंकर अय्यर ने कहीं हैं। उन्होंने अपने विस्तृत भाषण दिया है और उन्होंने उस साम्प्रदायिक तत्व का भी जिक्र किया है जो कि सभा के समक्ष विचाराधीन इस संकल्प में सन्निहित है।

इस बात पर मैं उनसे सहमत हूं। तथापि मामला उस समय हाथ से निकल गया था जिस समय श्री अय्यर मुस्लिम महिला अधिनियम के बारे में बात करने आए थे।

हमने उनको अपनी धर्मनिरपेक्ष स्थिति को कायम रखने और इसके साथ-साथ वर्ष 1986 में पास किये गये मुस्लिम महिला अधिनियम की रक्षा करने के लिये वंधनों से पूर्णतया जकड़ा हुआ पाया है। हमने यह पाया है कि श्री मणिशंकर अय्यर ने जो दलील दी थी, उसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के संदर्भ में न्यायाधीश चन्द्रचूड़ द्वारा शहवानों के मामले में दिये गए निर्णय की आलोचना की थी। प्रश्न यह था कि क्या किसी मुस्लिम महिला को, जिसके पास जीवन निर्वाह का अन्य कोई जरिया न हो, खानाबदोश की तरह से जीवन व्यतीत करने देना चाहिये अथवा क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत जीवन निर्वाह के लिए कुछ गुजारा-भत्ता मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने निर्णय दिया था कि ऐसी महिला गुजारा-भत्ता प्राप्त करने की पूर्णतः पात्र है। श्री मणिशंकर अय्यर का कहना है न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ द्वारा दिये गये इस तरह के निर्णय के कारण ही देश में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गयी थी। श्री मणिशंकर अय्यर इस वात पर कायम हैं कि न्यायधीश ने स्वयं को प्रश्नाधीन मुद्दे तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने इस्लाम तथा इस्लामी स्वीय विधि के बारे में भी कुछ कहा है। और उनके अनुसार इसके कारण पूर्व विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई। श्री अय्यर

जो कि तलाकशुदा महिलाओं के कट्टर पक्षधर हैं, यह कहते हैं कि धारा 125 के अन्तर्गत वे केवल गुजारा-भत्ता प्राप्त करने की पात्र है और इस प्रकार प्रश्न यह नहीं है कि क्या शहबानो को यह गुजारा-भत्ता मिलना चाहिये अथवा नहीं बल्कि यह तमान प्रश्न गुजारा-भत्ता की राशि को बढ़ाये जाने के बारे में हैं। वह यह कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 वास्तव में काफी पुरानी हो गयी है क्योंकि इसके प्रावधानों के अन्तर्गत तलाकशुदा भारतीय महिला को अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत कम धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। अब हम इस मुद्दे पर श्री अय्यर की बात से पूर्णतया सहमत है और हम भी यह कहते हैं धारा 125 में संशोधन किया जाना चाहिए। जैसा कि इस सभा को ज्ञात होगा, हमारी एक माननीय सदस्या श्रीमती सुशीला गोपालन ने इस धारा में उपयुक्त संशोधन किये जाने के लिए एक गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत किया था ताकि महिला जो कि पूर्णतः अपने पति पर आश्रित है, तलाक हो जाने की स्थिति में कुछ आर्थिक न्याय प्राप्त कर सके। धारा 125 के अनुसार, जो गुजारा राशि उन्हें इस समय दी जाती है उसकी अपेक्षा उन्हें कम से कम एक न्यूनतम जीवन-निर्वाह राशि मिल सके। हम श्री अय्यर से सहमत हैं कि इसमें संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। यदि उन्हें और उनकी सरकार को तलाशुदा महिलाओं की दयनीय दशा के बारे में इतनी अधिक चिन्ता है, तब वे उस समय धारा 125 में आवश्यक संशोधन क्यों नहीं लाए? इसकी बजाये धारा 125 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय आदेश के अनुसार जो भी थोड़ा बहुत गुजारा-भत्ता तलाकशुदा महिलाओं को मिल रहा था, उस पर भी उन्होंने भारतीय महिलाओं के वर्ण विशेष के लिये रोक लगा दी। जबकि श्री मणिशंकर अय्यर ने तलाकशुदा महिलाओं के लिये मुआवजे की अधिक तथा उचित राशि की दलील दी लेकिन शाहबानों समर्थन के मामले में मुस्लिम महिला अधिनियम के अन्तर्गत्त किसी गुजारा-भत्ता अथवा किसी मुआवजा आदि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मैं श्री अय्यर की दलील को नहीं समझ पायी। मेरे विचार से उनकी दलील एक ऐसी दलील है जिससे उस दुविधा को छिपाने की कोशिश की गई है जो कि वह स्वयं अनुभव करते आ रहे हैं। ऐसी महिलाओं के प्रति उनकी सहानुभूति के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है लेकिन मुस्लिम महिला अधिनियम के बारे में उन्हें जो दुविधा का एहसास होता रहा है, वह उनके भाषण में स्पष्ट दिखाई दे रहा था।

यहां मैं यह कहूंगी कि वास्तव में जिस समय शाहबानों के मामले में निर्णय पारित किया गया था और जिस समय इस संसद में मुस्लिम महिला विधेयक पर चर्चा हुई थी, उस समय हमने इसी मुद्दे को ही उठाया था। हमने यह कहा था कि संविधान की भावना को समझना होगा। जिस समय हमारे संविधान के निर्माताओं ने निर्देशक-सिद्धान्तों के एक भाग के रूप में एक समान सिविल संहिता लाने की बात सोची थी तो उस समय संविधान की भावना क्या समझी गयी थी? संविधान की भावना का अर्थ किसी समुदाय विशेष की भावनाओं का निरादर करना नहीं है; भारतीय संस्कृति को समरूप करना नहीं है जो कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, विभिन्न पारिवारिक रीति-रिवाजों से बनी है। अनुच्छेद 44 में इसके अतिक्रमण करने अथवा इसके निरादर करने की बात नहीं कही गयी। इसमें भारतीय समाज के समरूपीकरण की बात नहीं कही गई। इसमें एकता की बात कही गई है, समरूपीकरण की बात नहीं कही गयी।

हम यह देखते हैं कि इन स्वीय विधियों में मूलतः परिवार, विवाह-शादी, संरक्षण सम्पत्ति का बटवारा, उत्तराधिकार आदि से संबंधित मामले आते हैं। इन स्वीय विधियों में यही मुख्य बातें देखी जा सकती हैं। हमने अपने अनुभव से यह पता लगाया है कि प्रत्येक समुदाय में, लगभग सभी परिवारों में, हमारे देश में पुरुष प्रधान ढांचा होने के कारण, पुरुष की अपेक्षा महिला की स्थिति अधिक दयनीय

है। हमारे संविधान के संरक्षकों ने जब एक समान सिविल संहिता लाने की बात सोची थी, तो वास्तव में उनके मन में पुरुष और महिला में असमानता को दूर करना ही मुख्य उद्देश्य था।

हम यह महसूस करते हैं कि यह उद्देश्य ऊपरी स्तर से किसी सिविल संहिता को थोपकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुमित्रा जी ने अपने भाषण के आखिर में कहा है कि इसे हिन्दू कानून नहीं होना चाहिये। लेकिन उनके भाषण के अन्य अंश में हमने यह देखा है कि उन्होंने इस तरीके से बोला है जो यह सुझाव देता है कि हिन्दू कानून ने अपनी सभी बुराईयों को दूर कर लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने हिन्दू कानून में पाई जाने वाली बुराईयों का उल्लेख ही नहीं किया बल्कि अपने भाषण में उन्होंने आगे यह भी कहा है कि हिन्दू कानून जैसा कि इस समय मौजूद है हमसे सभी कानून में सर्वाधिक प्रगतिशील कानून है।

4.00 म.प.

इसलिये हमारे मन में यही विचार आता है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि सभी स्वीय विधियों को हिन्दू कानून के आदर्श पर तैयार किया जाना चाहिये। यह हमारी संस्कृति को समरूप करने का प्रयास है। जो कि अनिवार्यतः विषमांग है, जो कि अपनी विपमांगता के कारण ही समृद्ध है। हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम यह महसूस करते हैं कि स्वीय विधियों में महिलाओं के प्रति जो असमान स्थिति देखने को मिलती है, इसे हमें दूर करना होगा। अतः हम किसी एकीकृत संहिता के लिये नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम समानता के लिये लड़ रहे हैं कि कानून की नजर में महिला और पुरुष के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिये। यह जो खामियां इसमें हैं, इन्हें न केवल कानून की सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत दूर किया जाना है बल्कि इन्हें स्वीय विधियों के अन्तर्गत भी दूर किया जाना है।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगी। श्रीमती सुशीला महाजन ने अपने भाषण में बहु-विवाह के प्रश्न के बारे में बार-बार उल्लेख किया है, जिसकी मुस्लिम स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमति है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक मेरा संबंध है, मैं यह सोचती हूं कि हमारे देश के अधिकांश लोग, चाहे वे किसी भी धर्म अथवा समुदाय के क्यों न हों यह महसूस करते हैं कि बहु-विवाह की प्रथा महिलाओं के लिये असम्मान जनक है और इसे जारी नहीं रखना चाहिये तथापि महोदय, इस संबंध में मैं कुछ तत्वों का उल्लेख करना चाहूंगी। हिन्दू कोड़ विल में बहु-विवाह की व्यवस्था नहीं है, तथापि आंकड़े हमें यह बताते है कि हिन्दुओं में जिन्हें बहुत-विवाह सम्पन्न करने की अनुमति नहीं है, बहुत से लोग बहुत-विवाह करते हैं। एक औरत की शादी होती है, उसे छोड़ दिया जाता है, उसे त्याग दिया जाता है; दूसरी पत्नी अपना ली जाती है, और फिर यह होता है कि कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिया जाता है। तब, कोड के उद्‌धृण देकर यह कहा जाता है कि चूंकि यह कानूनी विवाह नहीं है इसे कोई मुआवजा अथवा निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा सकता। इसे अपने पति से कोई अधिकार नहीं मिल सकते। अतः यह हिन्दुओं अथवा मुसलमानों का प्रश्न नहीं है बल्कि यह महिलाओं की समाज में असम्मान जनक स्थिति का प्रश्न है जो कि वास्तविक रूप में देखी जा सकती है। इस संबंध में कानूनी प्रावधान हो सकते हैं लेकिन कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी उनका उल्लंघन होता है जिससे हमें वास्तविक स्थिति का पता चलता है, हमारे देश में महिला की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। महोदय, हम उन लोगों में से नहीं है जो कि यह कहते हैं कि निजी मामले हैं, ये पारिवारिक मामले हैं, ये धार्मिक आस्थाओं से संबंधित मामले हैं और इसलिये राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हमारे विचार से हमारे संविधान में अन्तर्विष्ट अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि अपने स्वैच्छिक

धर्म का खुलकर प्रचार करने का अधिकार भी कतिपय शर्तों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के अध्यधीन है। अतः यह स्वतन्त्रता भी किन्हीं शर्तों के अन्तर्गत है यानि कि यह स्वतन्त्रा पूर्ण नहीं है। सतीप्रथा हमारे 150 वर्ष पुराने कानून के बावजूद, आज भी देश के कुछ भागों में व्यापत है। ऐसे मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। तथापित राज्य को किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध पूर्वाग्रहग्रस्त होकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस संकल्प के द्वारा वास्तव में ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण से ही हम इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं। हमारा यह विचार है कि ऐसे अवसर पर सरकार को एक समिति बना देनी चाहिये जो कि स्वीय विधियों की जांच करें। मैंने सुना है कि विधि मंत्रालय पहले से ही विभिन्न विधियों और उनमें पायी जाने वाली खामियों का पता लगा रहा है। इन खामियों के बारे में बताया जाना चाहिये, और उन्हें दूर किया जाना चाहिये।

हमने यह देखा है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसे कई शक्तिशाली और मिथ्या वर्ग हैं जिन्होंने इस मनमर्जी की प्रणाली में फतवा की व्यवस्था कर रखी है जिसे कि "तीन तलाक" के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक समुदाय में भी कुछ का विचार तलाक की इस प्रणाली के विरुद्ध हैं। अतः ऐसा नहीं है कि धार्मिक समुदाय अपने मत पर स्थिर हों, ऐसा नहीं है कि वे अपने मत पर पूर्णतया अडिग हों। इसमें विभिन्न मत प्रवाह काम करते हैं। सरकार को इसी चीज का पता लगाना है; सरकार को उन लोगों से सम्पर्क स्थापित करना है जो कि सबसे निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सम्पर्क करना है जो कि समुदाय के अंदर महिला वर्ग में चेतना जागृत कर सकें। जिस समय मुस्लिम महिला विधेयक पर बहस हो रही थी, उस समय भी हमने यह देखा था कि बहुत मुस्लिम महिलाओं ने बाहर निकल कर यह कहा कि यह विधेयक उनके हितों के प्रतिकूल सिद्ध होगा; किन्तु सरकार ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी। यद्यपि इसे मुस्लिम समुदाय के लिये तुष्टीकरण के रूप में समझा जाता है किन्तु वास्तव में इसमें ऐसी कोई बात नहीं। वास्तव में किसने इससे लाभ उठाया है? किसी ने भी नहीं। मुस्लिम महिलाओं ने नहीं उठाया; जो कि मुस्लिम समुदाय के आधे से भी कम है, महिलाओं के संरक्षकों ने भी नहीं, उन गरीब मुस्लिम महिलाओं के अभिभावकों ने भी नहीं जिन्हें अपने पति द्वारा तलाक दे दिया जाता है और जिन्हें बिना किसी अन्यत्र स्थिति के उनके परिवार में वापिस भेज दिया जाता है; उन्हें इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिये यहां पर तुष्टीकरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे विचार से श्रीमती सुशीला महाजन ने अपने भाषण में तुष्टीकरण का प्रश्न उठाया था, यह पूरी तरह प्रेरित था। इसलिये इन सभी बातों से यह पता चलता है कि मेरे विचार से इस विधेयक को बाबरी मस्जिद गिराये जाने के कुछ महीने बाद, देश में हुए राष्ट्रव्यापी दंगों के कुछ महीने बाद जिनमें कि दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना अभी बाकी है, जबकि कोई मुआवजा, कोई राहत नहीं दी गई, ऐसे खास अवसर पर लाना अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के मन में उनके असुरक्षित होने, उनमें भय पैदा करना है।

अतः मैं इस संकल्प का विरोध करती हूं व इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि हम कानून के अन्तर्गत, यहां तक कि स्वीय विधि के अन्तर्गत महिला और पुरुष में समता चाहते हैं; और ऐसा हमारे समाज के द्वारा हमारे चर्चा करने से राय बनाने से और राष्ट्रीय सहमति से ही संभव हो सकता है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): सभापति महोदय, हम इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाली सदस्या की अनुपस्थिति में इस पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमती सुशीला महाजन भारतीय जनता पार्टी की सदस्या हैं। आज जिस समय उनका संकल्प सभा के समक्ष है वह स्वयं यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं या तो उनके विपक्ष में होने अथवा इसी तरह के

अन्य किसी कारण से है। ऐसा मैं इस लिये कह रहा हूं कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं इस संकल्प की भावना से सहमत हूं। इस संकल्प का विरोध करने के लिये भी मेरे पास कई कारण हैं। इसलिये, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

संकल्प को प्रस्तुत करने वाली सदस्या, सभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने के उनके दल द्वारा लिये गये सामूहिक निर्णय के कारण, आज यहां पर उपस्थित नहीं है; ऐसा भी किसलिये? ऐसा किस कारण से? ऐसा इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष पूर्व अयोध्या में मस्जिद को गिराये जाने के बारे में गंभीर आरोपों के कारण उनके जो नेता गिरफ्तार किये गये हैं, उन्हें शशर्त मुक्त कराने के लिये दबाव डाला जा सके। यह इसकी पृष्ठभूमि है, यह इसका दृश्य है जिसमें इस संकल्प पर चर्चा की जा रही है।

श्रीमती महाजन ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया था। इसलिये प्रस्तुतकर्ता की भावना निश्चित रूप से अच्छी नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का नहीं है। इसके अपेक्षाकृत, व इसके विपरीत यह तो साम्प्रदायिक घृणा को बढ़ाने के लिये है।

माननीय महिला सदस्य श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, जिन्होंने अभी अभी चर्चा में भाग लिया है, कुल मिलाकर मैं उनकी बात से उनके विचारों से सहमत हूं । भारत के संविधान के अनुच्छेद 44, जो कि अध्याय चार के अन्तर्गत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, में एक समान सिविल कोड़ का प्रावधान किया गया है । संविधान सभा ने भी सन् 1948 और 1949 में इस पर चर्चा की थी और संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अध्याय में दिये गये अन्य प्रावधान वाद योग्य नहीं हैं। इनके लिये कोई समयावधि का भी उल्लेख नहीं किया गया। उसमें यह उल्लेख किया गया है ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये और राष्ट्र को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिये। हम तैयारी करते हैं और हम निदेश देते हैं ताकि ठोस कदम उठाने के लिए उन सभी नीति निर्देशक तत्वों को कार्यन्वित किया जाए। संविधान सभा में उस वाद-विवाद में भाग लेने वाले डा बी.आर.अम्बेडकर, श्री के.एम.मुंशी तथा श्री कृष्णास्वामी सहित भाग लेने वाले अनेक व्यक्तियों ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह दबाव में नहीं किया जा सकता है। इसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सहमति से किया जाना होगा।

यही कारण है कि उस पृष्ठभूमि में भी मैं शहवानो मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य भी सम्बन्धित रहीं हैं। उस समय जब हमने सभा में इस पर चर्चा की थी विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य भी यहां उपस्थित थे। हम भी सत्ता पक्ष में थे। हम उसे समर्थन देना नहीं चाहते थे। परन्तु, दुर्भाग्यवश संबंधित समुदाय की राय इसके विरुद्ध थी। उस समुदाय के समाज की इस जबरदस्त राय का सम्मान करते हुएं - यद्यपि अनेक लोग ऐसा नहीं चाहते थे उसे चलने दिया गया। निःसन्हेद केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं बल्कि हिन्दू समाज और हिन्दू समुदाय में भी सुधारों की आवश्यकता है। अपने समुदाय में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ करना है। हमारे समाज में अन्धविश्वास हैं, दहेज के कारण हत्याएं होती हैं, ऐसी अनेक बातें हैं। हमने दहेज के कारण होने वाली हत्याओं तथा इन सभी बातों को रोकने के लिए एक कानून बनाया है।

वास्तव में कानून आवश्यक है। परन्तु केवल कानून से ही परिवर्तन नहीं होते हैं तथा न ही वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। निश्चय ही इससे सहायता मिलती है। निश्चय ही कानून से सहायता मिलती है और कानून होना ही चाहिए। इससे लोगों में एक डर होता है। परन्तु साथ ही साथ लोग यह भी जान जाते हैं कि कानून की अवज्ञा किस प्रकार की जा सकती है। इन सभी क्षेत्रों में कुछ

ओर किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं इस प्रस्ताव के भाव से सहमत हूं। जहां तक सम्भव हो हमें एक समान सिविल कोड तथा एक समान पर्सनल ला बनाने चाहिए। परन्तु एक समान सिविल कोड में कुछ गड़बड़ है। कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो सामान्य हैं। परक्राम्य लिखित अधिनियम, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम और दूसरे अधिनियमों को लें इनमें अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग संहिताएं नहीं हैं। परन्तु संविधान भी यह गारण्टी देता है कि जनजातियों तथा समुदायों के लिए पर्सनल लॉ हो। जैसा कि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने पहले कहा था, हिन्दू समाज या समुदाय में कानूनन बहुविवाह की अनुमति नहीं है। परन्तु व्यवहार में, विभिन्न जनजातियों, विभिन्न समुदायों तथा छोटी जनजातियों में प्रथाएं बहुविवाह को मान्यता देती हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता-पूर्व के दिनों में तथा उसके बाद भी प्रारम्भ में कुछ क्षेत्रों में यह कुलीनता की निशानी माना जाता था। यह अभी भी जारी है। **(व्यवधान)**

श्री सैफूद्दीन चौधरी (कटवा): उड़ीसा में ऐसा होता है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: ऐसा पश्चिम बंगाल में भी है। सभी जगह कुछ शाही परिवारों में ऐसा होता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पास-पास हैं और यह पूर्वी भारत में है।।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इतना भूगोल तो वह जानते हैं।

सभापति महोदयः कृपया उन्हें उत्तर न दें। सीधे पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में इन बातों की अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं यह कह रहा हूं कि विभिन्न समुदायों को वैयक्ति कानूनों के संबंध में स्वतंत्रता की गारण्टी देने वाला उपबन्ध संविधान में भी हैं।

भाषा के संबंध में, मैं एक उदाहरण देता हूं। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, लोक भाषा है। त्रि-भाषा सूत्र का प्रावधान भी है, परन्तु हिन्दी को भी हम थोप नहीं सकते हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसा प्रावधान है। हमें संघर्ष करना होगा, हमें उन्नति करनी होगी तथा हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा लोग दिन-प्रतिदिन इसे अधिकाधिक स्वीकार करें। हम इसे थोप नहीं सकते हैं। जब भी हिन्दी को थोपने के प्रयास किए गए, इसके अनर्थकारी परिणाम हमारे सामने आए। भारत जैसे विशाल आकार, विस्तार वाले देश में जहां अनेक जातियां, धर्म, भाषाएं तथा संस्कृतियां हैं–हमारे यहां मिश्रित संस्कृति है हम इसे थोप नहीं सकते है। हम अपने राष्ट्रत्व को देखें, जो मिश्रित संस्कृति पर आधारित है। और उस मिश्रित संस्कृति में इस्लामी समुदाय, मुस्लिम समुदाय तथा अन्य समुदाय हैं। मेरे विचार से भारत सम्पूर्ण विश्व में दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा इस्लामी देश है। जहां तक मुझे जानकारी है, भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है। भारत मुसलमानों की विशाल जनसंख्या वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी देश है। उन्होंने भी सदियों से योगदान दिया..

सभापति महोदय: क्या भारत इस्लामिक देश है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: धन्यवाद। यह सत्य है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए, जैसा मैंने पहले कहा था, भाषा के संबंध में सभी की सहमति से ही होना चाहिए तथा यह थोपी नहीं जा सकती है। विभिन्न समुदायों में बहुविवाह प्रथा जारी है और पर्सनल ला इस बारे में किसी हद तक जिम्मेदार है। पर्सनल ला का अर्थ है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत। एक विकसित देश में इन क्षेत्रों में हमें यह देखना है कि स्त्रियों का शोषण न हो। कतिपय आन्तरिक कमजोरियों

की वजह से उस समुदाय का शोषण नहीं होना चाहिए। फिर भी ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यही समय है जब प्रत्येक समुदाय मुस्लिम समुदाय के प्रगतिशील तत्वों को इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने के लिए आगे आना चाहिए। स्त्रियां भी इन सभी बातों के लिए आन्दोलन करने हेतु धीरे-धीरे संगठित हो रही हैं। शाहबानो मामले के साथ इसकी शुरूआत हुई थी। इस पर आगे भी ध्यान दिया जाना है। इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं।

संविधान के अध्याय चार में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष के आयु वर्ग तक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के बारे में समय सीमा निश्चित की गई है। हम इसे भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं।

जहां तक आरक्षण का संबंध है, पहले 10-20 वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गई थी। परन्तु तब से हम इसे बढ़ा रहे हैं। संविधान के निर्माता चाहते थे कि इसे 10-20 वर्षों में प्राप्त कर लिया जाए। परन्तु हम इसे प्राप्त नहीं कर सके। हम आरक्षण भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम हर प्रकार की असमानता को दूर करना चाहते हैं। हमें समानता पर आधारित समाज की दिशा में संघर्ष करना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह राजनीति से प्रेरित है या नहीं। आज उनकी अनुपस्थिति से यह न्यायोचित लगता है कि उनके प्रस्ताव का विरोध किया जाए। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं फिर यह अनुभव करता हूं कि हम सभी को इस समस्या से मुखातिब होना होगा। समुदायों, दलों आदि के भेदभाव के बिना सभी प्रगतिशील तत्वों को ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए आगे आना होगा जहां ऐसा करना संभव हो सके। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसे दबाव या मजबूरी से नहीं किया जा सकता बल्कि सभा की सहमति से ही हो सकता है।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर): सभापति महोदय, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि हम एक समान सिविल कोड विकसित करें तथा अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता तथा कानून द्वारा समान संरक्षण सुनिश्चित करें। इसलिए यह दोनों उपबंध पूरक हैं। परन्तु संविधान में यह उपबंध बना करके, संविधान के निर्माताओं ने भेदभाव के लिए भी प्रावधान किया है, यह इस प्रकार कि यद्यपि कानून द्वारा समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है, भेदभाव का उपबंध भी है। परन्तु यह सुबोधगम्य भिन्नता पर आधारित अभिन्न भेदभाव है। जिसका विधि के साथ संबंध होना चाहिए। संविधान निर्माताओं द्वारा सोचविचार कर यह उपबंध बनाने के पीछे प्रमुख कारणा यह है कि उन्होंने भारतीय समाज की स्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसा किया है। भारतीय समाज समरूप समाज नहीं है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा जनसंख्या के भिन्न स्वरूपों तथा इस देश में अपनायी जानी वाली विभिन्न प्रथाओं को भी ध्यान में रखते हुए भेदभाव का उपबंध इसलिए बनाया गया था ताकि हम पिछड़े वर्गों के लिए कानून बना सकें। मण्डल आयोग पर हाल ही में लिया गया निर्णय इसी विशेष उपबंध के कारण सम्भव हो सका है। इस मुद्दे पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। जब आप समान सिविल कोड चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व में यह बताया गया है। परन्तु इसे भारतीय समाज की सामाजिक परिस्थितियों के साथ सम्बद्ध होना चाहिए। समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों को उस स्तर तक विकसित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब उन पर कानून लागू हो सके क्योंकि ऐसे कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है जो लागू न किए जा सकें। पिछले कई वर्षों से दहेज सम्बन्धी कानून बना हुआ है परन्तु दहेज

प्रथा इस देश में हिन्दू समाज के सभी वर्गों में व्यापक रूप से प्रचालित है। इसलिए, केवल कानूनों से ही सामाजिक बदलाव नहीं आ सकता, समाज को विकसित करना होगा। एक सामाजिक आन्दोलन होना चाहिए ताकि समाज उस कानून को स्वीकार करने को तैयार हो सके। उदाहरणार्थ, 1956 में जब हिन्दू कोड बिल बनाया गया था तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ था। महात्मा ज्योति फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक आन्दोलन शुरू किए जाने पर समाज उस बिल को स्वीकार करने को तैयार हुआ। जब समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रश्न आया तो यद्यपि इसका विरोध हुआ परन्तु नाममात्र का था क्योंकि समाज ने इसे स्वीकार कर लिया। हिन्दू कोड बिल के सम्बन्ध में भी, मैं महोदया सुमित्राजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप, हिन्दू लोग, एक समान हिन्दू सिविल कोड स्वीकार करने को तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि यद्यपि हिन्दू कोड बिल बना है, परन्तु इसकी अनेक धाराओं का प्रतिदिन उल्लंघन किया जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दू कोड बिल खण्ड में द्वितीयक चचेरे भाई बहनों में विवाह निषिद्ध है। परन्तु महाराष्ट्र में यह प्रथा है। आन्ध्र प्रदेश में भी यह प्रथा है। इसीलिंए खण्ड 2 में यह उपबन्ध किया गया है कि यद्यपि हिन्दुओं को कानून के अनुसार कुछ प्रथाओं का पालन करना होता है, परन्तु जहां समाज में प्रचलित रीतिरिवाज या संस्कृति इसके विरुद्ध है, वहां वह प्रथा अपनायी जा सकती है। मैं एक निजी उदाहरण दे रहा हूं।

अपनी शादी में जब मैंने जोर दिया कि मैं सिविल कोड के अनुसार रजिस्टर में हस्ताक्षर करके शादी करूंगा तो मेरे ससुर ने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने से यह कहकर मना कर दिया कि यदि मुझे समान सिविल कोड के अनुसार शादी करनी है तो शादी एक विशेष ढंग से होगी और यदि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, वह स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रथा है।

दहेज का मामला लें। यह व्यापक रूप से प्रचलित है। बहूएं जलायी जाती हैं। सती प्रथा जारी है। जब आप ऐसे मामले देखते हैं। तो आप फिर मुस्लिम कोड की ओर जाते हैं। महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले उस कानून में क्रान्तिकारी उपबन्ध किया गया था। यह पहला कानून था जिसमें यह कहा गया था कि शादी के लिए लड़की को सहमति देनी होगी। कल्पना कीजिए कि ऐसा हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। परन्तु आज भी, भारतीय समाज में, हिन्दू समाज में, इसकी स्वीकृति नहीं है।

जिस दूसरी बात का सुमित्रा जी ने विरोध किया था, वह है बहुविवाह। हमें मुस्लिम कोड में इस कानून की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर विचार करना चाहिए। हजारों वर्ष पहले जब पैगम्बर मोहम्मद ने विश्व के उस भाग में क्रान्ति का सूत्रपात किया था, तो हरम रखने की व्यापक प्रथा थी।

पैगम्बर स्वयं बहु-विवाह प्रथा के खिलाफ थे परन्तु स्थिति तथा सामाजिक परिस्थिति देखते हुए उन्होंने चार विवाह करने की अनुमति दी। परन्तु इसके लिए भी उन्होंने एक शर्त रखी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसका जो निर्धारित समय था, वह समाप्त हो चुका है। अगर हाउस का कन्सेंट हो तो आधे घण्टे के लिये बढ़ाया जा सकता है।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: आप जल्दी खत्म करें क्योंकि ममता जी बोलना चाहती हैं और मंत्री जी भी बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत: इस प्रकार उस समय तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चार विवाह करने की व्यव्था की गई थी। परन्तु इसके लिए भी शर्त रखी गई थी संहिता में विद्यमान उपबंध में कहा गया है कि कोई भी मुसलमान दो या तीन विवाह कर सकता है बशर्ते कि वह प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करे जो कि समाज में अत्यधिक असंभव है। अतः यदि उस कानून के वास्तविक अर्थ को देखा जाए तो मैं इस समुदाय के वर्तमान नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी इस मामले पर ध्यान दें।

यही कारण है कि सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यक होने की भावना ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है जहां अल्पसंख्यकों को भय होता है। और यही कारण है कि यदि हमें प्रत्येक समुदाय के नरम और प्रगतिशील तत्वों को समर्थन देना है तो यह जरूरी है कि इस देश में सभी समुदायों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हम जानते हैं कि विगत 2-3 वर्षों में क्या हुआ था हम जानते हैं कि किस समुदाय को किस समुदाय से डर है और इस देश में किस प्रकार की राजनीति चल रही है।

अब मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि अपनी राजनीतिक कार्यसूची के साथ-साथ वे सामाजिक कार्यसूची भी बनाए ताकि सामाजिक आन्दोलन चलाया जा सके जिसमें सभी समुदायों को शिक्षा मिले और सभी समुदाय उसी विशेष स्तर से कार्य करें जहां संविधान के अनुच्छेद 440 नीति निदेशकों को पुर्णतया लागू किया जा सकें और हमारे यहां एक समान सिविल कोड हो। परन्तु ऐसा बलपूर्वक नहीं किया जा सकता है। यह एक सामाजिक मामला है। यह कानूनी मामला नहीं है। अतः इसके सामाजिक समाधान की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है।

इस समय मैं सभी व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा करने का प्रयास करें और भारतीय समाज में इस समुदाय में दरार पैदा न करे बल्कि इस समाज को जोड़ने का हर संभव प्रयास करे ताकि हम सभी एक सुदृढ़ भारत का विकास कर सकें।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, यूनिफार्म सिविल कोड के बारे में जिसको भी थोड़ी बहुत जानकारी है वह इसको चाहता है लेकिन इसको कोई इंपोज नहीं कर सकता है। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है जहां अनेक जाति, वर्ग या संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसलिए जातिगत भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। यह विल जो सुमित्रा महाजन जी लाई हैं, अभी वह सदन में नहीं है, आडवाणी जी की गिरफ्तारी के वाद उनकी पार्टी ने हाउस का बायकाट कर दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि हमें इस बिल के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हर धर्म के लोगों को एक स्थान पर बैठकर विचार करना चाहिए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। धर्म के लिए अगर कोई कोड है तो हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं।

हमारी देश में बहुत सारे कानून हैं लेकिन सिर्फ कानून पास कर देने से ही कुछ नहीं होता। हमारे में दहेज-निवारण एक्ट, सती प्रिवेन्शन एक्ट है लेकिन गांवों में और बड़े बड़े शहरों में भी बहुत दहेज दिया जाता है। इसमें कानून का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता और इस कारण यह ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि युनीफार्म सिविल कोड एक न एक दिन तो जरूर आएगा जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक साथ वैठकर सिविल कोड वनाएं। उससे पहले जरूरी यह है कि हमारे देश में जो माइनौरिटी कम्यूनिटी है उसे ठीक शिक्षा दी जाए जो इस मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकार का 15 सूत्री कार्यक्रम वहुत सारे राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं होता

है और माइनोरिटीज के लिए काम नहीं होता है। माइनोरिटी कमीशन का जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसमें क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है इसके बारे में सरकार को जांच करानी चाहिए। कौन सा राज्य इसको इंप्लीमेंट कर रहा है और कौन नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। हम राजनीति करते हैं लेकिन अगर राजनीति करते हुए भी हम आदमी को शिक्षित नहीं करेंगे, उसको शिक्षा में सुविधाएं नहीं देंगे तो वह राजनीति ठीक नहीं मानी जा सकती है।

हमारे देश में अनेक पिछड़ी अनेक जातियां है और शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज के लोग रहते हैं। आज उनमें जातिगत राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार से जाकर लोग बंगाल में जाति-पाति की बात करते हैं। हमारे बंगाल में कास्ट की लड़ाई नहीं है। हम गौरव करते हैं कि वहां पर सब धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। आज राजनीतिक नेता वोट की राजनीति करने के लिए इसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए आज हमारे देश की यह स्थिति है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वह उन्हें मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। चाहे कोई धर्म हो, हमारे आर्टिकल 44 में यूनिफार्म सिविल कोड का अधिकार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा महाजन जी जो बिल लाई हैं, उनका मतलब यह दिखाना ही है कि हम ही किन्दू धर्म के लिए लड़ते हैं। हमारा हिन्दू धर्म बहुत बड़ा है। हम अगर दुर्गा को मानते हैं तो कोई काली को मानता है, कोई शिव को मानता है तो कोई राम को मानता है। हमारा धर्म वास्तव में सर्वधर्म समभाव है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ये लोग चाहते है कि हिन्दू धर्म के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं और हमारे देश में हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आपस में धर्म के आधार पर बंट जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। मैं इस बिल का समर्थन तो जरूर करती लेकिन मैं चाहती हूं कि महिलाओं को उनके अधिकार अवश्य मिलने चाहिए। चूंकि समय कम है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहती। बंग्लादेश में तस्लीमा ने एक पुस्तक लिखी है उसके बारे में फंडामेण्डलिस्ट्स ने धमकी दी है कि हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन यह ठीक नहीं है। किसी जर्नलिस्ट को कुछ लिखना है तो उसे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए।

इसके लिये मैं पार्लियामेंट के हर मेम्बर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हमारी आवाज बंगलादेश में भी जाये क्योंकि बंगलादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री है। वहां के किसी व्यक्ति ने अगर कुछ लिखा है तो उसको लिखने की आजादी होनी चाहिये, उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिये और उसके खिलाफ वहां के फण्डामेंटलिस्ट्स ने जो राय दी है कि उसको मार डाला जायेगा, हम लोग उसके खिलाफ हैं। हमारे देश में कोई भी आदमी स्वतंत्र होकर लिख सकता है, हम किसी की फ्रीडम को नहीं छीन सकते। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश में जो डैमोक्रेसी है, फ्रीडम है, हमारे जो राईट्स हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनका आगे बढ़ते रहना सबसे जरूरी है। अगर हम यह काम कर सकते हैं तो हमारा आउटलुक वैसे ही चेंज हो जायेगा और हमारा आउटलुक चेंज होने के बाद, हम सबके अंदर अवेयरनैस जागृत होगी, फिर मैं विश्वास करती हूं कि हमारे देश में, हर धर्म का आदमी एक न एक दिन साथ-साथ बैठकर यूनिफार्म सिविल कोड करेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): सभापति महोदय सर्वप्रथम में उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो मैं कोई टिप्पणी करने से पूर्व सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है:

"राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड प्राप्त करने

का प्रयास करेंगा"

आप कृपया इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किए गए शब्दों को देखें–राज्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अतः इसके निर्माताओं ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि सीधे एक समान सिविल कोड लागू करना संभव नहीं है और यह कहा कि राज्य एक समान सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

यदि आप संविधान सभा के वाद विवाद पर और आगे नजर डालें तो आप देखंगे कि जबकि कुछ सदस्यों ने जो मुस्लिम समुदाय के थे, मूल उपबंध में अनुच्छेद 35 के रूप में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। अब अनुच्छेद 44 के सम्बन्ध में डा. अम्बेडकर ने स्वयं अनुच्छेद 44 के भावार्थ को स्पष्ट किया है। इसलिए हमें हमेशा यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे संविधान के निर्माताओं के विचारों का किसी भी व्यक्ति को गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई एक राष्ट्र के रूप में एक जुट होकर लड़ी है जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया था। हिन्दुओं ने भाग लिया परन्तु यदि आप मुसलमान नेताओं के भाग को देखें तो मुसलमानों की भागीदारी अधिक है। यही कारण है कि भारत में हिन्दुओं के बाद मुसलमानों की जनसंख्या सवसे अधिक है, अतः धर्म का भेदभाव किए वगैर यह प्रत्येक भारतीय का संयुक्त प्रयास था जिसके फलस्वरूप इस देश को आजादी मिली और हमारा अपना एक संविधान वना। संविधान बनाते समय दिया गया कोई भी आश्वासन आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवश्य ही युक्ति संगत होगा। मैं संक्षेप में वह बात बताऊंगा जो डा. अम्बेडकर ने कहा:

"मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य इस मामले में कानून बनाने की शक्ति का दावा कर रहा है।"

फिर उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए कहते हुए, उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसका मैं उल्लेख करता हूं।

"मेरी दूसरी बात उन्हें एक आश्वासन देने की है। मैं उनकी भावनाओं को पूर्णतयः समझता हूं" इस संसद को उनके इन शब्दों को सर्वदा ध्यान में रखना होगा संविधान निर्माताओं में डा. अम्बेडकर ने कहा है:-

"दूसरी बात उन्हें आश्वासन देने की है। इस मामले में उनकी भावनाओं को मैं पूर्णतयः समझता हूं। परंतु मैं समझता हूं कि वे अनुच्छेद 35 से कुछ ज्यादा अपेक्षा करते हैं जबकि उसमें सिर्फ यह कहा गया है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि कोड बन जाने के बाद राज्य इसे सभी नागरिकों पर सिर्फ इस कारण लागू करेगा कि वें नागरिक हैं। यह संभव है कि भावी संसद पहल करके एक उपबंध बना सकती है। वह कोड सिर्फ उन्ही लोगों पर लागू होगा जो यह घोषण करते हैं कि वे इसका अनुपालन करने को तैयार हैं ताकि प्रारंभिक अवस्था में यह कोड पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर लागू हो।"

मैं अवश्य ही इस व्क्तव्य पर जोर देता हूं। संविधान लागू होने के बाद पंडित नेहरू जो हमारे प्रधान मंत्री थे से लेकर जितने भी नेता आए सभी ने यह कहा। उन्होंने हमेशा यह कहा कि इस देश में किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ के मामले में उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जाएगा। मैं पुनः कहता हूं कि बाद में 1967 में जब श्रीमती गांधी ने लाल किले में एक बैठक में यही बात कही तब उनके ध्यान में यह वात लायी गई कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि अल्प संख्यकों के पर्सनल लॉ को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध बदला जाएगा। उन्होंने यह घोषणा की और मुझे याद

है क्योंकि मैं उस बैठक में उपस्थित था, कि जब तक अल्पसंख्यकों की ओर से पहल नहीं की जाती उनके पर्सनल लॉ के मामले में उन के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। इस देश में यह एक सुस्थापित आश्वासन है कि जब भी पर्सनल लॉ का प्रश्न उठे तो अल्पसंख्यकों को आगे आना होगा यदि वे कोई परिवर्तन चाहते हों। ऐसा क्यों? वास्तव में 90 प्रतिशत कानूनों में समानता है। विवाह, भरण-पोषण, तलाक, गोद लेने तथा उत्तराधिकार के मामले काफी छोटे हैं। विवाह, भरण-पोषण, तलाक, उत्तराधिकार तथा गोद लेने का कानून विभिन्न समुदायों में भिन्न है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दुओं का विवाह का एक भिन्न तरीका है। मुसलमानों में उनके स्वीय विधि अर्थात कुरान आदेश के अनुसार निकाह किया जाता है। ईसाईयों का अलग तरीका है। पारसियों का अन्य तरीका है। यह विवाह का मामला उनके कार्यों से सम्बद्ध है। यही कारण है कि हमने कहा कि यदि वे कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो अवश्य इन क्षेत्रों में कुछ किया जाना चाहिए। स्वीय विकधयों के अलावा अन्य मामलों में हम इन समुदायों से परामर्श नहीं करते। यदि हम सामान्य विधियों जैसे साक्ष्य अधिनियम या सम्पत्ति स्थानातरण अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं तो हम इन समुदायों से परामर्श नहीं करते। लेकिन जब धर्म का मामला आता है जैसा कि डा. अम्बेडकर ने कहा "मैं इस मामले में उनकी भावनाओं को समझता हूं।" यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है अर्थात् धर्म के मामले में भावनाओं का मामला धर्म के मामले में प्रत्येक समुदाय की भावनाएं हैं। यही बात प्रत्येक मुसलमान के साथ है और मैं भ.ज.पा. की माननीय महिला सदस्य की बात को नहीं मानता कि जब "अल्प संख्यकों की बात आती है, आप उनसे भेदभाव करते हैं और अपनी बहुसंख्या द्वारा उन्हें एक ओर धकेलने का प्रयत्न करते हैं।" इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है अन्यथा श्री सैयद शहाबुद्दीन ने जो कुछ कहा वह बहुत ही संगत है। मैंने इस्लामी स्वीय विधि बोर्डो से चर्चा की है। वे उस विधि को संहिताबद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमने वह प्रयास किया हमने संसद में निर्णय लिया है। मैं बुरा नहीं मानता लेकिन मैं जानता हूं कि हम मुस्लिम जीवन निर्वाह पर पहले कानून लाए थे। **(व्यवधान)** आप इसे पसंद नहीं करेंगे। क्या हुआ? आपको ठीक से बताया नहीं गया है। मुसलमान महिला को आज क्या मिल रहा है? वह जीवन निर्वाह भत्ते द्वारा लाखों रुपया प्राप्त कर रही है। कुछ न्यायालयों ने लाखों से भी अधिक धन दिया है। मैं आपको वे निर्णय दूंगा। **(व्यवधान)** जी हां, वे अब अपनी आवश्यकता के सिद्धान्तों के अनुसार प्राप्त कर रही है। उनके साथ बेहतर व्यवहार हो रहा है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। कही कठिनाई है। **(व्यवधान)** श्री सोमनाथ चटर्जी, आप उन निर्णयों को देख सकते हैं।

यही कारण है कि मैंने कहा कि जो श्री सैयद शहाबुद्दीन ने कहा है, वह बहुत ही संगत है। हाल ही में छठे दशक में हिन्दुओं के साथ क्या हुआ है? आप जानते हैं कि पंडित नेहरू को कितने विरोध का सामना करना पड़ा जब उन्होंने 1955-56 में हिन्दू कानून को संहिताबद्ध किया था और जब हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और दत्तक अधिनियम जैसे ये सभी अधिनियम बनाए गए थे। हिन्दु कट्टरपंथियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन उन्होंने सभी कानूनों को पारित कराने में बहुत साहस का परिचय दिया और हिन्दू कानून में संहिताकरण बहुत ही विवादास्पद रहा था। इन हिन्दू कानूनों के स्वीकार किये जाने से पहले हिन्दू समाज की क्या दशाा थी? हम मनु स्मृति की विभिन्न शाखाओं में और न जाने किस किस में बंटे हुए थे। हमने हिन्दू कानून के अन्तर्गत हिन्दुओं को एकीकृत किया। हमने ईसाईयों और ईसाई कानूनों को एकीकृत किया और पारसियों और पारसी कानूनों को एकीकृत किया। आप एक समान सिविल कोड कब बनाएगें? हमें सभी धर्मों से अच्छाईयां लेनी चाहिए। यह कार्य समाज के सभी सम्बद्ध वर्गो के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा मिला-जुला समाज है। अभी एक हिन्दू माननीय सदस्य ने हमारे विवाह संबंधी कानूनों में कई

कमियों का उल्लेख किया था।

यह बात मुसलमानों के साथ है। हमारा एक मिला-जुला समाज है। हम इस समस्या का समाधान आपसी चर्चा और बातचीत से चाहते हैं। यहां मैं संविधान के अनुच्छेद 44 का पुनः उल्लेख करूंगा जिसमें कहा गया है कि देश नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यहा 'प्राप्त करने' शब्द से अभिप्राय यह है कि इसे चर्चा और बातचीत से प्राप्त करना है। यह ऐसा नहीं है कि हमें किसी समुदाय या अन्य की भावनाओं और भावात्मक विचारों की कद्र नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे परामर्श करना चाहिए। मैंने इस संबंध में बहुत कार्य किया है लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि जब तक कांग्रेस सत्ता में है, इस देश में अल्पसंख्यकों की स्वीय विधियों के हितों के विरुद्ध कुछ नहीं किया जाएगा। यह मेरी घोषणा है मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जबकि भा. ज.पा. के हमारे मित्र यहां नहीं हैं। मुसलिम समुदाय दूसरे नम्बर पर सबसे बड़ा समुदाय है जिस पर हम गर्व करते हैं। मुसलमानों की विरासत काफी साफ सुथरी और काफी पूर्ण है। यदि वे इसे ठीक से समझे तो बहुत सी चीजें सीखने योग्य हैं। उनके यहा आज भी अपनी लड़कियों को सम्पत्ति देने का अधिकार है। जबकि हिन्दू समुदाय में, हम तब तक उन्हें कुछ नहीं देते जब तक वह विधवा नहीं हो जाती। हम अपनी लड़कियों को क्या दे रहे हैं? हम अपनी पत्नियों को क्या देते हैं? जब तक हम जीवित हैं, वे सम्पत्ति में से कुछ नहीं ले रही हैं। लेकिन मुसलिम समाज में जैसे ही कोई लडकी जन्म लेती है, उसे सम्पत्ति का अधिकार मिलता है। उत्तराधिकार कानून में हमें तुलना करनी चाहिए। मुसलिम उत्तराधिकार कानून काफी बेहतर है। मैं विभिन्न विषयों पर बोल सकता हूं जिससे विभिन्न कानूनों से सम्बन्धित तुलना की जा सकती है। हम यह कार्य कर रहे हैं। मेरा मुसलिम स्वीय विधि बोर्ड से सम्पर्क है। मैं समझता हूं कि यहीं उसे पढ़ना संगत है जो श्री सैयद शहाबुद्दीन ने उस दिन पढ़ा था। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत कार्य किया है।

महोदय, महिलाओं की मुक्ति का प्रश्न बिल्कुल भिन्न बात है। चाहे वह हिन्दू महिला है या मुसलमान, ईसाई या पारसी महिला है वे अपने आप में एक वर्ग हैं। महिलाओं की मुक्ति का कोई विरोध नहीं करेगा। उनकी स्थिति सुधारने के लिए धारा 125 के अन्तर्गत प्रयास किए जाने चाहिए। आप इसे 500 रु. ज्यादा बढ़ा सकते हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट के जरिए इस पर इस सभा में चर्चा हुई है जिसमें कहा गया कि इसे 500 रु. से बढ़ाकर 2000/- रु. कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इसे देने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें समझना चाहिए कि एक समान सिविल कोड पर यह चर्चा हम किस भावना से लाए हैं **(व्यवधान)**

श्री एच.आर.भारद्वाज: आपने भी 1991 में उनका समर्थन किया था। क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): मंत्री जी विद्वता का दावा करके बहुत सी अनर्थ बातों को बोलते जा रहे हैं। हमारा हिन्दू कोड संशोधित है। ऐसे बोलते जा रहे हैं कि सभी रिलिजन्स का अलग-अलग कमर्पाटमेंट जैसा बन रहा है। गांधी जी को बार काऊंसिल ने काला झंडा दिखाया था। 1947 में हमारी मातृभूमि बंटी, दूसरा बंटवारा हम नहीं चाहते। इसलिए सबसे राय लीजीए और राय लेकर, जितने पर सहमति हो, देश का एक कोड बनाएं। जोड़, घटाव, संशोधन सब करें लेकिन मिलाकर एक करें। भारत एक है।

सभापति महोदय: आप अपनी राय बहस पर क्यों नहीं देते।

[अनुवाद]

श्री एच.आर.भारद्वाजः महोदय मैं कार्यवाही वृतान्त को ठीक करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे बारे में कहा। मेरे सारे परिवार ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया। वह इसे नहीं जानते। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। मुझे एक बात कहनी है। मैं इस विषय पर इस सभा में बोल रहा हूं। एक शब्द कहने से हमारी समस्या पैदा हो जाती है। हम अपने बड़े अल्प संख्यक समुदाय के लिए सहानुभूति का एक शबद भी नहीं कह सकते । मैं यही दोहरा रहा हूं। हमें अन्य अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही हमारी कठिनाई है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और उनका तरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें इस पर पूर्ण कालिक बातचीत कर और समझा बुझाकर इसे सही सावित करना होगा। जहां कहीं भी परिवर्तन आए हैं वह महिलाओं द्वारा उनके आन्दोलन करने के कारण आए हैं। भारत में भी, वह बहुत से महिला संगठनों की बात कर रहे हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस देश में हमारे यहां ऐसे शक्तिशाली महिला आन्दोलन नहीं हुए हैं। मुसलमान महिलाओं द्वारा एक आन्दोलन शुरू होना चाहिए। मुसलमान महिलाओं में यह भावना है कि वे अपने विवाह कानूनों में इस प्रकार का संशोधन चाहती हैं। शरीयत कानून के बाद क्या किया गया है? इनमें केवल एक अधिनियम के अर्न्गत सबको एकीकृत किया गया है। कानून का कुछ संहिताकरण नहीं किया गया है और विना संहिताकरण आप वास्तव में किसी व्यक्ति या किसी प्रस्ताव द्वारा कुरानी कानून की व्याख्या के आधार पर नही कर सकते। कठिनाई यह है कि इन्हें संहिताकरण नहीं किया गया है और संहिताकरण शुरू किया जाना चाहिए। मैं श्री सैयद शहाबुद्दीन द्वारा दिए गए योगदान की प्रशंसा करूंगा। सर्वप्रथम वह इस पर हमसे चर्चा के लिए तैयार हैं और संहिताकरण आन्दोलन शुरू किया गया है। हम इसकी हिन्दू, मुस्लमान और ईसाईयों द्वारा दी गई कानून पुस्तिकाओं से तुलना कर सकते हैं। और यदि इसी बीच आप कहें कि 'ठीक है' यह एक आदर्श कानून है जो कि मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और हिन्दुओं सभी को स्वीकार्य है। इसका अनुवाद करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई यह है कि यह एक नाजुक मामला है जो धर्म से जुड़ा है। जब एक बार इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है तो आप इसे केवल वातचीत द्वारा ही हल कर सकते हैं। इसलिए जब हर कोई इस बात का समर्थन करता है कि देश में एक समान सिविल कोड होना चाहिए, तो इसे इस गति से तैयार किया जाना चाहिए जिससे इसमें नुकसान न हो। हमें अल्पसंख्यकों से अवश्य बात करनी चाहिए और इस तरह वे भी प्रस्तावित समान सिविल कोड में कई बातों में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हमें बातचीत करने की आवश्यकता है। सरकार प्रयास करती रही है। हमें अल्प संख्यकों की निन्दा करके और अपने आप एक अच्छा हिन्दू बनने की भावना से कार्य करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए और एक दूसरों का आदर करने से ही हम आदर पा सकते हैं। उनकी धारणा यह लगती है कि उनके अपने स्वयं के हिन्दूत्व के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य हिन्दू या प्रत्येक अन्य मुसलमान गलत है। हमें ऐसा उस भावना से नहीं करना चाहिए। हम इसे नहीं मानते। हमारे लिए प्रत्येक भारतीय बराबर हैं और उनका धर्म उनके लिये पावन है। उन्हें अपने तरीके से ही समान सिविल कोड के विकास में योगदान करना चाहिये। एक बार ऐसा हो जाये तो देश में एक समान सिविल कोड लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं सहमत हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिये देश में चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। मैंने निजी रूप से यह महसूस किया है कि यह एक समान सिविल कोड द्वारा किया जा सकता है । मैं सभी सदस्यों को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इसकी कोई जल्दी नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार): इस प्रस्ताव की मूवर श्रीमती सुमित्रा महाजन हैं। उन्होंने लिखा है कि वह अनुपस्थित रहेंगी। इसलिये इस पर आगे की चर्चा को स्थगित कर दिया जाये, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अनुपस्थिति के कारण चर्चा को स्थगित कर दिया जाये। ऐसी स्थिति में सदन के सामने यह प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि: "यह सभा सरकार से यह अनुरोध करती है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने और देश के सभी नागरिकों में एकता और भ्रातृत्व भाव को बढ़ावा देने के लिये समान सिविल संहिता बनाने के लिये एक आयोग का गठन किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4.58 म.प.

पूर्वी क्षेत्र में तेल और गैस के अन्वेषण कार्य के बारे में संकल्प

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 2 पर विचार करते हैं। डा. असीम बाला बोलेंगे।

डा. असीम बाला (नवद्वीप): मैं प्रस्ताव करता हूं: "यह सभा देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में तेल और गैस की खोज के कार्य में लगातार लापरवाही पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज और खुदाई का कार्य तेजी से करे ताकि तेल और गैस के क्षेत्र में आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।"

पेट्रोलियम मंत्रालय के अन्तर्गत 13 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक ऐसा बड़ा सरकारी उपक्रम है, जिसके अन्तर्गत देश में काफी कार्य किया जा रहा है। मंत्रालय के अर्न्गत चार सहयोगी और अन्य संगठन कंपनियां हैं और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लि. उनमें से एक है।

5.00 म.प.

महोदय, वर्ष 1993-94 के दौरान कच्चे तेल की अनुमानित घरेलू मांग 52.48 मीट्रिक टन है। पैट्रोलियम उत्पादों के लिये 64.48 मीट्रिक टन मांग और प्राकृतिक गैस की 50.44 एम.एम.एस. सी.एम.डी. मांग का अनुमान लगाया गया है। उपरोक्त मांग को स्वदेशी उत्पादन या आयात द्वारा पूरा किया जाता है। आगामी वर्षों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की मांग वर्ष 1990 के 57 मीट्रिक टन से वर्ष 1996-97 में 79 मीट्रिक टन और वर्ष 2001-2002 तक 102 मीट्रिक टन तक बढ़ने की आशा है।

महोदय, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्तमान स्वदेशी उत्पादन कितना है। वर्ष 1989-90 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 34 मीट्रिक टन था, वर्ष 1991-92 के दौरान यह 30.35 मीट्रिक टन था। वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 28.50 मीट्रिक टन था, परन्तु अप्रैल 1992 से जनवरी 1993 के दौरान कच्चे तेल का कुल उत्पादन केवल 22.96 मिट्रिक टन हुआ था। अपने वार्षिक प्रतिवेदन में पैट्रोलियम मंत्रालय ने 'उत्पादन' शीर्ष के अन्तर्गत बताया कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अप्रैल से दिसम्बर 1992 के दौरान 25.544 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विपरीत केवल 18.555 मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया।

हमारे देश में कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों की अत्यधिक कमी है कि इसी कारण हमें तेल का आयात करना पड़ता है। वर्ष 1992-93 के दौरान 29.42 मीट्रिक टन कच्चे तेल और 10.5

मीट्रिक टन पैट्रोलियम उत्पादों के आयात का अनुमान लगाया था। इन आयातों पर लगभग 16,250 करोड़ रु. की कुल विदेशी मुद्रा के खर्च का अनुमान लगाया गया था। आपको वर्तमान स्थिति तथा तेल के आयात पर खर्च की जाने वाली धनराशि का आसानी से पता चल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो देश के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही चिन्ता का मामला है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंधकों ने पश्चिम बंगाल बेसिन के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया दर्शाया है। इन्होंने नई रिगों के रूप में अतिरिक्त विनेश जुटाने के स्थान पर और देश के तेल भण्डारों के निरूपण और खोज के लिये भूकम्पकीय सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए व्यवस्थित रूप से अत्यन्त गोपनीय रूप से और तर्कहीन तकनीकी आधार पर इसे वापस लेने की तकनीक अपनायी है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तेल और प्रकृतिक गैस आयोग की भूमिका अत्यधिक शर्मनाक हो गई है क्योंकि जिस तरह से वह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित ईछापुर–एक जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है में अल्पलवणीय बालू के पैकेज में तेल की खोज का कार्य कर रहा है।

5.03 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

इस राष्ट्रीय सम्पदा का पता लगाने और इसे निकालने का कार्य तो दूर रहा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल संसाधनों का पता न लगाए जाने पर अधिक जोर दे रहा है।

हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोलोगिंग के दौरान 4,550 मी. के आस-पास उतपादन क्षेत्र में गहराई यह दर्शाती है कि लगभग 69 प्रतिशत हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन है जिससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि वहां हाइड्रोकारबन का भण्डार उपलब्ध है। परन्तु अब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्ध मंडल ने राष्ट्र और वैज्ञानिक समुदाय का पहले से तैयार सिद्धान्त से गुमराह करने का प्रयास किया है। यह जानबूझकर किया गया है ताकि इस क्षेत्र में खोज के कार्य को और अधिक रोका जा सके।

मैं कच्चे तेल की खोज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस तेल के बारे में एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है और यह पाया गया है कि यह विश्व का सबसे अच्छा कच्चा तेल है। जिसको साफ करने में अन्य तेलों के मुकाबले कम खर्च होगा। मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि फ्रांस की मै.सी.ई.पी. टोटल ने राणाघाट कृष्णनगर क्षेत्र, जहां पर ईछापुर कुंआ स्थित है का विश्लेषण किया है और इसे एक सशक्त हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने वाला क्षेत्र पाया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बंगाल बेसिन में अनेक जल भूतल भू-रसायनिक क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने चाहिये। परन्तु यह खेद की बात है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज के क्षेत्र में एक अधिकरण होने के बावजूद पिछले एक दशक से कोई तर्क संगत अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास नहीं किया है। क्या यह संयोगवश हुई भूल है अथवा यह एक गूढ़ साजिश है, इसका हमें पता लगाना है। हमारे देशवासियों के लिये अब यह खेद की बात है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंध मंडल ने एकदम विपरीत निर्णय लिया है और ईछापुर एक जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, से रिग को हटाने की कोशिश की है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 4.11.1993 से इसे हटाने का आदेश दिया है।

यह भी खेद की बात है कि बंगाल बेसिन क्षेत्रों में तेल की खोज की प्रक्रिया की क्षमता कुछ गूढ़ कारणों से रोक दी गई है। जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मंत्रालय के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन के

[डा. असीम बाला]

प्राक्कथन के अध्याय एक पृष्ठ 2 पर पैरा 1.17 में यह स्पष्ट लिखा है कि अप्रैल से दिसम्बर 1992 की अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस का 13 स्थानों पर पता लगाया गया है। पहली बार पश्चिम बंगाल के एक कुएं में तेल का संकेत मिला है। यह इस प्रतिवेदन में स्पष्ट•रूप से लिखा है। इसी प्रतिवेदन में "अन्य खोजों" के भाग में यह उल्लेख किया गया है कि पहली बार पश्चिम बंगाल के ईछापुर क्षेत्र में तेल का संकेत मिला है।

ये नोट करके खेद है कि ईछापुर कुंआ एक के मामले में "अल्पलवरणीय उत्पादन क्षेत्र को खुदाई के समय नुकसान पहुंचा था जिसके परिणामस्वरूप कुएं की खुदाई की त्रिज्या 12"- 14" के स्थान पर 22"-24" हो गई। ऐसा क्यों? यह सभी के दवाव के कारण हुआ है। सभा की जानकारी के लिए मैं यहां दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी उल्लेख करूंगा। उदाहरणार्थ, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ब्यौरा तैयार नहीं किया है।

गोल्फ ग्रीन वेल संख्या 1 में 6000 मीटर गहराई का लक्ष्य था और भूवेंधित गहराई 5,800 मीटर रही। सघन तेल वाली कार्बोनेट चट्टान 5430 और 5470 मीटर के बीच में पाई गई। यह जानकारी स्लम्बरजर एण्ड कम्पनी द्वारा मार्च 1991 में की गई वायरलाइन लागिंग से पता चली है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के तुरन्त बाद उस कुएं में निम्न स्तर तक आई आइसोलेएन केसिंग को इतना नुकसान पहुंचा कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। हारिजन की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि बाद में हारिजन का परीक्षण किए जाने पर उसमें तेल पाया गया।

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बोद्रा तेल कूप सं. 2 में 5,500 मीटर भूवेधन का लक्ष्य था तथा 4,950 भूवेधन मीटर की गई। तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग ने इसको भी छोड़ दिया। इसने दक्षिण परगना जिले के डायमण्ड हारबर कूप संख्या 1 को भी छोड़ दिया। यदि हम इसके लिए परीक्षण करें या व्यापक परीक्षण करें तो वहां तेल प्राप्त होने की सम्भावना है।

इन साक्ष्यों के द्वारा मैं परीक्षण-विश्लेषण के व्याख्या भाग को प्रस्तुत कर रहा हूं। परीक्षण में यह उल्लेख है कि ज्वलनांक से यह पता चलता है कि अशोध्य तेल में गैसोलीन की मात्रा अधिक है। गैसोलीन अर्थात विलायक एम.एस. हेक्सेन आदि। यह भी बताया गया है कि यह कच्चा तेल बहुत अच्छे प्रकार का है जिसे परिष्कृत करने में अन्य कच्चे तेलों की तुलना में कम लागत आएगी। यह संसार के सबसे अच्छे कच्चे तेलों में से है।

विश्लेषण व्याख्या में आगे बताया गया है कि परीक्षण परिणाम में निम्नलिखित बिन्दु शामिल नहीं हैं...

पश्चिम बंगाल में बहुत से स्थानों को परीक्षण तथा भूवेधन के लिए चुना गया है; तथा वहां तेल प्राप्त होने की सम्भावनाएं भी हैं। परन्तु सरकार ने और परीक्षण या भूवेधन या अन्य कार्यों के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अचानक रोक दिया है।

पूर्वी क्षेत्र में त्रिपुरा में बहुत अधिक गैस उपलब्ध है। रसोई गैस की कमी से हमारा देश परेशान है। उस गैस को त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल क्षेत्र में लाने के लिए हम पाइपलाइन बना सकते हैं। परन्तु सरकार इच्छुक नहीं है। पता नहीं यह सरकार इसके लिए इच्छुक क्यों नहीं है परन्तु रूस में वे लोग गैस को उसके मूल क्षेत्र से 1000 कि.मी. तक ले जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के लोगों

के लिए यह बहुत दुख की बात है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लोग भी केन्द्र सरकार या तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग के इस षडयंत्र का विरोध करेंगे। वे इन क्षेत्रों को छोड़ देने की मंशा का सदैव विरोध करेंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुराध है कि वह ईशापुर तेल कूप से अपना काम छोड़कर न जाये।

हमने सुना है कि सरकार इन्हें प्रइवेट कम्पनियों को सौंपने का प्रयास कर रही है। जो भी बातचीत चल रही है, कुछ प्राइवेट संगठन तेल के परिशोधन के क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया है कि मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि. गुजरात में पश्चिमी समुद्रतट पर स्विटजरलैण्ड की मेसर्स इंटरनेशनल पैट्रोलियम गुजरात में संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसर्स अशोक लेलैण्ड-गांटको उड़ीसा में तथा मेसर्स एस्सर गुजरात में पश्चिमी तट पर कार्य कर रही हैं। हमें संदेह है कि तेल एवं प्रकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारी इसे प्राइवेट संगठनों को सौंपने के प्रयास कर रहे हैं। परन्तु न परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के लोग प्राइवेट संगठनों को कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि सरकार सकारात्मक कदम उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"यह सभा देश के पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल, में तेल और गैस के अन्वेषण के कार्य की निरंतर उपेक्षा पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह तेल और गैस में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए गवेषण और भूवेधन कार्य को तेज करने के लिए प्रभाावी कदम उठाए।"

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम): महोदया, तेल एंव प्रकृतिक गैस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। पता नहीं हम इस क्षेत्र में कब तक हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मेरे विचार से मंत्री जी भी ठीक-ठीक तारीख यावर्ष नहीं बता सकते हैं कि जब तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे सभी क्रियाकलाप इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। प्रत्येक वर्ष हमारा आयात बढ़ रहा है। इस वर्ष यह 29.24 हजार मी. टन है। इसलिए प्रत्येक वर्ष आयात की मात्रा बढ़ रही है। हम आयात पर करोड़ों रुपए व्यय कर रहे हैं। अब हमारे सामने केवल यही राास्ता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अन्य कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हमारा देश प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च नहीं कर सकता है। इसके बजाए, देश के समुचित विकास के लिए तथा अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं या नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण को चुस्त बनाया जाना चाहिए; मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों में, जहां यह उपलब्ध हैं और अधिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण किए जाने चाहिए, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या मध्य प्रदेश हो। इसका मापदण्ड राज्य विशेष नही होना चाहिए इसका माप दण्ड स्त्रोतों संसाधनों की उपलब्धता होना चाहिए और स्त्रोतों का ठीक प्रकार से पता चले बिना सरकार न तो धन का निवेश कर सकती है और न हीं करना चाहिए। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं। यदि स्त्रोत हैं तो आप धन निवेश करें, अन्यथा यह राष्ट्रीय अपव्यय है। मुझे इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्वी क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस जानकारी को दो शीर्षों में विभक्त किया जा सकता है वित्तीय तथा वास्तविक। वित्तीय जानकारी

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विकास कार्यों पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तीन चौथाई हिस्सों में अन्वेषण करने की पेशकश की गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्वेषण और विकास के लिए निर्धारित परिव्यय का एक बड़ा भाग पूर्वी क्षेत्र को दिया गया है। इस सबके बावजूद परिणाम निराश जनक है। यदि आप वास्तविक उपलब्धि शीर्ष को देखें तो भौगोलिक सर्वेक्षण और भूकम्पीय सर्वेक्षण के अनुसार 60,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है और लगभग 50 से भी अधिक कूपों का खनन किया गया है परन्तु परिणाम निराशजनक हैं। मेरा तर्क यह है कि उन क्षेत्रों में धन बरबाद करने और अन्वेषण कार्य जारी रखने के बजाए वहां तेल एवं प्राकृतिक गैस के स्त्रोतों का कोई चिन्ह नहीं है, हमें ऐसी बरबादी से बचना चाहिए। अन्वेषण के लिए स्त्रोतों को कुछ पता तो चलना चाहिए। मेरे विचार से हमें इसे दो श्रेणियों में बांटना होगा। प्रथमतः हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम विद्यमान स्त्रोतों में किस प्रकार सुव्यवस्थित बना सकते हैं, हम अपने तेल कूपों में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। दूसरे, हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। पहले भाग के सम्बन्ध में, असम को देखें। हमारी जानकारी के अनुसार अधिकांश तेलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ आंशिक रूप से बेकार हैं। उन कूपों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए जो कार्य भी कर रहे हैं। समुचित वित्तीय सहायता न मिल पाना, कम वित्तीय निवेश तथा कुप्रबंधन कुछ ऐसे कारण हैं जो उस क्षेत्र के कूपों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जहां तक असम का सम्बन्ध है मेरे विचार में मंत्रीजी तथा सरकार को उस क्षेत्र पर ज्यादा बल देना चाहिए तथा वहां कुछ सुधारात्मक उपाय उठाने चाहिए। जो गैस हम उत्पादित कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। बाम्बे हाई और अन्य स्थानों पर प्रज्वलित गैस (फ्लेयरिंग गैस) एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या हर जगह है। इस प्रज्वलित गैस का पुनः प्रयोग करके इसका उपयोग करने का एक प्रस्ताव था। इस प्रज्वलित गैस के पुनः प्रयोग के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक बड़ी मात्रा मे गैस बचा सकें और इसे घरेलू खपत में उपयोग कर सकें।

जहां तक दक्षिण भारत का सम्बन्ध है दक्षिणी राज्य वार-वार वहां गवेषण कार्य की मांग करते हैं। इसके कतिपय संकेत मिले हैं कि देश के उस भाग में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उदाहरणार्थ कोचीन, कावेरी नदी घाटी, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी तथा अन्य जगहों में। ये वे क्षेत्र हैं जिनके बारे में पक्की रिपोर्ट है कि यहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। यदि सरकार का मापदण्ड यह है कि उन स्थानों में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिए और अधिक धन निवेश किया जाए जाहं प्राकृतिक संसाधन हैं, तो मुझे विश्वास है कि यह तीन या चार क्षेत्र अच्छे परिणाम देंगे। उदाहरण के लिए कोचीन का मामला लें। चार वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में कुछ अन्वेषण कार्य किया गया था। किसी विदेशी कम्पनी ने इस कार्य को किया था। परन्तु एक दिन हमें यह पता चला कि काम बन्द कर दिया गया है और ठेका रद्द कर दिया गया है। अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है। केरल के उत्तरी हिस्से में कासरगोड़ तट से दूर प्राकृतिक संसाधन होने की पक्की खबर है, यदि सरकार उस हिस्से में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण कराए, तो उसे निश्चित रूप से वहां तेल होने की पक्की खबर प्राप्त होगी। कावेरी और कृष्णा गोदावरी तटों का मामला भी ऐसा ही है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन क्षेत्रों पर भी और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हम दक्षिणी गैस ग्रिड के बारे में अधिक चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार में ओमान ने हमारी

परियोजना को स्वीकृति दे दी है। समुद्री मार्ग की स्वीकृति भी मिल गई है। यह परियोजना 1994 तक शुरू हो जाएगी और गुजरात के उत्तरी हिस्से में गैस पहुंचने लगेगी। यदि दक्षिणी गैस ग्रिड को वास्तव में चालू करना है तो यह बहुत आवश्यक है कि अपेक्षित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। यदि यह प्रारम्भिक कार्य अभी से शुरू नहीं किया गया तो बहु-प्रतीक्षित दक्षिण गैस ग्रिड परियोजना पूरी नहीं होगी और यह सिर्फ कागजों पर ही रहेगी। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष ध्यान दें।

महोदया, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है वह यह है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे अन्य सभी विकास गतिविधियों को सहायता मिलती है। इसीलिये इस पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिए। मैं पुनः इस बात पर जोर देता हूं कि उन क्षेत्रों में धन का निवेश किया जाना चाहिए जहां स्त्रोत हैं। निश्चय ही हमें इस बात की पक्की जानकारी है कि कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रचुर मात्रा में तेल के स्त्रोत हैं। यदि ऐसा है तो सरकार को इस ओर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

मैं तेल एंव प्राकृतिक गैस आयेाग के कार्यकरण के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी कुछ सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं। इस सभा में ही इस पर काफी चर्चा हुई थी। तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग के समक्ष कुछ समस्याएं हैं। इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के समक्ष आने वाली समस्याओं में एक समस्या वित्तीय कठिनाई भी है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह सुधारात्मक कदम उठाएं ताकि तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में सुधार लाया जा सके। मेरे विचार में यदि इन सभी कमियों को दूर कर दिया जाए तो आने वाले समय में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बहुत अच्छा कार्य कर सकता है।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई): सभापति महोदय, डा. असीम बाला ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है जिसकी सावधानीपूर्वक जांच तथा संवीक्षा की आवश्यकता है ताकि हमारा देश तेल का आयात करने से बच सके। महोदया, भारत जैसे विकासशील देश में तेल की इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हमें तेल के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सत्य है कि हमारी आर्थिक संप्रभुता साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे हार मान रही है क्योंकि हम तेल उत्पादन के कामले में आत्म-निर्भर नहीं हैं। हमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा अन्य देशों से पैट्रोलियम उत्पाद खरीदने में खर्च करनी पड़ती है, जो हमारे देश के लिए बहुत मूल्यवान है। खाड़ी युद्ध के दौरान हम इतने असहाय हो गए थे कि हमें तेल की खोज में कई देशों का मुंह ताकना पड़ा। हमारे उद्योग विदेशों से सप्लाई होने वाले तेल पर निर्भर हैं। हम अपनी आर्थिक संप्रभुता विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे गिरवी रखनी पड़ी। चूंकि हम इतनी अधिक मात्रा में तेल खरीदने में समर्थ नहीं हैं तथा हम तेल के आयात पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करने में भी समर्थ नहीं हैं, हमें अर्न्तार्ष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक से ऋण लेना पड़ता है। इन्हीं ऋणों के आधार पर वे हमारी सरकार की नीतियों में फेर-बदल कर सकने की स्थिति में हैं। महोदया, चूंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के कर्ज में डूबे हैं, इसीलिऐ हमें अपने उद्योगों में निवेश हेतु विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दरवाजे खोलने पड़े। केन्द्र सरकार ने तो विदेशी कम्पनियों से यहां तक कह दिया है कि वह हमारे देश में तेल की सम्भावनाओं का पता लगाएं। हम लालची विदेशी कम्पनियों का शिकार हो गए हैं जिन्हें पैट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण के लिए हमारे देश में लगाया गया है।

[श्री सुधीर गिरि]

महोदया, हमारे देश में इतने अधिक पैट्रोलियम उत्पाद हैं जिनका आम भारतीय आदमी को पता तक नहीं है। यदि हम अपने देश में तेल की सम्भावनाओं का अन्वेषण कर सकें, यदि हम तेल के अन्वेषण में काफी धन निवेश कर सकें, तो हमारे लिए यह सम्भव होगा कि हम अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। विशेषज्ञ यह कहते हैं कि हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार है। विशेषज्ञों ने यह बताया है कि निकट भविष्य में, यदि पर्याप्त कदम उठाए जाएं और तेल अन्वेषण गतिविधियों को ठीक प्रकार संचालित किया जाए और यदि विशेषज्ञों की राय को उचित महत्व दिया जाए, तो हमें अपने देश में 2850 करोड़ मीट्रिक टन तेल मिल सकता है जबकि हमारे देश को वास्तव में केवल 642 लाख मीट्रिक टन पैट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक आवश्यकता होती है। हमारे विशेषज्ञों ने पाया कि पश्चिम बंगाल में नाडिया जिले के इच्छापुर में एक तेल कूप अर्थात कूप सं. 1 था जिसकी खुदाई की गई थी और वहां उच्च श्रेणी का तेल पर्याप्त मात्रा में मिला था। परन्तु उन क्षेत्रों में और तेल भंडारों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय नहीं किए गए हैं। इसको किसी न किसी बहाने टाला जाता रहा है। कभी सरकार यह कहती है कि देश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात इच्छापुर में प्राप्त तेल निम्न श्रेणी का था; कभी सरकार यह कहती है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के तेल भण्डार अब बंगलादेश में स्थानान्तरित हो गए हैं, कभी वह यह कहती है कि उन जिलों में प्राप्त तेल व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और कभी कहती है कि तेल अन्वेषण में खर्च की जाने वाली धनराशि उससे कहीं अधिक होगी, जितनी बाहर से तेल मंगाने पर खर्च होगी। महोदया, इतना ही नहीं, नाडिया जिले के कूप सं. 1 में प्राप्त तेल में से एक टैंकर तेल हल्दिया में जांच के लिए भेजा गया था। इस तेल की जांच की गई तथा यह पाया गया कि यह उच्च्च श्रेणी का था और यह व्यावसायिक रूप से भी व्यवहार्य था। इसके बावजूद संसद को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। विशेषज्ञों द्वारा यह वताया गया था कि 4 तेल कूप खोदे जाने थे परन्तु अभी तक केवल एक तेल कूप की खुदाई हुई है। यह कहा गया था कि भूमिगत तेल निकालने के लिए अपेक्षित मशीनरी उपयुक्त नहीं थी तथा वह कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित मशीनरी का आयात करना पड़ेगा।

इस उद्देश्य के लिए, अनिश्चित परिणामों हेतु बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। मेरे विचार में सरकार के लिए यह अच्छ होगा यदि भविष्य में तेल प्राप्त करने के लिए कूपों की खुदाई करने के लिए उचित उपाय करें, जो तेल से भरे हुए पाए गए हैं तथा जिन कूपों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनमें तेल मौजूद है। यहां तक कि मशीनरी जो कि पश्चिम बंगाल के नदिया और माल्दाह जिलों में उपभोग की जा रही है वह असम भेजी जा रही है। इस संबंध में, एक पत्र 2.1.93 को माननीय मंत्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा को पहले ही भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पत्र का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पत्र पर ध्यान दिया जाए जो कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल से भेजा गया था।

बोरिल में, कुछ तेल कुओं का पता चला है जहां खुदाई का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे पूर्वी क्षेत्र में तेल भण्डारों का पता लगाने के लिए उपयुक्त मशीनरी का आयात करना आवश्यक है। हो सकता है कि इस प्रयोजन के लिए अत्यधिक राशि खर्च करनी पड़े लेकिन यदि हम अपने देश में पूर्वी क्षेत्र में तेल का पता लगाने के लिए बाहर से मशीनरी खरीदने में यह राशि खर्च करते हैं तो इससे जो परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं उनमें हमारे आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

यह सच है कि हमारे देश में कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं; वे हमारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। यही निहित स्वार्थी तत्व सच को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र तेल के व्यापक भंडारों से परिपूर्ण हैं और यदि उन भंडारों का दोहन किया जाता है और यदि उन भंडारों का तेल के सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप से आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिऐ उपयोग किया जाता है, तो इससे हमारा देश उन्नति करेगा। हमें अन्य देशों से तेल की सप्लाई पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में यदि हम उन क्षेत्रों, जिनकी विशेषज्ञों द्वारा तेल से भरे क्षेत्रों के रूप में शिनाख्त की गई है तो हम उपयुक्त तरीके से तेल भंडारों का पता लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमारी सरकार एक अच्छा कार्य करेगी और यही गुट या षड़यंत्रकारी एकक जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं उनकी धारणा सरकार को अन्य देशों से तेल आयात करने के लिए मजबूर करने की है। इस पहलू पर ध्यान दिया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत तौर पर अपना ध्यान दें ताकि हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में तेल का पता लगाने की सम्भावनाओं का पूरी तरह से पता लगाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, हम सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल के एक विशेषज्ञ ने सरकार को बताया कि उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में अच्छी किस्म के पेट्रोलियम उत्पादों का पहले ही पता लगा लिया है।

डायमेंड हार्बर में कुछ अच्छी किस्म के पेट्रोलियम उत्पाद मिले थे और उनकी जांच की भी गई थी; लेकिन कुछ तुच्छ कारणवश उन तेल संभावनाओं की सही तरीके से जांच नहीं की गई। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया देखें कि पूर्वी क्षेत्र में हमें जो अवसर मिले हैं उन अवसरों से वंचित न रहें।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि केवल पूर्वी क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भाग तेल स्त्रोतों से परिपूर्ण हैं और विशेषज्ञों के रिकार्ड के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र तेल से भरे पड़े हैं। उन स्त्रोतों का पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया है उनकी सही ढंग से जांच भी नहीं की गई है। इन पहलूओं की जांच की जानी चाहिए और यदि माननीय मंत्री महोदय इन संभावनाओं और क्षमताओं पर कुछ सावधानी पूर्वक विचार करें तो यह हमारे लिए बेहतर होगा। तब हमें विदेशों पर निर्भर रहने और विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण लेने आदि की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और तेल समस्या जिसको हमारे देश को सामना करना पड़ रहा है, हल करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं पूर्वी क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के संबंध में डा. असीम बाला द्वारा लाए गए संकल्प का पूरे मन से समर्थन करती हूं।

मैं उनका इसलिए समर्थन कर रही हूं क्योंकि मैं भी यह कहना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य को आर्थिक रूप से पुनर्जीवन दिया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा, ठीक ही कहा है और पश्चिम बंगाल में लोगों के मस्तिष्क में कुछ आशंकाएं हैं कि पूर्वी क्षेत्र, विशेषतः पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज किया गया है। यही कारण है कि मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से देखें और इस मामले में हस्क्षेप करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहती हूं कि पूर्वी क्षेत्र में तेल की खोज के लिए 13 मुद्दों का पहले ही पता लगा लिया गया है। यदि इस मामले में विचार करने और ठोस कंदम उठाने

[कुमारी ममता बनर्जी]

के लिए पूर्वी क्षेत्र के लिए एक कार्य दल या एक विशेषज्ञ समिति गठित करते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां तेल और गैस की पर्याप्त क्षमता है आर्थिक रूप से प्रगति कर सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति औद्योगिक विकास की दृष्टि से दिन-प्रतिदिन गिर रही है।

लगभग चार-पांच दिन पहले मैं हल्दिया किसी बैठक में भाग लेने के लिए गई थी। उस समय मैं भारतीय तेल निगम के हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लोगों से मिली थी। मैंने कुछ कर्मचारियों और कुछ उच्च अधिकारियों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने को छोड़कर भा.ते.नि. के सभी एककों के विस्तार की अनुमति दे दी गई है। केवल हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विस्तार की अनुमति नहीं दी गई है। मैं नहीं जानती कि इसका क्या कारण है मैंने सुना है कि 1100 करोड़ रु. की लागत से हल्दिया रिफायनरी के विस्तार के लिए परियोजना का प्रस्ताव भा.ते.नि., मंत्रालय और योजना आयोग के पास लम्बित पड़ा है। मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय इसके विस्तार के पक्ष में हैं लेकिन योजना आयोग इसके लिए धनराशि नहीं दे रहा है। मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दें और देखें कि हल्दिया रिफायनरी के विस्तार की अनुमति मिले।

हल्दिया एक औद्योगिक विकास केन्द्र है और यह बंगाल का हृदय है। यदि हल्दिया रिफायनरी को पुनर्जीवित किया जाता है तो यह पश्चिम बंगाल का आर्थिक दृष्टि से पुनर्जीवन होगा। यदि इस रिफायनरी का विकास किया जाता है तो मैं समझती हूं कि इसके सहायक उद्योग भी पुनर्जीवित हो जायेंगे और इसमें बहुत से बेराजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे अन्य उद्योगपतियों को भी पूर्वी क्षेत्र में आने और कुछ उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से हल्दिया रिफायनरी के विस्तार को सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूं।

मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि जब कभी उन्हें समय मिले तो वह हल्दिया का दौरा करें और जब लोगों से मिलेंगे तो वह लोगों की भावनाओं को समझेंगे। उन लोगों ने उनके विचार मंत्री महोदय को व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था।

गोल्फ ग्रीन आयल वैल सं. 1 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसकी लक्षित गहराई 6000 मीटर थी और इसकी खुदाई 5800 मीटर की गई थी। बोडरा ऑयल वेल सं दो दक्षिण 24 परगना में है। इसकी लक्षित गहराई 5500 मीटर थी और इसकी खुदाई की गई गहराई 4950 मीटर थी। डायमंड हार्बर बेल सं. 1 दक्षिण 24 परगना में है। इसकी लक्षित गहराई 5500 मीटर और इसकी खुदाई की गई गहराई 5555 मीटर थी। मैं नहीं जानती कि इसमें कोई भेदभाव किया गया है अथवा नहीं। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। मुझे सच की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। इस मामले में सच्चाई यह है कि जब कभी हमारे दल में मतभेद थे तो मैंने हमेशा लोगों का साथ दिया था। मैं लोगों की भावनाओं और उनके विचारों को जानती हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से बंगाल में इन तेरह स्थानों का, जहां तेल और गैस का पता चला है, दौरा करने का अनुरोध करती हूं।

त्रिपुरा में भी इसकी क्षमताएं हैं। लेकिन मैं नहीं जानती कि उन्हें वहां सुविधाएं हैं या नहीं। पूर्वी क्षेत्र हर दृष्टि से नजर अंदाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। उड़ीसा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है।

मेरा मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि वह गोल्फ ग्रीन कुआं, गोदरा तेल कुआं तथा डायमंड हार्बर कुआं का दौरा करें जैसा कि आपको पता है पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी सबसे अधिक अर्थात 52 लाख है। मुझे अशिक्षित बेरोजगार युवाओं के सही आंकड़ों की जानकारी नहीं है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में 110 से अधिक बड़े उद्योग तथा 23000 से अधिक छोटे उद्योग बंद हो गये हैं और इसीलिए कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। अतः पश्चिम बंगाल में स्थिति काफी बुरी है। यही एक मात्र क्षेत्र है जिसमें हम राज्य का विकास कर सकते हैं और इसे आर्थिक रूप से जीवित रख सकते हैं।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे विशेषकर हल्दिया का दौरा करें क्योंकि यदि हल्दिया पुनर्जीवित हो जाता है तो हमारा राज्य भी पुनर्जीवित हा जाएगा। अतः इसमें हमारा हित है, मुझे पता है कि मंत्री महोदय एक प्रभावशाली मंत्री हैं। महोदय यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : महोदया, क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि आप पीठ के माध्यम से मंत्री से अनुरोध करें?

कुमारी ममता बनर्जी : इस व्यक्तिगत अनुरोध के साथ में अपना भाषण समाप्त करती हूं। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं कि वो एक अच्छा कार्य कर रहें हैं। कृपया हमारे हितों का भी ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय मैडम, हमारे देश में काफी मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा है। सिर्फ ईस्टर्न रीजन में ही नहीं बल्कि समूचे हिन्दुस्तान में यह सम्पदा बिखरी हुई है। बचपन में जब हम भूगोल पढ़ते थे तो भारतवर्ष के भूगोल में यह बात बार-बार लिखी गई है और आज के बच्चे भी यही पढ़ते हैं कि समूचे पूर्वांचल में, खासकर बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा में खानें भरी पड़ी हैं। इन जगहों पर प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पर्याप्त मात्रा में हैं।

लेकिन दुख की बात यह है कि सही तौर पर अब तक इस मामले में जिस तरह से सोचना चाहिए उसमें भारत सरकार ने कभी भी नहीं सोचा है। इसलिए श्री असीम बाला जी यहां रेजोल्यूशन लाए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में चर्चा बहुत जरूर होनी चाहिए। अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल का सवाल किया जाए तो मैं कहूंगा कि वहां पर 45 जगहों को चुना। जैसे मंत्री जी ने कहा कि 45 जगहों को चुना गया था जहां से तेल पाने की संभावना थी और ओ.एन.जी.सी. इसमें से 41 जगहों पर खोदने का काम कर चुकी है और करोड़ों रूपए बर्बाद हो चुके हैं, कहीं भी सफल नहीं हो पाए। 41 जगहों पर खोदने का काम खत्म हो चुका है बाकि 4 जगह पर खोदने का काम चल रहा है हमें यह बात मंत्री जी से पता चली। लेकिन मैं वहां का रहने वाला हूं मैं कम से कम अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में इतना बता सकता हूं कि मेरी ही कांस्टुट्यूएंसी में 3 जगह पर इटाहा, करदंगी और मनीरा, ओ.एन.जी.सी. ने काम शुरू किया था लेकिन वहां करोड़ों रुपया बर्बाद किया। वहां रास्ते बनाए, मकान बनाए, नैशनल हाईवे से उस रास्ते को जोड़ने का काम किया, लोगों के रहने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। ड्रीलिंग का काम हुआ लेकिन वह काम थोड़ा बीच में छोड़ किया गया, कहने लगे कि यहां से जो तेल निकलेगा वह तेल कमर्शियल वेल्यूएबल नहीं होगा, यह कैसी बात है?

महोदया, तेल निकाला ही नहीं गया और खोदने का काम बंद कर दिया गया, जो तेल निकलेगा वह वेल्वूएबल नहीं होगा। जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास क्या कोई ऐसा स्केल है जिसके

जरिए वे पहले से ही कह सकते हैं कि यहां का तेल कमर्शियल वेल्यूएवल होगा या नहीं?

मैं एकदम बंगलादेश के बार्डर में रहने वाला हूं। मैंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में बताया करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 3 जगह पर काम बंद कर दिया गया और उसी के पास में ठाकुर गांव सबडिवीजन, जहां पर बहुत ज्यादा तेल मिलने की संभावना है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है अगर पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाए तो पश्चिम बंगाल के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में काफी तेल मिल सकता है और उन्होंने ओ.एन.जी.सी. के पास चैलेंज छोड़ दिया है, तो मैं चेयर परसन के जरिये मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहूंगा कि ओ. एन.जी.सी. क्यों नहीं उन साइंटिस्टों का चैलेंज का मुकाबला करना चाहेंगे या करेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा तेल होने की संभावना है तो उस चैलेंज को ग्रहण करते हुए, इस चैलेंज के छोड़ने के बावजूद भी इस काम को पूरा नहीं किया जाता है तो इसमें जरूर संदेह पैदा होता है। ओ.एन.जी.सी. के अपार लेवल में उच्च स्तर पर बहुत बड़ी कांसपिरेसी काम कर रही है जो हमारे देश को अपने ऊपर निर्भर होने में बाधा पहुंचाती है, क्योंकि अगर प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस का खान कहीं पर भी मिले। वह चाहे बंगाल हो, चाहे उसम हो, चाहे त्रिपुरा हो। अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि समूचे दक्षिण के पूर्वी और उत्तरी पर्वत माला, समुद्र तट पर तेल मिलने की संभावना भी है लेकिन इसकी जांच नहीं की जा रही है। इन जगहों को अगर सही तौर पर जांचा जाए तो हम अर्थ नीति में स्वयं निर्भर हो सकते हैं।

अभी जैसे ममता जी कह रही थी यह तो सही बात है हल्दिया पैट्रो केमिकल्स समूचे हिन्दुस्तान का है तो यहां पर समूचे हिन्दुस्तान का सवाल है। क्योंकि समूचा हिन्दुस्तान पूरे गर्व के साथ कह सकता है कि तेल उत्पादन में हम एक अच्छी जगह रखते हैं। अभी हमने जो नयी नीति लाई है और इस नयी नीति के मामले में हमेशा चर्चा हो रही है और आज भी हो रही है।

नई नीतियों की वजह से आज हमारे देश की पुनः विकने की बात आ रही है।

सभापति महोदय : क्या अभी आप भाषण समाप्त करने वाले हैं, या नैक्स्ट टाईम कंटीन्यू करेंगे?

श्री, सुब्रत मुखर्जी : नैक्स्ट टाईम कंटीन्यू करूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, आप नैक्स्ट टाईम कंटीन्यू रखिएगा।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं कब बोलूंगा?

सभापति महोदय : मैंने आपका नाम बुलाया था, लेकिन आप नहीं थे। नैक्स्ट टाईम आप भी बोलने का चांस ले सकते हैं।

[अनुवाद]

अब सभा शनिवार 11 दिसम्बर, 1993 के 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 11 दिसम्बर, 1993/20 अग्रहायण, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : मनलाइट प्रिंटर्स, 2265 डा० रान मार्ग, दिल्ली -110006